25 April 1994

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

IX-session

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सोमवार, 25 अप्रैल, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद
के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	4	निशन	निधन
(i)	15	छठा प्रतिवेदन तथा कार्य-सारांश	छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश
1	21	सदस्यगण	सदस्यगण
18	15	श्रीमती कृष्णानेन्द्र कौर (दीपा)	श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)
21	31	श्री निर्मल क्रान्ति चटर्जी	श्री निर्मल कान्ति चटर्जी
27	17	श्री सनत कुमार	श्री सनत कुमार मंडल
75	5	एम.एम. चैनल	एफ.एम. चैनल
230	2	श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुक	श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल
368	17	श्री पीटर जी0मरबीन आंग	श्री पीटर जी0 मरबनिआंग
377	1	राज्य से प्राप्त संदेश	राज्य सभा से संदेश
449	16	स्थगत	स्थगित

विषय-सूची

दशम माला, खंड 30, नौवां सत्र, 1994/1915 (शक)

अंक 24, सोमवार, 25 अप्रैल, 1994/5 वैशाख, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
निशन संबंधी उल्लेख	**1**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**1**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 401, 403, 405 और 407	1–25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**27-376**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 402, 404, 406 और 408 से 420	27-66
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4514 से 4610, 4612 से 4644 और 4646 से 4743	68-366
राज्य सभा से संदेश	**377**
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	**377**
लोक लेखा समिति	**377**
पैसठवां प्रतिवेदन--प्रस्तुत	377
संचार संबंधी स्थायी समिति	378
छठा प्रतिवेदन तथा कार्य–सारांश प्रस्तुत	378
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	**378**
चौदहवां प्रतिवेदन–सभा पटल पर रखा गया	378

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	**378**
दसवां प्रतिवेदन–सभा पटल पर रखा गया	378
कार्य मंत्रण समिति	**378-79**
उनतालीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत	378
नियम 377 के अधीन मामले	**379-81**
(एक) केरल के कोट्टायम में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय तुरन्त खोले जाने की आवश्यकता	379
श्री रमेश चेन्नित्तला	379
(दो) केरल के इदुक्की जिले से होकर अंगमैली–कुमैली और मदुराई के बीच एक रेल लाइन का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता	379
श्री पाला के.एम. मैथ्यू	379
(तीन) आने वाली गर्मी के मौसम के दौरान केरल और दिल्ली के बीच एक विशेष रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता	380
श्री वी.एस. विजयराघवन	380
(चार) बिहार के सहरसा में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	380
श्री सूर्य नारायण यादव	380
(पांच) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता	380
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी	380
(छह) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर शिल–तोरसा नदी पर एक पुल का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता	381
श्री जितेन्द्र नाथ दास	381

(सात) राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने की आवश्यकता	381
श्री नवल किशोर राय	381
बजट (सामान्य), 1994-1995—सामान्य चर्चा	**381-392**
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी	382
श्री विज्य कृष्ण हान्डिक	384
श्री मोहन रावले	389
गणपूर्ति के अभाव में सभा के 2.45 म.प. तक स्थगन के बारे में घोषणा	**392-93**
बजट (सामान्य), 1994-1995—सामान्य चर्चा—जारी	**393-449**
श्री प्रो. के. वेंकटगिरि गौड	393
कुमारी ममता बनर्जी	397
श्री याइमा सिंह युमनाम	403
श्री उमराव सिंह	406
श्री इन्द्रजीत गुप्त	411
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	418
श्री सोमनाथ चटर्जी	419
श्री मनमोहन सिंह	432

लोक सभा

सोमवार, 25 अप्रैल, 1994/5 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री एस. ईश्वर अय्यर के निधन की सूचना देनी है।

श्री एस. ईश्वर अय्यर ने 1957-62 के दौरान केरल के त्रिवेन्द्रम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का दूसरी लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया था।

श्री एस. ईश्वर अय्यर सुप्रतिष्ठित अधिवक्ता थे। वह त्रिवेन्द्रम के लॉ कालिज में कानून पढ़ाया करते थे।

वह सक्रिय समाज सेवक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे। वह त्रिवेन्द्रम केरल उच्च न्यायालय की पृथक् पीठ की स्थापना की मांग संबंधी आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार भी हुए थे। वह फोटोग्राफी और टैनिस में भी काफी दिलचस्पी लेते थे। वह इस सभा के वाद-विवाद में गहरी दिलचस्पी लेते थे।

श्री एस. ईश्वर अय्यर का देहावसान 73 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल, 1994 को कोचीन में हुआ।

हम इस मित्र की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे निश्चिय है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदना भेजने में मेरा साथ देगी।

अब सभा कुछ देर मौन खड़ी रह कर दिवंगत आत्मा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करे।

11.03 म.पू.

तत्पश्चात सदस्ययगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.05 म.पू.

फिल्मों में अश्लीलता

*401. **†श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री एस.एस. लालजान वाशा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय फीचर फिल्मों में अश्लील गानों और दृश्यों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड को फिल्मों में अश्लील गानों और हिंसा और सैक्स दृश्यों पर रोक लगाने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने फिल्मों के इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए क्या उपचारी कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) अश्लील गीतों एवं दृश्यों वाली फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में सरकार को समय-समय पर शिकायतें/प्रेस रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। तथापि, भारतीय समाज एवं संस्कृति पर इस प्रकार के दृश्यों के प्रभाव के संबंध में कोई विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (च) इस संबंध में सरकार द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त एक दर्शने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सतत् रूप से समीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों को समय-समय पर कानूनी प्रावधानों का सख्ती से एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि सेंसरशिप संबंधी प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखा जा सके। अंतिम पत्र 20-8-93 को जारी किया गया था।

विवरण

(भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 तथा उपबंध (2) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 1991

अधिसूचना

सा.का.नि. 836 (ई) केंद्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1957 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 9(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनकि प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे :-

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि :-

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असभ्यक रूप से रोक न लगाई जाए;

(ग) प्रमाणन व्यवस्था व सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हों;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

(2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाएं जाएं जिनमें :-

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाएं जाएं।

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाए जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने वाले अथवा उचित ठहराने वाले दृश्यों को न दिखाया जाए;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिससे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए;

(11) काम-विकृतियां दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम-से-कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए;

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए;

(13) सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैधानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;

व्याख्या : "ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या तो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय को अवमानना के अंतर्गत आएंगे।"

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक न दिखाए जाएं।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चत करेगा कि :-

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से सम्बधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है। परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह

सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिनमें बालक हैं के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिवावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं करते हों।

पाद टिप्पण :- भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) तारीख 7-1-78 में का.आ. 9(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-1-78 की अधिसूचना संख्या 5-5-77-एफ. (सी)

(1) भारत के राजपत्र, भाग 2,खंड 3, उपखंड (II) तारीख 17-2-79 में का.आ. 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27-1-79 की अधिसूचना संख्या 5-5-77 एफ (सी)

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (II) तारीख 7-5-83 में का.आ. 356(अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7-5-83 की अधिसूचना संख्या 805/2/82 एफ. (सी)

(3) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (II) तारीख 9-9-89 में का.आ. संख्या 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 11-8-89 की अधिसूचना संख्या 803/4/89 एफ. (सी)

फा. सं. 805/1/90 एफ. (सी)

हस्ताक्षर
(एस. लक्ष्मीनारायणन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन : 383857

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड,
मायापुरी, नई दिल्ली।

श्री श्रवण कुमार पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं संचार संबंधी स्थायी समिति का सदस्य हूं। एक बैठक में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री शक्ति सामंत ने माना है...

अध्यक्ष महोदय : आप उन बातों को प्रकट नहीं कर सकते। आपसे उन्हें प्रकट करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, उन्होंने मौन रूप से माना कि फिल्मों में अत्यधिक सैक्स और हिंसा दिखाये जाने से भारत के युवकों के मन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यद्यपि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में प्रख्यात हस्तियां हैं, तथापि उसकी वर्ष में बमुश्किल एक बार बैठक होती है, कभी कभी पूरे वर्ष में उसकी कोई बैठक नहीं होती। प्रमाणन का वास्तविक अधिकार दो समितियों में निहित है, एक है जांच समिति तथा दूसरी है संशोधनकारी समिति। फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष इन दो समितियों के प्रमुख होते हैं और उनका संबंध फिल्म संसार से भी होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या वह फिल्में-संसार के एक व्यक्ति के फिल्मों को प्रमाणित करने वाली इन दो समितियों का प्रमुख बनाने की प्रथा को बंद करेंगे क्योंकि यह किसी संबद्ध व्यक्ति को सिनेमा के उद्देश्य के संबंध में निर्णय देने का अधिकार देती है।

श्री के.पी. सिंह देव : इस प्रश्न की जांच और इस पर विचार होना चाहिए। वर्तमान कार्यावधि 7 सितंबर को समाप्त हो जायेगी। पहले भी प्रख्यात लोग हुए हैं जो फिल्म निर्माता भी थे। अतः यह पहला अवसर नहीं है जब किसी फिल्म निर्माता को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित रूप से यह सुझाव विचारणीय है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को सावधान कर दूं कि "यह सुझाव विचारणीय है" कहने का अर्थ है कि सभा में आश्वासन दिया जा रहा है।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, मैं यह जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, फिर यह आश्वासन ही है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में, जो 6 अप्रैल को दिया गया था, टिप्पणी की थी कि सैक्स तथा हिंसा से भरपूर फिल्में आज के युवकों को अपराध जगत में जाने की प्रेरणा देती हैं। महोदय, उच्चतम न्यायालय ने भी फिल्म सेंसर बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि नयी फिल्में, जो बाजार में आ रही हैं और रिलीज की जा रही हैं, जीवन के सामाजिक मूल्यों में सुधार करने का संदेश देती हैं। दूसरी ओर, हम देखते हैं कि दिन-ब-दिन अत्यधिक हिंसा, अश्लील संवादों तथा दूअर्थी तथा श्लेष शब्दों वाले गीतों, जैसे 'चोली' गीत अथवा 'सैक्सी' गीत, की फिल्में आ रही हैं और वे इस देश के युवकों के मन को दूषित कर रही हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चहूंगा कि क्या सरकार की भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों में इस प्रकार की गिरावट को रोकने की कोई योजना है।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा सरकार चिंतित है और 1992 में राज्य सभा में एक विधेयक लायी थी। वह विधेयक राज्य सभा में लंबित है। जैसे ही वह विधेयक वहां पारित होगा, मैं। उसे लोक सभा में लाऊंगा और हम माननीय सदस्यों की सलाह का लाभ लेना चाहेंगे।

दूसरी बात, चोली के पीछे का जो उदाहरण उन्होंने दिया है, वह विषय न्यायालय में भी विचाराधीन था और न्यायालय ने उस पर अपनी अनापत्ति प्रकट कर दी है और उसे सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार भी मिल गया है। अत : यह अनुभूति और अपनी राय का प्रश्न है इस पर कोई सार्वभौम मतैक्य नहीं है यह एक तथा है कि उच्चतम न्यायालय ने इसकी पर्यवेक्षा की है। परन्तु यह एक सामान्य पर्यवेक्षा है। यदि विशिष्ट उदाहरण दिये जाएं तो ऐसे प्रावधान भी हैं जिनके अंतर्गत सरकार कार्यवाही कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, हम देखते हैं कि पिछले 3-4 साल से हिन्दुस्तानी फिल्मों में जिस ढंग से अश्लीलता बढ़ी है उसे सारा समाज चिन्तित है। मेरा प्राइवेट मेम्बर बिल भी इस संदर्भ में सदन के सामने पड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सिनेमाटोग्राफ एक्ट, 1952 के अंतर्गत आप उसमें कोई आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसके कारण सेंसर बोर्ड को जो आजादी मिल गई है उसमें कोई नियंत्रण आ सके। क्योंकि पहले तो पिक्चरों में ए-सर्टिफिकेट आता था लेकिन अब पिछले पांच साल से ए-सर्टिफिकेट नाम की कोई हिन्दी फिल्म बनी ही नहीं है और ए-सर्टिफिकेट से भी खतरनाक दृश्य और गीत उसमें दिखाए जाते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें आप कोई आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं जिसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसा कानून में परिवर्तन आप इस सदन में लाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महादेय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार और कड़े उपाय करना चाहती है। इसलिए यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है मैं उसे यहां भी प्रस्तुत करूंगा। यदि इसे और कड़ा करना विवेकपूर्ण है तो जो भी सुझाव दिए गये हैं हम उन पर विचार करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है और मेरे विचार से उतने कम समय में शिकायतें व्यक्त करना संभव नहीं है। महोदय, आप समझते होंगे कि फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के अनुसार इस बात का समर्थन किया जता है कि हिंसा जैसी समाज विरोधी गतिविधियां उचित नहीं हैं तथा पीड़ितों अथवा अपराधकर्त्ताओं के रूप में बच्चों को हिंसा में लिप्त या हिंसा के प्रति मूक दर्शक के रूप में दिखाना अथवा उनका शोषण दिखाना निषिद्ध है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बच्चों की बुद्धि लब्धि बहुत अधिक है। इस प्रकार की फिल्मों के कारण पूरे देश में अनेक घटनाएं हुई हैं। मैं यह नहीं जानती कि 'सेक्सी-सेक्सी' गीत क्या है। परन्तु इस प्रकार की फिल्मों का हमारे देश पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों* इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस मामले की समुचित जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हमारे देश में इस प्रकार की फिल्में न दिखाई जायें क्योंकि हमें अपनी परम्परा, संस्कृति और मूल्यों की रक्षा करनी है। हमें समाज विरोधी तत्वों और अपराधियों के हितों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय कुछ लोगों

के, जो हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हितों की रक्षा करने के बजाए भारतीय परम्परा, संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिए कोई व्यापक कानून लायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सेंसर बोर्ड के सदस्यों के विरुद्ध प्रयोग किए गये शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा सकता है।

कुमारी ममता बनर्जी : सबका नहीं परन्तु कुछ सदस्यों का तो इसमें उल्लेख किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि प्रथम भाग को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, सरकार को जब भी इसकी जानकारी मिली है तो उस पर कार्यवाही की गई है और मार-धाड़, हिंसा, निरर्थक तथा महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, बलात्कार आदि जैसे दुष्कर्मों को अनावश्यक रूप से दर्शाने वाले दृश्यों को निकाल दिया गया है। गत तीन वर्षों से इस प्रकार की कार्यवाही की गई है।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अश्लीलता विरोधी कानून को लागू करने में सरकार की कमी कानून में ही निहित नहीं है बल्कि यह इस के कार्यान्वयन में निहित है दूसरे, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेंसर बोर्ड किसी फिल्म के जिन दृश्यों को निकाल देता है उन्हें बाद में देश के सभी सिनेमा हालों में दिखाया जाता है क्योंकि मूल तथा कानून और व्यवस्था राज्य का मामला होने के कारण इस विशेष प्रावधान का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के हाथों में है। इसलिए मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि फिल्म के निर्माता पर आरोप लगाने के बजाए क्या सरकार इस प्रस्ताव अथवा सुझाव पर विचार करेगी कि देश में यदि कहीं सेंसर बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन किया जाए तो सबसे पहले फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री को दोषी ठहराया जाए उसके बाद निर्माता को ? इसका प्रभाव पड़ेगा ...**(व्यवधान)** क्यों नहीं, महोदय ? अभिनेता और अभिनेत्री ही इस अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं अश्लीलता का अभिनय कौन करता है।

एक माननीय सदस्य : पार्श्व अभिनेता भी इसका अभिनय कर सकता है।

श्री जसवंत सिंह : पार्श्व अभिनेता हो सकता है। इसलिए इस प्रावधान के, जो केंद्रीय प्रावधान हैं और जिसे पूरे दशे में लागू किया जाना है, कार्यन्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार से एकमात्र यही सुझाव है कि अश्लीलता कानून के उल्लंघन के लिए सीधे-सीधे अभिनेता और अभिनेत्री को दोषी ठहराया जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे सरकार अश्लीलता विरोधी कानूनों को तत्काल कार्यान्वित कर सकेगी।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, माननीय सदस्य ने विचार सामग्री प्रदान की है। उनके

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सुझाव पर विचार किया जायेगा। मैं सभा को इस तथ्य से अवगत कराना चाहूंगा कि हमने मई माह में बहुत ही जल्दी सेंसर बोर्ड, फिल्म उद्योग तथा इससे संबंधित व्यक्ति की बैठक बुलायी है मैं इस सभा और दूसरी सभा के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गये विचारों को उस बैठक में निश्चित रूप से रखूंगा और इसके निष्कर्ष से सभा को अवगत कराऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आज सभा में दो अभिनेता अनुपस्थित हैं। अन्यथा...

एक माननीय सदस्य : वे इस पर आपत्ति करते। **(व्यवधान)**

श्री के.पी. सिंह देव : सभा की भावनाओं को निश्चित रूप से व्यक्त कर दिया जाएगा। हम इस पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। इससे सदस्य उत्तेजित हो रहे हैं। सभा के बाहर भी इस पर उत्तेजना फैल रही है।

श्री जसवंत सिंह : यह गंभीर सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी फिल्मों में ज्यादा हिंसा दिखाया जाता है जिसको सभी लोग देखते हैं इससे समाज में गलत प्रवृत्ति बढ़ रही है और जो भी स्टोरी बनती है तो उसमें पोलिटिकल आदमी को बदनाम किया जाता है जो सही चीज नहीं है। पिक्चरों के माध्यम से जो इस तरह की ओपीनियन बना रहे हैं, वह गलत बात है तो इस दृष्टि से आपको स्टोरी के बारे में ख्याल रखना चाहिए। मुझे नहीं मालूम नहीं आपको टी.वी. से कितना रेवेन्यु मिलता है लेकिन जी.टी.वी. आदि के माध्यम से जो पिक्चर दिखा रहे हैं जिसको गांवों और शहरों के लोग देखते हैं, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप उस दृष्टि से जो कमेटी बनायेंगे तो उसमें सांसदों को भी रखें --**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न के बारे में बात कीजिए। आपको प्रश्न पूछना चाहिए। आपका क्या प्रश्न है ? मैं नहीं समझ पाया।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : ज्यादातर फिल्मों में पोलिटकल पार्टी का असेसमेंट होता है जो सही चीज नहीं है और पोलिटिकल आदमी को बदनाम किया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात मत दोहराइए। आप अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : स्टोरी के बारे में ध्यान रखें ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पालिटिशयन्स की बदनामी रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या ?

श्री के.पी. सिंह देव : अध्यक्ष महोदय, सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सर्टीफिकेशन में यह है कि किसी-किसी पोलिटिकल आदमी को विलिफाई नहीं करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक इन्सटांस दिया जाए तो सरकार उस पर कार्यवाही कर सकती है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है और आपने इसके बारे में सही टिप्पणी की है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि समाज पर इसके प्रभाव का अभी तक आकलन नहीं किया गया है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि हाल ही में इग्लैंड में एक एशियाई दम्पत्ति की हत्या के बारे में अध्ययन कराया गया था। फिल्मों का यह प्रभाव है इससे इग्लैंड में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। यदि आकलन नहीं किया गया है तो क्या आप आकलन करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह आकलन करेंगे ? यही प्रश्न है।

श्री के.पी. सिंह देव : हम बहुत जल्दी ही यह आकलन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा उल्लेख किये गये निर्देशों का कार्यव्वयन कम परन्तु उल्लंघन अधिक किया गया है । यह बात पूरे देश में देखी गई है। भारतीय सिनेमा उद्योग में मलयालम सिनेमा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसने छः राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। भारत में और इसके बाहर मलयालम सिनेमा की छवि बहुत खराब है। ये निर्देश केवल निर्माताओं पर ही नहीं बल्कि बेईमान वितरकों पर भी लागू होने चाहिए। वे ऐसे अश्लील दृश्यों को फिल्मों में जोड़ देते हैं जो कहानी से पूरी तरह असंबंधित होते हैं और उसके बाद उन्हें पूरे देश में दिखाया जाता है।

महोदय, जब हम देश के बाहर की यात्रा करते हैं तो हमें वहां मलयालम सिनेमा के पोस्टरों को देखकर आश्चर्य होता है। ऐसे कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ? जैसा कि श्री जसवंत सिंह ने सुझाव दिया है कि फिल्म संबंधी प्रावधान का कार्यान्वयन राज्य सरकार पर निर्भर करता है। यहां से तो केवल निर्देश ही दिए जाते हैं। पूरे प्रश्न और इस प्रश्न के द्वारा उठाए गये मुद्दे की भावना यही है कि सरकार की ओर से पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जाती है। इन निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शिकायतों के ऐसे कितने मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें द्वारा कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इन निर्देशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, जहां तक उन निर्देशों का कार्यन्वयन करने का संबंध है, इसके लिए हमें राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु राज्य सभा में जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया है उसमें कड़े उपायों की कमी है। यदि मुख्य अधिनियम अर्थात् चलचित्र अधिनियम की पुनरीक्षा तथा निरसन करना आवश्यक है तो मैं इस विचार को स्वीकार करने को तैयार हूं परन्तु इस समय केद्रीय सरकार के पास कोई प्रवर्तन अथवा कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारतीय फीचर फिल्मों में गानों और बढ़ती हुई हिंसा को देखकर हम गांव के लोग आजिज आ चुके हैं। गांव का साधारण आदमी जब ग्रामीण संस्कृति

का फिल्मों में गलत रूप से चित्रण देखता है तो उसका मन व्यथित हो जाता है क्योंकि ग्रामीण संस्कृति का एक गौरवशाली इतिहास रहा है फिल्मों में जब नायक-नायिका इस तरह ग्रामीण संस्कृति का गलत चित्रांकन करते हैं क्या उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है और बनाई है तो उसको कब तक कार्यान्वित करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, फिल्म का मामला पूरी तरह प्राइवेट है। यह सरकार के नियंत्रण में नहीं है। परन्तु जब मई में बैठक होगी तो मै निर्माताओं को माननीय सदस्यों की इस भावना से अवगत करा दूंगा कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत विशेषतः ग्रामीण संस्कृति को दिखाना चाहिए। हम मार्ग निर्देशों के संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं परन्तु हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो कि मूल अधिकार है, किसी प्रकार फेर-बदल नहीं कर सकते हैं। सरकार द्वारा निर्मित फिल्में आकाशवाणी और दूरदर्शन संहिता अथवा चलचित्र अधिनियम का मामला है। जो निजी क्षेत्र के निर्माता हैं उन्हें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड का सामना करना पड़ता है। परन्तु हम उन्हें सभा की भावना से अवगत करा देंगे ?

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : सरकार के तमाम निर्देशों और विभिन्न न्यायालयों के द्वारा अश्लीलता के संबंध में परिभाषा दिये जाने के बाद भी अश्लीलता में कोई कमी नहीं आ रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि डायरेक्संश के रिव्यू और अश्लीलता शब्द की परिभाषा तय करने के बाद भी अगर अश्लीलता नहीं रुक रही है तो क्या इसको फिर से डिफाइन करने की जरूरत है और क्या सरकार इस पर सोचेगी तथा कार्यवाही करेगी ?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, हम इसकी निश्चित रूप से पुनरीक्षा कर सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आपको इस तथ्य की जानकारी है कि 9 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पर सभी महिलाओं ने यहां इस प्रकार की बातों का विरोध किया था और सभा में उस पर सर्वसम्मति थी। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि वह इस संबंध में कुछ भावी अपाय करेंगे। उससे पहले मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या वह तत्काल दूरदर्शन से, जिसका नियंत्रण उनके हाथ में है, सैक्स और हिंसा वाली फिल्मों का प्रसारण करने के लिए कहेंगे ? कल एक ऐसी फिल्म प्रसारित की गई जो हिंसा से भरी हुई थी।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, यदि हमारे पास कोई विशेष उदाहरण है तो हम निश्चित रूप से निर्देश दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : क्या पानी में लाठी मारने से पानी अलग होता है ? जिस बात को हम अश्लील कह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि उसको रोकने से क्या नुकसान नहीं होगा, क्या सृष्टि पर, उत्पत्ति पर नुकसान नहीं होगा ? **(व्यवधान)** जिसे आप अश्लील कहते हैं, उसको रोक नहीं सकते।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, प्रश्न क्या है ? मैं प्रश्न नहीं समझ पाया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अश्लीलता भी जरूरी अंग है, उसको रोकने से क्या जीवन चलता रहेगा ?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, यह काल्पनिक प्रश्न है। क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ?

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा उसमें मेरा थोड़ा-सा संशोधन है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं कहा। जो आपने कहा वह मैंने कहा।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जिस चीज के बिना अलग नहीं रह सकते हैं, और जिसे मैं अच्छे तरीके से समझता हूं, हमारी संस्कृति की परिभाषायें हैं

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। यह व्याख्यान देने का समय नहीं है, यह प्रश्न काल है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं तो इतना ही बता देना चाहता था कि **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आप मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहे हैं। सरकार ने 6 दिसम्बर, 1991 को सिनेमा में अश्लीलता रोकने के संबंध में निर्देश दिए थे ? निर्देश संख्या 4 के अन्तर्गत मंत्री महोदय ने दो बातें कहीं हैं, एक वयस्कों और दूसरी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिल्में बनायी जायें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं और क्या मंत्री महोदय ने इस बात का अनुभव किया है कि यदि किसी फीचर फिल्म में वयस्कों के लिए दृश्य दिखाए जाते हैं तो बच्चों को ऐसी फिल्म देखने से रोका जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय वयस्कों और बच्चों की फिल्मों के लिए ऐसा कोई निर्देश देने पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना है। आप तो हमें व्याख्यान दे रहे हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं यह प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री महोदय ऐसा कोई निर्देश देने पर विचार कर रहे हैं और क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके प्रश्न को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, माननीय सदस्य ने अत्यन्त बहुमूल्य सुझाव दिए हैं जिनका बारीकी से विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग

*403. **डा. असीम बाला** :
कुमारी ममता बनर्जी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु कोई विशेष कार्यक्रम चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(घ) किन-किन राज्यों ने अब तक इस धनराशि का उपयोग नहीं किया है और यह अप्रयुक्त धनराशि कितनी है; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बजट में राज्यवार कितना आबंटन किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। मौटे तौर पर, अधिकतर राज्यों ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित निधियों का उपयोग कर लिया है। 1993-94 के आंकड़ों के बारे में अभी से बता पाना संभव नहीं है क्योंकि अंतिम लेखों का अभी मिलान किया जाना है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन (1991–92)	1991–92 के दौरान अभ्यर्पित राशि	आबंटन (1992–93)	1992–93 के दौरान अभ्यर्पित राशि	आबंटन (1993–94)	1993–94 के दौरान अभ्यर्पित राशि	प्रस्तावित आबंटन (1994–95)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					लाख रुपये			
1.	आन्ध्र प्रदेश	2455.00	–	2600.00	–	4580.00	31–3–1994	3250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	48.00	–	80.00	–	100.00	तक हुए	80.00
3.	असम	1225.00	–	1275.00	–	1400.00	अंतिम व्यय	1400.00
4.	बिहार	1142.00	–	1385.00	216.9	1920.00	के बारे में	1700.00
5.	चंडीगढ़	28.00	3.11	25.00	7.07	25.00	राज्यों ने	25.00
6.	दिल्ली	550.00	–	700.00	314.5	550.00	अभी सूचना	100.00
7.	गोवा	930.00	–	850.00	–	570.00	नहीं दी है	300.00
8.	गुजरात	4770.00	–	4650.00	862.02	6350.00		5000.00
9.	हरियाणा	1060.00	–	1870.00	–	3200.00		4600.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1140.00	–	1150.00	–	1200.00		1200.00

11.	जम्मू तथा कश्मीर	50.00	26.26	50.00	6.6	40.00	40.00
12.	कर्नाटक	1775.00	–	1880.36	32.33	2900.00	2450.00
13.	केरल	1120.00	–	1400.00	–	3089.00	3100.00
14.	मध्य प्रदेश	1850.00	–	1915.00	–	1850.00	1550.00
15.	महाराष्ट्र	3358.00	–	3280.00	–	3080.00	2600.00
16.	मणिपुर	250.00	21.18	250.00	–	300.00	300.00
17.	मेघालय	450.00	–	387.00	128.52	470.00	400.00
18.	नागालैंड	48.00	33.91	50.00	–	45.00	15.00
19.	उड़ीसा	1384.00	–	1375.00	–	1350.00	3200.00
20.	पांडिचेरी	120.00	–	44.64	–	50.00	50.00
21.	पंजाब	2850.00	–	2800.00	–	2200.00	2200.00
22.	राजस्थान	18.00	–	3095.00	–	4200.00	4100.00
23.	तमिलनाडु	1422.00	–	1600.00	–	3150.00	1700.00
24.	उत्तर प्रदेश	6025.00	–	4995.00	–	4750.00	8300.00
25.	पश्चिम बंगाल	1634.00	–	2230.00	–	3500.00	2800.00

[अनुवाद]

डा. असीम बाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी आजादी के बाद के 40 वर्षों के दौरान देश में वाहनों की संख्या बढ़कर 77 गुणा हो गई है, जबकि सड़कों की लम्बाई में मात्र पांच गुणा की वृद्धि हुई है। देश के कुल योजना परिव्यय में सड़क परिवहन क्षेत्र का हिस्सा लम्बे समय से पहली पंचवर्षीय योजना परिव्यय से अधिक होता रहा है।

यह परिव्यय पहली योजना में 7.5 प्रतिशत से कम होकर सातवीं योजना में 4.7 प्रतिशत रह गया है और आठवीं योजना में यह और भी कम होकर कुल परिव्यय का 3.7 प्रतिशत रह गया है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार आवंटन राशि में वृद्धि करेगी और यदि हां, तो इस बारे में सभा को तत्काल विशिष्ट जानकारी दें।

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आठवीं योजना में हमारे आवंटन में कमी आई है। सरकार की नीति का यह एक उदारण है।

श्री जगदीश टाईटलर : आठवीं योजना हेतु हमने 7703 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की थी, लेकिन जब बजट प्रस्तुत किया गया तो हमारे लिए 2460 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया और हमें चालू निर्माण कार्यों के लिए व्यावहारिक रूप से 2400 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमने केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) योजना के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष के माध्यम से कुछ और धनराशि की मांग की थी और इस संबंध में जो कुछ हुआ है, उस पर भी टिप्पणी की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी अधिक धनराशि की मांग कर रहा हूं और इसलिए हमने निजीकरण भी किया है और हमने कैबीनेट में भी बातचीत की थी और इसने मंत्रियों की एक समिति भी गठित की है और हम इसके अंतिम चरण में हैं। मुझे आशा है कि जैसे ही एक बार निर्णय ले लिया जाएगा, हमें और अधिक धनराशि प्राप्त होगी और तब हम राज्य सरकार को अधिक धनराशि आबंटित कर सकेंगे।

डा. असीम बाला : मुझे समाचार पत्रों से यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस समिति ने कोई सिफारिश की है और यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं, और क्या सरकार ने वे सिफारिशें स्वीकार अथवा कार्यान्वित कर दी हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने अभी ही आपको बताया है। मैं आपको ईमानदारीपूर्वक बता रहा हूं कि मुझे इस संबंध में गठित की गई किसी समिति की जानकारी नहीं है। लेकिन पैट्रोल और डीजल संबंधी उपकर में वृद्धि हेतु एक प्रस्ताव लोक सभा और राज्य सभा में स्वीकार किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमने मंत्रियों की एक समिति गठित की थी।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं डा. असीम बाला के इन विचारों का समर्थन करती हूं कि पश्चिम बंगाल राज्य को अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों का हमारे देश में बड़ा महत्व है। गांव की सड़कों की दशा बहुत ही खराब और विकट है। मैं यहां गांव की सड़कों

के बारे में बात नहीं करूंगी। लेकिन सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर धन खर्च करती है। लोग अब कहते हैं कि तालाबों में मछली पालन की बजाये सड़कों पर मछली पालन करना बेहतर है, क्योंकि मेरे राज्य में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरे-गहरे गड्ढे बने हुए हैं। मुझे अन्य राज्यों की जानकारी नहीं है। मैंने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की यात्रा की है। उन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का सही ढंग से रख-रखाव हो रहा है।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार धन प्रदान करेगी, क्या सरकार के पास कोई देख-रेख प्रणाली है और क्या इस धन का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए उपर्युक्त रूप में किया जा रहा है अथवा नहीं। आप राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु मार्च माह में धन देते हैं लेकिन जून माह में और वर्षा ऋतु के बाद हर बार बिचौलियों और ठेकेदारों के कारण सड़कें बनाने हेतु आपको प्रत्येक माह धन देना पड़ता है। उन्हें जो धन प्राप्त होता है, उसकी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई तन्त्र नहीं है।

आधा धन वे पार्टी फंड के लिए दे रहे हैं और इसमें से 50 प्रतिशत का उपयोग वे सड़क के लिए कर रहे हैं। सर्वोत्तम सामग्री देने की बजाय वे लोग घटिया माल सप्लाई कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि जो धन दिया जाता है, उसका उपयोग समुचित रूप से किया जाए।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं प्रश्न के प्रथम भाग पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं। यह सही है कि सड़कों के संबंध में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद सड़क का नेटवर्क संसाधनों की कमी भुगत रहा है और मंत्रालय में हमने अनुमान लगाया है कि इस समय उस कमी को पूरा करने के लिए हमें 52,200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

मैंने पहले ही माननीय सदस्यों से यह जानकारी दी थी कि मुझे इसका अंशमात्र भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

राज्यों को दिए जाने वाले धन पर निगरानी रखने संबंधी प्रश्न के दूसरे भाग का जहां तक संबंध है, यह सही है कि हमारे सामने कुछ मामले आए हैं, जिनसे पता चलता है कि धन का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया। हमने एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गठित किया है। हम सीधे ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत सड़क बनाने, उनकी मरम्मत करने में राज्यों की सहायता लेने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : जब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक पर इस सभा में चर्चा हो रही थी तो अनेक सुझाव दिए गए थे। ऐसा ही एक सुझाव था कि राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत हेतु आवंटित किए जाने वाली धनराशि उचित समय रहते हुए जारी कर दी जानी चाहिए, न कि मार्च माह में।

उस सुझाव के बावजूद यह धनराशि अभी भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मार्च माह में जारी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य जी, समय बहुत सीमित है। कृपया प्रश्न पर आ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति ने ऐसी सिफारिश की थी कि,

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव हेतु धनराशि काफी समय पूर्व जारी कर दी जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव करने वाली राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण राजमार्गों की मरम्मत कर सके क्या धन वित्तीय वर्ष के पहले जारी कर दिया जाएगा।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमने एक निर्णय लिया है क्योंकि हमें ये शिकायतें मिल रही हैं और हमसे यह प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या धनराशि समय पर जारी नहीं की जा रही है। मैंने प्रायोगिक तौर पर एक निर्णय लिया है। मैं समूचे मंत्रालय को लेकर राज्य सरकारों के साथ बातचीत की है। एक प्रयोग के रूप में मैंने स्वयं अपने सचिव संयुक्त सचिव, निदेशक (सड़क), (पुल) के साथ कर्नाटक सरकार से बातचीत की। हमने निर्णय लिया। हमने मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव से आमने-सामने बैठकर बातचीत की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध समूची धनराशि को मंजूरी दी जानी चाहिए। अब यह तो राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे कितनी शीघ्रता से धनराशि जारी करते हैं और इसका समुचित रूप से उपयोग करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णनेन्द्र कौर (दीपा) : अध्यक्ष महोदया, मेरी आवाज बैठी हुई है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं। दिल्ली से आगरा तक, रोड पर नैशनल हाइवे का काम चल रहा है, लेकिन मथुरा को जयपुर से जोड़ने के लिए वाया भरतपुर मार्ग पर कोई काम नहीं हो रहा है और इस बारे में मैंने मंत्री महोदय को कई बार पत्र लिखे हैं, लेकिन मंत्री महोदय का एक ही जबाव आता है कि इस मामले की मैं जांच करूंगा और परिणाम से शीघ्र सूचित करूंगा, लेकिन उसके बाद कोई जांच नहीं होती और उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि मथुरा से जयपुर जाने वाले सभी ट्रक भरतपुर होकर जा रहे हैं और वह रास्ता ठीक न होने के कारण काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जयपुर के लिए वाया भरतपुर मथुरा से जल्दी नैशनल हाइवे निकाला जाए ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि मथुरा-आगरा सैक्शन को चार लेन युक्त करने के लिए 1992 में 4855 मिलियन येन के ऋण हेतु ओवरसीज इकानामिक कारपोरेशन, जापान के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। माननीय सदस्य के अनुरोध के संबंध में अभी मेरे पास कोई योजना नहीं है। धनराशि उपलब्ध होने पर हम इस पर विचार कर सकेत हैं कि क्या इसे धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

लम्बी दूरी के लिए सार्वजनिक दूरभाष प्रणाली

*405. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**

डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के लिए सार्वजनिक दूरभाष प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में "मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम" के कार्यकरण को संतोषजनक पाया गया है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी ग्राम पंचायतों और बहुत से गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्रस्तावित परिव्यय कितना है;

(ङ) 31 मार्च, 1994 तक कितनी ग्राम-पंचायतों और अन्य गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए और कितने गांवों को कनेक्शन प्रदान किए जाना शेष है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत अब तक किए गए कुल व्यय, पूंजी-निवेश और आवर्ती व्यय का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) सरकार ने इस संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। तथापि विभाग के आर्थिक अनुसंधान एकक द्वारा मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली के काम का नमूना अध्ययन किया गया।

(ख) आर्थिक अनुसंधान एकक द्वारा किए गए नमूना अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणालियों के कुछ पुराने उपस्करों का कार्य-निष्पादन पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है।

(घ) सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन प्रदान करने और इसके अलावा, 1.5 लाख गांवों को भी टेलीफोन से जोड़ने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 4050 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ङ)	(i)	टेलीफोन सुविधा युक्त पंचायत गांवों की संख्या	131245
	(ii)	टेलीफोन सुविधा युक्त अन्य गांवों की संख्या	8079
	(iii)	टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की संख्या	4,41,378

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है :-

(i) आपूरित उपस्कर में तकनीकी अड़चन, के जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली ठप्प हो गई अथवा कार्य निष्पादन अनियमित हो गया।

(ii) अपर्याप्त संगठनात्मक/अवसंरचनात्मक सहायता, परिणामतः प्रणाली का घटिया अनुरक्षण।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, विभाग के आर्थिक अनुसंधान एकक द्वारा मल्टी-एक्सेस रूरल रेडियो सिस्टम के नमूना सर्वेक्षण से इसमें तकनीकी कठिनाइयों, अव्यवस्थित कार्य शैली, प्रणाली के ब्रेक डाउन, अपर्याप्त संगठन, अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं और दोषपूर्ण सरकार का पता चला है। मुझे वास्तव में आश्चर्य है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अतः माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब नमूना सर्वेक्षण से ऐसी मूलभूत कमियों और दोषों का पता चला है, तो उन्होंने विस्तृत अध्ययन का आदेश क्यों नहीं दिया है। यह मेरा पहला प्रश्न है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैं अत्यंत शीघ्र विस्तृत अध्ययन कराने जा रहे हैं या नहीं।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडु : यह एम.ए.आर.आर. तंत्र 2/15 उपस्कर पर आधारित है और यह काफी ऊंची फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाली बेतार प्रणाली है। आरम्भ में केवल दो कम्पनियां इसका निर्माण कर रही थीं। एक आंध्र प्रदेश में एम.सी.ई. है और दूसरी हैदराबाद स्थित ए.आर.एम. है।

अध्यक्ष महोदय : सीधी-सी बात है कि यह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। प्रश्न है, क्या आप इसकी विस्तृत जांच करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इसका विस्तृत अध्ययन कराएंगे ? **(व्यवधान)**

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : जैसा कि उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, मेस द्वारा उत्पादित सेट दोषपूर्ण पाए गए हैं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : इसकी हालत खराब है।

श्री पी.बी. रंगय्या नायडु : उन्हें अधुनातन मॉडल बनाने को कहा गया है। उन्होंने पहले ही इनके नमूने प्रस्तुत कर दिए हैं जिन्हें स्वीकृत कर लिया गया है दूसरा ठीक काम कर रहा है। जहां कहीं भी 'मेस' उत्पाद लगाया गया है, वहां से शिकायतें मिली हैं और उनकी जांच की जा रही है। वस्तुतः रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के बाद यह तय किया गया है कि पाए गए और मूल एक्सचेंज में रिकार्ड दोषों की जांच केंद्रीय रूप से बेस स्टेशन से ही की जाए। इन दोषों को दूर करने के लिए समूह रख रखाव की कार्य पद्धति विकसित करने का विचार किया गया है। यह रख-रखाव समूह एक जी.टी.ओ. के अंतर्गत होगा जिसे कई टेलीफोन मिस्त्रियों की सहायता मिलेगी। यह भी विचार किया गया है कि इन टेलीफोनों के रख-रखाव प्रभारी को समुचित रूप से सम्बोधित मुहर लगे कार्ड एजेंटों को दिए जाएंगे। वे कार्डों के प्रयोग से दोषों के प्रभारी को डाक से सूचित कर सकते हैं। विचार यह है कि किसी केंद्रीय स्थान पर इन टेलीफोनों की देखभाल के लिए तकनीकी रूप से जानकार लोगों की एक टीम रखी जाए क्योंकि पी.टी. कई गांवों में फैले हुए हैं। बेस एक्सचेंज से दस बारह गांवों को ये कनेक्शन दिए जा सकते हैं। बेस एक्सचेंज में अधिकारियों का एक दल तैयार रखा जाएगा जो शिकायत मिलने पर परिवहन के साथ गांव में जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यह नहीं हुआ है।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : यह किया जाना है।

दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन प्रभारी को कुछ प्रीपेड कार्ड भी दिए जाते हैं ताकि वह शिकायत मिलने पर बेस स्टेशन को कार्ड भेजकर संबंधित गांव में जा सके। हमारे कुछ गांव बहुत ही दूर-दराज के इलाकों में हैं। कुछ तो बेस स्टेशन से 20-30 किलोमीटर दूर हैं। उन्हें वहां जाकर टेलीफोनों को ठीक करके वापस आना पड़ता है। प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण टेलीफोन क्षेत्र के दोषों से मैं अवगत हूं हम इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : ऐसा लगता है कि नमूना अध्ययन के बाद मंत्री जी उपचारात्मक कार्यवाही में लग गए हैं, और इसलिए शायद वह विस्तृत सर्वेक्षण को आवश्यक नहीं समझते। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जिसमें से दो वर्ष तो गुजर ही गए, हमारा लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों और अतिरिक्त रूप से 1 लाख 5 हजार गांवों को टेलीफोन कनेक्शन देने का था। मैंने जो एक सामान्य हिसाब लगाया है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि नौ गांवों में से केवल दो गांवों में ही कनेक्शन लगे हैं।

हमें पता है, कनेक्शन कितने घटिया रूप से दिए गए हैं। मेरा प्रश्न है कि यह भी माना जाए कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में एक भी गांव में कनेक्शन नहीं था और गत तीन वर्षों के दौरान नौ में से दो गांवों को कनेक्शन दिए गए, तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि शेष दो वर्षों में वे नौ में से सात गांवों को कनेक्शन दे पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : इन संख्याओं में थोड़ी उलझन है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : इनमें उलझन नहीं है, महोदय, ये अत्यंत स्पष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : गांवों की सही-सही संख्या मालूम होनी चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मुझे आधा मिनट का समय दें। मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : यह अत्यंत स्पष्ट है।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 5,80,702 गांव हैं। इनमें से 1,39,324 गांवों को टेलीफोन सुविधा दे दी गई है। इनमें से कुछ पंचायत गांव हैं और कुछ गैर-पंचायत गांव हैं। परंतु धन की कमी और उपस्कर के अभाव के कारण यह कार्यक्रम अगले वर्षों, अर्थात् 1996 तक जा सकता है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : कितना ? क्या ये इन गांवों में से आधे को भी कनेक्शन दे पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसके कारणों में से एक धन की कमी है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : उनके जो भी कारण हों, पर वे यह स्वीकार करें कि वे सभी गांवों को कनेक्शन नहीं दे सकते और वे योजना के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे।

श्री निर्मल क्रान्ति चटर्जी : महोदय, लगता है, नेक मंशा वाले मंत्री जी भी समस्या को उलझा रहे हैं वे कहते हैं कि यदि टेलीफोन करने में कोई कठिनाई हो तो वे लोग इसकी सूचना डाकघर द्वारा देंगे। एक परम्परा है कि शहरी क्षेत्र में या अन्यत्र वी.आई.पी. टेलीफोनों की जांच रोज सवेरे की जाती है, ताकि वे ठीक रहें। क्या विभाग के लिए हर पंचायत मुख्यालय के संदर्भ

में ऐसा कर पाना सम्भव होगा ? यह मेरे प्रश्न का भाग 'क' है। दूसरा है, क्या यह कहना सम्भव है कि इन पंचायत गांवों में दी गई प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता के बावजूद यदि कोई कठिनाई पाई जाती है तो उसे निश्चित अवधि में ठीक किया जा सकता है, जैसा कि कभी-कभी देश के विभिन्न महानगरों में वादा किया जाता है ? यदि हां, तो किस समय तक वे इसे ठीक करेंगे ?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दी गई राय बहुत अच्छी है और सम्भवतः हम इसे विभाग के निचले स्तरों में भेज देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे यूं पढ़िये कि सभी गांवों में रहने वाले बहुत से वी.आई.पी.।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : यदि कोई वी.आई.पी. न भी हो तो पंचायत टेलीफोन के काम करने की स्थिति की जांच कम-से-कम एक बार करने में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री निर्मल क्रान्ति चटर्जी : उन्होंने पंचायत मुख्यालय के टेलीफोन की जांच रोज करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वे दूसरी बात कह रहे हैं, यह प्रश्न बिल्कुल अलग है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : मैं पुनः उपस्कर के मुद्दे की चर्चा कर रहा हूं। इस 2/15 मल्टिपल ऐक्सेस रेडियो उपस्कर के संबंध में मंत्री जी ने यह माना है कि 'मेस' का पहला डिजाइन दोषपूर्ण निकला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डिजाइन में दोष रहा है और यदि हां, तो क्या उसमें कोई सुधार लाया गया है या फिर मूल उपस्कर में ही सुधार नहीं हो सकता तो क्या वे आन्ध्र प्रदेश के 'मेस' द्वारा निर्मित सभी सेटों को बदलने का आदेश देंगे ?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, हमने 'मेस' से नया उपस्कर तैयार करने को कहा है। उन्होंने नया उपस्कर बना लिया है। उसकी जांच भी हो गई है और उसे उपर्युक्त पाया गया है। पहले चरण में उनके द्वारा दिए गए एककों के संबंध में वे इन एककों के मरम्मत के लिए तैयार हैं। उनमें से कुछ की मरम्मत भी हो चुकी है। यदि बाकी की मरम्मत नहीं होती तो उन्हें बदला जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आंकड़े दिये गये और ग्रामीण क्षेत्रों ने एम.ए.आर.आर. सिस्टम की बात कही गई, क्या उनके बारे में अपने विभाग के अतिरिक्त किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करने की स्थिति में है या नहीं। वास्तव में वहां पर टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं। कभी वहां पर बैट्री नहीं होती है और कभी वहां उपकरण नहीं होते हैं। इनकी लिस्ट में वे सारे टेलिफोन आ गए हैं कि इन-इन गांवों में टेलिफोन का काम कर रहे हैं। खाली खम्बा गाड़ देने से टेलिफोन नहीं लगता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो टेलिफोन लग रहे हैं, वे क्या वास्तव में टेलीफोन लग रहे हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों की बात भी आप छोड़ दीजिए, बड़े महानगरों जैसे बरेली आदि नगरों के लिए कई बार आश्वासन देने के बाद कि दस हजार टेलीफोन का नया एक्सचेंज लगाया जाएगा, लेकिन वह आज तक नहीं लगाया गया। आप ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना चाहते हैं और शहरी क्षेत्रों में मशीन चलेगी नहीं, तो इसकी सूचना कैसे जिला केन्द्र पर पहुंच पाएगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आप कृपया यह बतायें कि इस व्यवस्था को कैसे चुस्त और दुरुस्त करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय पहले प्रश्न के संबंध में हमने पहले ही यह आश्वासन दे दिया है कि इन टेलीफोनों की मरम्मत करने हेत कार्यवाही की जाएगी। किन्तु यदि माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई उदाहरण है जहां उपस्कर लगाए बिना टावर की स्थापना की गई है तो हम निश्चित रूप से फोन लगवा देंगे।

डा. आर. मल्लू : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि रेडियो टेलीफोन दिए जाने के लिए गांवों का चयन करने हेतु दिशा निर्देश क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि दिशा निर्देश क्या हैं।

डा. आर. मल्लू : मुझे यह जानकारी मिली है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ये टेलीफोन दूरस्थ गांवों की अपेक्षाकृत राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते गांवों में लगाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछ लिया है। अब आप कृपया बैठ जाएं और इसका उत्तर सुनें।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, इसके लिए मानदण्ड यह है कि ये संवेदनशील सीमा क्षेत्र, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र तथा औद्योगिक विकास केन्द्रों वाले क्षेत्र होने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष महोदय, आज भारतवर्ष के गांवों के लिए टेलिफोन का विकास किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1991 में संसद सदस्य होकर आया हूं। मेरे घर पर टेलिफोन लगा है, लेकिन वह अभी तक खराब है। मैंने बार-बार लिख कर दिया है। कहा जाता है कि वी.आई.पी. को हो जाता है, लेकिन हुआ नहीं। इनके विभाग के अधिकारियों को भी लिख कर दिया, लेकिन आज तक मेरा टेलिफोन ठीक नहीं हुआ है। कभी इनके पास बैट्री नहीं है और कभी कुछ नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सौनभद्र और बनारस आदि शहरों के टेलिफोन की जांच करायें। मेरे टेलिफोन की जांच किसी प्राइवेट एजेंसी या किसी के द्वारा करायें और पता लगायें कि मेरा टेलीफोन क्यों नहीं चल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे ही टेलीफोन की जांच करा लें कि टेलिफोन ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है ?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य की शिकायत नोट कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने उन्हें उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचलों में दूरभाष लगाए जा

रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनको ठीक करने के लिए जानकार व्यक्ति चाहिए, जो आपके पास नहीं हैं। इनकी संख्या कहीं पर एक है और कहीं पर दस है। टेलिफोन सब खराब पड़े रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जिलों में जहां-जहां पर भी टेलिफोन लगे हैं, और खराब पड़े हैं, उनको ठीक करने के लिए जानकार व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को दुगुना किए जाने पर विचार करेंगे ? और, अगर विचार करेंगे, तो कब किए जाएंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त जनशक्ति है ?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : हमारे पास इस उद्देश्य हेतु आवश्यक जनशक्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास नहीं है, तो आप इसे हासिल करने के लिए क्या करेंगे ?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : जहां जरूरी है, वहां हम कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं।

कोचीन शिपयार्ड

*407. **प्रो. पी.जे. कुरियन** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड में प्रतिवर्ष कितने जलपोतों का निर्माण होता है;

(ख) क्या इस शिपयार्ड में जलपोत निर्माण का कार्य 1992 से ठप्प पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस शिपयार्ड में जलपोत निर्माण कार्य को फिर से आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) कोचीन शिपयार्ड लि. औसतन दो वर्षों में 75000/86000 डी.डब्ल्यू.टी. के एक जहाज का निर्माण करता रहा है।

(ख) और (ग) कोचीन शिपयार्ड लि. के पास भारतीय नौवहन निगम की ओर से 86000 डी.डब्ल्यू.टी. के तीन कच्चे तेल के टैंकरों के ओदश थे। पहला तेल टैंकर अक्तूबर, 90 में डिलीवर किया गया और दूसरा अक्तूबर, 92 में। तीसरे तेल टेंकर का संशोधित मूल्य अनन्तिम रूप से 163.50 करोड़ रुपये नियत किया गया है जैसी कि कोचीन शिपयार्ड लि. और भारतीय नौवहन निगम के बीच सहमति हुई थी। संशोधित मूल्य पर आधारित एक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ भेजा जा रहा है।

(घ) शिपयार्ड में जहाज निर्माण कार्य पुनः शुरू करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं/विचाराधीन हैं :

(i) तीसरे तेल टैंकर (हल संख्या 009) के मूल्य को संशोधित करके इसे बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

(ii) कोचीन शिपयार्ड की पूंजीगत पुनः संरचना को स्वीकृति दी जा चुकी है और 24-3-94 को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 119.14 करोड़ रुपये के ऋण को 7 प्रतिशत गैर-संचित वरीयता प्राप्त शेयरों में परिवर्तित किया जाना, सामान्य दर पर 136.35 करोड़ रुपये के संचित ब्याज-मुक्त ऋण में बदलना इत्यादि परिकल्पित है।

(iii) दि. 8-9-93 को जहाज निर्माण उद्योग के लिए एक राहतों के पैकेज की घोषणा की गई है जिसमें मूल्य निर्धारण की संशोधित नीति, सार्वजनिक क्षेत्र के यार्डों से जहाजों के अधिग्रहण के लिए आसान वित्त पोषण आदि शामिल हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : यह विवरण बहुत ही लम्बा है। शिपयार्ड के संबंध में दिया गया उत्तर खेदजनक विवरण भी जिसमें मैं खेदजनक तो नहीं कह सकता किन्तु इसमें शिपयार्ड के हालात के संबंध में पूरी तथा वास्तविक स्थिति नहीं दी गई है। विवरण से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि शिपयार्ड एक रुग्ण उद्योग है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस शिपयार्ड को अब तक कितनी संचयी हानि हो चुकी है। और क्या सरकार ने इस शिपयार्ड और नौवहन उद्योग के रुग्ण हो जाने संबंधी मूल कारणों के बारे में कोई अध्ययन कराया है न केवल यह शिपयार्ड विशेष बल्कि पूरा उद्योग ही सही ढंग से नहीं चल पा रहा है जबकि हमारे आर्थिक विकास के लिए यह उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य की बात में सुधार करूंगा। शिपयार्ड की दशा बुरी नहीं है। हो सकता है कि दो वर्ष पूर्व यह खराब स्थिति में हो किन्तु अब ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि माननीय सदस्य ने दो वर्ष पूर्व यह प्रश्न पूछा था जब शिपयार्ड वास्तव में बंद होने के कगार पर था। इस शिपयार्ड ने काफी समय के बाद अब लाभ दर्शाया है और शिपयार्ड कई क्रयादेशों पर माल की पूर्ति कर रहा है। माननीय सदस्य को मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि शिपयार्ड को भारतीय नौवहन निगम के लिए डबल हुल वाले और 86000 डेडवेट टन क्षमता वाले टैंकर 009 के लिए आदेश मिला है टुटीकोर्न पत्तन के लिए 32 टन के एक टग का आदेश मिला हुआ है। इसने जलपोत मरम्मत का भी काफी काम किया है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि शिपयार्ड के कर्मचारियों और प्रबंधकों में पिछले दो वर्षों में काफी प्रयास किए हैं और शिपयार्ड काम करने की स्थिति में है। मैं यह कहकर उन्हें निरुत्साहित नहीं करना चाहता कि वहां की हालत खराब है। इसमें कोई शंका नहीं है कि शिपयार्ड की दशा पहले खराब थी।

वहां पूंजी का पुनः निर्माण किया गया है। हमें मंत्रीमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि वहां सामान्य दर से ब्याज 136.35 करोड़ रुपये हो गया था

और 31 मार्च 1993 तक कुल 37.56 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जा चुकी थीं। इसे ब्याज रहित ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा और इसे छठे वर्ष के बाद से 1-4-1998 तक दस समान किस्तों में वापिस किया जा सकेगा। हमने 31-3-1993 तक मंजूर किए गए। 119.14 करोड़ रुपये को भी 7 प्रतिशत गैर-संचयी वरीयता प्राप्त शेयरों में परिवर्तित कर दिया है। भविष्य में लिए जाने वाले मध्य को स्वीकृति आदेश में अंतर्विष्ट शर्तों के अनुरूप ब्याज समेत वापस किया जा सकेगा। 38.65 करोड़ रुपये के दंड के तौर पर लगे ब्याज को पहले ही माफ कर दिया गया है। 7 प्रतिशत गैर संचयी शेयरों को ब्याज मुक्त ऋण का भुगतान होने के पश्चात् उत्तरोत्तर विमोच्य किया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड में हमने इस प्रकार से पूंजी का पुनः निर्माण किया है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : उन्होंने मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा मूल प्रश्न यह था कि इतने वर्षों की संचयी हानि कितनी हो चुकी है। मैंने यह पूछा था कि संचयी हानि के क्या कारण हैं। यह सही है कि उन्होंने पूंजी पुनः निर्माण का ब्यौरा दिया है। वह सब तो ठीक है। यह तो ऋणों के पुनः समायोजन और ब्याज आदि के पुनर्भुगतान के बारे में है। यह सब बाह्य बातें हैं। किन्तु कुछ मूलभूत कारण हैं जिनकी वजह से यह उद्योग रुग्ण बन चुका है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस रुग्णता के मूलभूत कारण क्या हैं और इन वर्षों में कितनी संचयी हानि हो चुकी है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह शिपयार्ड उबर रहा है और मंत्री महोदय को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। तीसरे टेंकर को क्या हो गया है। वहां आदेश तो मिले हुए हैं किन्तु माननीय मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि क्या इन आदेशों की पूर्ति की जा रही है क्या शिप निर्माण का कार्य वास्तव में चल रहा है और क्या उन्हें मिले तीनों आदेशों का विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप जहाज निर्माण करके इनका समय पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने पहले उत्तर जो दिया है वह डबल हुल वाले और 86000 डेड वेट टन क्षमता वाले टैंकर 009 के बारे में था जिसका निर्णय भारतीय नौवहन नियम के आदेश पर किया जा रहा है। कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिसके कारण माननीय सदस्य ने घटिया निष्पादन और खराब स्थिति की बात उठाई है संसाधन जुटाने के मामले में अभिकल्पना के अनुरूप कार्य न होकर विलम्ब से हुआ था तथा आयातित माल के विलम्ब की समस्या बार-बार तथा लम्बे समय तक बिजली कटौती और ले-माफ हो जाने की समस्या रही है क्योंकि उस अवधि के दौरान पूरी तरह से बिजली कटौती रही है, न्यून उत्पादकता हो पाई है। और आदेशों की भी कमी रही है। क्योंकि हमें कोई भी और देने को तैयार नहीं था। नौवहन निगम का जो तीसरा आदेश आज मिला हुआ है उसे भी उन्होंने एक बार वापस ले लिया था। कीमत के बारे में बातचीत किए जाने के पश्चात् ही शिपयार्ड को तीसरा आदेश मिल सका है। वहां पर वित्तीय कठिनाइयां भी थीं। धन सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था। अतः शिपयार्ड के घटिया कार्य-निष्पादन के यही कारण थे। माननीय सदस्य द्वारा पूछी गयी संचयी हानि 188.97 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भारतीय-भूगर्भ-सर्वेक्षण विभाग का सर्वेक्षण

*402. **श्री मौहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में बिहार में खनिजों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) पता लगाए गए विभिन्न खनिज भंडारों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) कोयले के लिए राजमहल, औरंगा, दक्षिण करनपुरा और पूर्वी बोकारो कोलफील्ड, तांबा, सीसा-जस्ता के लिए बंका, देवघर और जमुई जिले के हेसातू वैलबेथम पट्टी और सिंहभूम जिले में सिंहभूम तांबा पट्टी, सोने के लिए सिंहभूम और रांची जिलों के धनजोड़ी बेसिन के डालमा वोलकनिक पट्टी में और एपेटाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए बिहार के रांची जिले में क्षेत्रीय खोज का काम कर रहा है।

सी.एन.एन. का दूरदर्शन के साथ समझौता

*404. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री सनत कुमार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल न्यूज नेटवर्क (सी.एन.एन.) ने अपने संग्रह से दिल्ली दूरदर्शन को वाणिज्यिक आधार पर मनोरंजक कार्यक्रम देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.एन.एन. के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में भारत का दौरा किया था, और संयुक्त उद्यमों के लिए सरकार से बातचीत की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संयुक्त उद्यमों के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(घ) इस व्यवस्था से भारत को क्या लाभ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन की विभिन्न मंचों से नियमित रूप से मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारण हेतु प्राप्त होते हैं। मनोरंज कार्यक्रम प्रदान किए जाने संबंधी ऐसा एक प्रस्ताव सी.एन.एन. से भी प्राप्त हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दूरदर्शन समय-समय पर अपनी कार्यक्रम संबंधी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक बातचीत द्वारा तय किए गए मूल्य पर मनोरंजन कार्यक्रमों सहित विदेशी कार्यक्रमों की खरीद करता है।

[अनुवाद]

गैर ऊर्जा खनिज

*406. **डा. राजगोपालन श्रीधरण** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान घरेलू और विदेशों फर्मों द्वारा निकाले गए गैर-ऊर्जा खनिजों का राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1991-92 और 1992-93 के दौरान प्रतिवर्ष खानों से निकाले गए इन खनिजों की कुल मात्रा तथा मूल्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ग) 1991-92 और 1992-93 में सरकार को प्रतिवर्ष कितनी रायल्टी मिली;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को इन खनिजों का निर्यात किया गया; और

(ङ) कितनी मात्रा में खनिजों का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(क) से (ख) 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान मुख्य धात्विक और गैर-धात्विक खनिजों के संबंध में राज्यवार विवरण

(स्रोत भारतीय खान ब्यूरो)

खनिज/राज्य इकाई हजार	मात्रा	1990-91 मूल्य (रुपये में)	1990-91 मात्रा	1991-92 मूल्य (रुपये में)	1991-92 मात्रा	1992-93 मूल्य (रुपये में)	1992-93 मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
धात्विक खनिज							
बाक्साइट							
बिहार	टन	61355	874797	91897	1084268	99667	1109529

1	2	3	4	5	6	7	8
गोवा	टन	410	14475	1362	34111	2049	45190
गुजरात	टन	62622	856350	92313	815299	67980	575517
कर्नाटक	टन	5496	57944	1574	18884	1373	13178
मध्य प्रदेश	टन	94101	583823	108795	528438	114636	488472
महाराष्ट्र	टन	44263	543034	52104	566368	50956	551060
उड़ीसा	टन	3300064	1912114	346767	1866851	406022	2277861
तमिलनाडु	टन	9104	141944	6164	98806	2448	42207
क्रोमाइट							
आंध्र प्रदेश	टन	260	284	326	507	391	438
कर्नाटक	टन	25058	46478	31027	38420	32051	37262
मणिपुर	टन	114	130	42	64	95	158
उड़ीसा	टन	1532864	892705	2025549	1043078	2016082	1031454
तांबा अयस्क							
बिहार	टन	681898	1245862	756752	1187960	849709	1328067
कर्नाटक	टन	31280	100925	34439	106591	30242	93865
मध्य प्रदेश	टन	441832	2081460	638751	2050761	641703	2060239
उड़ीसा*	टन	4417	1227	4046	1124	3240	900
राजस्थान**	टन	535552	1825239	741766	1860140	683651	1727295
सिक्किम***	टन	4691	408	5137	436	5078	431

*तांबा कंसंट्रेटों से संबंधित।

**1990-91 ने हिंदुस्तान जिंक लि., राजपुरा देबारी खान द्वारा तांबा कंसंट्रेटों के उत्पादन सहित 1 रुपये 1595000 मूल्य और 443 टन, 1991-92 में 389000 रुपये पर 108 टन और 1991-92-5796000 रुपये पर 1610 टन।

***तांबा कंसंट्रेटों से संबंधित।

1	2	3	4	5	6	7	8
सोना							
आंध्र प्रदेश	किलोग्राम	206691	292	213832	280	231857	304
बिहार*	किलोग्राम	50006	192	91267	284	105816	291
कर्नाटक%	किलोग्राम	544003	1512	544621	1477	472170	1245
लौह अयस्क							
आंध्र प्रदेश	ह.टन	8316	184	9191	157	6755	149
बिहार	ह.टन	835196	8352	1007414	10049	1095193	9902
गोवा	ह.टन	968181	13318	1074929	13286	1304620	12615
हरियाणा	ह.टन	247	3	716	8	1384	15
कर्नाटक	ह.टन	1742142	12342	2380988	12360	1703296	11043
मध्य प्रदेश	ह.टन	1562309	12346	1859277	13826	2051737	14176
महाराष्ट्र	ह.टन	38427	645	15975	260	3888	43
उड़ीसा	ह.टन	715913	8367	899258	8554	966510	7846
राजस्थान	ह.टन	2436	34	2611	34	1790	29
मैगनींज अयस्क							
आंध्र प्रदेश	टन	7753	46994	15725	63415	20125	76414
बिहार	टन	3703	23526	3208	16821	5466	22960
गोवा	टन	9397	27293	11280	31824	5075	19279
कर्नाटक	टन	208999	345241	257637	350945	309489	394723
मध्य प्रदेश	टन	179682	267542	245763	285910	402731	353048

*तांबा स्लिम से सोना उप–उत्पादों के रूप में प्राप्त

%पूर्वेक्षण और गवेषण कार्यों से प्राप्त होने वाले अयस्क से प्राप्त सोने सहित।

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	टन	161462	275644	245572	303700	333689	335222
उड़ीसा	टन	181383	505486	259381	587100	311486	668737
सीसा कंसट्रेट							
आंध्र प्रदेश	टन	40570	3675	43296	3437	45218	4096
उड़ीसा	टन	95025	8467	102626	8392	96150	7836
राजस्थान	टन	237173	32005	266085	41306	351504	48652
सिक्किम	टन	149	90	215	120	174	120
कंसंट्रेट							
राजस्थान	किलोग्राम	3863	20881	1422	7755	671	3696
टिन कंसंट्रेट							
मध्य प्रदेश	किलोग्राम	11070	156998	2421	107011	3720	62067
उड़ीसा	-वही-	1110	17073	525	8074	232	3570
चांदी							
आंध्र प्रदेश**	-वही-	74528	11074	101000	13931	34119	5113
बिहार %	-वही-	110030	14856	122914	17173	106395	15610

जस्ता **यह आंध्र प्रदेश और राजस्थान में उत्पादित सीसा कंसंट्रेट, विभाग

कसंट्रेट स्मैल्टर से प्राप्त किया गया है।

राजस्थान % धनबाद जिले में यह राजस्थान में उत्पादित सीसा सान्द्रों से हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के टुण्डू सीसा स्मैल्टर से प्राप्त किया गया। सिंहभूम जिले में यह कापर स्लम से हिन्दुस्तान कापर लि. के मोबान्दर स्मैल्टर पर प्राप्त किया गया है।

= यह सोने के शुद्धिकरण के दौरान प्राप्त किया गया है।

+ उदयपुर (राजस्थान) में यह राजस्थान में उत्पादित जिंक कंसंट्रेट से हिन्दुस्तान जिंक लि. के देबारी जिंक स्मैल्टर से प्राप्त किया गया है। झुनझुनू जिले में यह टतोव–स्मैल्टिंग हेतु खेतड़ी कापर कम्पलेक्स से एनोड स्लिम एबोर्ड के शिपमेट के विरुद्ध हिन्दुस्तान कापर लि. से प्राप्त किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक=	-वही-	744	140	719	135	667	127
राजस्थान+	-वही-	60109	8912	31298	4317	171563	25710
गैर-धात्विक खनिज							
आगेट							
गुजरात	टन	211	589	251	616	245	601
एपेटाइट							
आंध्र प्रदेश	टन	2668	2938	2442	2571	2027	2485
पश्चिमी बंगाल	टन	1405	12863	1555	14424	4142	14442
फास्फोराइट							
मध्य प्रदेश	टन	99540	141952	95739	135837	32718	61127
राजस्थान	टन	391661	372112	435645	300432	520070	447314
उत्तर प्रदेश	टन	45875	153557	59768	149606	47884	108980
बेराइट्स							
आंध्र प्रदेश	टन	198205	299659	224522	627223	100861	366093
हिमाचल प्रदेश	टन	182	1512	112	935	129	1063
मध्य प्रदेश	टन	8	280	3	23	8	39
राजस्थान	टन	4139	7942	3165	6968	2636	4901
एस्बेस्टस							
आंध्र प्रदेश	टन	12992	1399	15953	1550	16552	1379
कर्नाटक	टन	3	59	3	59	2	41

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	टन	3595	36181	4023	37831	4287	42368
बलाले							
आंध्र प्रदेश	टन	6102	80812	6118	70066	6768	64748
गुजरात	टन	15	401	9	106	1	5
राजस्थान	टन	18014	209863	20335	237330	13179	186975
तमिलनाडु	टन	23	150	75	500	-	
कैल्साइट							
आंध्र प्रदेश	टन	68	937	10	243	28	489
मध्य प्रदेश	टन	369	4051	94	1302	65	405
राजस्थान	टन	13422	65416	16663	86731	11907	61700
चाल्क							
गुजरात	टन	25664	132311	25292	137189	19681	97460
राजस्थान	टन	4	28	6	37	6	35
क्ले							
आंध्र प्रदेश	टन	564	20112	811	25459	737	20298
गुजरात	टन	221	18420	272	22639	283	28279
मध्य प्रदेश	टन	39	1290	26	862	8	287
पश्चिमी बंगाल	टन	55	2727	27	1370	24	1195

1	2	3	4	5	6	7	8
कोरनडम							
आध्रं प्रदेश	किग्रा	52	1782	54	16705	24	6144
कर्नाटक	"	13	16900	8	10000	2	3300
मध्य प्रदेश	"	962	331	1603	405	1895	519
महाराष्ट्र	"	295	162515	29	16460	18	10000
राजस्थान	"	5	1130	3	615		
हीरा							
मध्य प्रदेश	कैरेट	62075	17976	107866	18213	83794	18752
डायस्फोर							
मध्य प्रदेश	टन	3273	6571	4243	8147	3451	5894
उत्तर प्रदेश	"	878	1718	3360	5606	4867	6978
डोलोमाइट							
आध्र प्रदेश	टन	19102	64310	32917	115785	36453	123873
बिहार	"	19447	116393	24935	149061	30687	184247
गुजरात	"	19447	442520	19628	362817	13728	302763
कर्नाटक	"	194	4742	257	5965	367	4232
मध्य प्रदेश	"	73245	633815	93816	815991	100102	704621
महाराष्ट्र		2667	27699	2833	23945	2733	24343
उडीसा	"	137157	1216125	152163	1308403	223213	1566288

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	टन	238	4019	218	2796	52	517
उत्तर प्रदेश	"	2435	51522	3918	56321	3337	39171
पश्चिम बंगाल	"	4721	86777	5713	91074	6530	101135
एमेरल्ड							
राजस्थान	किग्रा॰	0	0	0	0	0	0
फ्लैस्पर							
आंध्र प्रदेश	टन	2416	25921	2487	26521	2138	22361
बिहार	"	378	3636	345	3226	361	4975
गुजरात	"	3	††	3	††	1	††
राजस्थान	"	2229	34507	2263	31350	2890	41951
तमिलनाडु	"	1888	9064	1677	8320	593	2691
फायरक्ले							
आंध्र प्रदेश	टन	1666	19960	1775	21151	1628	21445
बिहार	टन	2205	35536	3156	49506	3610	53089
गुजरात	टन	2244	127466	3091	132795	1937	77372
कर्नाटक	टन	1173	5411	703	4870	943	4047
मध्य प्रदेश	टन	2506	60384	2210	53093	1062	43536
महाराष्ट्र	टन	302	5566	332	6220	3320	6836

†† नगण्य

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	टन	13497	71364	16968	77767	14034	80680
राजस्थान	टन	7833	82475	6155	62260	4822	59159
तमिलनाडु	टन	2118	80541	1950	56912	1292	39436
पश्चिम बंगाल	टन	2199	47718	3044	57878	2522	53137
फेल्साइट							
कर्नाटक	टन	688	1023	633	1004	593	999
फ्ल्यूराइट (वर्गीकृत)							
गुजरात	टन	152	30	459	98	222	60
महाराष्ट्र	टन	2444	3491	675	659	271	388
राजस्थान	टन	10216	3902	7287	2937	7302	2371
फ्लूराइट कंसट्रेट (कुल)							
गुजरात	टन	116356	25045	111095	23454	95784	19598
गारनेट (एब्रेसिब)							
आंध्र प्रदेश	टन	83	267	134	399	59	189
राजस्थान	टन	105	341	61	133	65	242
तमिलनाडु	टन	4929	26638	3359	15017	4709	22605
गारनेट (जैम)	क्रिग्रा	90	1639	89	1206	32	543
ग्रेफाइट (आर.ओ.एम.)							
आंध्र प्रदेश	टन	234	677	105	290	40	114

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	टन	1246	7978	1113	5651	1606	8020
उड़ीसा	टन	15912	51759	22108	67656	17953	57706
तमिलनाडु	टन	1010	3365	963	3210	890	2579
जिप्सम							
गुजरात	टन	349	2788	671	5308	80	621
जम्मू और कश्मीर	"	941	13744	1033	14125	2105	18212
राजस्थान	"	138881	1524624	155545	1503264	192357	1561562
तमिलनाडु	"	3816	40797	5505	53717	4971	42321
उत्तर प्रदेश	"	626	7074	520	5779	318	3521
जैस्पर							
राजस्थान	टन	843	5018	687	4908	595	4337
कोइलिन (कुल)							
आंध्र प्रदेश	टन	3313	51272	3199	50420	3195	53454
बिहार	"	13933	37887	14418	38843	13998	29554
गुजरात	टन	9637	66770	10103	58925	12390	58004
हरियाणा	"	1401	19633	2074	28725	4433	47164
कर्नाटक	"	864	6263	1069	7192	2381	9598
केरल	"	95028	91348	109915	102775	198153	111502
मध्य प्रदेश	"	1196	27483	1500	28983	987	21967
महाराष्ट्र	"	94	2519	167	4211	218	3984

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	टन	2971	17442	2926	16268	2491	15312
राजस्थान	"	6881	217960	8520	265686	6622	153559
तमिलनाडु	"	284	2985	68	715	145	1160
पश्चिम बंगाल	"	19350	122336	23155	120179	16800	103630
दिल्ली	"	3064	59754	4855	76320	2701	40168
कायनाइट							
बिहार	टन	28524	21155	10707	10116	4946	5374
कर्नाटक	टन	56	555	54	540	158	700
महाराष्ट्र	"	8529	14888	6109	9118	1887	3632
राजस्थान	टन	34	172	27	134	37	185
सिलिमेनाइट							
केरल	टन	11719	7787	10367	7150	14897	10274
महाराष्ट्र	टन	1988	1894	4732	4542	9909	9333
मेघालय	"	9216	2244	7187	1649	2740	620
उड़ीसा	"	1495	996	722	336	–	–
लेटराइट							
आंध्र प्रदेश	टन	3141	157882	4453	168741	5642	173852
गुजरात	टन	38	851	16	284	49	1107
1	2	3	4	5	6	7	8

मध्य प्रदेश	टन	1012	82096	1061	71591	1429	63114
महाराष्ट्र	टन	7603	84967	11365	141543	9292	116795
राजस्थान	टन	1042	56593	1774	96547	1694	96635
तमिलनाडु	टन	64	4404	117	8045	231	9999
चूना पत्थर							
आंध्र प्रदेश	ह. टन	660377	12589	757285	13837	663733	13959
अरुणाचल प्रदेश	"	74	3	71	3	41	1
असम	-वही-	21012	264	19019	236	15883	188
बिहार	-वही-	226544	1402	289051	1429	240481	1303
गुजरात	-वही-	291022	7828	335470	7631	280127	7358
हरियाणा	-वही-	50593	624	49792	582	44700	552
हिमाचल प्रदेश	-वही-	84169	1549	112242	1573	74520	1545
जम्मू व कश्मीर	-वही-	3629	93	4654	106	4331	98
कर्नाटक	-वही-	257183	4234	359961	6933	367866	7012
केरल	-वही-	60366	380	51286	323	50298	423
मध्य प्रदेश	-वही-	976860	18413	1360543	20674	1314571	20636
महाराष्ट्र	-वही-	196850	5135	257113	5907	229618	5580
मेघालय	-वही-	22184	271	18951	232	10450	164
उड़ीसा	-वही-	342271	2186	325294	2089	301361	2005
राजस्थान	-वही-	384563	7312	568342	8256	557369	8362

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु	-वही-	432339	5770	525247	6329	471809	6345
उत्तर प्रदेश	-वही-	121826	1072	145441	1038	136462	1081
प. बंगाल	ह. टन	8		80	2	86	5
लाइमकंकड							
आंध्र प्रदेश	टन	1437	25560	3027	52514	2404	43755
हरियाणा	टन	868	36223	2331	72714	526	15520
लाइमशैल							
आंध्र प्रदेश	टन	1000	6656	474	3838	128	1588
कर्नाटक	टन	4717	49371	6344	59492	4019	35873
केरल	टन	13635	67415	10557	54768	13628	62089
तमिलनाडु	टन	502	2906	179	984	116	484
कैलकैरियर सैंड							
गुजरात	टन	13858	199379	8422	121174	5774	83069
मैगनेसाइट							
जम्मू कश्मीर	टन	205	1024	370	2010	51	278
कर्नाटक	"	20898	36045	25335	39827	25057	38929
तमिलनाडु	"	246439	411897	254347	403279	274606	430321
उत्तर प्रदेश	"	30736	79695	37632	85444	42184	100222
अभ्रंक (कच्चा)							
आंध्र प्रदेश	"	12461	1611	12423	1409	11005	1166

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	"	15032	1944	15197	1887	7195	1176
राजस्थान	"	4558	527	2755	297	3	3
अभ्रक (छीजन व कतरन)							
आंध्र प्रदेश	टन	लागू नहीं	640	लागू नही	624	लागू नहीं	494
बिहार	"	लागू नहीं	988	लागू नहीं	680	लागू नहीं	550
राजस्थान	"	लागू नहीं	1738	लागू नहीं	1060	लागू नहीं	446
ओकर							
आंध्र प्रदेश	"	308	5946	543	10614	436	7679
बिहार	"	32	376	15	167	6	90
गुजरात	"	81	1053	140	1452	153	2283
कर्नाटक	"	1305	19130	1440	21584	713	12288
मध्य प्रदेश	"	1496	23857	2202	31120	1973	31669
महाराष्ट्र	"	63	1793	119	2766	82	1702
राजस्थान	"	1303	67963	3905	58390	4486	69555
पाइराइट							
बिहार	टन	42207	105518	56833	130650	56691	1303225
पाइरोफिलाइट							
मध्य प्रदेश	"	3765	37227	4173	42458	3476	32338
महाराष्ट्र	"	317	1681	802	4266	1087	5943

* खान स्थन पर कच्चे अभ्रक की ड्रेसिंग करते समय प्राप्त हुई छीजन संहित।

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	"	1794	16838	2132	19247	2180	17294
राजस्थान	"	1237	11189	1108	11023	501	7057
उत्तर प्रदेश	टन	2151	15470	2009	14571	1269	16804
क्वार्टज							
आंध्र प्रदेश	टन	4780	72435	4270	66604	4999	72411
बिहार	"	280	3502	98	953	212	2633
गुजरात	"	83	3252	86	3019	2	91
कर्नाटक	"	5701	57766	5892	41840	7508	43884
मध्य प्रदेश	"	-		नगण्य	6	74	1837
महाराष्ट्र	"	305	4925	316	4984	131	6069
राजस्थान	"	2812	54474	2718	49311	3452	59648
तमिलनाडु	"	3624	16788	5066	24831	1860	9742
सिलिका सैंड							
आंध्र प्रदेश	टन	1868	75536	2368	94148	2275	69041
बिहार	टन	10608	69567	10389	79674	10824	73458
गुजरात	टन	2004	71607	2290	67309	1607	37117
हरियाणा	टन	20366	528558	16703	482512	14318	279736
कर्नाटक	टन	4338	123930	5912	125809	3864	81863
केरल	टन	3962	70936	4721	77027	4434	65521
मध्य प्रदेश	टन	491	8307	759	6941	865	8437

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	टन	8717	196805	11025	246154	7254	160390
राजस्थान	टन	15943	207117	17870	221815	16466	189846
तमिलनाडु	टन	174	359	215	5380	20	55
उत्तर प्रदेश	टन	5266	104352	5007	90887	4006	65546
साल्ट (रॉक)							
हिमाचल प्रदेश	ह. टन	1740	3006	1941	3130	1751	2920
शाल							
आंध्र प्रदेश	टन	1929	54391	1450	40851	2600	73259
कनार्टक	टन	5732	244638	2790	120870	2867	124220
महाराष्ट्र	टन	59	11860	211	35120	176	29272
स्लेट							
आंध्र प्रदेश	टन	90	1006	103	1046	77	784
हरियाणा	टन	4650	5279	4245	4347	5791	6379
मध्य प्रदेश	टन	1622	18765	1998	15989	854	6850
स्टीटाइट							
आंध्र प्रदेश	टन	2643	20312	3756	25007	2803	23330
बिहार	"	260	4313	206	4812	214	3600
गुजरात	"	20	515	21	591	22	445
कर्नाटक	"	87	1527	63	1020	38	492
मध्य प्रदेश	"	49	974	121	2294	95	1792

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	"	145	1654	395	3609	161	1781
राजस्थान	"	112326	382495	118440	377240	103371	318858
तमिलनाडु	"	225	4225	145	2073	153	2905
उत्तर प्रदेश	"	2116	15272	6029	35242	4729	28489
सल्फर*							
हरियाणा	टन	11180	3310	14522	3662	13166	4558
पंजाब	"	16104	4809	29248	7540	26003	8148
उत्तर प्रदेश	"	6990	2417	9179	3016	5732	1875
वरमिकूलाइट							
आंध्र प्रदेश	"	131	739	225	896	83	339
गुजरात	"	22	80	40	144	47	167
तमिलनाडु	"	796	865	928	761	1059	868
वैलास्टोनाइट	"	21398	59722	31492	62493	28680	55461

*उर्वरक प्लांट से उतोत्पाद के रूप में प्राप्त

[हिन्दी]

खनिजों का उत्पादन और मूल्य

*408. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धातु और अधातु खनिजों के भंडारों का ब्यौरा क्या है और 1991-92, 1992 93 और 1993-94 के दौरान राज्यवार उनका कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गत पांच वर्षों में खनिजों के बाजार मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) विभिन्न धातुओं और खनिजों के बाजार मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के रुख के कारण व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। इसलिए अन्य पदार्थों के मामले की तरह ही अधिकांश खनिजों की कीमतें इस अवधि में बढ़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख के कारण उनमें से कुछ की कीमतों में गिरावट आई है।

विवरण

1991-92 के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन और प्राप्त योग्य भंडार और खनिज

खनिज का नाम		प्राप्त योग्य भंडार		प्राप्त योग्य कुल	उत्पादन			अप्रैल, 1993–जून, 1994
		राज्य का नाम	ईकाई	भंडार	इकाई	1991–92 मात्रा	1992–93 मात्रा	मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क्रोमाइट	उड़ीसा	ह. टन	86,391	टन	1082069	1069603	797096
		कर्नाटक		846				
		महाराष्ट्र		472				
		अन्य		641				
2.	लौह अयस्क	बिहार	ह. टन	29,66962	ह. टन	58534	55818	45774
		उड़ीसा		2666,763				
		मध्य प्रदेश		2045,311				
		अन्य		1922,885				

3.	मेगनेटाइट	कर्नाटक	ह॰टन	2518237		टन	350591	569954	320460
		आंध्र प्रदेश		417,870					
		गोवा		164.556					
		अन्य		42,073					
4.	स्वर्ण	कर्नाटक	टन	11262722	(अयस्क)	कि॰ग्रा॰	2041	1050	1666
		आंध्र प्रदेश		5858810	(अयस्क)				
		मध्य प्रदेश		567000	(अयस्क)				
		अन्य		72000	(अयस्क)				
5.	मैंगनीज	कर्नाटक	ह॰टन	64548		टन	1639715	1870383	1300138
		उड़ीसा		40836					
		गोवा		23559					
		अन्य		47534					
6.	बाक्साइट	उड़ीसा	ह॰टन	1442276		टन	5013025	5103014	4262626
		आंध्र प्रदेश		592001					
		मध्य प्रदेश		140791					
		अन्य		350270					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	तांबा अयस्क	मध्य प्रदेश	ह० टन	180033 (1752 धातु)	टन	5207012	5210796	4178078
		बिहार		113833 (1149.1 धातु)				
		राजस्थान		89346 (905.2 धातु)				
		अन्य		32007 (334.7 धातु)				
8.	सीसा-जस्ता	राजस्थान	–वही–	161659	टन	305795	362747	280122
		गुजरात		7875				
		अन्य		10282				
9.	फास्फेट/ फास्फोराइट	तमिलनाडु	–वही–	73930	टन	585875	617421	831367
		मध्य प्रदेश		36638				
		उत्तर प्रदेश		36553				
		अन्य		13066				
10.	एस्बेस्टस	राजस्थान	टन	1861276	टन	39440	43788	33726
		कर्नाटक		289752				
		अन्य		143513				

11.	बैराइट	राजस्थान	टन	2357732	टन	635149	372095	433608
		आंध्र प्रदेश		67053540				
		अन्य		735287				
12.	फायरक्ले	राजस्थान	ह. टन	214068	टन	531457	438737	351133
		मध्य प्रदेश		104635				
		उड़ीसा		107948				
		अन्य		270065				
13.	ग्रेफाइट	उड़ीसा	–वही–	946897	टन	77084	68419	61162
		बिहार		533247				
		केरल		515500				
		अन्य		1112998				
14.	चूना पत्थर	कर्नाटक	ह. टन	17253164	ह. टन	77180	76614	68442
		आंध्र प्रदेश		14295009				
		राजस्थान		9793269				
		अन्य		35104564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	वर्मीकुलाइट	तमिलनाडु	–वही–	162058	टन	1801	1415	1295
		आंध्र प्रदेश		83292				
		कर्नाटक		41746				
		अन्य		25358				
16.	फ्लूओराइट	गुजरात	–वही	107650	टन	3694	2819	3263
		राजस्थान		967936				
		अन्य		103997				
17.	पायराइट	बिहार	–वही–	52000	टन	130650	130325	94717
		राजस्थान		34350				
		अन्य		5171				
18.	जिप्सम	जम्मू व कश्मीर	–वही–	113886	टन	1582193	1626237	1318610
		राजस्थान		93952				
		अन्य		31474				

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

*409. **श्री अरविंद त्रिवेदी :**

श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गांवों के विद्युतीकरण के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और आठवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) सातवीं योजना में तथा आठवीं योजना में अब तक राज्य-वार, क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) क्या ये लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और अपेक्षित लक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान ग्राम विद्युतीकरण से सम्बन्धित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 10 हजार गांवों को गैर-परम्परागत स्रोतों से विद्युतीकृत किए जाने सहित 50 हजार गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की परिकल्पना की गई है।

यद्यपि सातवीं योजना के लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है, तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम बर्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सीमांतिक कमी रही है। वर्ष 1993-94 से सम्बन्धित आंकड़ों की राज्य सरकारों से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

(घ) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण के लिए चालू वर्ष में योजना आवंटन की राशि को बढ़ाकर 1002.11 रुपये कर दिया गया है। ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की नियमित रूप से मानिटरिंग की जा रही है।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण के बारे में सातवीं योजना (1985-90) और आठवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक योजना के आधार पर राज्यवार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र॰ सं॰	राज्य	1985–90		1992–93	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3580	4504	—	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	415	534	185	134
3.	असम	9954	9178	15	17
4.	बिहार	14642	12798	365	258
5.	गोवा	82(×)	23	—	*
6.	गुजरात	2188	1757	—	*
7.	हरियाणा	—	(+)14		*
8.	हिमाचल प्रदेश	1395	2147		*

9.	जम्मू एवं कश्मीर	925	412	5	5
10.	कर्नाटक	2822	2854	—	*
11.	केरल	—	(—)49	—	*
12.	मध्य प्रदेश	14700	19552	650	605
13.	महाराष्ट्र	2150	5888	—	*
14.	मणिपुर	659	655	180	60
15.	मेघालय	1013	908	50	69
16.	मिजोरम	270	273	50	50
17.	नागालैण्ड	180	419	—	0
18.	उड़ीसा	6353	6324	860	200
19.	पंजाब	—	(+)216	—	*
20.	राजस्थान	4827	6402	390	689
21.	सिक्किम	176	174	—	*
22.	तमिलनाडु	17	(+)113	—	*

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	731	763	80	200
24.	उत्तर प्रदेश	17405	17283	980	947
25.	पश्चिमी बंगाल	10356	7191	430	435
	जोड़ (राज्य)	94840(×)	100333	4240	3669
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	112	173	—	*
	जोड़ (अखिल भारत)	94952(×)	100506	4240	3669

×इसमें गोवा राज्य के 80 बाड़े शामिल हैं।

*शतप्रतिशत विद्युतीकृत गांव।

(+) और (–) इन चिन्हित आंकड़ों का उद्देश्य 1981 की जनगणना के अनुसार बने हुए गांवों की संख्या में परिवर्तन के कारण वृद्धि/कमी को दर्शाना है।

नेपाल में भारतीय पुलिस दल द्वारा छापे

*410. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 के अंतिम सप्ताह में एक भारतीय पुलिस दल ने नेपाल में छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल सरकार ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार उन घटनाओं की पुष्टि या जांच-पड़ताल करने में असमर्थ है जो भारत के मित्र, प्रभुता सम्पन्न पड़ौसी नेपाल में प्रदेश में घटी। भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना से और नेपाल के महामहिम की सरकार से प्राप्त सूचना से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यक्षतः भारत के पुलिस कार्मिकों ने अपने आदेशों और प्राधिकार का अतिक्रमण किया और नेपाल में कतिपय वांछित व्यक्तियों का पीछा किया।

(ग) और (घ) नेपाल के महामहिम की सरकार ने 29 मार्च, 1994 को औपचारिक रूप से इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाया था।

(ङ) से (च) भारत सरकार ने इस मामले की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं और उन पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है जो दोषी पाये गये हैं।

(छ) भारत सरकार सम्बद्ध अभिकरणों को इस संबंध में अनुदेश जारी कर चुकी है कि वे नेपाल के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप और नेपाल की प्रादेशिक अखण्डता और सम्प्रभुता के सम्मान के सिद्धान्त का ईमानदारी से अनुसरण और पालन करें।

फिल्मों के अवैध-वीडियो-टेप

*411. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी फिल्म के रिलीज होने की तारीख से तीन महीने तक उसकी वीडियो फिल्म रिलीज करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) क्या देश में फिल्मों के अवैध वीडियो-टेप तैयार किये जाने के मामले बढ़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार फिल्मों के अवैध वीडियो-टेप तैयार करने को रोकने के लिए कार्यवाही करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं। सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(ख) से (ङ) सरकार को वीडियो चोरी संबंधी शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रही हैं। चूंकि फीचर/वीडियो फिल्मों के प्रदर्शन का नियंत्रण फिल्म उद्योग द्वारा किया जाता है। जो कि निजी क्षेत्र में है और उनके पास उन्नत अनुलिपिकरण प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, अतः इन फिल्मों का सिनेमा से विडियो फार्मेट में अंतरण एवं अनुलिपिकरण आसान हो गया है। प्रकाशनाधिकार अधिनियम, 1957 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पहले से ही संसद के विचाराधीन है। इंडियन फेडरेशन एगेन्स्ट कापीराइट थेफ्ट (आई.एन.एफ.ए.सी.टी.) नामक एक संगठन दिसम्बर, 1988 में स्थापित किया गया था। इस संगठन को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.) द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था और इसमें फिल्म फेडरेशन ऑफ इण्डिया (एफ.एफ.आई.) तथा अन्य व्यापार निकायों की भी भागीदारी थी। इस चोरी संबंधी संकट पर नियंत्रण रखने के लिए आई.एन.एफ. ए.सी.टी. द्वारा पुलिस की सहायता से समस्त भारत में समय-समय पर छापे मारे जाते हैं।

पनीर

*412. **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राकृतिक और संसाधित पनीर की मांग में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या भारत में सर्वोत्तम किस्म के मोसोरल्ला पनीर का उत्पादन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके निर्यात हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां। देश में प्रसंस्कृत पनीर की मांग बढ़ रही है। प्राकृतिक पनीर की बढ़ती मांग पर निगरानी नहीं रखी जाती।

(ख) पनीर समेत दूध उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने दूध उत्पादों के निर्माण को लाइसेंस मुक्त कर दिया है।

(ग) लघु क्षेत्र में कुछ मोसोरल्ला पनीर का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पनीर समेत दूध उत्पादों के निर्माण को विसरणीबद्ध कर दियां है।

स्पीड पोस्ट सेवा

*413. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा" और "अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट सेवा" के कार्य-निष्पादन में शुरू से ही गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सेवाओं के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्पीड पोस्ट सेवा की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में उन ग्राहकों के कार्यालय परिसर या निवास स्थान से स्पीड पोस्ट मदों को निःशुल्क ले जाने की व्यवस्था भी शामिल है, जो तीन से अधिक स्पीड पोस्ट वस्तुएं बुक करवाते हैं। "बुक अभी, भुगतान बाद में योजना के अंतर्गत उन ग्राहकों को क्रेडिट सुविधायें प्रदान की जाती हैं, जो विश्वसनीय होते हैं जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक आदि। एक-मुश्त स्पीड पोस्ट वस्तुएं भेजने वालों को 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए बुक की गई स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए 2 रुपये प्रति स्पीड पोस्ट वस्तु की दर से तथा 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए बुक की गई स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए 4 रुपये प्रति स्पीड पोस्ट वस्तु की दर से छूट भी दी जाती है। विलम्ब के मामले में, विभाग स्पीड पोस्ट वस्तु की बुकिंग की पूरी लागत-राशि ग्राहक को लौटाता है। कुछ चुनिंदा बुकिंग केन्द्रों पर ग्राहकों को स्पीड पोस्ट वस्तु की बुकिंग की सुविधा 24 घंटे सुलभ है। स्पीड पोस्ट सेवा को अधिक ग्राहकोनुकूल बनाने के लिए स्पीड पोस्ट केन्द्रों में ग्राहक सेवा शाखा स्थापित की गई है। स्पीड पोस्ट के विकास तथा परियात के संवर्धन के लिए प्रमुख स्पीड पोस्ट केन्द्रों में विपणन शाखा स्थापित है। स्पीड पोस्ट सेवा की विशेष मांगों की पूर्ति हेतु, विभाग विनिर्दिष्ट रूट पर नियमित प्रयोक्ताओं के लिए संविदात्मक स्पीड पोस्ट सेवा भी प्रदान करता है। विभाग का प्रस्ताव स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए कम्प्यूटरीकृत ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली स्थापित करने का है।

विभाग स्पीड पोस्ट वस्तुओं के पारेषण को निरंतर मॉनीटर करता रहता है, और सेवा की गुणवत्ता में पाई जाने वाली किसी भी कमी को तदनुसार दूर करता है।

[हिन्दी]

परिवहन परियोजनाएं

*414. **श्री गुमान मल लोढा :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार अनेक परिवहन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कुल कितनी परियोजनाएं हैं और इनमें से कितनी परियोजनाएं निश्चित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं की निर्माण लागत बढ़ गयी है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना वार लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ङ) किन किन परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में धन जुटाया गया था, लेकिन उस धन का इनके निर्माण के लिए प्रयोग नहीं हो सका; और

(च) इन विलम्बित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, या उठाए जाएंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) कुल 31 परियोजनाएं हैं जिनमें से 18 निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं। इनके विलमब के मुख्य कारण हैं नकदी प्रवाह की गंभीर समस्या, मुकदमेबाजी, स्टील की अनुपलब्धता, ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, बिजली की कटौती, आदि।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछ परियोजनाओं के मामले में मूल्य वृद्धि 32 प्रतिशत से 157 प्रतिशत तक हुई है जबकि कुछ मामलों में अभी से इस प्रकार की परिगणना कर पाना संभव नहीं है।

(ङ) राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों से संबंधित ऐसी पांच परियोजनाएं हैं, अर्थात्

(i) विश्व बैंक पैकेज-I (ii) विश्व बैंक पैकेज-II, (iii) एशियाई विकास बैंक विकास पैकेज-I, (iv) एशियाई/बैंक पैकेज-II (v) ओ.ई.सी.एफ. जापान, पैकेज-I

(च) इन परियोजनाओं की प्रगति पर इस मंत्रालय द्वारा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

गांवों में डाकघर

*415. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों के सभी पात्र गांवों में डाकघर खोलने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु बनाई गई योजना का ब्यौरा कया है तथा इस हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गोवा में संचार नेटवर्क का विकास करने के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान है तथा विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) सरकार का उद्देश्य उन क्षेत्रों में डाकघर खोलना है, जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है बशर्ते कि डाकघर खोलने से संबंधित विभागीय मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें। शहरी क्षेत्रों में, तदनुसार विभागीय उप डाकघर नए विकसित परियोजना क्षेत्रों, औद्योगिक एस्टेट्स औद्योगिक नगर क्षेत्रों, शहरों की बाहरी सीमा के आस-पास बसी बस्तियों, इत्यादि में खोले जा रहे हैं।

आठवीं योजना अवधि के दौरान, 3600 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 650 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इस अवधि के दौरान, डाकघर खोले जाने के लिए कुल 23.65 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। सर्किलवार लक्ष्य और आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है। योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान प्राप्त लक्ष्यों और किए गए आवंटन का ब्यौरा सलंग्न विवरण-I और II में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान, 800 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 150 विभागीय उप डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में कुल आबंटन 5.30 करोड़ रुपये है। गोआ के लिए, जो कि महाराष्ट्र सर्किल का एक हिस्सा है, अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान डाकघर खोलने का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल का नाम	लक्ष्य 1992-93		मंजूर किए गए 1992-93		लक्ष्य 1993-94		मंजूर किए गए 1993-94	
		शाखा डाकघर	उप डाक घर	शाखा डाकघर	उप डाक घर	शाखा डाकघर	उप डाक घर	शाखा डाकघर	उप डाक घर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	19	5	6	9	17	5	10	7
2.	असम	27	3	27	3	25	3	26	6
3.	बिहार	70	8	70	3	90	8	90	2
4.	दिल्ली	शून्य	5	—	9	—	6	—	8
5.	गुजरात	25	5	30	5	20	8	15	5
6.	हरियाणा	10	3	10	4	10	5	16	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हिमाचल प्रदेश	15	1	15	1	15	2	90	2
8.	जम्मू व कश्मीर	5	1	5	—	5	1	23	1
9.	कर्नाटक	15	5	15	7	15	6	15	8
10.	केरल	10	3	15	7	20	3	30	5
11.	महाराष्ट्र	55	10	62	20	80	5	80	19
12.	मध्य प्रदेश	55	5	55	7	35	11	30	5
13.	उत्तर पूर्व	35	5	35	1	40	4	40	4
14.	उड़ीसा	40	5	40	8	35	4	41	4
15.	पंजाब	10	3	10	3	10	3	7	7
16.	राजस्थान	60	6	60	9	30	5	30	5
17.	तमिलनाडु	14	7	10	5	10	4	8	4
18.	उत्तर प्रदेश	75	10	100	11	93	12	93	13
19.	पश्चिम बंगाल	60	10	70	4	50	5	20	2
	योग	600	100	635	116	600	100	664	112

विवरण-II

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान डाकघर खोलने के लिए सर्किलवार आबंटित धनराशि

क्र. सं.	सर्किल का नाम	हजार रुपयो में राशि 1992-93	हजार रुपयों में राशि 1993-94
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1,90	9,00
2.	असम	2,25	7,00
3.	बिहार	4,40	19,00
4.	दिल्ली	—	5,00
5.	गुजरात	2,29	10,00

1	2	3	4
6.	हरियाणा	7	5,00
7.	हिमाचल प्रदेश	2,70	4,00
8.	जम्मू व कश्मीर	—	2,00
9.	कर्नाटक	50	9,00
10.	केरल	2,40	7,00
11.	मध्य प्रदेश	1,60	23,00
12.	महाराष्ट्र	2,00	14,00
13.	उत्तर पूर्व	—	8,00
14.	उड़ीसा	2,86	12,00
15.	पंजाब	2,60	4,00
16.	राजस्थान	1,65	16,00
17.	तमिलनाडु	1,78	6,00
18.	उत्तर प्रदेश	8,00	25,00
19.	पश्चिम बंगाल	3,00	15,00
	योग	40,00	2,00,00

अमरीका के विदेश उप मंत्री की भारत यात्रा

*416. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विदेश उप मंत्री अप्रैल, 1994 के प्रथम सप्ताह में भारत यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) उन्होंने किन-किन भारतीय नेताओं के साथ बात-चीत की और ये बातचीत किन-किन विषयों पर हुईं;

(घ) उनकी इस यात्रा का क्या परिणाम रहा;

(ङ) क्या इन बातचीतों में परमाणु अप्रसार संधि का मुद्दा भी उठाया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (च) अमरीका के उप विदेश मंत्री स्ट्रोव तालवोट 6 से 8 अप्रैल, 1994 को नई दिल्ली आए। उनके साथ असिस्टेंट सैक्रेटरी आफ स्टेट रॉविन रफैल डिप्टी असिस्टैंट सैकेटरी आफ स्टेट रोवर्ट आइनहार्न एक्सीक्यूटिव असिस्टैंट विक्टोरिया नूलैन्ड तथा विशेष सहायक जोन विदर्स भी आए।

श्री तालवोट का उद्देश्य भारत-अमरीका सबंधों को नया बल प्रदान करने और एक नई दिशा प्रदान करने के तरीकों के संबन्ध में विचार-विमर्श करना था। श्री तालवोट ने शीत युद्धोतर परिदृश्य में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय आरम्भ करने के अमेरिका की सरकार के संकल्प पर बल दिया।

श्री तालवोट ने विदेश सचिव के साथ विचार-विमर्श किया तथा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की। श्री तालवोट के सम्मान में विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने मध्याह्न भोज का आयोजन किया।

विचार-विमर्श के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और अमरीका के बीच क्षेत्रीय रूप से तथा सार्वभौम रूप से निकट के संबंध बेहतर समझबूझ तथा सहयोग की अपनी समान इच्छा प्रकट की।

दोनों पक्ष सकारात्मक तथा समान विचार वाले क्षेत्रों में आगे कार्य करने तथा उन सभी मसलों पर जिन के सबंध में मतभेद बने हुए है बातचीत जारी रखने के लिए सहमत हुए।

सरकार ने पाकिस्तान में विदल्य सामग्री के उत्पादन पर स्पष्ट रूप से सत्यापनीय रोक लगाने के बदले पाकिस्तान को एफ-16 विमान तथा अन्य सैन्य उपकरण हस्तांतरित करने के अमरीका के प्रस्ताव पर भारत की गहरी चिन्ता व्यक्त की है। अपनी प्रादेशिक अखण्डता बनाए रखने तथा अपनी सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं के बारे में भारत की निरन्तर स्थिति बल पूर्वक बता दी गई थी। इस बात पर बल दिया गया था कि जैसा कि विगत में देखा गया, पाकिस्तान द्वारा हासिल किए गए आधुनिक सैन्य सामग्री भारत के विरुद्ध ही इस्तेमाल की गई अतः हमारे क्षेत्र में और अधिक आधुनिक शस्त्र प्रणालियों का प्रवेश भारत के लिए गहरी चिन्ता का विषय है। अमरीका पक्ष को यह बताया गया कि सरकार को पाकिस्तान की ओर से बढ़े हुए इस खतरे का सामना करने के लिए उपाय करने ही होंगे।

अमरीका के इस प्रस्ताव के संबंध में कि सुरक्षा मसलों पर भारत अमेरिकी द्विपक्षीय वार्ता का बहुपक्षीकरण कर दिया जाना चाहिए, यह बात दोहरायी गयी कि भारत निःशस्त्रीकरण तथा सुरक्षा से संबन्धित ऐसे उपायों को समर्थन देता रहेगा जो सार्वभौमिक, व्यापक, भेदभाव रहित तथा सत्यापनीय है। इस बात पर सहमति हुई कि इन मसलों पर परामर्श जारी रखा जाएगा।

श्री तालवोट ने अमरीका की यात्रा के लिए प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति क्लिंटन का निमन्त्रण दोहराया और कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति इस यात्रा की भारत-अमरीका संबंधों में एक नये अध्याय की शुरूआत के रूप में देखते हैं। इस बात पर सहमति हुई कि यह यात्रा एक परस्पर सुविधाजनक समय पर की जाएगी।

आस्ट्रेलिया के साथ सम्बन्ध

*417. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आस्ट्रेलिया सरकार के साथ कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या इन दोनों देशों के बीच किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो समझौता-वार इनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) क्या आस्ट्रेलिया के साथ सम्बन्ध और सुदृढ़ हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-आस्ट्रेलियाई संयुक्त मंत्री-स्तरीय आयोग की तीसरी बैठक 4 फरवरी, 1994 को सिडनी में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य राज्य मंत्री श्री कमालुद्दीन अहमद ने और आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री सीनेटर बॉब मेक्मुलान ने किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों से संबद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया। भारत और आस्ट्रेलिया ने विश्व की आर्थिक स्थिति के बारे में विचारों का लाभप्रद आदान-प्रदान भी किया जिसमें क्षेत्रीय आर्थिक घटनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया।

विदेश मंत्रालय और आस्ट्रेलिया के विदेश कार्य और व्यापार विभाग के बीच कैनबरा में 2 और 3 फरवरी, 1994 को अधिकारी स्तर पर परामर्श भी हुए जिसमें दोनों पक्षों ने व्यापक मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंध विस्तृत करने, बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध, क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा, बहुपक्षीय मसले, निरस्त्रीकरण और अप्रसार से संबद्ध मसले शामिल थे। यह वार्ताएं लाभप्रद रहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) और (च) जी, हां। संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में विचार-विमर्श और अधिकारी स्तर के परामर्शों से दोनों पक्षों को तेजी से विकासशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक-दूसरे की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोणों की अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से समझने और उनकी सराहना करने और परस्पर लाभप्रद संबंधों के अवसरों का पता लगाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस बातचीत से भारत और आस्ट्रेलिया के बीच विद्यमान सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध सुदृढ़ हुए।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राज्य विद्युत बोर्डों के बीच नकद भुगतान की प्रणाली

*418. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने केन्द्रीय सरकार से राज्य विद्युत बोर्डों के सम्बन्धी में नकद भुगतान प्रणाली (कैश एण्ड कैरी सिस्टम) यथाशीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है ताकि भुगतान के अनुरूप बिजली दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों की ओर देश भारी बकाया राशि को कम करने के लिए अन्य क्या योजनाएं अपनाई गई हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया भारी राशि की मात्रा को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं :

(1) राज्य बिजली बोर्डों के साथ वृहत विद्युत आपूर्ति समझौतों (बी.पी.एस.ए.) पर हस्ताक्षर करना।

(2) राज्य बिजली बोर्डों के साथ बी.पी.एस.ए. के अनुसार सखपत्र खोलने समेत सहमत वित्तीय एवं वाणिज्यिक शर्तों की अनुपालना न किए जाने के मामलों के सम्बन्ध में जहां भी वास्तविक एवं तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो एन.टी.पी.सी. को अपने सम्बन्धित विद्युत केन्द्रों से विद्युत सप्लाई बन्द करने अथवा सीमित करने की अनुमति प्रदान किया जाना।

(3) एल.सी. की मात्रा से अधिक विद्युत प्राप्त करने पर राज्य बिजली बोर्डों पर दण्डात्मक दर से प्रभार लगाया जाएगा।

(4) सम्बन्धित चूककर्ता राज्यों से उनकी केन्द्रीय योजना सहायता से केन्द्रीय विनियोजन के रूप में एन.टी.पी.सी. की बकाया राशि वसूल करना।

(5) चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों को अपनी बकाया राशियों का शीघ्र भुगतान किए जाने और उनके द्वारा चालू बिलों की राशि का नियमित रूप से भुगतान किए जाने के लिए मनाना।

जहाजों की मरम्मत संबंधी सुविधाएं

*419. **श्री अनंतराव देशमुख** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी या सरकार द्वारा नियंत्रित कार्यशालाओं ने जहाजों की मरम्मत के क्षेत्र में अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कोई उचित नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान कार्यशालाओं को सौंपे गए मरम्मत कार्य में आती जा रही गिरावट को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार मरम्मत संबंधी कार्य को निजी कार्यशालाओं के बजाए सरकारी या सरकार द्वारा नियंत्रित कार्यशालाओं को सौंपने के लिए भारतीय नौवहन निगम को निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में जहाज मरम्मत यार्डों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित नीति तैयार की गई है :

(i) जहाज मालिकों के साथ आक्रामक स्तर पर विपणन के प्रयास।

(ii) मरम्मत के क्षेत्र में सुविधाओं में वृद्धि करके गोदी में लगे वाणिज्यिक जलयानों के तीव्र टर्न अराउंड हेतु, मरम्मत गोदियों में कुछ सुविधाओं के संबंध में सुधार।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की जहाज मरम्मत इकाइयों को सौंपे गए मरम्मत कार्यों में कमी का कोई रुख नहीं है जैसा कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन (सी.एस.एल) और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम (एच.एस.एल.) द्वारा गत 4 वर्षों के दौरान किए गए जहाज मरम्मत कार्यों के बारे में दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है :

वर्ष	सी.एस.एल. का व्यवसाय	एच.एस.एल. का व्यवसाय
		(करोड़ रुपये)
1990-91	22.44	8.41
1991-92	48.70	10.12
1992-93	70.00	17.63
1993-94	62.4 (अनन्तिम)	31.58 (अनन्तिम)

(घ) उदारीकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए, सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के यार्डों को मरम्मत कार्य देने के लिए भारतीय नौवहन निगम को अनुदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है इसका एक कारण यह भी है कि भारतीय नौवहन निगम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभ

पर और प्रतियोगिता के आधार पर प्रचालन के लिए अपने जहाजों की अत्यन्त प्रतियोगी दरों पर मरम्मत करानी होती है।

तथापि, भारतीय नौवहन निगम सार्वजनिक क्षेत्र के इन दोनों बड़े शिपयार्डों अर्थात् कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को जहाज मरम्मत का काफी कार्य सौंप रहा है जैसा कि नीचे दिया गया है :

निम्नलिखित यार्डों पर मरम्मत किए गए भारतीय नौवहन निगम के जलयानों की संख्या

	कोचीन शिपयार्ड	हिन्दुस्तान शिपयार्ड
1992-93	15	2
1993-94	11	6

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जी-15 देशों का शिखर सम्मेलन

*420. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
प्रो. एम. कामसन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में जी-15 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन देशों ने भाग लिया था;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और क्या-क्या निर्णय लिये गये;

(घ) सम्मेलन के परिणामों के संबंध में भारत ने क्या भूमिका निभाई;

(ङ) इन परिणामों के संबंध में सदस्य देशों द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी;

(च) क्या इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन और इसे नई दिशा देने संबंधी मुद्दे पर भी विचार-विमर्श हुआ था; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के अतिरिक्त, अर्जेंटीना , इन्डोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, सेनेगल और जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व उनके राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने किया था। अल्जीरिया, ब्राजील, मिस्र, जमाइका और वेनेजूएला के राज्याध्यंक्षों/शासनाध्यक्षों द्वारा मंत्रिस्तरीय विशेष दूत भेजे गए थे पेरू और चिली का प्रतिनिधित्व उनके राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के वैयक्तिक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था।

(ग) शिखर-सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा हुई उसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का मूल्यांकन तथा विकासशील देशों के लिए उसके निहितार्थ शामिल थे और इसके साथ ही इसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, उसकी पुर्नसंरचना और अभिविन्यास, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, जी-7 के देशों के साथ जी-15 की वार्ता सहित उत्तर-दक्षिण वार्ता और जी-15 के कार्य और गतिविधियों की भावी संरचना शामिल है।

शिखर-सम्मेलन के निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए :

(1) इसने व्यापार, निवेश और तकनीकी हस्तांतरण पर एक समिति की स्थापना करके जी-15 के देशों के बीच परस्पर सहयोग के क्षेत्र का विस्तार किया जो व्यापार, उदारीकरण, जी-15 के देशों के बीच व्यापार निवेश, संयुक्त उद्यम आदि बढ़ाने के लिए सुविधाओं के संबंध में पराक्षेत्रीय व्यवस्था तैयार करने को सुविधाजनक बनाएगी। इस प्रयास में यह समिति निजी क्षेत्र को शामिल करेगी तथा संबद्ध जी-15 परियोजनाओं से निवेश हासिल करेगी।

(2) इस शिखर सम्मेलन के साथ ही व्यापार मंच की एक बैठक भी हुई जिसमें जी-15 के देशों के निजी क्षेत्रों के प्रतिनिध भी शामिल थे। इसमें व्यापार, निवेश, वित्तीय सेवाओं, संयुक्त उद्यमों, परिवहन, दूर-संचार, पर्यटन, स्थायी विकास इत्यादि में जी-15 के देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने के विशिष्ट क्षेत्रों और तौर-तरीकों का पता लगाया गया।

(3) इस शिखर सम्मेलन में जी-15 के देशों के बीच दूर-संचार और प्रचार-सम्पर्कों को संवर्धित करने के लिए उचित सिफारिशें देने के लिए एक दल स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि जी-15 के देशों के संबंध में तथा उनको संतुलित तथा सामयिक सूचना उपलब्ध हो सके।

(4) इसने लघु उद्योगों की स्थापना में सहयोग के लिए, विशेष रूप से अफ्रीका में उचित परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूर्ण समर्थन दिया।

(5) इसने दक्षिण निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी द्वारा एक्सचेंज केन्द्र के निरन्तर संचालन के लिए समर्थन की पुनः पुष्टि की और सिफारिश की कि एस.आई.टी.टी.डी.ई.सी. वाणिज्य उन्मुख होना चाहिए तथा सभी विकासशील देशों से ग्राहक सीधे स्वीकार किए जाने चाहिए।

(6) इसने दो नई परियोनाओं अर्थात् सेनेगल द्वारा पेश की गई प्रौद्योगिकी और विकास के अन्तरण पर एक परियोजना और मिस्र द्वारा दक्षिण-दक्षिण नवीकरणीय ऊर्जा संवर्द्धन केन्द्र पर एक परियोजना को अनुमोदित किया।

(7) इसने यह निर्णय लिया कि समान हित चिंता के विशिष्ट सार्वभौमिक मामलों पर अपने दृष्टिकोणों को समन्वित करने के लिए जी-15 मंत्रिस्तरीय और अन्य परामर्शी तंत्रों का उपयोग करेगा। इस बात पर सहमति हुई कि जी-7 के साथ रचनात्मक तथा केन्द्रीभूत वार्ता जो पिछले दो वर्षों से चल रही है, के संबंध में जी-15 द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाया जाएगा।

(घ) चौथे शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में भारत ने जी-15 को एक नई गति प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाई ताकि वृहत्तर तथा और अधिक रचनात्मक दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा उत्तर दक्षिण वार्ता के जरिए इसके संघटकों का हित साधन हो सके।

(ङ) शिखर सम्मेलन ने, शिखर सम्मेलन स्तर के निर्णयों के कार्यान्वयन और उन पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए शिखर सम्मेलन के बीच की अवधि के दौरान विदेश कार्य, व्यापार, कृषि, पर्यावरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के मंत्रियों की नियमित बैठकों के द्वारा दल के परामर्शी तंत्र को लागू करने का निर्णय लिया। त्रयी का तंत्र अर्थात् अर्जेन्टीना (अध्यक्ष), भारत (भूतपूर्व अध्यक्ष) और जिम्बाब्वे (भविष्य के अध्यक्ष) के मंत्री और वैयक्तिक प्रतिनिध भी इस संबंध में उत्प्रेरक भूमिका निभाएंगे।

(च) जी, हां

(छ) इस प्रश्न पर जी-15 के देशों के विचार संयुक्त विज्ञप्ति के पैरा-16 में संकलित हैं। सम्बद्ध सार नीचे दिए अनुसार है :

> "हमारा विचार है कि युद्धोत्तर प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन होना चाहिए। पुनर्गठन संयुक्त राष्ट्र और उसकी सभी एजेन्सियों में निर्णय के लोकतंत्रीकरण और पारदर्शिता के सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए। महासभा की भूमिका और इसके कार्यों को पुनः स्फुर्त किया जाना चाहिए। परिषद और सभा के बीच उचित और गतिशील पारस्परिक क्रिया की स्थापना के लिए एक उपयुक्त फार्मूला तैयार किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय लेने संबंधी प्रक्रियाओं सहित पुनः संरचना के सुधार एवं विस्तार सम्बन्धी दोनों पहलुओं और प्रणालियों की समान पैकेज़ की एक अभिन्न भाग के रूप में जांच की जानी चाहिए। परिषद में विकासशील देशों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के विभिन्न प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यता में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर विस्तार किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

आरक्षित पदों में रिक्तियां

4514. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री ललित उरांव :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उसके सहायक कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने आरक्षित पद रिक्त हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त हैं, तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) इस्पात मंत्रालय (इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निम्नलिखित पद रिक्त हैं :

क्र॰ सं॰	ग्रेड	आरक्षित रिक्त पदों की संख्या		कब से रिक्त हैं
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
(i)	निजी सचिव (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विलयित गेड 'क' और 'ख')	–	1	अप्रैल, 1993
(ii)	सहायक	1	2	अक्तूबर और दिसम्बर, 1993 के बीच

2. इन आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए जाने वाले नामांकन के आधार पर की जानी है।

3. हालांकि, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इन रिक्त पदों की सूचना पहले ही भेजी जा चुकी है, फिर भी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का नामांकन अभी किया जाना है। अतः ये रिक्त पद नहीं भरे गए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से नामांकन शीघ्र करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली परिवहन निगम का कार्यनिष्पादन

4515. **श्री अमर राय प्रधान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम को कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण थे, और

(ख) घाटे को रोकने तथा दिल्ली परिवहन निगम की बसों को लाभकारी मार्गों पर चलाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31-3-94 की स्थिति के अनुसार दि॰प॰नि॰ को हुए घाटे इस प्रकार हैं;

	(करोड़ रुपये) (अनंतिम)
कार्यशील घाटा (ब्याज और मूल्यह्रास को छोड़कर)	84.51
निवल घाटा	281.36

इन घाटों के मुख्य कारण हैं :

(i) अलाभकारी किराया ढांचा।

(ii) श्रम और निवेश सामग्री की बढ़ती हुई लागत।

(iii) रियायती पासों के रूप में, छात्रों और समाज के कमजोर वर्गों को दी गयी रियायतें।

(iv) दि.प.नि. को दिए गए ऋणों पर ब्याज का भारी बोझ।

(v) नगर के मार्गों पर लगभग 3000 लाल बसों का प्रचालन।

(vi) विशेष तौर पर अनेक अलाभकारी मार्गों जैसे कि यूनिवर्सिटी और ग्रामीण मार्गों इत्यादि पर प्रचालन।

(ख) सरकार, दि.प.नि. की कार्यप्रणाली के सुधार के प्रयोजन से उसके कार्यनिष्पादन पर निरन्तर निगरानी रख रही है। ईंधन कौशल और टायर की आयु में वृद्धि, बेहतर रख-रखाव प्रणाली द्वारा खराबियों की संख्या में कमी तथा खर्च में किफायत जैसे कुछ उपाय शुरू किए गए हैं। राजस्व की चोरी को रोकना एक अन्य उपाय है जो दि.प.नि. द्वारा प्रभावी जांच के माध्यम से किया जाता है। दि.प.नि. के राजस्व में वृद्धि करने के लिए स्क्रैप के शीघ्र निपटान, मार्गों को युक्तिसंगत बनाने जैसे दूसरे उपाय किए जा रहे हैं।

दि.प.नि. बेड़े के आकार को 3500 बसों तक युक्तिसंगत बनाना तथा एस.टी.ए., दिल्ली द्वारा निजी प्रचालकों को परमिट जारी किए जाने के पश्चात् घाटे वाले मार्गों से दि.प.नि. की बसें हटाना, दि.प.नि. की पुनर्स्थापना एवं इसकी दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए जा रहे अन्तःसम्बद्ध पैकेज में शामिल प्रस्तावों में से हैं।

[हिन्दी]

लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय

4516. **श्री वीरेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1993 तक लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में कितने आवेदन लम्बित पड़े थे;

(ख) इन आवेदनों को निपटाने में हुए विलम्ब का क्या कारण है; और लम्बित आवेदनों को निपटाने के लिए कम-से-कम समय निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को लखनऊ में भर्ती एजेन्टों के पास से जाली और चुराए हुए पासपोर्ट जब्त किए जाने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस गिरोह में पासपोर्ट कार्यालय के किसी अधिकारी को लिप्त पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में 31 दिसम्बर, 1993 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या 68231 थी जिसमें से 66301 आवेदन पत्र एक माह से अधिक समय से लम्बित पड़े थे। पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के कारणों में अमले की कमी, पुस्तिकाओं की कमी, अधूरे आवेदन पत्र और विपरीत पुलिस रिपोर्टें प्राप्त होना भी शामिल हैं।

सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के लिए लगने वाले समय को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पासपोर्ट पुस्तिकाओं की आपूर्ति में वृद्धि, स्टाफ को बढ़ाना, पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रियाओं की समीक्षा और उत्पादकता संबंधी प्रोत्सादन योजना आरम्भ करना भी शामिल है। दिसम्बर, 1992 और 1993 के अंत में लखनऊ में बकाया आवेदन पत्रों की संख्या 19,000 से कम हो गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

4517. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्रों की स्थापना की जाएगी; और

(ख) सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी नेटवर्क के अंतर्गत लाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कार्यान्वयनाधीन/परिकल्पित परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर, दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा राज्य की क्षेत्रवार कवरेज क्रमशः 79.0 प्रतिशत तथा 88.0 प्रतिशत से बढ़कर 82.8 प्रतिशत तथा 93.0 प्रतिशत हो जाएगी। इससे, राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र कवर हो जाएंगे।

विवरण

उत्तर प्रदेश के वे स्थान जहां पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

क्रम संख्या	स्थान
1	2
दूरदर्शन	
1.	मऊ
2.	*बलरामपुर
3.	*बान्दा
4.	*लखीमपुर
5.	*सीतापुर
6.	अल्मोड़ा
7.	औरय्या
8.	चम्पावत
9.	गंज डुंडवाड़ा
10.	हल्द्वानी
11.	कोटद्वार
12.	महोबा
13.	मौरानीपुर
14.	मोहम्मदाबाद
15.	नौगढ़
16.	न्यू टेहरी
17.	सिकन्दरपुर
18.	रूदौली
19.	कासगंज

1	2
20.	कर्ण प्रयाग
21.	नौ पारा
22.	एटा
23.	लालगंज
24.	**बगोकर
25.	बागेश्वर
26.	चमौली
27.	चौखटीया
28.	दीदीहाट
29.	जोशीमठ
30.	देव प्रयाग
31.	लैंस डाउन
32.	प्रताप नगर
33.	विनसर
34.	बसोट/भिखियासेन
35.	कंलजीखाल
36.	साहीयां
37.	खेंत पर्वत
38.	फतेह पर्वत
39.	गज्जा
40.	राजगढ़ी
41.	सिराकोट/बैंकुठ धाम

*औपचारिक रूप में मंजूर होने वाली स्कीमें

**निशचित होने वाले स्थल

1 2

आकाशवाणी

1. चमोली (गोपेश्वर)
2. पौडी/श्रीनगर
3. पिथौरागढ़
4. उत्तरकाशी
5. अलीगढ़
6. मंसूरी

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निर्मित चलचित्र

4518. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा निर्मित चलचित्रों के चयन हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा निर्मित चलचित्रों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रस्तुत किए गए चलचित्रों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने चलचित्रों का चयन किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केरल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र

4519. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों पत्रिकाओं और सप्ताहिकों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) राज्य में प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र, पत्रिका तथा साप्ताहिक की बिक्री कितनी-कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा इसकी वार्षिक रिपोर्ट "प्रेस इन इंडिया-1993" के लिए

संकलित सूचना के अनुसार 31-12-1992 तक केरल से 178 दैनिक, 167 साप्ताहिक तथा 1031 अन्य पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थीं। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में इन सभी समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के परिचालन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कुल 1376 में से केवल 104 समाचार पत्रों/पत्रिकाओं ने परिचालन को दर्शाते हुए अपनी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की है।

एम.एम. चैनल

4520. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत एफ.एम. स्टेशनों, उनकी प्रसारण क्षेत्र और प्रसारण की अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एफ.एम. चैनल पर किन्हीं प्राइवेट एजेन्सियों को कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ब्यौरा सलंग्न विवरण-I में और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

देश में कार्यरत एफ.एम. केन्द्रों का ब्यौरा

क्र. सं.	स्थान	राज्य	श्रेणी योजना	परिधि
1	2	3	4	5
1.	कोट्टागुडम	आंध्र प्रदेश	2×3 एन.आर.एस.	60 (कि.मी.)
2.	वारंगल	आंध्र प्रदेश	2×5 एल.आर.एस.	67 (कि.मी.)
3.	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
4.	तिरूपति	आंध्र प्रदेश	3 एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
5.	अनन्तपुर	आंध्र प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
6.	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
7.	मरकापुरम	आंध्र प्रदेश	3 एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
8.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	3 वी.बी./सी.बी.एस.	50 (कि.मी.)
9.	जोराई	असम	2×5 एल.आर.एस.	67 (कि.मी.)

1	2	3	4	5
10.	हाफलोंग	असम	3 एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
11.	नौगांव	असम	3 एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
12.	डाल्टनगंज	बिहार	2×5 एल.आर.एस.	67 (कि.मी.)
13.	हजारीबाग	बिहार	3 एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
14.	पूर्णिया	बिहार	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
15.	सिंहभूम	बिहार	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
16.	सासाराम	बिहार	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
17.	पटना	बिहार	3 वी.बी./सी.बी.एस.	50 (कि.मी.)
18.	पणजी	गोवा	2×3 स्टेरेक्सन	60 (कि.मी.)
19.	सूरत	गुजरात	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
20.	गोधरा	गुजरात	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
21.	कुरूक्षेत्र	हरियाणा	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
22.	कसौली	हिमाचल प्रदेश	2×3 आर.सी.	60 (कि.मी.) न्यूनतम तथा 150 (कि.मी.) (अधिकतम)
23.	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
24.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	2×5 एन.आर.एस.	67 (कि.मी.)
25.	जम्मू	जम्मू तथा कश्मीर	3 वाई.वी.	30 (कि.मी.)
26.	कथुआ	जम्मू तथा कश्मीर	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
27.	हसन	कर्नाटक	2×3 एन.आर.एस.	60 (कि.मी.)
28.	हासपेट	कर्नाटक	2×5 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
29.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
30.	रायचूर	कर्नाटक	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
31.	मरकारा	कर्नाटक	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)

1	2	3	4	5
32.	करवार	कर्नाटक	3 एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
33.	कन्नानौर	केरल	2×3 एन.आर.एस.	60 (कि.मी.)
34.	कोचीन	केरल	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
35.	इदुक्की	केरल	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
36.	खण्डवा	मध्य प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
37.	बैतुल	मध्य प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
38.	बिलासपुर	मध्य प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
39.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश	2×3 एन.आर.एस.	60 (कि.मी.)
40.	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
41.	शहडोल	मध्य प्रदेश	2×3 एन.आर.एस.	60 (कि.मी.)
42.	बालाघाट	मध्य प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
43.	रायगढ़	मध्य प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
44.	गुना	मध्य प्रदेश	3 कि.वा. (इनसेट) एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
45.	सागर	मध्य प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
46.	भोपाल	मध्य प्रदेश	3 कि.वा.वी.बी./ सी.बी.एस.	50 (कि.मी.)
47.	इन्दौर	मध्य प्रदेश	3 कि.वा.वी.बी./ सी.बी.एस.	50 (कि.मी.)
48.	बीड़	महाराष्ट्र	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
49.	अहमदनगर	महाराष्ट्र	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
50.	नान्देड	महाराष्ट्र	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
51.	अकोला	महाराष्ट्र	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
52.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	2×3 एन.आर.एस.	60 (कि.मी.)
53.	यवतमाल	महाराष्ट्र	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)

1	2	3	4	5
54.	सतारा	महाराष्ट्र	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
55.	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
56.	पुणे	महाराष्ट्र	2×3 वी.बी./सी.बी.एस.	40 (कि.मी.)
57.	नागपुर	महाराष्ट्र	2×3 वी.बी./सी.बी.एस.	60 (कि.मी.)
58.	बम्बई	महाराष्ट्र	5 एफ.एम. चैनल	60 (कि.मी.)
59.	धुले	महाराष्ट्र	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
60.	बारीपाड़ा	उड़ीसा	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
61.	बेहरामपुर	उड़ीसा	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
62.	बोलंगिर	उड़ीसा	3 (इनसैट) एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
63.	भटिण्डा	पंजाब	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
64.	पटियाला	पंजाब	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
65.	जालंधर	पंजाब	2×5 एफ.एम. चैनल	60 (कि.मी.)
66.	अलवर	राजस्थान	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
67.	नागोर	राजस्थान	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
68.	बांसवाड़ा	राजस्थान	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
69.	चित्तोड़गढ़	राजस्थान	3 (इन्सेट) एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
70.	सवाई माधोपुर	राजस्थान	3 (इन्सेट) एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
71.	चुरू	राजस्थान	2×3 एन.आर.एस.	60 (कि.मी.)
72.	झालावाड़	राजस्थान	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
73.	जैसलमेर	राजस्थान	2×5 एन.आर.एस.	67 (कि.मी.)
74.	कैलाशहर	त्रिपुरा	3 एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
75.	बेलोनिया	त्रिपुरा	3 एल.आर.एस.	30 (कि.मी.)
76.	मद्रास	तमिलनाडू	5 एफ.एम. चैनल	50 (कि.मी.)
77.	बरेली	उत्तर प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)

1	2	3	4	5
78.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
79.	झांसी	उत्तर प्रदेश	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
80.	ओबरा	उत्तर प्रदेश	2×3 एन.आर.एस.	60 (कि.मी.)
81.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	2×3 एल.आर.एस.	60 (कि.मी.)
82.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	5 एफ. चैनल	50 (कि.मी.)
83.	दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र	2×5 एफ.एम. चैनल	60 (कि.मी.)

विवरण-II

एफ.एम. आकाशवाणी केन्द्रों की सूची तथा उनके ट्रांसमिशन घंटे

क्र. सं.	केन्द्र के नाम	ट्रांसमिशन घंटे	प्रचालन की आवर्तिता (एम.जेड.एस.)
1	2	3	4
1.	गोधरा	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.2
2.	झालावाड़	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.2
3.	सतारा	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.1
4.	झांसी	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.0
5.	सवाई माधोपुर	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	101.5
6.	शिवंपुरी	5.28 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	100.2
7.	सूरत	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	101.1
8.	बीड़	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.9
9.	सासाराम	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.4
10.	बिलासपुर	5.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.2
11.	जालंधर	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.7
12.	डाल्टन गंज	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.0

1	2	3	4
13.	गुना	5.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	102.3
14.	नागपुर	4.55 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.7
15.	बरेली	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	100.4
16.	4 चुरू	5.00 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	100.7
17.	रायचूर	5.00 बजे से रात्रि 11.05 बजे तक	102.7
18.	केडीकेरी	5.25 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.1
19.	मरकापुरम	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	101.5
20.	वारंगल	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.5
21.	ओबरा	5.30 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	102.7
22.	हाफ्लोंग	4.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक	100.2
23.	अहमदनगर	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	100.1
24.	रायगढ़	4.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	100.7
25.	सागर	5.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.6
26.	यवतमाल	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.7
27.	चित्तोड़गढ़	5.00 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	102.9
28.	चाईबासा	5.00 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	101.7
29.	बैतुल	4.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.1
30.	भटिण्डा	3.00 बजे से रात्रि 9.15 बजे तक	101.1
31	कुरूक्षेत्र	4.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक	101.4
32.	खण्डवा	5.00 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	101.2
33.	मुर्शिदाबाद	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.2
34.	कारवार	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.3
35.	हसन	सुबह 7.35 से प्रातः 9.05 तक 6.25 से रात्रि 11.05 बजे तक	102.2

1	2	3	4
36.	निजामाबाद	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.2
37.	अकोला	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.4
38.	हासपेठ	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	100.5
39.	कैला शहर	4.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	103.2
40.	लोहापुर	5.00 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	102.7
41.	पुर्णिया	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.3
42.	अलवर	4.55 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.1
43.	कोठागुडम	6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक 6.00 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	100.1
44.	बेहरामपुर	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	100.6
45.	फैजाबाद	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	101.09
46.	बांसवाड़ा	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	101.3
47.	बलोनिया	4.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	103.7
48.	अनंतपुर	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	101.7
49.	बारीपाड़ा	5.00 बजे से रात्रि 11.05 बजे तक	102.9
50.	कोचीन	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.3
51.	तिरूपति	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.2
52.	चित्रदुर्ग	5.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक	102.6
53.	बोलंगिर	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	101.9
54.	कुरनूल	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.4
55.	मद्रास	6.55 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक 1.00 बजे से 3.00 बजे तक 5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	107.1
56.	बम्बई	6.55 से 10.05 प्रातः 12.30 बजे से रात्रि 3.00 बजे तक 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	107.1

1	2	3	4
57.	कलकत्ता	7.00 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	107.1
58.	हजारीबाग	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.1
59.	बालाघाट	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	101.3
60.	छिंदवाड़ा	4.53 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.2
61.	नांदेड	4.55 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	101.1
62.	जोरहाट	4.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक	103.4
63.	कथुआ	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	106.4
64.	पटियाला	3.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	100.2
65.	चन्द्रपुर	5.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.0
66.	पणजी	6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	105.4
67.	कसौली	यह केवल रिले केन्द्र हैं जिसमें राष्ट्रीय चैनल प्रोग्राम 7.00 बजे से (सांय) प्रातः 6.10 बजे तक रिले होते हैं।	107.2
68.	दिल्ली	प्रातः 6.00 बजे से 0000 घंटे	102.6
69.	शहडोल	6.30 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक 12.30 बजे से रात्रि 2.30 बजे तक 5.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक	102.0
70.	कन्नानौर	5.55 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक 12.30 से रात्रि 2.10 बजे तक 6.00 बजे से रात्रि 11.05 बजे तक	101.5
71.	जम्मू	यह विविध भारती कार्यक्रम चलाता है 6.30 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक 12.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक (शनिवार और छुट्टियों के दिन) 12.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक पर सभी अन्यों दिनों 6.15 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	100.3
72.	नागपुर	6.15 से रात्रि 11.00 बजे तक	100.6

1	2	3	4
73.	पटना	6.15 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.5
74.	इन्दौर	6.15 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	101.6
75.	भोपाल	6.15 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	103.5
76.	पुणे	6.15 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	101.0
77.	हैदराबाद	6.15 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक	102.8
78.	नौगांव	4.28 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक	102.7
79.	हमीरपुर	4.58 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	101.8
80.	धर्मशाला	4.55 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	103.4
81.	इदुक्की	17.50 बजे से 21.30 घंटे	101.4
82.	धुले	4.58 बजे से रात्रि 11.10 बजे तक	100.5
83.	जैसलमेर	4.55 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक	101.8

विवरण-III

निजी एजेंसियों के ब्यौरे जिन्हें एफ.एम. चैनल पर कार्यक्रमों को प्रसारण करने की अनुमति दी गई है

समय स्लॉट	फर्म/बैनर	आवंटन की अवधि से	आवंटन की अवधि तक	प्रसारण के दिन (दिनों)
1	2	3	4	5
मद्रास				
प्रातः 7 से प्रातः 8 बजे तक	सिलेक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग कम्यूनिकेशन	1–9–1993	14–8–1993	प्रति दिन
प्रातः 7 से 9 बजे तक	प्रिय विजन	1–9–1993	14–8–1993	प्रति दिन
प्रातः 9 से प्रातः 10 तक	वी.आर.जी. एजेंसिज	15–3–1994	14–8–1994	प्रति दिन
अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 2 बजे तक	करूणा एजुकेशनल ट्रस्ट	5–12–1993	14–8–1994	केवल रविवार
	एम.एस. कर्थिकेयन	17–12–1993	18–2–1994	केवल शुक्रवार
	मल्हार पब्लिकेशन	25–2–1994	14–8–1994	केवल शुक्रवार
	वी.आर.जी. एजेंसिज	15–2–1994	14–8–1994	रविवार को छोड़कर
अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 3 बजे तक	एस.एस. इंटरनेशनल	15–2–1994	14–8–1994	प्रति दिन

सांय 6 बजे से सायं 7 बजे तक	नेयम विज्युअल एसोसिएशन	15–12–1993	14–8–94	शुक्रवार और शनिवार
	मल्हार पब्लिकेशन	15–2–1994	14–8–94	सोमवार से वीरवार
सायं 7 बजे से सांय 8 बजे तक	बैनेट कोलमैन एण्ड कंपनी	1–9–1993	14–8–94	प्रति दिन
सायं 8 बजे से सांय 9 बजे तक	मल्हार पब्लिकेशन	15–9–1993	14–8–94	प्रति दिन
सायं 9 बजे से सायं 10 बजे तक	एस॰एस॰ इंटरनेशनल	15–11–1993	14–8–94	प्रति दिन
बम्बई				
प्रातः 7 से प्रातः 8	स्टार इंटरटेंटमेंट कंपनी	15–8–1993	14–8–94	प्रति दिन
प्रातः 8 से प्रातः 9	मिड डे पब्लिकेशन	–तथैव–	--	प्रति दिन
प्रातः 9 से प्रातः 10	बैनेट कोलमेन कंपनी	15–8–1993	14–8–94	प्रति दिन
अपराह्न 1 से अपराह्न 3 बजे तक	बैनेट कोलमेन कंपनी	15–8–1993	14–8–1994	प्रति दिन
सायं 6 से 7 बजे तक	मिड डे पब्लिकेशन	15–8–1993	14–8–1994	प्रति दिन
सायं 7 से रात्रि 10 बजे	बैनेट कोलमेन कंपनी	15–8–1993	14–8–1994	प्रति दिन
दिल्ली				
प्रातः 7 से प्रातः 8 बजे	बैनेट कोलमेन कंपनी	15–8–1993	14–8–1994	प्रति दिन
प्रातः 8 से प्रातः 9 बजे	वैशाली उद्योग प्रा॰लि॰	15–8–1993	14–8–1994	प्रति दिन
प्रातः 9 से प्रातः 10 बजे	बैनेट कोलमेन कंपनी	15–8–1993	14–8–1994	प्रति दिन

1	2	3	4	5
अपराह्न 1 से अपराह्न 2 बजे तक	बैनेट कोलमेन एण्ड कंपनी	15–8–1993	14–8–1994	प्रति दिन
अपराह्न 2 से अपराह्न 3 बजे तक	बैनट कोलमेन एण्ड कंपनी	15–8–1993	14–8–1994	प्रति दिन
सांय 6 से सांय 7 बजे तक	गुड मीडिया प्रा.लि.	16–11–1993	14–8–1994	शुक्रवार छोड़कर
	इंटर आर्कड इंडिया लि.	1–10–1993	29–7–1994	केवल शुक्रवार
सायं 7 बजे से सांय 7 तक	बैनेट कोलमेन एण्ड कंपनी	18–8–1993	14–8–1994	प्रति दिन

भारतीय इस्पात प्राधिकरण का सेलम संयंत्र

4521. **श्री बी. देवराजन :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण की सेलम संयंत्र पर कुल कितना निवेश किया गया है, इसकी वार्षिक उपयोग क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में इसके रख-रखाव पर कितना खर्च किया गया;

(ख) क्या संयंत्र की क्षमता के बेहतर उपयोग और उत्पादन लागत में कमी के संबंध में कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव कब से विचाराधीन है; और

(घ) इस संबंध में निर्णय लेने में हुए विलम्ब का आर्थिक प्रभाव क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) सेलम इस्पात संयंत्र के प्रारम्भ से इसमें विभिन्न चरणों में निम्नलिखित निवेश हुआ :

चरण I (कोल्ड रोलिंग कम्पलैक्स)	181.19 करोड़ रुपये
चरण II (द्वितीय कोल्ड रोलिंग मिल)	76.27 करोड़ रुपये
चरण III (हाट रोलिंग कम्पलैक्स)	664.60 करोड़ रुपये*

*योजना कार्यान्वयनाधीन है और मार्च, 1994 तक 188.67 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। (अनन्तिम)।

संयंत्र की संस्थापित क्षमता 70,000 टन है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ वास्तविक उत्पादन और अनुरक्षण व्यय निम्नलिखित है :

वर्ष	उत्पादन (टन)	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	अनुरक्षण व्यय (लाख रुपये)
1991-92	41524	59	84.44
1992-93	36082	51.5	79.86
1993-94 (अनन्तिम)	45793	65.4	87.00

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 1994-95 के लिए सेलम इस्पात संयंत्र ने 55,000 टन उत्पादन करने (75 प्रतिशत क्षमता उपयोग) की योजना बनाई है। कच्चा माल मिक्स के इष्टतमीकरण, उच्च क्षमता उपयोग और बेहतर तकनीकी-आर्थिक निष्पादन के जरिए उत्पादन लागत को कम करने के प्रयास

किए गए हैं। संयंत्र के निष्पादन में सुधार करने के लिए यह कम्पनी की सतत् प्रक्रिया के अंग हैं। इस संबंध में निर्णय लेने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

[हिन्दी]

समाचार बुलेटिन

4522. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर अंग्रेजी में प्रसारित समाचार की तुलना में हिन्दी समाचारों का प्रसारण अच्छा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूरदर्शन पर हिन्दी समाचार के प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विशिष्ट आर्थिक जोन की प्रदूषण से रक्षा

4523. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और अन्य रसायन लाने वाले विदेशी पोत टैंकरों द्वारा हमारी समुद्री सीमा के विशिष्ट आर्थिक जोन का भी उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे विशिष्ट आर्थिक जोन की रक्षा करने के लिए ऐसे पोतों की यात्रा के दौरान उनके संचालन को नियंत्रित करने में अंतर्राष्ट्रीय अथवा घरेलू कानून बेकार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हमारे समुद्री क्षेत्र को प्रदूषित करने वाले अथवा नियामक कानून का उल्लंघन करने वाले पोतों पर क्षतिपूर्ति/दण्ड लगाने का प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हमारे समुद्र को विदशी पोतों द्वारा प्रदूषित करने से कितने मामलों का पता लगाया गया और कितनी क्षतिपूर्ति/जुर्माना वसूला गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रदूषण से हमारी विशिष्ट आर्थिक जोन की रक्षा के लिए उनकी यात्रा के दौरान ऐसे जहाजों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (घरेलू कानून) तथा जहाजों के प्रदूषण की रोक थाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1973/1978, तेल प्रदूषण क्षति के लिए सिविल दायित्व संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कंवेशन 1969, तेल

प्रदूषण दुर्घटनाओं के मामलों में खुले समुद्र में हस्तक्षेप संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कंवेशन, 1969 और तेल प्रदूषण क्षति के लिए मुआवजे हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कंवेशन 1971 लागू हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) ऐसी घटनाओं की संख्या तीन है। मुआवजे के रूप में अब तक 3,56,849 रुपये की राशि वसूल की गयी है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

4524. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा राज्य-वार कितने क्षेत्र में प्रसारण किया जाता है तथा इससे कितने प्रतिशत लोग (जनसंख्या) लाभान्वित होते हैं;

(ख) शत प्रतिशत व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन की उपग्रह सेवा देश में शत प्रतिशत टी॰वी॰ कवरेज पहले ही प्राप्त कर ली गई है। तथापि, दूरदर्शन की सभी चालू स्कीमों के शुरू हो जाने पर जनसंख्यावार स्थलीय कवरेज 91.8 प्रतिशत तक बढ़ जाने की आशा है।

सभी चालू स्कीमों के पूरा हो जाने पर आकाशवाणी नेटवर्क की प्राथमिक ग्रेड दिन कालीन कवरेज जनसंख्यावार 97.5 प्रतिशत तक बढ़ जाने की आशा है। तथापि, सभी चालू स्कीमों के पूरा हो जाने पर शार्टवेव सहायता सेवा द्वारा समूचे देश को कवर करने की आशा है।

दूरदर्शन व आकाशवाणी कवरेज का और अधिक विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विवरण

देश में राज्य वार टी.वी. व आकाशवाणी (दिनकालीन) कवरेज दर्शाने वाला विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्तमान कवरेज प्रतिशतता में			
		दूरदर्शन		आकाशवाणी	
		क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	70.5	79.8	98.0	99.0

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.0	44.4	77.0	77.0
3.	असम	74.0	82.0	86.0	85.0
4.	बिहार	92.3	91.7	99.0×	99.0×
5.	गोवा	100.0	100.0	99.0×	99.0×
6.	गुजरात	65.5	77.0	99.0×	99.0×
7.	हरियाणा	96.6	98.5	99.0×	99.0×
8.	हिमाचल प्रदेश	37.2	58.7	45.0	75.0
9.	जम्मू और कश्मीर	26.7	90.4	30.0	85.0
10.	कर्नाटक	59.6	68.8	94.0	95.0
11.	केरल	84.0	86.3	91.0	93.0
12.	मध्य प्रदेश	64.4	69.7	95.0	97.0
13.	महाराष्ट्र	70.8	82.7	98.0	98.5
14.	मणिपुर	31.3	66.4	99.0*	99.0*
15.	मेघालय	94.6	97.2	96.0	96.0
16.	मिजोरम	42.1	53.1	82.0	82.0
17.	नागालैंड	43.4	47.2	95.0	95.0
18	उड़ीसा	73.7	78.7	97.0	98.0
19.	पंजाब	100.0	100.0	99.0×	99.0×
20.	राजस्थान	38.8	61.6	90.0	98.0
21.	सिक्किम	36.6	63.1	44.0	74.0
22.	तमिलनाडु	91.2	91.3	98.0	98.0
23.	त्रिपुरा	93.3	93.3	99.0×	99.0×
24.	उत्तर प्रदेश	79.0	92.4	88.0	97.0

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	95.4	96.0	99.0*	99.0*
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.0	99.0	80.0	80.0
27.	चंडीगढ़	100.0	100.0	99.0*	99.0*
28.	दादरा और नगर हवेली	40.0	43.6	99.0*	99.0*
29.	दमन और द्वीव	100.0	100.0	99.0	99.0
30.	दिल्ली	100.0	100.0	99.0*	99.0*
31.	लक्षद्वीप एवं मिनीकाय द्वीप समूह	99.0	99.0	99.0*	99.0*
32.	पांडिचेरी	100.0	100.0	99.0*	99.0*

टिप्पणी : दूरदर्शन

1. कवरेज आंकड़े दूरस्थ क्षेत्रों (जहां संतोषप्रद रिसेप्शन हेतु ऊंचे एंटीना तथा बूस्टरों की जरूरत होती है) सहित हैं।
2. भू-भागीय दशाओं पर विचार नहीं किया गया है।
3. 1981 की जनगणना पर आधारित।
4. *इन राज्यों में सामान्यतः 100 प्रतिशत कवरेज माना जा सकता है, अर्थात् कतिपय स्थिति को विशेष अपेक्षाओं को ध्यान में रखे बिना।

भारतीय नौवहन निगम के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम

4525. **श्री बापू हरि चौरे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय नौवहन निगम के भारी विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में, निगम के पास कुल कितने पुराने, क्षतिग्रस्त, अप्रचलित और अप्रभावी पोत हैं, और

(घ) इन पोतों के निपटान के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान, भारतीय नौवहन निगम के खरीद कार्यक्रम में 2.8 मिलियन डी.डब्ल्यू.टी. के 79 जहाजों की खरीद की परिकल्पना है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम के बेड़े में इस समय 126 जहाज हैं। तीन जहाज तकनीकी और/अथवा व्यावसायिक रूप से व्यापार के लिए अनुपयुक्त पाए गए हैं।

(घ) भारतीय नौवहन निगम, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इन तीन जहाजों के निपटान के लिए कार्यवाही कर रहा है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम

4526. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों के स्तर में सुधार लाने के लिए कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन और आकाशवाणी का सतत् प्रयास रहता है कि दर्शकों/श्रोताओं की प्रतिक्रिया के अनुसार कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए।

[हिन्दी]

विदेशों में हिन्दी का प्रचार

4527. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 95 में विदेशों में हिन्दी के प्रचार हेतु उनके मंत्रालय के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है;

(ख) हिन्दी के प्रचार के लिए भारतीय दूतावासों द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1993 94 में मंत्रालय द्वारा विभिन्न भारतीय दूतावासों को हिन्दी भाषा में कितने पत्र लिखे गए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) विदेशों में हिन्दी के प्रचार प्रसार के विदेश मंत्रालय के बजट प्राक्कलन 1994-95 में 43 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) भारतीय मिशनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रत्यायन के देश में हिन्दी के प्रचार के लिए हर संभव प्रयास करें। तदनुसार वे उन स्थानीय शैक्षिक संस्थानों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखते हैं जो हिन्दी के शिक्षण से जुड़े हुए हैं। कुछ विशिष्ट मिशनों में जैसे जार्जटाउन, काठमाण्डू, लंदन, पारामरिबो, पोर्ट लुई, पोर्ट-आफ-स्पेन जहां हिन्दी

के प्रचार के अवसर अधिक हैं विशेष हिन्दी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मिशन भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न विश्व विद्यालयों में हिन्दी प्राध्यापकों की प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में संपर्क कार्य भी करते हैं। कुछ स्थानों में मिशन स्थानीय लोगों के तथा मिशन कर्मचारियों के बच्चों के लिए हिन्दी कक्षाएं चला रहे हैं।

(ग) 1993-94 के दौरान विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों को लगभग 1540 पत्र हिन्दी में लिखे गए।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाक और तार सेवाएं

4528. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं में सुधार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी बयौरा क्या है; और

(ग) 1990-91 से 1993-94 तक सरकार द्वारा राज्यवार अर्जित किए गए राजस्व के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण II में दी गई है।

विवरण-I

देश के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में दूरसंचार डाक तथा तार सेवाओं में सुधार की स्थिति इस प्रकार है

1. दूरसंचार सेवाएं :

1. 1991-92 तक टेलीफोन एक्सचेंजों का पूर्णरूपेण स्वचलीकरण किया जा चुका है।
2. सभी इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों को पांच को छोड़कर (असम-1, त्रिपुरा-4) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जा चुका है।
3. मार्च, 1994 के दौरान, उत्तर पूर्व दूरसंचार सर्किल में क्रमशः डी.ई.एल. की 3766 मदें और स्विचन क्षमता की 6793 तथा असम सर्किल में डी.ई.एल. की 1609 मदें और स्विचन क्षमता की 3752 मदें जोड़ी गईं।
4. बेहतर ग्रामीण दूरसंचार सेवाओं के लिए मार्च, 94 के दौरान उत्तर पूर्व सर्किल में एम.ए.आर.आर. प्रणाली के 12 और असम सर्किल में 6 एम.ए.आर.आर. प्रणालियां चालू की गईं।

5. दूरसंचार सेवाओं के लिए मार्च, 94 के दौरान विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान किए गए जो इस प्रकार हैं :

(1) उत्तर पूर्व दूरसंचार सर्किल :

(क) लेखावाली और डिबरूगढ़ के बीच 12 चैनल यू.एच.एफ., एनालॉग प्रणाली

(ख) एजमाल और तिनसुलथिया के बीच 12 चैनल यू.एच.एफ. एनालॉग प्रणाली।

(ग) कैलाशहर और वंगमन के बीच 6 चैनल यू.एच.एफ. प्रणाली।

(घ) कैलाशहर और धर्मनगर के बीच 6 यू.एच.एफ. प्रणाली।

(ङ) सिलचर और एजवाल तथा शिलांग और एजवाल के बीच 23 चैनल टी.डी.एम. बी.एफ.टी. प्रणाली चालू की जा चुकी है।

(2) असम सर्किल

(क) लालाहैलाकांडी के बीच 30 चैनलों के साथ 120 चैनल डिजिटल यू.एच.एफ. की व्यवस्था।

II. तार सेवाएं

1. उत्तर पूर्व सर्किल

(क) 1994-95 के दौरान केन्द्रीय तार घर शिलांग में 32 लाइनों की एक एस.एफ.एम.एस.एस. प्रणाली संस्थापित की जाने वाली है।

(ख) 20 एस.बी.आर.टी.एम. टर्मिनल संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) 1994-95 के दौरान तीन जिला मुख्यालयों (बोमबिला, पासीघाट, चूराचंद्रपुर) में फैक्स सुविधा संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) 1994-95 के दौरान II जिला मुख्यालयों में (अरुणाचल-5 मेघालय-1, मिजोरम-1 और नागालैंड-4) दूरसंचार केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

2. असम दूर संचार सर्किल

(क) राज्य में 3 केन्द्रीय तारघर, तथा 26 विभागीय तारघर, राज्य के सभी जिलों के लिए तार सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

(ख) दूरवर्ती स्थानों पर तार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 448 संयुक्त डाकतार घर कार्य कर रहे हैं।

(ग) जनता को एस.टी.डी./आई.एस.डी. फैक्स, टेलेक्स, तार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 9 दूरसंचार केन्द्र काम कर रहे हैं।

III. डाक

देश के पहाड़ी, जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 75 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 5 विभागीय उपडाकघर देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए हैं।

विवरण-II

1990-91 और 1993-94 के दौरान सरकार द्वारा अर्जित राज्यवार राजस्व इस प्रकार है

उत्तर पूर्व क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य	दूरसंचार विभाग द्वारा वर्षवार अर्जित (लाख रुपये में) राजस्व			
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1.	असम	3162.00	4329.00	5392.00	7025.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	205.6	258.0	430.8	535.0
3	मिजोरम	164.8	209.6	257.2	388.5
4	मेघालय	490.3	762.7	790.1	1036.1
5.	नागालैंड	301.3	379.5	580.4	689.8
6.	त्रिपुरा	286.5	383.6	472.7	501.9
7.	मणिपुर	288.3	337.6	443.5	596.8

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र के साथ समझौता

4529. **श्री राजवीर सिंह :**

डा. लाल बहादुर रावत :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु अनिवासी भारतीयों के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) कापरो ग्रुप यू.के. के अध्यक्ष डा. स्वराज पॉल ने उड़ीसा में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है। "कलिंगा स्टील्स (इंडिया) लिमिटेड" के नाम से यह संयंत्र डा. स्वराज पॉल और उड़ीसा सरकार के बीच हुए समझौता-ज्ञापन के अनुसरण में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कुल 6400 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से प्रतिवर्ष 15 लाख टन तप्त बेल्लित इस्पात क्वायलों और प्रतिवर्ष 4.2 लाख टन कच्चे लोहे के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार ने अनुमति दे दी है। अभी हाल ही में कलिंगा स्टील्स इंडिया लिमिटेड ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को एक आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार संयंत्र ने 4650 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रतिवर्ष 12.5 लाख टन तप्त बेल्लित इस्पात क्वायलों का उत्पादन करने का प्रक्षेपण किया है। यह प्रस्ताव भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र

4530. **श्री शिवचरण सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में फिलहाल किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं: उनकी प्रसारण क्षमता कितनी है तथा कितने क्षेत्र में प्रसारण पहुंच रहा है;

(ख) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए राज्य के किन-किन स्थानों का चयन किया गया है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) अभी तक इन पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(घ) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने के शेष कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके संभावित स्थान कौन-कौन से होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश के अम्बिकापुर, गुना और शहडौल में तीन उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना है, बशर्ते कि स्कीमें औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दी जाए। इनके लिए उपयुक्त स्थल की पहचान करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ग) चूंकि स्कीमों को अभी अनुमोदित किया जाना, इसलिए अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

(घ) स्कीमों की औपचारिक मंजूरी के बाद इनको कार्यान्वित करने में 3 से 4 वर्ष तक का सामान्य लीड समय लगेगा।

विवरण

वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में कार्य कर रहे टी.वी. ट्रांसमीटरों/आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा

1. टी.वी. ट्रांसमीटर

1. टी.वी. सेवा द्वारा कवर किया गया राज्य का क्षेत्र : 64.4 प्रतिशत (किनारे के क्षेत्रों सहित)
2. टी.वी. ट्रांसमीटर्स के स्थान उनकी शक्ति सहित।

क्रम संख्या	स्थान	शक्ति
1	2	3
1.	भोपाल	10 कि.वा.
2.	ग्वालियर	10 कि.वा.
3.	इन्दौर	10 कि.वा.
4.	जबलपुर	10 कि.वा.
5.	जगदलपुर	1 कि.वा.
6.	रायपुर	10 कि.वा.
7.	अम्बिकापुर	100 वाट
8.	बेलाडिला	100 वाट
9.	बालाघाट	100 वाट
10	बैतुल	100 वाट
11.	भींड	100 वाट
12.	बिलासपुर	100 वाट
13.	बुरहनपुर	100 वाट
14.	चन्देरी	100 वाट
15.	छत्तर पुर	100 वाट
16.	छिन्दवाड़ा	100 वाट

1	2	3
17.	दामोह	100 वाट
18.	डुंगागढ़	100 वाट
19.	गुना	100 वाट
20.	हरदा	100 वाट
21.	जोरा	100 वाट
22.	इटारसी	100 वाट
23.	झाबआ	100 वाट
24.	कंकेर	100 वाट
25.	खण्डवा	100 वाट
26.	खारगांव	100 वाट
27.	कोरबा	100 वाट
28.	कुर्सिया	100 वाट
29.	कुरवाई	100 वाट
30.	मलांजखण्ड	100 वाट
31.	मंडला	100 वाट
32.	मंदसोर	100 वाट
33.	मनिन्दरगढ़	100 वाट
34.	मुरवारा	100 वाट
35.	नागदा	100 वाट
36.	नरसिंहपुर	100 वाट
37.	नीमच	100 वाट
38.	पंचमढी	100 वाट
39.	पन्ना	100 वाट
40.	रायगढ़	100 वाट

1	2	3
41.	राजगढ़	100 वाट
42.	राजहारा झारंगदिली	100 वाट
43.	रतलाम	100 वाट
44.	रीवा	100 वाट
45.	सागर	100 वाट
46.	सतना	100 वाट
47.	सिवोनी	100 वाट
48.	शहडोल	100 वाट
49.	शाहजापुर	100 वाट
50.	शिवपुर	100 वाट
51.	शिवपुरी	100 वाट
52.	सिधी	100 वाट
53.	सिंगरोली	100 वाट
54.	टिकमगढ़	100 वाट
55.	सिंगरौली	10 वाट

2. आकाशवाणी

1. रेडियो सेवा द्वारा कवर किया गया राज्य का क्षेत्र : 95 प्रतिशत
2. रेडियो ट्रांसमीटर का स्थान उनकी शक्ति सहित।

क्र. सं.	स्थान	शक्ति
1	2	3
1.	अम्बिकापुर	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
2.	भोपाल	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर 3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर

1	2	3
3.	छत्तरपुर	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
4.	ग्वालियर	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
5.	इंदौर	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
		1 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
6.	जबलपुर	200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
7.	जगदलपुर	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
8.	रायपुर	100 कि.बा.मी.वे. ट्रांसमीटर
9.	रीवा	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
10.	खण्डवा	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्थानीय रेडियो केन्द्र)
11.	बैतुल	2×3 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
		(स्थानीय रेडियो केन्द्र)
12.	बिलासपुर	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्थानीय रेडियो केन्द्र)
13.	शिवपुरी	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
14.	छिन्दवाड़ा	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्थानीय रेडियो केन्द्र)
15.	रायगढ़	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्थानीय रेडियो केन्द्र)
16.	शहडोल	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
17.	बालाघाट	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्थानीय रेडियो केन्द्र)
18.	गुना	3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर
19.	सागर	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्थानीय रेडियो केन्द्र)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महुए का उपयोग

4531. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में महुए के वृक्ष पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं;

(ख) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महुए के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) किन-किन प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं में महुए का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) महुआ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आदि जैसे राज्यों के पतझड़ी वनों का एक सामान्य पेड़ है।

(ख) सरकार ने महुआ के फूल समेत गैर-शीरा कच्ची सामग्री पर आधारित पेय अल्कोहल बनाने के लिए बड़ी संख्या में आशय पत्र जारी किए हैं।

(ग) महुआ के फूलों का उपयोग मुख्यतः पेय अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है।

बिहार से प्रकाशित समाचार पत्र

4532. **श्री ललित उरांव :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार से कौन-कौन से दैनिक, सप्ताहिकए वार्षिक एवं मासिक समाचार पत्र/पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं; और

(ख) इनमें से कौन-कौन से समाचार पत्र/पत्रिकाएं क्रमशः स्थायी, अस्थाई रूप से पंजीकृत हैं और ऐसे कितने हैं जिनके केवल नाम ही पंजीकृत हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) 31-12-1992 की स्थिति के अनुसार भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय (आर.एन.आई.) में बिहार के 379 दैनिक, 627 साप्ताहिक, 124 पाक्षिक तथा 204 मासिक पंजीकृत थे। उनके नाम तथा अन्य ब्यौरे आर.एन.आई. की प्रेस इन इंडिया 1993 नामक वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, जिसकी प्रति संसद भवन पुस्तकालय में उपलब्ध है। ये सभी पत्रिकाएं आर.एन.आई. में स्थायी रूप से पंजीकृत हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च

4533. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी खर्च को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को इस खर्चे का यथोचित भाग स्वयं वहन करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संसाधनों के अभाव के कारण, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए निधियों की आवश्यकता को पूर्णतः पूरा नहीं किया जा सका। वर्ष 1993-94 के लिए महाराष्ट्र में

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु 3080.00 लाख रुपये तथा रख-रखाव और मरम्मत हेतु 1815.54 लाख रुपये आबंटित किए गए थे।

[अनुवाद]

गुजरात में दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत क्षेत्र

4534. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन-किन स्थानों पर अभी तक दूरदर्शन नेटवर्क के कार्यक्रम नहीं देखे जा सकते हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य में दूरदर्शन नेटवर्क के प्रसारण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए राज्य में सामाजिक संगठनों तथा राज्य सरकार से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जहां दूरदर्शन की उपग्रह प्रदत्तसेवा संपूर्ण देश में उपलब्ध है, वहीं भू-स्थलीय ट्रांसमिशन गुजरात के सभी जिलों में समग्रतः अथवा अंशतः उपलब्ध है।

(ख) जी, हां। विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) टी.वी. सेवा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में विभिन्न शक्तियों के 22 टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापना के लिए परिकल्पित हैं इन परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य की मौजूदा 77 प्रतिशत जनसंख्या तथा 65.5 प्रतिशत क्षेत्र को उपलब्ध कवरेज के 94 जनसंख्या तथा 89.7 क्षेत्र तक बढ़ जाने की आशा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पार्सलों की चोरी

4535. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या **संचार मंत्री** 13 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1506 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में जनरल पोस्ट ऑफिसों से 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान विदेशी पार्सलों की चोरी के किसी मामले की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। तथापि, निम्नलिखित अवधि के दौरान जबलपुर हैड पोस्ट ऑफिस में प्राप्ति के बाद 114 वी.पी. पार्सलों के निपटान का पता नहीं चला।

1992-93	=	59
1993-94	=	55

इस संबंध में विभागीय जांच की गई। जबलपुर हैड पोस्ट ऑफिस के डाक सहायक, श्री पी.के. दास को निलम्बित किया गया है। सी.बी.आई. जबलपुर ने 29-10-1993 को एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में खराब पड़े टेलीफोन

4536. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाणक्यपुरी टेलीफोन एक्सचेंज में अप्रैल, 1994 के दौरान तारीख वार खराब हुए टेलीफोनों की संख्या कितनी है और अन्य एक्सचेंज-वार इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) टेलीफोनों के इस तरह बार-बार खराब हो जाने के क्या कारण हैं;

(ग) चाणक्यपुरी में अन्य एक्सचेंजों की तुलना में टेलीफोनों को ठीक करने में कितना समय लगता है;

(घ) खराब पड़े टेलीफोनों को ठीक करने में अकारण अधिक समय लगने के क्या कारण हैं उक्त एक्सचेंज की कार्य शैली को सुधारने के क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) टेलीफोन के खराब रहने की अवधि में कोई किराया न लिए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) खराब हुए टेलीफोनों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। प्रणाली के अन्य एक्सचेंजों के तुलनात्मक आंकड़े भी उक्त अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) सामान्यतः बार-बार टेलीफोनों के खराब होने का कोई मामला नहीं होता है। खराब टेलीफोनों की रिपोर्ट मिलने पर उन्हें ठीक किया जाता है और टेलीफोन ठीक करने उपरांत टेलीफोन सेवा का सत्यापन उपभोक्ताओं से किया जाता है। बार-बार होने वाली खराबियों यदि कोई हों, की पूरी जांच की जाती है और उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) लगभग 80 प्रतिशत खराब टेलीफोन 24 घंटे के भीतर ठीक कर दिए जाते हैं।

चाणक्यपुरी एक्सचेंज और इस प्रणाली के अन्य एक्सचेंजों के पिछले तीन महीने के आंकड़े इस प्रकार हैं :

24 घंटे के भीतर ठीक की गई खराबियों का प्रतिशत

	चाणक्यपुरी एक्सचेंज	प्रणाली के सभी एक्सचेंज
जनवरी, 1994	89.0 प्रतिशत	75.6 प्रतिशत
फरवरी, 1994	88.5 प्रतिशत	77.5 प्रतिशत
मार्च, 1994	78.8 प्रतिशत	72.0 प्रतिशत

(घ) खराब पड़े टेलीफोनों को ठीक करने में अनुचित रूप से अधिक समय नहीं लगता है, जैसा कि उपर्युक्त (ग) में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है। केबिल की चोरी और केबिल की अन्य क्षतियों को ठीक करने के मामले में विलंब होता है। ऐसे मामलों में टेलीफोन सेवा को फिर से बहाल करने में 3 से 7 दिन लग जाते हैं, जो क्षति की सीमा पर निर्भर करता है।

चाणक्यपुरी एक्सचेंज के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. उपभोक्ताओं को फिर से डायल करके ठीक की गई खराबियों की नमूना जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य उपभोक्ता की संतुष्टि के मुताबिक ठीक हुआ है।
2. एक्सचेंज उपस्कर की व्यापक नेमी जांच-पड़ताल करना।
3. कैबिनेटों/पिलरों और डी.पी. में ताला बंद करना।
4. खराबियों को ठीक करने की प्रक्रिया का उच्चतम स्तर पर अनुवीक्षण करना।

(ङ) विभागीय नियमों में यह व्यवस्था है कि टेलीफोन के 7 दिनों अथवा इससे अधिक समय तक खराब रहने पर उपभोक्ता से कोई किराया न लिया जाए। यह व्यवस्था पहले से ही अमल में लाई जा रही है।

विवरण

चाणक्यपुरी एक्सचेंज में टेलीफोन खराबियां और चाणक्यपुरी तथा दिल्ली के अन्य टेलीफोन प्रणालियों में प्रति 100 केन्द्रों के हिसाब से टेलीफोन खराबियों का तुलनात्मक विवरण

तारीख		खराबियां प्रति 100 केन्द्र	
	चाणक्यपुरी एक्सचेंज में निवल खराबियां	चाणक्यपुरी एक्सचेंज के लिए	प्रणाली में अन्य एक्सचेंजों के लिए
1	2	3	4
1-4-1994	279	0.61	0.66

1	2	3	4
2-4-1994	206	0.45	0.62
3-4-1994	188	0.41	0.40
4-4-1994	557	1022	0.87
5-4-1994	371	0.82	0.89
6-4-1994	258	0.57	0.88
7-4-1994	224	0.49	0.91
8-4-1994	329	0.72	0.88
9-4-1994	329	0.72	0.79
10-4-1994	63	0.13	0.38
11-4-1994	346	0.76	0.87
12-4-1994	297	0.65	0.91
13-4-1994	224	0.49	0.85
14-4-1994	348	0.77	0.63
15-4-1994	186	0.41	0.83
16-4-1994	225	0.49	0.78
17-4-1994	34	0.07	0.40

इस्पात उत्पादक मंच

4537. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलगित इस्पात उत्पादक मंच का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) अगस्त, 1993 में तीन समेकित इस्पात उत्पादकों नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.) ने देश भर में सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया था जिसका मुख्य उद्देश्य समेकित इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के पहलुओं पर बल दिया जाना था। इस उद्देश्य के लिए इन तीनों समेकित इस्पात संयंत्रों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक कोर ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया गया था। ये सेमिनार समेकित इस्पात उत्पादक फोरम के तत्वाधान में आयोजित किये जाने थे। तथापि, अभी तक ऐसा कोई सेमिनार आयोजित नहीं किया गया है।

केरल में इलमेनाइट भंडार

4538. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण ने केरल के तटीय क्षेत्र में इलमेनाइट के नए भंडार का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क और ख) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) के सर्वे के परिणामस्वरूप केरल के कोलाम जिले के वरकाला, चावारा और निन्डोकारा में, मल्लापपुरम जिले में बलंगु से पोनानी में, कन्नूर जिले में कुमला और मंगलौर के मध्य और तिरिवंतपुरम जिले के विशिनजम कोवलम वेली, पचलुर के तटीय क्षेत्र की बालू में इल्मेनाइट और मोनाजाइट का उपस्थिति ज्ञात हुई। इन क्षेत्रों में इसके आगे कार्य प्रगति पर है।

बिहार में खनन

4539. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान मालिकों द्वारा वर्ष 1991 से 1994 के दौरान आज तक भारतीय खान ब्यूरो को कुल कितनी योजनाएं भेजी गई;

(ख) भारतीय खान ब्यूरो से कितनी योजनाओं को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है;

(ग) क्या भारतीय खान ब्यूरो इन योजनाओं को मंजूरी देने में अत्याधिक विलम्ब कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजनाओं को शीघ्रताशीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो की सूचना के अनुसार 1990-91 से 1993-94 (20-3-1994 तक) भारतीय खान ब्यूरो, रांची (बिहार) के क्षेत्रीय कार्यालय को बिहार के खान मालिकों द्वारा प्रस्तुत 174 खनन योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 13 खनन योजनाओं के प्रस्ताव संबंधित पार्टियों द्वारा वापिस ले लिये गये थे। भारतीय खान ब्यूरो ने 82 खनन योजनाओं को स्वीकृत किया था और 43 खनन योजनाओं को ब्यूरो द्वारा इसी अवधि में अस्वीकृत किया गया था। 31 खनन योजनाएं संशोधन के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जांच के बाद संबंधित पार्टियों के पास लंबित पड़ी हैं। 4 खनन योजनाएं खान सुरक्षा महानिदेशक के पास टिप्पणी हेतु लंबित हैं और 1993-94 को केवल 1 खनन योजना भारतीय खान ब्यूरो के पास स्वीकृति हेतु लंबित है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। फिर भी कुछ मामलों में खनन योजनाओं को स्वीकृत करने में देरी निम्न कारणों से हो जाती है :

(i) मान्यता प्राप्त अर्ह व्यक्तियों द्वारा संशोधित खनन योजना के जमा कराने में देरी।

(ii) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आवश्यक तकनीकी खामियों के आधार पर मान्यता-प्राप्त अर्ह व्यक्तियों द्वारा संशोधित खनन योजनाओं को जमा कराने में देरी भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनन योजनाओं के अतिशीघ्र पूरा होने के लिए उठाए गए कदम :

(i) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त अर्ह व्यक्तियों को परिपत्र के माध्यम से निर्देश।

(ii) भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों के दौरान मान्यता प्राप्त अर्ह व्यक्तियों और खान मालिकों को तकनीकी खामियां दूर करने के लिए उचित मार्गदर्शन।

(iii) मान्यता प्राप्त अर्ह व्यक्तियों के लिए भारतीय खान ब्यूरो में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन, जिससे उन्हें खनन योजनाओं की आवश्यकता तथा उनके तैयार किये जाने के संबंध में अपेक्षित जानकारी दी जा सके।

डबलरोटी के मूल्य

4540. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में डबलरोटी के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ खुदरा विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेते हैं;

(घ) यदि हां तो, इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) डबलरोटी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाये गये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं। अक्टूबर, 1991 से दिल्ली में ब्रेड की कीमतें नियंत्रण मुक्त कर दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ब्रेड की गुणवत्ता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और नियम 1955 के अंतर्गत कवर होती है।

[हिन्दी]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी एककों में निवेश

4541. **श्री छेदी पासवान :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यरत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के एककों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन एककों में सरकार ने कितने धन का निवेश किया है और वे एकक वार कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कोई वाणिज्यिक गहन समुद्री मात्स्यिकी एकक नहीं है। लेकिन, कुछ सरकारी संस्थान सर्वेक्षण, अनुसंधान प्रशिक्षण आदि के लिए गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान चलाते हैं। ये संस्थान वाणिज्यिक संगठन नहीं हैं, इसलिए लाभ अथवा हानि का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दुग्ध पाउडर का उत्पादन

4542. **श्री एम.जी. रेड्डी :**
श्री धर्मभिक्षम :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें दुग्ध पाउडर तैयार करने के लिए छोटे दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीद करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दुग्ध उत्पादकों को देयों का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार छोटे और दुग्ध उत्पादकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है;

(घ) 1993-94 में दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाईयां स्थापित करने के लिए कितने उद्यमियों ने ज्ञापन दिए;

(ङ) सरकार के समक्ष ऐसे कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(च) इनको शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) दूध पाउडर सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की यूनिटों द्वारा तैयार किया जाता हे, केवल महाराष्ट्र सरकार किसानों द्वारा खरीदे गए दूध से पाउडर तैयार करने के लिए डेरियां चलाती है। मंत्रालय को देयों का भुगतान न करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) वर्ष 1993-94 में उद्यमियों द्वारा दूध उत्पाद निर्माण यूनिटें स्थापित करने

के लिए 65 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। दूध से बनने वाली वस्तुएं बनाने पर से लाइसेंस हटा लिया गया है और इस संबंध में इस मंत्रालय में कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

4543. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रोपड़, हरिका और फिरोजपुर हेड वर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के पास होगा;

(ख) तो क्या पंजाब सरकार ने ये शीघ्र कार्य भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को अंतरित कर दिए हैं;

(ग) तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अब केन्द्रीय सरकार का विचार इन शीर्ष कार्यों को भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को अंतरित करने के लिए पंजाब सरकार को निदेश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो वह कब तक होगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) में यह प्रावधान है कि रोपड़, हरिका और फिरोजपुर के सिंचाई शीर्ष कार्यों के साथ साथ प्रशासन, अनुरक्षण एंव प्रचालन कार्य भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) द्वारा किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा इन शीर्ष कार्यों का नियंत्रण बी.बी.एम.बी. को हस्तांतरित किया जाना है। तथापि, बी.बी.एम.बी. की तकनीकी समिति द्वारा लिए गए वितरण सम्बन्धी निर्णय के सिद्धान्तों के आधार पर राजस्थान एवं हरियाणा को जल सप्लाई किए जाने की पंजाब सरकार द्वारा पुष्टि की गई थी।

विश्वव्यापी डेटा नेटवर्क

4544. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संगठन दक्षिण निवेश व्यापार और प्रौद्योगिकी डेटा विनिमय केन्द्र के विश्वव्यापी देश नेट-वर्क को अंशदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विश्वव्यापी नेटवर्क में अंशदान से भारत पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण निवेश व्यापार तथा प्रौद्योगिकी डाटा आदान-प्रदान केन्द्र मलेशिया द्वारा समन्वित जी-15 की एक परियोजना है। मलेशिया में स्थित दक्षिण निवेश व्यापार तथा प्रौद्योगिकी डाटा आदान प्रदान केन्द्र के साथ संपर्क साधने के लिए आवश्यक स्वदेशी संरचना का विकास करने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ एक राष्ट्रीय फोकस बिंदु है। भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल महासंघ ने भारत में यह परियोजना शुरू कर दी है, और 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार दक्षिण निवेश व्यापार प्रौद्योगिकी डाटा आदान-प्रदान केन्द्र के डाटा बेस के 150 भारतीय प्रयोक्ताओं को पंजीकृत कर लिया है।

(ग) भारत ने दक्षिण निवेश व्यापार प्रौद्योगिकी डाटा आदान-प्रदान केन्द्र की स्थापना के लिए 25000 अमरीकी डालर का स्वैच्छिक अंशदान दिया था। यह प्रस्ताव है कि सदस्य विकासशील देशों से अंशदाताओं को सीधे ही स्वीकार करने के लिए दक्षिण निवेश व्यापार एवं प्रौद्योगिकी डाटा आदान-प्रदान केन्द्र को सक्षम बनाकर इसे वाणिज्यिक दृष्टि से समर्थ बनाया जाए।

[हिन्दी]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले वाहन स्वामियों को सहायता

4545. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान झींगा प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए कितनी राज्य सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण गहरे समुद्र की झींग के मूल उत्पादकों को सहायता प्रदान करता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मपेड़ा) ने मछली प्रसंस्करण संयंत्रों, जिनमें श्रिम्पों का प्रसंस्करण भी शमिल है, कि स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए 1993-94 के दौरान सहायता अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः 67.50 लाख रुपये और 130-29 लाख रुपये की व्यवस्था की।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गहन समुद्री मत्स्यन के माध्यम से समुद्री उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। सभी गहन समुद्री जलयान प्रचालकों को सहायता दी जाती है, जिनमें श्रिम्पों का दोहन करने वाले गहन समुद्री मत्स्यन जलयान भी शमिल हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गहन समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए इस समय समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मपेडा) निम्नलिखित स्कीमें चलाता है।

1. इक्विटी भागीदारी :

मपेडा मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों को तैयार करने, गहन समुद्री मत्स्यन और प्रान फार्मिंग के लिए कंपनियों की शेयरपूंजी में भागीदारी करता है।

2. एच.एस.डी. कीमत प्रतिपूर्ति

इस स्कीम के अंतर्गत मपेड़ा कुछ शर्तों के अंतर्गत गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को चलाने में लगने वाले एच.एस.डी. की लागत के एक हिस्से को प्रतिपूर्ति करता है।

3. विविधीकृत मत्स्यन के लिए सहायता (20 मी.ओ.ए.एल. से अधिक)

इस स्कीम के अंतर्गत, मपेडा विविधीकृत मत्स्यन संबंधी कार्य करने के लिए गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों (20 मी.ओ.ए.एल. से अधिक) के परिवर्तन/संशोधन की लागत पर सब्सिडी देता है।

4. छोटे मशीनीकृत जलयानों (20 मी.ओ.ए.एल. से कम) को सहायता (पायलट स्कीम)

अधिक गहरे जल (50-100 मी. गहराई) में प्रचालन के लिए मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों को बढ़ावा देने और मल्टी-डे मत्स्यन कार्य करने के लिए मपेडा एक पायलट स्कीम के आधार पर आधुनिकीकरण की लागत की 30 प्रतिशत (अधिकतम 1.50 लाख रुपये प्रति जलयान) सब्सिडी देता है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड

4546. **श्री रामदेव राम** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड पर बकाया ऋण को इक्विटी पूंजी में परिवर्तित करने और इस निगम को प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं हेतु आर्थिक सहायता देने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस निगम के अंतर्गत खानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि देने का भी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस निगम को पूंजी कब से उपलब्ध करा रही है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान कापर लि. (एच.सी.एल.) ने दिनांक 31-3-1993 को अपने 166.56 करोड़ रुपये के बकाया सभी ऋण और उस पर 83.00 करोड़ रुपये के ब्याज को इक्विटी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया है। कम्पनी के इस प्रस्ताव को आस्थागित रखने का निर्णय किया गया है। कम्पनी अपने संसाधनों से प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने मलंजखंड तांबा परियोजना के समेकित विकास हेतु तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान 1.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है। वर्ष 1994-95 के बजट प्रावधानों में एच.सी.एल. के लिए प्लान योजना के तहत 25.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय अभावों के कारण सरकार के लिए कम्पनी को और वित्तीय मदद दे पाना संभव नहीं है।

दूरसंचार केन्द्र

4547. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री पीटर जी. मरबनिआंग :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 28 फरवरी, 1994 तक मंडलवार कितने दूरसंचार केन्द्र एस.टी.डी. और टेलेक्स सुविधा से युक्त थे; और

(ख) 1994-95 में मंडलवार से कितने केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एस.टी.डी. और टेलेक्स सुविधा सहित दूरसंचार केन्द्र

क्र. सं.	सर्किल का नाम	28-2 1994 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार केन्द्रों की संख्या		1994-95 के दौरान खोले जाने वाले ऐसे प्रस्तावित केंद्रों की संख्या
		एस.टी.डी. सुविधा सहित	एस.टी.डी./टेलेक्स सुविधाओं सहित	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	134	11	16
2.	असम	4	5	8
3.	बिहार	53	2	21
4.	दिल्ली			शून्य
5.	गुजरात	शून्य	42	5
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	10
7.	हरियाणा	1	2	शून्य
8.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	2	4
9.	केरल	24	54	25
10.	कर्नाटक	17	5	7
11.	मध्य प्रदेश	112	शून्य	14
12.	महाराष्ट्र	शून्य	40	8
13.	उत्तर पूर्व	4	4	11
14.	उड़ीसा	17	7	39
15.	पंजाब	6	8	25
16.	राजस्थान	11	16	45

1	2	3	4	5
17.	तमिलनाडु	33	27	50
18.	उत्तर प्रदेश	221	10	12
19.	पश्चिम बंगाल	15	4	34
				341

कर्नाटक में स्पंज लौह संयंत्र

4548. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के मंगलौर नगर में स्पंज लौह संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र में अनुमानतः लागत और क्षमता कितनी है; और

(ग) यह संयंत्र कब तक स्थापित हो जाएगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार का मंगालौर कर्नाटक में स्पंज लोहा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनिवार्यता से भी छूट दे दी गई है। अतः निजी क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि वह स्थान 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर की 25 किलोमीटर की सीमा से भीतर न हो।

आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण

4549. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग के वर्षवार और सर्किल पर कितने कर्मचारियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा गया;

(ख) उनमें से कितने कार्मिकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया;

(ग) क्या उनकी सेवाओं का उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) पिछले वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग के 395 कार्मिकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश भेजा गया। इसका सर्किलवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 395 कार्मिकों में से 377 ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और 18 अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) 360 कार्मिकों की सेवा का उपयोग किया जा चुका है। संगत उपस्कर के प्राप्त होने पर 10 कार्मिकों की सेवा का उपयोग किया जाएगा, शेष 7 कार्मिकों की सेवाओं का सयाने उपस्कर के लिए यथा समय प्रयोग करने का भी प्रस्ताव है।

विवरण

क्र. सं.	सर्किल का नाम	1991-92 नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश भेजे गए व्यक्तियों की संख्या	1992-93 नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश भेजे गए व्यक्तियों की संख्या	1993-94 नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण लेने के लिए विदेश भेजे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	3	11
2.	बिहार	1	शून्य	6
3.	गुजरात	2	शून्य	20
4.	हरियाणा	शून्य	3	शून्य
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
6.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	1
7.	कर्नाटक	शून्य	1	15
8.	केरल	1	1	8
9.	महाराष्ट्र	4	1	13
10.	मध्य प्रदेश	3	1	7
11.	उत्तर पूर्व	2	शून्य	शून्य
12.	उड़ीसा	1	1	शून्य
13.	राजस्थान	शून्य	शून्य	8
14.	पंजाब	2	शून्य	9
15.	उत्तर प्रदेश	5	1	19
16.	तमिलनाडु	1	1	8

1	2	3	4	5
17.	पश्चिमी बंगाल	1	शून्य	1
18.	असम.	शून्य	शून्य	1
19.	उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र	3	2	शून्य
20.	पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र	4	शून्य	शून्य
21.	पश्चिमी दूरसंचार क्षेत्र	3	शून्य	शून्य
22.	दक्षिणी दूरसंचार क्षेत्र	4	शून्य	शून्य
23.	उत्तरी दूरसंचार परियोजना	1	शून्य	1
24.	पूर्वी दूरसंचार परियोजना	शून्य	शून्य	2
25.	पश्चिमी दूरसंचार परियोजना	1	शून्य	शून्य
26.	दक्षिणी दूरसंचार परियोजना	1	1	1
27.	एम॰टी॰एन॰एल॰, नई दिल्ली	2	5	31
28.	एम॰टी॰एन॰एल॰, बंबई	2	4	28
29.	कलकत्ता टेलीफोन्स	2	शून्य	6
30.	मद्रास टेलीफोन्स	2	2	12
31.	गुणवत्ता आश्वासन	शून्य	1	5
32.	रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन	शून्य	शून्य	शून्य
33.	दूर संचार फैक्ट्री, बंबई	शून्य	शून्य	शून्य
34.	दूर संचार फैक्ट्री, कलकत्ता	शून्य	शून्य	शून्य
35.	डाटा नेटवर्क, नोएडा	शून्य	शून्य	शून्य
36.	रक्षा नेटवर्क	शून्य	शून्य	शून्य
37.	उच्चस्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र गाजियाबाद	4	5	18
38.	उत्तर पूर्वी कार्यबल	1	शून्य	2
39.	तकनीकी और विकास जबलपुर	1	शून्य	13

1	2	3	4	5
40.	बी.आर.बी.आर.ए.आई.टी.टी., जबलपुर	1	1	5
41.	दूर संचार फैक्ट्री, जबलपुर	1	शून्य	शून्य
42.	दूर संचार आयोग मुख्यालय	6	4	24
43.	दूर संचार इंजीनियरी केन्द्र	1	3	10
44.	इलैक्ट्रानिक स्विचन का राष्ट्रीय केन्द्र	शून्य	शून्य	4
45.	उपग्रह परियोजना, नई दिल्ली	शून्य	1	शून्य
	जोड़	64	42	289

कुल जोड़ : 395

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन

4550. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन में हिन्दी पूल की स्थापना के बाद हिन्दी की कितनी कहानियां जमा कराई हैं; और

(ख) हिन्दी पूल में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ऐसी सूचना संकलित रूप में केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जातीं। तथापि, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में कार्यरत हिन्दी समाचार पूल में प्रतिदिन 20-25 समाचार मदें तैयार की जाती हैं। दूरदर्शन में समानांतर व्यवस्था तो नहीं है, किन्तु वह आकाशवाणी द्वारा प्रदत्त प्रति का उपयोग करता है।

(ख) फिलहाल, हिन्दी समाचार पूल में 9 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इसके अलावा, कार्यभार को देखकर नैमित्तिक कर्मचारियों को दैनिक आधार पर बुक किया जाता है।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जलमार्ग योजनाएं

4551. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी अंतर्देशीय जलमार्ग योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा योजनावार इन पर अनुमानतः क्या लागत आएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग स्कीमें अनुमोदित की हैं :

(1) 4.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गायघाट, पटना में टर्मिनल के निर्माण की स्कीम को मंजूरी की गई थी। निर्माण लागत में वृद्धि के कारण एक संशोधित लागत प्राक्कलन पर विचार किया जा रहा है।

(2) 84 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर, निजी प्रचालकों द्वारा प्रयोग व प्रोत्साहन के तौर पर आई डब्ल्यू टी जलयानों का प्रचालन शुरू करने की एक स्कीम को मंजूरी दी गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत भा.अ.ज. प्राधिकरण द्वारा 600 टी क्षमता के दो जहाज के.अ.ज.प. निगम से किराय पर लिए जाएंगे और राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) पर प्रचालन के लिए किराया प्रभारों के बगैर शीघ्र ही गोवा बार्ज ऑनर्स एसोसिएशन को दिए जाएंगे।

(3) राष्ट्रीय जलमार्ग-1 एवं 2 में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गई दूसरी स्कीम, आधारभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण ढोए गए कार्गों के प्रति नदी के एम टी के लिए 10 पैसे के मुआवजे के भुगतान से संबंधित थी। 5.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर यह स्कीम प्रारंभ में 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी। यह स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

दूरदर्शन का राष्ट्रीय चैनल

4552. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री बृज भूषण शरण सिंह :
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र में दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव स्थागित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) संसाधनों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन की आठवीं योजना के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

कार्ड-पे-फोन सुविधा

4553. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**
श्री बलराज पासी :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कार्ड-पे-फोन सुविधा आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा प्रस्तावित प्रति काल की दर क्या होगी; और

(ग) किन किन स्थानों पर उक्त सुविधा प्रदान की जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोका-कोला और नेस्ले के साथ संयुक्त उद्यम

4554. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोका-कोला और नेस्ले के "रेडी टु ड्रिंक आइस्ट टी" के लिए संयुक्त उद्यम को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्यम को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों में एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन

4555. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान नए एस.टी.डी. और सार्वजनिक टेलीफोन आबंटित किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान आवंटित किए गए एस.टी.डी. युक्त पी.सी.ओ.

क्र. सं.	सर्किल का नाम/मेट्रो जिले	1992-93
1.	आंध्र पदेश	766
2.	असम	201
3.	बिहार	242
4.	गुजरात	2801
5.	जम्मू व कश्मीर	46
6.	केरल	1316
7.	कर्नाटक	788
8.	मध्य प्रदेश	933
9.	महाराष्ट्र	1914
10.	उड़ीसा	276
11.	हरियाणा	397
12.	हिमाचल प्रदेश	125
13.	पंजाब	1642
14.	राजस्थान	1056
15.	उत्तर-पूर्व	41
16.	तमिलनाडु	350
17.	उत्तर प्रदेश	1723
18.	पश्चिम बंगाल	3
मैट्रो जिले		
19.	कलकत्ता	604
20.	मद्रास	471
21.	दिल्ली	1314
22.	बंबई	976

टेलीफोन कनेक्शन

4556. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री गुरुदास कामत :
श्री के. प्रधानी :
श्री साईमन मरांडी :
प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री एस.बी. सिदनाल :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्यवार और श्रेणीवार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये;

(ग) राज्यवार 1993-94 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं;

(घ) प्रतीक्षा सूची के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जानकारी संलग्न विवरण के कालम 3 में दी गई है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण के कालम 4 में दी गई है।

(घ) विभाग की आठवी पंचवर्षीय योजना में, बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि को घटाकर दो वर्ष तक करने और ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में मांग होने पर ही टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	31-3-1994 को प्रतीक्षा-सूची	1993-94 के डीईएल का लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	155426	77000

1	2	3	4
2.	असम	9820	13000
3.	बिहार	35544	27000
4.	गुजरात (दादर, दिऊ, दमन और नागर हवेली स. रा. क्षेत्र सहित)	198808	81000
5.	हरियाणा	67335	41000
6.	हिमाचल प्रदेश	18415	10000
7.	जम्मू एंव कश्मीर	18190	7000
8.	कर्नाटक	165886	62000
9.	केरल (लक्षदीप सं.रा. क्षेत्र सहित)	314442	53000
10.	मध्य प्रदेश	52587	98000
11.	महाराष्ट्र (गोवा राज्य सहित)	341529	156800
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा सहित)	5217	7300
13.	उड़ीसा	4171	26000
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सं. राज्य क्षेत्र सहित)	189462	51000
15.	राजस्थान	162571	62000
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सं. राज्य क्षेत्र सहित)	310992	96700
17.	उत्तर प्रदेश	125496	115000
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम राज्य और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सहित)	68083	93600
19.	दिल्ली	250901	76600

[अनुवाद]

असम में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

4557. **श्री उद्धव वर्मन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान असम सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय राजमर्गों के विकास के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई अथवा उन्हें समीक्षा के लिए वापस भेजा गया; और

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1993-94 में असम सरकार से 90.27 करोड़ रु॰ लागत की 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 4.48 करोड़ रु॰ लागत की 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और 69.55 करोड़ रु॰ के 8 प्रस्तावों को उनकी समीक्षा के प्रयोजन से वापिस भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

निवेश संभावनाओं का पता लगाने के लिए सहायता

4558. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश संभावनाओं का पता लगाने के लिए संगठनों को राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(ख) इन संगठनों द्वारा कितनी संभावनाओं का पता लगाया गया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) मंत्रालय को योजना स्कीम के अंतर्गत, गत दो वर्षों में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययनों/सर्वेक्षणों जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने में मदद मिलने की आशा है के लिए असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित संगठनों को सहायता दी गयी है। तैयार कर ली गयी इनमें से कुछ रिपोर्टों में उन राज्यों में अनाज, दालों और मक्के पर आधारित उत्पादों, खाद्य तेलों, नाश्ता आहार, फल और सब्जी उत्पादों, खुम्बियों, दुग्ध उत्पादों और मांस तथा पाल्ट्री उत्पादों की संभावनाओं का पता चलता है।

[अनुवाद]

गुजरात में डाक एवं तार सेवाएं

4559. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में टेलीफोन, डाक एवं तार सेवाओं में सुधार लाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या 1992-93 और 1993-94 में राज्य में इन सेवाओं से अर्जित राजस्व अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो राज्य में उपरोक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) 1994-95 में डाक, तार और टेलीफोन सेवाओं में कितना सुधार किया जाएगा;

(ङ) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी गांवों में ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) :

तार और टेलीफोन

(क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गुजरात में दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 1992-93 में 130.22 करोड़ रुपये और 1993-94 में 152.67 करोड़ की राशि खर्च हुई।

(घ) प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

तार सेवाएं

निम्नलिखित उपस्कर चालू करने का प्रस्ताव है :-

1.	इलेक्ट्रानिक की बोर्ड कन्सनट्रेटर	– 10
2.	इलेक्ट्रानिक की बोर्ड	– 88
3.	टेलीप्रिण्टर कन्सनट्रेटर	– 4
4.	फार्मेटैड टर्मिनल	– 64
5.	अहमदाबाद में एसएफएमएसएस –128 (इस समय कार्यरत एसएफएमएसएस-64 का उन्नयन किया जायेगा।)	
6.	राजकोट में एसएफएमएसएस	32

दूरसंचार सेवाएं

निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव है :

1. सभी मैक्स-III और कुल 35200 लाइनों वाले मियाद समाप्त कुछेक मैक्स II मैक्स-I एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।
2. 75 नए एक्सचेंज खोलना।

3. निवल सज्जित क्षमता में, 2,38,200 लाइनों की वृद्धि।

4. 1,50,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

5. 200 और केन्द्रों में एसटीडी सेवा का विस्तार। एसटीडी रहित सभी तालुका मुख्यालायों का 1994-95 के दौरान एसटीडी सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

6. शेष 4346 ग्राम पंचायतों गांवों को टेलीफोन सेवा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार सभी 13421 ग्राम पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा सुलभ हो जाएगी।

(ङ) और (च) 31-3-94 की स्थिति के अनुसार, कुल 13,421 ग्राम पंचायत गांवों में से 9075 ग्राम पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। शेष 4346 ग्राम पंचायत गांवों को 1994-95 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है। गुजरात के शेष सभी गांवों में आठवीं योजना के अंत तक टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

डाक

(क) गुजरात में और अधिक विभागीय भवन प्रदान करके, डाक और मेल कार्यालयों में प्रयुक्त उपस्करों की प्रौद्योगिकी का उन्नयन करके स्पीड पोस्ट नेटवर्क आदि के जरिये तेजी से डाक वितरण की व्यवस्था करके, मौजूदा डाक नेटवर्क का विस्तार करने की दृष्टि से डाक सुविधाओं में निरंतर सुधार करने के उपाए किए जा रहे हैं।

(ख) सर्किल ने 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमश 66.51 करोड़ रुपये और 65.057 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इसी अवधि के दौरान सेवा को चलाने में क्रमशः 100.32 करोड़ और 97.85 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

(ग) गुजरात राज्य में वर्ष 1992-93 में डाक राजस्व अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, और 1993 94 से संबंधित जानकारी को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए फिलहाल 1993-94 के संबंध में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तथापि कोई वास्तविक तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि राजस्व, राज्य के क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या, औद्योगिक और कृषि विकास की स्थिति, डाकघरों की संख्या और उस क्षेत्र में डाक से संबंधित कारोबार की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है।

(घ) से (च) गुजरात सर्किल में आठवीं योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान, 56 डाकघर स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 1994-95 के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। गुजरात में 5183 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जहां ऐसी सुविधा विद्यमान नहीं है, अग्रता आधार पर डाक-घरों की व्यवस्था करने की सरकार की नीति के अनुसार इन क्षेत्रों में उत्तरोत्तर रूप से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। बशर्ते संसाधन उपलब्ध हो, योजना आयोग द्वारा लक्ष्यों का निर्धारत किया गया हो और मानदण्डों के अनुसार स्थिति संतोषजनक हो।

विवरण

गुजरात सर्किल और अन्य सर्किलों द्वारा 1992-93 और 1993-94 (फरवरी 1994 तक) अर्जित राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है

(करोड़ रु॰ में)

क्र॰सं॰	सर्किल का नाम	1992-93	1993-94 (फरवरी, 94 तक)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	365.43	404.16
2.	असम	45.52	56.02
3.	बिहार	110.74	111.25
4.	गुजरात	410.26	499.10
5.	हरियाणा	82.89	92.47
6.	हिमाचल प्रदेश	20.38	22.30
7.	जम्मू व कश्मीर	20.32	17.82
8.	कर्नाटक	356.40	430.30
9.	केरल	206.85	248.39
10.	मध्य प्रदेश	195.57	227.84
11.	महाराष्ट्र	386.61	449.39
12.	उत्तर पूर्व	21.96	26.58
13.	पंजाब	214.56	230.00
14.	उड़ीसा	54.94	66.17
15.	राजस्थान	160.14	193.28
16.	तमिलनाडु	264.70	315.33
17.	उत्तर प्रदेश	276.40	312.71

1	2	3	4
18.	पश्चिम बंगाल	41.91	31.61
19.	कलकत्ता जिला	257.90	334.96
20.	मद्रास जिला	267.20	362.44

पंजाब में दूरसंचार परियोजना

4560. **श्री राम कापसे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में दूरसंचार परियोजना स्थापित करने के लिए ड्यूश टेलीपोस्ट कंसल्टिंग गम्बिर ऑफ जर्मनी, फुजित्सू लि॰ ऑफ जापान और वर्गों मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर आने वाली लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को किस स्थान पर स्थापित किए जाने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम ने मार्च, 1994 में एफ॰आई॰पी॰बी॰ को पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम, फुजित्सू लि॰, डेटेकॉन और विर्गों मार्केटिंग लि॰ के एक संघ द्वारा पंजाब में दूरसंचार परियोजना स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

(ख) तीन वर्ष की अवधि में इस परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 1090.24 करोड़ रुपए है जिसमें 261.60 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है।

(ग) यह परियोजना संपूर्ण पंजाब दूरसंचार सर्किल में लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

रबड़ विछायी गयी सड़कें

4561. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में सड़कों पर रबड़ बिछाने की प्रोद्यौगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है;

(ख) क्या ऐसी सड़कें अधिक टिकाऊ तथा सुरक्षित होती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान विंग को ऐसी सड़कों के बारे में जानकारी है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई अनुसंधान किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के रज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) अमेरिका, कनाडा, मलेशिया और सिंगापुर कुछ ऐसे देश हैं, जहां समझा जाता है कि सड़क निर्माण में रबड़ का उपयोग किया गया है। रबड़युक्त आशोधिति बिटुमन में बेहतर गुण पाए जाते हैं।

(घ) से (च) रबड़ और मिश्रण की अन्य सामग्री के उपयोग की अनुसंधान स्कीमें शुरू कर दी गयी हैं।

एक स्कीम, राजमार्ग अनुसंधान केन्द्र, मद्रास और गुजरात इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, बड़ौदरा को जबकि दूसरी स्कीम केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को सौंपी गयी है।

भारत में सोने का सुरक्षित भंडार

4562. **श्री ए. प्रताप साय :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सोने का कितना सुरक्षित भंडार उपलब्ध है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सोने और हीरे का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ग) देश के किन राज्यों में सोना निकाला जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार सोने के खनन के लिए नई तकनीक अमल में लाने का है; और

(ङ) सोने के उत्पादन में लगे सार्वजनिक उद्यमों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उद्यम ने कितना लाभ कमाया ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार 1-4-1993 को प्राथमिक स्वर्ण अयस्क के अखिल भारतीय आधार पर खनन योग्य भंडार लगभग 18 मिलियन टन थे। इनमें कुल स्वर्ण अंश लगभग 67 टन है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण और हीरे का कुल उत्पादन इस प्रकार है :-

	1991-92	1992-93	1993-94 (अनंतिम)
स्वर्ण	2036	1838	2076
हीरा (कैरट)	18213	18752	15768 **

** जनवरी, 1994 तक

(ग) देश में मुख्य रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सोना निकाला जाता है।

(घ) सोने के उत्पादन में लगी कंपनियां समय समय पर अपनी प्रौद्योगिकी और उपकरणों में उपलब्धता और अपने संसाधनों के आधार पर सुधार करती रहती हैं।

(ङ) देश में केवल दो कंपनियां, भारत गोल्ड माइंस लि. (बीजीएमएल) और हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लि. (एचजीएमएल) सोने का प्राथमिक उत्पादन करती हैं। इन कंपनियों के लाभ/हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रु. : लाभ +, घाटा –)

	बीजीएमएल		एचजीएमएल*
1991 92	42.28	+	21.55
1992 93	34.40	+	1.50
1993 94 (अनन्तिम)	35.44	+	5.32

*लाभ केवल सोने उत्पादन से सबंधित।

दूर संचार उपकरणों का बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा आयात

4563. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरसंचार उपकरणों का भारत में ही निर्माण करने के बदले उनको तैयार रूप में ही आयात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या दूर संचार के तैयार मालों के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय निर्माताओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टी.इ.सी. टाइप स्वीकृति, बल्कि उत्पादन स्वीकृति और पर्यावरणीय परीक्षणीय परीक्षणों जैसी कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और इस प्रक्रिया से भारतीय निर्माताओं की परियोजनाएं बिलंबित हो जाती हैं;

(च) यदि हां, तो क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन सभी परीक्षणों से मुक्त हैं; और

(छ) यदि हां, तो कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय निर्माताओं की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा घोषित आयात निर्यात नीति के अनुसार उपभोक्ता दूरसंचार उपस्कर को छोड़कर सभी दूरसंचार उपस्करों के आयात सरकार की बिना किसी अनुमति अथवा लाइसेंस के अनुमत्य है। भारतीय कंपनियां तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां तैयार दूरसंचार उपस्कर का आयात कर सकती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 1-3-94 की अधिसूचना सं. 79/94 के अंतर्गत विशिष्ट तैयार दूरसंचार उपस्कर के आयात पर प्रति संतुलनकारी शुल्क लगाया गया है।

(ङ) दूरसचांर विभाग द्वारा स्वदेशी विनिर्माताओं के उपस्करों का वैधीकरण संबंधी परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन की संबंधी परीक्षण किया जाता है ताकि यह जांच की जा सके कि उपस्कर विनिर्देशनों तथा गुणवत्ता के अनुरूप है। ये परीक्षण यथा-संभव कम-से-कम समय में किए जाते हैं।

(च) दूरसंचार विभाग द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों का भी वैधीकरण परीक्षण किया जाता है। तथापि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नई प्रौद्योगिकी वाले स्विचन उपस्करों की गुणवत्ता आश्वासन संबंधी कोई परीक्षण नहीं किया गया है। इन उपस्करों का गुणवत्ता संबंधी परीक्षण तब किया जाएगा, जब इनकां उत्पादन भारत में किया जाएगा।

(छ) बढ़िया उत्पादों के लिए कारखानों में गुणवत्ता आश्वासन संबंधी परीक्षण करने की मौजूदा प्रक्रिया अनिवार्य है और इस प्रक्रिया को विनिर्माताओं के लिए कोई समस्या नहीं माना जा सकता।

नये आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

4564. **श्री हरिन पाठक :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में नये आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर गुजरात में किन-किन स्थानों पर इन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में स्थापित किए जा रहे नये आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

क्रम सं.	स्थान	राज्य
1.	2.	3.
1.	जीरो	अरुणाचल प्रदेश
2.	कोकडा झाड़	असम
3.	तेजपुर	असम

1	2	3
4.	दिपू	असम
5.	भूभरी	असम
6.	धनबाद	बिहार
7.	जूनागढ़	गुजरात
8.	हिसार	हरियाणा
9.	किन्नौर	हिमाचल प्रदेश
10.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश
11.	भदरावाह	जम्मू तथा कश्मीर
12.	कारगील	जम्मू तथा कश्मीर
13.	पुंछ	जम्मू तथा कश्मीर
14.	बीजापुर	कर्नाटक
15.	नासिक	महाराष्ट्र
16.	ओसमानाबाद	महाराष्ट्र
17.	चुराचांदपुर	मणिपुर
18.	जोबई	मेघालय
19.	लुंगलेह	मिजोरम
20.	सईहा	मिजोरम (अभी अनुमोदित होना है)
21.	मोककचुंग	नागालैण्ड
22.	राऊरकेला	उड़ीसा
23.	पुरी	उड़ीसा
24.	जोरांडा	उड़ीसा
25.	माऊंट आबू	राजस्थान
26.	ऊटकर्मड	तमिलनाडु
27.	कोडईकनाल	तमिलनाडु

1	2	3
28.	तूतीकोरीन	तमिलनाडु
29.	लोंगथेरई	त्रिपुरा
30.	चमोली	उत्तर प्रदेश
31.	पौड़ी/श्रीनगर	उत्तर प्रदेश
32.	पिथोरागढ़	उत्तर प्रदेश
33.	उत्तरकाशी	उत्तर प्रदेश
34.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
35.	मसूरी	उत्तर प्रदेश
36.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल
37.	मालदाह	पश्चिम बंगाल
38.	दार्जिलिंग	पंश्चिम बंगाल
39.	दमन (डी.डी.)	संघ शासित प्रदेश
40.	कराइकल (पांडिचेरी)	संघ शासित प्रदेश

दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4565. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग के कर्मचारियों ने सरकार द्वारा उनकी मांगें पूरी न किये जाने की स्थिति में शीघ्र ही हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हड़ताल को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं। तथापि राष्ट्रीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ और इससे सहबद्ध यूनियनों (जो मान्यता प्राप्त सेवा संघ नहीं हैं) ने सूचित किया है कि यदि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है, तो एम.टी.एन.एल. के कर्मचारी 26-4-94 से अनिश्चित कालीन टूल डाउन हड़ताल करेंगे।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रस्तुत मांगों की जांच की गई और नियमों के ढांचे के भीतर यथासंभव सीमा तक आवश्यक कार्रवाई की गई है। प्रस्तावित हड़ताल का बिल्कुल औचित्य नहीं है।

(ग) एम.टी.एन.एल. में होने वाली हड़ताल को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) मांगों की जांच की गई है और नियमों के तहत व्यवहार्य यथासाध्य कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने एन.टी.एस.एफ. को मांग की प्रत्येक मद पर स्थिति से अवगत करा दिया है।

(ii) एम.टी.एन.एल. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने एन.टी.एस.एफ. के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और मांग की प्रत्येक मद की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने आंदोलन समाप्त करने की भी अपील की है।

(iii) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने औद्योगिक विवाद अधिनिमय के तहत समझौते की कार्यवाही शुरू कर दी है।

(iv) संचार राज्य मंत्री ने 18-4-94 को सेवा संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की है। उन्हेांने उनकी मांगों पर ध्यान देने का आश्वासन देते हुए उनसे हड़ताल वापस लेने की अपील की।

[हिन्दी]

विदेशी प्रचार माध्यम

4566. **श्री मोहन सिंह** (फिरोजपुर) : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी प्रचार माध्यम फिल्मों, सीरियलों और समाचारों आदि के प्रसारण को नियंत्रित करने वाली भारतीय कानूनों की उपेक्षा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) उपग्रह के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले विदेशी टेलीविजन नेटवर्क कार्यक्रमों की विषय-वस्तु भारत सरकार के विनियमों की परिधि के अन्तर्गत नहीं आती।

(ख) मुख्य रूप से स्वस्थ भारतीय कार्यक्रम प्रदान करने हेतु दूरदर्शन के उपग्रह चैनलों पर कार्यक्रमों में कई परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि दर्शकों की रुचि को बनाए रखा जा सके।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

4567. **श्री विलासराव नागनाथराव गून्डेवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के किन-किन हिस्सों के प्रकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त होने की संभावना है; और

(ख) इन्हें प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई ऐसा विशिष्ट खंड नहीं है जो प्राकृतिक विपदाओं के कारण प्रायः क्षतिग्रस्त होता हो। तथापि बाढ़ आदि के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले खंड़ों की, रख-रखाव के लिए उपलब्ध निधियों में से मरम्मत की जाती है।

विदेशी फर्मों द्वारा अनारक्षित खनिजों का खनन

4568. **श्री बलराज पासी :**
श्री सत्य देव सिंह :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज नीति (1993-94) में नीतिगत परिवर्तनों और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधनों का भारत में खनन कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) खनन कंपनियों में विदेशी अंशधारिता में छूट देने के मुख्य प्रयोजन क्या हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, अब सभी परमाणु तथा गैर ईंधन खनिजों, का दोहन निजी क्षेत्र द्वारा भी किया जा सकता है और इन कुछ खनिजों जिनका विदोहन केवल सरकारी क्षेत्र द्वारा ही किया जाना था अब इसे दूर कर दिया गया है। इसी प्रकार संयुक्त क्षेत्र की कंपनियेां के मामले में विदेशी भागीदारेां द्वारा पूंजी भागीदारी पर हाल ही की पाबन्दियों में छूट दे दी गई है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा-1 के परिणाम के अनुसार, किसी भी कंपनी को खनन अधिकार दिया जा सकता है।

(ख) उपरोक्त परिवर्तनों का आशय निवेश को तथा खनिज क्षेत्र में नवीनतम तकनीक को आकर्षित करना है ताकि देश में खनिज विकास में गति लाई जा सके।

[अनुवाद]

गुजरात में पथकर की उगाही

4569. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन से पथ कर के रूप में गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितना राजस्व एकत्रित किया गया; और

(ख) इस राजस्व में से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के विकास और रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख)

सड़क पर किसी राज्य में अथवा पूरे देश में वाहन चलने के लिए एक विशिष्ट अवधि के लिए वसूल किया जाता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के आधार पर वसूल नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नेताओं पर मोनोग्राफ

4570. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग ने किन किन राष्ट्रीय नेताओं पर मोनोग्राफ प्रकाशित किए हैं;

(ख) बिहार के किन-किन नेताओं पर मोनोग्राफ प्रकाशित किए गए हैं;

(ग) क्या नेताओं के मोनोग्राफ प्रकाशित करने में कोई पक्षपात बरता गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) अद्यतन स्थिति के अनुसार प्रकाशन प्रभाग ने महान भारतीय व्यक्तियों पर 85'' जीवनचरित प्रकाशित किए हैं जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) (1) डा. राजेन्द्र प्रसाद

(2) श्री सच्चिदानन्द सिन्हा

(3) श्री कृष्ण सिंह

(4) श्री मजहरूल हक

लोक नायक जय प्रकाश नारायण और बाबू जगजीवन राम के जीवनचरित्रों का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन महान भारतीय व्यक्तियों के नामों को दर्शाने वाली सूची जिनके जीवन चरित्र सूचना और प्रसारण मंत्रलाय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित किए गए हैं

1	2
1.	अबुल कलाम आजाद
2.	ऐनी बेसन्ट
3.	आशुतोष मुखर्जी

1	2
4.	अन्नादा के॰ कुमार स्वामी
5.	बदरूद्दीन तियाब्जी
6.	बंकिम चन्द्र चटर्जी
7.	भुलाभाई देसाई
8.	बी॰आर॰ अम्बेडकर
9.	विपिन चन्द्र पाल
10.	सी॰ शंकरानन नायर
11.	चार्ल्स फ्रीर आन्द्रेज
12.	सी॰वी॰ रमन
13.	सी॰ सुब्रमणियम अय्यर
14.	दादाभाई नौरोजी
15.	देशबंधु चित्तरंजन दास
16.	देशप्रिय जतिन्द्र मोहन सैन गुप्ता
17.	देवन रंगाचारलु
18.	धोंधो केशव कर्वे
19.	देवन शेषाद्री अय्यर
20.	गोपाल कृष्ण गोखले
21.	गांधी : हीज लाइफ एण्ड थॉट
22.	गोपीनाथ बारडोलोइ
23.	गणेश शंकर विद्यार्थी
24.	गंगाधर राव देशपाण्डे
25.	जी॰वी॰ मावलंकर
26.	हकीम अजमल खान
27.	हनुमान प्रसाद पोद्दार
28.	इंदिरा गांधी

1	2
29.	ज्योती प्रसाद अग्रवाल
30.	ईश्वर चन्द्र विद्यासागर
31.	जगदीश चन्द्र बोस
32.	जमनालाल बजाज
33.	जमशेदजी टाटा
34.	जवाहरलाल नेहरू
35.	कस्तूरी रंगा अयंगर
36.	के॰ कामराज
37.	के॰एम॰ मुंशी
38.	कंदुकुरी वीरसालिंगम
39.	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
40.	लाल बहादुर शास्त्री
41.	लाजपत राय : लाईफ एण्ड वर्क
42.	एम॰आर॰ जयाकर
43.	एम॰ विश्वेसवरैया
44.	मदन मोहन मालवीय
45.	महादेव गोविन्द रानडे
46.	मझहरूल हक
47.	मोतीलाल नेहरू
48.	मैडम भीकाजी कामा
49.	डा॰ एन॰एस॰ हरदिकर
50.	एन॰वी॰ गाड़गिल
51.	पट्टाभी सितारामैया
52.	पी॰एस॰ शिवस्वामी अय्यर
53.	फिरोजशाह मेहता

1	2
54.	आर॰एन॰ टैगोर
55.	रामानन्दा चैटर्जी
56.	रफी अहमद किदवई
57.	राजा राममोहन राय
58.	राजेन्द्र प्रसाद
59.	रोमेश चन्द्र दत्त
60.	सरोजिनी नायडू
61.	सईद अहमद खान
62.	एस॰ श्रीनिवासा अयंगर
63.	सच्चिदानन्द सिन्हा
64.	सुभाष चन्द्र बोस
65.	एस॰ सत्या मूर्ति
66.	सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी
67.	स्वामी विवेकानन्द
68.	श्री अरबिन्दो
69.	स्वामी दयानन्द सरस्वती
70.	सरदार वल्लभभाई पटेल
71.	ठक्कर बाबा
72.	तेलो दे मकरेंहस
73.	तेज बहादुर सप्रू
74.	यू टिरोट सिंह
75.	वी॰एस॰ श्रीनिवास शास्त्री
76.	विठ्ठलभाई पटेल
77.	वी॰के॰ कृष्ण मेनन
78.	वी॰ओ॰सी॰ पिल्लई

1	2
79.	विनोबा भावे
80.	केशव चन्द्र सेन
81.	श्री कृष्ण सिंह
82.	गोविन्द वल्लभ पंत
83.	आचार्य नरेन्द्र देव
84.	काकासाहेब कालिलकर
85.	एस. राधा कृष्णन

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन केन्द्र और स्टूडियो

4571. **श्री हारांधन राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन केन्द्र और स्टूडियो की स्थापना करने का है;

(ख) क्या राज्य के वर्तमान दूरदर्शन केन्द्रों और स्टूडियो का विस्तार करने का भी कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र के दूसरे चैनल हेतु स्टूडियो-निर्माण के अलावा, राज्य में दो कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र तथा भिन्न-भिन्न शक्तियों के सात ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापना किए जाने हेतु परिकल्पित हैं। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर वर्तमान 95.4 प्रतिशत क्षेत्र तथा 96 प्रतिशत जनसंख्या कवरेज बढ़कर राज्य की 99 प्रतिशत जनसंख्या और क्षेत्र से अधिक हो जाने की आशा है।

खाड़ी देशों के साथ आर्थिक संबंध

4572. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाड़ी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने की संभावनाओं का पता लगाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और औमान ने एक व्यापार सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसमें समूचे खाड़ी क्षेत्र के कार्यक्षम उद्यमियों के भाग लेने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) सरकार बराबर खाड़ी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने की संभावनाओं का पता लगाती रहती है।

(ख) संयुक्त आर्थिक आयोगों की बैठकें/समितियां तथा आर्थिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान से संबद्ध कदम उठाए जाते हैं, जिनमें आर्थिक संबंधों की समीक्षा की जाती है। और पारस्परिक हित के प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है।

(ग) और (घ) जी हां, मस्कत (ओमान) में संयुक्त रूप से एक सेमीन्मर आयोजित करने का प्रस्ताव था परन्तु वह परस्पर सहमति से स्थापित कर दिया गया था।

केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि

4573. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि प्रस्ताव के कार्यान्वयन का प्रश्न जिस दल को सैंपा गया है। उसके सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) यह दल इस मामले पर कब तक अंतिम निर्णय ले लेगा ?

जल-भूतल पविहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मंत्री दल का गठन निम्न प्रकार है :-

(1) श्री प्रणव मुखर्जी,
उपाध्यक्ष, योजना आयोग।

(2) श्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री।

(3) श्री विद्याचरण शुक्ल, जल संसाधन तथा संसदीय कार्य मंत्री।

(4) श्री जगदीश टाईटलर, जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री।

(5) कैप्टन सतीश शर्मा, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री।

(6) श्री एच.आर. भारद्वाज, विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य राज्य मंत्री।

(ख) सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने का समय बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में दूरसंचार कर्मचारियों हेतु आवास

4574. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूरसंचार कर्मचारियों हेतु पर्याप्त संख्या में आवासों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कर्मचारियेां के आवासों की वर्तमान संख्या उनकी आवश्यकता से कितनी कम है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रर्याप्त संख्या में क्वार्टरों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) (1) दूरसंचार विभाग-जी हां।

(2) महानगर टेलीफोन नि. लि.-जी नहीं।

(ख) (1) दूरसंचार विभाग-लागू नहीं।

(2) महानगर टेलीफोन निगम लि.-विभाग का लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अंत तक कुल मिलाकर 14 प्रतिशत संतुष्टि स्तर प्राप्त करने का है। इस आधार पर 2268 क्वार्टरों की कमी है।

(ग) संतुष्टि स्तर सुधारने के लिए दूरसंचार विभाग प्रयास कर रहा है। महानगर टेलीफोन निगम लि. भी निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हए्ु क्वार्टरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उपर्युक्त प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

4575. **श्री वी. धनंजय कुमार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कार्यरत दूरदर्शन और आकशवाणी केन्द्रों की संख्या क्या है और दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रवार आवृत्ति क्या है;

(ख) प्रत्येक दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र द्वारा कितने क्षेत्रों में प्रसारण किया जाता है;

(ग) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान कर्नाटक में नए दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) क्षेत्रीय सेवा के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में क्षेत्रीय कार्यक्रम पहले से ही आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारित तथा दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा टेलीकास्ट किए जा रहे हैं।

विवरण

कर्नाटक राज्य में कर रहे आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों के ब्यौरे

दूरदर्शन

क्रम स.	स्थान	आवर्तिता/बैड तथा चैनल	कवर किया गया क्षेत्र वर्ग कि.मी. में
1	2	3	4
1.	बंगलौर	वी.एच.एफ./05	120
2.	धारवाड़	वी.एच.एफ./11	120
3.	शिमोगा	वी.एच.एफ/09	120
4.	गुलबर्गा	वी.एच.एफ./07	60
5.	अथानी	वी.एच.एफ/08	25
6.	बागलकोट	यू.एच.एफ/12	25
7.	बन्टवाल	यू.एच.एफ/30	15
8.	बेलगाम	वी.एच.एफ./09	25
9.	बेल्लारी	वी.एच.एफ./08	25
10.	बीदर	वी.एच.एफ./09	25
11.	बीजापुर	वी.एच.एफ./10	25
12.	चिकमगलूर	वी.एच.एफ./07	25
13.	चित्रदुर्गा	वी.एच.एफ./10	25
14.	चिकोडी	यू.एच.एफ./21	15
15.	दावनगेरे	वी.एच.एफ./7	25
16.	गड़ग बेतगिरी	वी.एच.एफ./05	25
17.	हस्सन	वी.एच.एफ./12	25
18.	हासपेट	वी.एच.एफ./10	25

1	2	3	4
19.	कारवार	वी.एच.एफ./10	25
20.	कोलार गोल्ड फील्ड	यू.एच.एफ./31	15
21.	मण्डया	वी.एच.एफ./25	25
22.	मंगलौर	वी.एच.एफ./8	25
23.	मेडीकेर	वी.एच.एफ./11	25
24.	मैसूर	वी.एच.एफ./9	25
25.	रायचूर	वी.एच.एफ./6	25
26.	रानी बेन्नूर	यू.एच.एफ./21	15
27.	सन्दूर	वी.एच.एफ./6	25
28.	सिरसी	यू.एच.एफ./34	15
29.	तिप्तुर	वी.एच.एफ./8	25
30.	उडुपी	वी.एच.एफ./6	25

आकाशवाणी

क्र.सं.	स्थाना	आवर्तिता		कवर किए गए क्षेत्र वर्ग मी. में
1	2	3		4
1.	भद्रावती	1359	किलोहर्टज	13300
2.	धरवाड	765	"	122600
		1350	-	4700
3.	गुलबर्गा	1107	"	19400
4.	मंगलौर/उडीपी	1332	"	800
		1089	"	2400
5.	मैसूर	1017	"	2300

1	2	3		4
6.	बंगलौर	612	किलोहर्टज	127900
		675	"	5600
7.	हास्पेट	100,5	मेघाहर्टस	11300
8.	हासन	102.2	"	11300
9.	चित्रदुर्ग	102.6	"	11300
10.	रायचूर	102.1	"	11300
11.	मर्कारा	103.1	"	2800
12.	कारवार	102.3	"	2800

फिल्मों का प्रमाणीकरण

4576. **श्री रूप चन्द पाल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों की कुल कितनी (विदेशी, भारतीय, फीचर और संक्षिप्त) फिल्में प्रमाणीकृत की गयीं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड की कितनी बैठकें हुईं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1991 से 1993 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की दो बैठकें हुई थीं।

विवरण

1991 से 1993 के दौरान प्रमाणित फिल्मों (सैल्युलायड) की संख्या

क्र.स.	वर्ग	प्रमाणित फिल्मों की संख्या														
		1991					1992					1993				
		अ	अव्य	व्य	एस	कुल	अ	अव्य	व्य	एस	कुल	अ	अव्य	व्य	एस	कुल
1.	भारतीय फीचर फिल्में	615	94	201	–	910	611	88	137		836	609	79	124	–	812,
2.	विदेशी फीचर फिल्में	40	10	74	--	124	20	12	48	–	80	32	22	120	–	174
3.	भारतीय लघु फिल्में	1088	7	17	1	1113	878	6	11	–	895	836	34	41	–	911
4.	विदेशी लघु फिल्में	187	–	23		210	80	11	25	–	116	77	23	75	–	175
	कुल	1930	111	315	1	2357	1589	117	221	–	1927	1554	158	360	–	2072

टिप्पणी :

"अ" प्रमाण पत्र अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन

"व्य" प्रमाणपत्र व्यस्कों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित

"अव्य" प्रमाणपत्र अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बशर्ते कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को माता–पिता का मार्गदर्शन हो।

"एस" प्रमाणपत्र डाक्टरों आदि जैसे विशिष्ट दर्शकों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित।

[हिन्दी]

डाक-तार कार्यालय

4577. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में डाक-तार कार्यालय खोलने के क्या लक्ष्य निर्धारित किये थे;

(ख) क्या उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) **डाकघर :** सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5350 डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी तुलना में 4305 डाकघर मंजूर किए गए थे।

(क) तारघर : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में तारघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(ख) से (घ) **तारघर :** उपर्युक्त 'क' को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता जब परियात संबंधी औचित्य पाया जाता है, तब मांग के आधार पर तारघर खोले जाते हैं।

(घ) **डाकघर :** जनवरी, 1984 से पदों के सृजन की प्रक्रिया में परिवर्तन हो गया था और ऐसे पदों के सृजन के लिए अंतः मंत्रालीय परामर्श शामिल हो गया था। परिणामस्वरूप सातवीं योजना अवधि के दौरान, जितने डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उतने डाकघर नहीं खोले नहीं जा सके।

डाकघर :

(ङ) और (च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3600 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 650 विभागीय उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 1992-93 और 1993-94 के संबंध में लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

तारघर :

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तारघर खोलने के लिए उपर्युक्त (क) के समान कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

तारघर :

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तारघरों के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान डाकघर खोलने का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र॰ सं॰	सर्किल का नाम	लक्ष्य 1992-93		मंजूर किए गए 1992-93		लक्ष्य 1993-94		मंजूर किए गए 1993-94	
		शाखा डाक घर	उप-डाक घर	शाखा डाक घर	उप-डाक घर	शाखा डाक घर	उप-डाक घर	शाखा डाक घर	उप-डाक घर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	19	5	6	9	17	5	10	7
2.	असम	27	3	27	3	25	3	26	6
3.	बिहार	70	8	70	3	90	8	90	2
4.	दिल्ली	शून्य	5	-	9	-	6	-	8
5.	गुजरात	25	5	30	5	20	8	15	5
6.	हरियाणा	10	3	10	4	10	5	16	5
7.	हिमाचल प्रदेश	15	1	15	1	15	2	90	2
8.	जम्मू व कश्मीर	5	1	5	-	5	1	23	1
9.	कर्नाटक	15	5	15	7	15	6	15	8
10.	केरल	10	3	15	7	20	3	30	5
11.	महाराष्ट्र	55	10	62	20	80	5	80	19
12.	मध्य प्रदेश	55	5	55	7	35	11	30	5
13.	उत्तर प्रदेश	35	5	35	1	40	4	40	4
14.	उड़ीसा	40	5	40	8	35	4	41	4
15.	पंजाब	10	3	10	3	10	3	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	राजस्थान	60	6	60	9	30	5	30	5
17.	तमिलनाडु	14	7	10	5	10	4	8	4
18.	उत्तर प्रदेश	75	10	100	11	93	12	93	13
19.	पश्चिम बंगाल	60	10	70	4	50	5	20	2
	योग	600	100	635	116	600	100	664	112

अवैध टेलीफोन एक्सचेंज

4578. **श्री एन.के. बालियान :**
श्री सत्य देव सिंह :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री मोहन रावले :
श्री तारा सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में कार्यरत किसी अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पता चला था जैसा कि 18 मार्च, 1994 के "स्टेटमैन" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ लोगों के समूह ने हनुमान रोड, नई दिल्ली स्थित परिसरों में टेलीफोन कनेक्शन लिए थे और उन्होंने इन टेलीफोन लाइनों का कम दर पर अंतर्राष्ट्रीय काल कराने के लिए इस्तेमाल किया था। मीटरों के साथ छेड़-छाड़ की गई जिसके कारण इन लाइनों पर की गई कालों के बिल नहीं आए। संदेहास्पद टेलीफोन लाइनों को निगरानी में रखा गया, इन टेलीफोन लाइनों पर की गई कालों के प्रिंट आउट का अध्ययन किया गया और संदेहास्पद स्थानों की निगरानी रखी गई। तत्पश्चात् 16-2-1994 को छापा मारा गया और रैक्तैव का पता लगाया गया। जालसाजों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की आगे जांच की जा रही है।

(ग) यद्यपि सरकार को हानि हुई है, परन्तु इस हानि की राशि का सही सही आकलन करना संभव नहीं है।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के संदिग्ध रूप से संलिप्त चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

कोचीन पत्तन में मट्टनचेरी बांध

4579. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में मट्टनचेरी बांध सुरक्षा/गारंटी अवधि पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय बांध किस स्थिति में है;

(ग) क्या पुराने पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1938 में निर्मित मट्टन चेरी पुल का आर्थिक कार्यकाल पूरा हो गया है।

(ग) और (घ) कोचीन पत्तन द्वारा मट्टनचेरी पुल के पुनर्निर्माण किए जाने का प्रश्न केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

4580. **डा. साक्षीजी** :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रमों के अन्तर्गत किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता। बहरहाल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/अपग्रेडिंग के लिए इस मंत्रालय की विकासात्मक योजना स्कीमों के तहत राज्य सरकारों (और संघ राज्य क्षेत्रों) के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक एजेंसियों/सयुंक्त क्षेत्र आदि को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय को विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत तब तक आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोआ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप आदि राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

आकाशवाणी

4581. **श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकार, जिला परिषदों और अन्य संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने तथा उन्हें चलाने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान आकाशवाणी का विचार कितने स्थानीय आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने का था और उनमें से कितने केन्द्रों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है; और

(घ) आकाशवाणी के शेष केन्द्र तक कार्य करना आरंभ कर देंगें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान, देश में 73 स्थानीय रेडियो केन्द्रों को स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई थी जिनमें से अब तक 57 केन्द्र चालू कर दिए गए हैं।

(घ) शेष 16 रेडियो केन्द्रों के आठवीं योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम, मुम्बई में कुछ क्षेत्रों का शामिल किया जाना

4582. **श्री राम नाईक :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विरार से पनवेल तक मुम्बई महानगर के सम्पूर्ण क्षेत्र को महानगर टेलीफोन निगम के अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र

4583. **श्री वी. कृष्णा राव :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड कर्नाटक द्वारा 1987-88 से 1993-94 तक उठाए गए घाटे अथवा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : वर्ष 1987-88 से 1992-93 तक विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को निम्नलिखित हानि हुई :

वर्ष	हानि (करोड़ रुपये)
1987-88	24.40
1988-89	26.48
1989-90	3.14*
1990-91	1.50*
1991-92	1.69
1992-93	9.79
1993-94	लेखाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

*"सेल" कर्नाटक सरकार और भारत सरकार में वी.आई.एस.एल. को अविगृहित करने के संबंध में परस्पर किए गए करार के रूप में उसे दिए गए मुख्यतः लम्बी अवधि के ऋणों पर ब्याज में माफी, कार्यरत पूंजीगत ऋण पर ब्याज में कमी और अन्य लाभ/रियायतों को पहले की अवधि को समायोजित करने से संबंधित मुद्दे का ध्यान में रखे बिना।

मेघालय में राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति

4584. **श्री पीटर जी मरबनिआंग** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल कितनी लम्बाई है;

(ख) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के वे कौन-कौन से हिस्से हैं जो भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं; और

(ग) इनको प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 472 कि.मी.

(ख) रा.रा. 40 का 108 कि.मी. से 118 किलोमीटर तक का खंड, रा.रा. 44 का 64 से 168 किलोमीटर तक का खंड और रा.रा. 51 का 118 किलोमीटर से 122 किलोमीटर तक का खंड भारी बारिश के कारण क्षति-बहुल खंड बताए गए हैं।

(ग) आवश्यकतानुसार पुश्ता दीवार, मिट्टी का बांध और नालियां/पारगमन जल निकास के निर्माण जैसे बचाव कार्य किए जाते हैं, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम

4585. **श्री रामकृष्ण कोंताला :**
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम गत कई वर्षों से घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने के लिए हाल ही में कुछ उपाय किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में अण्डमान और निकोबार प्रशासन से एक यात्री और माल पोत बनाने का ठेका मिला है;

(च) यदि हां, तो इसके मूल्य, पोत की यात्री क्षमता, निर्माण पूरा होने की अवधि सहित इस ठेके का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त ठेके से हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने में मदद मिलेगी; और

(ज) यदि हां, तो कितनी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई हानि नीचे दर्शाई गई है :

(करोड़ रुपये)

	निवल	प्रचालनात्मक
1990-91	78.35	20.99
1991-92	103.99	19.49
1992-93	113.58	19.45

(ग) जी, हां।

(घ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए अभी हाल ही में निम्नलिखित प्रयास किए गए है :

(i) जहाज निर्माण उद्योग के लिए राहतों को एक संशोधित पैकेज को, जिसमें एक संशोधित मूल्य निर्धारित फार्मूला, भारतीय यार्डों को आदेश देने वाली नौवहन

कम्पनियों के लिए आसान शर्तों पर ऋण इत्यादि शामिल है, दिनांक 8-9-1993 को मंजूरी दी गई।

(ii) भारतीय नौवहन निगम के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित/निर्माणाधीन तीन बल्क कैरियर्ज के कुल मूल्य को 62 करोड़ रुपये से संशोधित करके 160.00 करोड़ रुपये किए जाने को दिनांक 27-1-1994 को स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ङ) जी, हां।

(च) दिनांक 11-3-1994 को हि.शि.लि. ने अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक यात्री व कार्गो जहाज के लिए एक ठेके पर हस्ताक्षर किए जिसे ठेके की तारीख से 34 महीने के भीतर डिलीवर किया जाना है। सरकारी सब्सिडी सहित इस जहाज की लागत 194.37 करोड़ रुपये है। यह जहाज 1200 यात्री तथा 1500 टन कार्गो ले जा सकता है।

(छ) जी, हां।

(ज) आशा है कि अगले तीन वर्षों में यार्ड के ऊपरी खर्च में लगभग 63.00 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

भारत और पाकिस्तान के बीच जनसंपर्क

4586. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1994 के "स्टेटमैन" में "इडोपाक कोल्डवार टेम्स इट्स टॉल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें मामले के क्या तथ्य प्रकाशित हुए हैं;

(ग) क्या इन देशों के लोगों को परस्पर संबंध स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खेद है कि पाकिस्तान ने एक प्रतिबन्धक वीजा प्रणाली अपनायी है जिसमें भारतीय राष्ट्रिकों के सभी वीजा आवेदनों की पूर्व-साक्ष्यांकन करने की व्यवस्था भी शामिल है। दिसम्बर, 1992 में पाकिस्तान के एकतरफा निर्णय के परिणामतः भारत के प्रधान कोंसलावास, करांची के कर्मचारियों की संख्या 64 से घटाकर 20 कर दी गई थी। कराची में भारत के प्रधान कोंसलावास राष्ट्रिकों के वीजा अनुरोधों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने में बाधा आयी है और इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों से लोगों के सम्पर्क करने में कमी आयी है। इसके आलावा, पाकिस्तान की सरकार ने दिसम्बर, 1992 में अपने राष्ट्रिकों को एक यात्रा सलाह जारी की थी जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे भारत की यात्रा न करें।

(घ) सरकार ने पाकिस्तान को सुझाव दिया है कि वह भारत पाकिस्तान संयुक्त आयोग और उसके उप-आयोगों की शीघ्र बैठकें बुलायें जिसमें उप आयोग IV की बैठक भी शामिल है जो वीजा और कोंसली मामलों को देखता है।

सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि कराची स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास के कार्मिकों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी जाए। पाकिस्तान ने हमारे इस अनुरोध को नहीं माना है।

सरकार को पाकिस्तान के नकारात्मक दृष्टिकोण पर खेद है और उसने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह भारत पाकिस्तान वीजा करार, 1974 का पालन करें जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सहज यात्रा का प्रावधान है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

4587. **श्री अनंतराव देशमुख** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1496 पी॰सी॰ओ॰ संस्थापित किए गए हैं।

(ख) और (ग) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10 किलोमीटर की दूरी पर एस॰टी॰डी॰ युक्त सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने संबंधी आदेश विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ताप विद्युत संयंत्र

4588. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन किन विदेशी कम्पनियों ने कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) इस संबंध में राज्यवार विशेष रूप से मध्य प्रवेश का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) कंपनियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने बताया है कि विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रण संबंध मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में दो विदेशी कंपनियों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नवत है :

क्र. सं.	विदेशी कंपनी का नाम	परियोजना जिसके लिए आवेदन किया गया है
1.	एस.टी. पातर सिस्टम इनकारपोरेटिड यू.एस.ए.	1. 1×500 मे.वा. कोरबा पश्चिम टी.पी.पी., जिला बिलासपुर
		2. 1×250 मे.वा. कोरबा पूर्वीतट टी.पी.पी., जिला बिलासपुर
2.	मे.सी.एम.एस. जनरेशन कंपनी यू.एस.ए.	1. 1×500 मे.वा. रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना, जिला रायगढ़
		2. 1×500 मे.वा. कोरवा पश्चिमतट टी.पी.पी., जिला बिलासपुर
		3. 1×250 मे.वा. कोरबा पूर्वीतट ताप दिद्युत परियोजना जिला बिलासपुर

विवरण

ऐसी कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा जिनमें विदेशी निजी कम्पनियों द्वारा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है

क्र. सं.	परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मे.वा.)	अनंतिम लागत अनुमान (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	विशाखापट्टनम टीपीएस/आन्ध्र प्रदेश	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2×500) (कोयला)	3000.00	अशोक लीलैण्ड एण्ड नेशनल पावर (यू.के.)
2.	लिगनाईट आधारित टीपीएस/ गुजरात	विदेशी	250.00 (लिगनाइट)	875.00	आयजनबर्ग ग्रुप ऑफ कंपनी इजरायल
3.	हिसार टीपीएस/हरियाणा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1000.00	कांजेंट्रिक्स इन्क. यूएसए
4.	यमुना नगर टीपीएस/हरियाणा	विदेशी	1000.00 (4×250) (कोयला)	3500.00	आयजुनबर्ग ग्रुप ऑफ कं. इजरायल
5.	मंगलौर टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी	1000.00 (कोयला)	5088.00	कांजेट्रिक्स इन्क. यूएसए

1	2	3	4	5	6
6.	मंगलौर टीपीएस/कर्नाटक	भारतीय/विदेशी	300.00 (कोयला)	900.00	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नेशनल पावर (यूके)
7.	होस्पैट टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी	500.00 (1×500) (कोयला)	1350.00	हॉक इन्टरकोंटिनेंटल लिमिटेड यूएसए
8.	रायचूर चरण–5 टीपीएस/ कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	500.00 (2×250) (कोयला)	1000.70	पब्लिक पावर इन्ट., इन्क. (नार्थ ईस्ट एनर्जी) यूएसए, कर्नाटक पावर कारपोरेशन
9.	थिक्कारीपुर टीपीपी/केरल	विदेशी	420.00 (2×210) (कोयला)	1480.00	एम.ए.एल.–मजरूई जेन. ट्रेडिंग ईस्ट यूएई स्पैक्ट्रम पावर कंपनी, यूएसए
10.	खापरखेड़ा टीपीएस यूनिट 5 एवं 6 महाराष्ट्र	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1632.00	अरान्को लाइन शिपिंग कंपनी (माल्टा/सिंगापुर) आर आर असोसिएट्स
11.	उमरेव टीपीएस/महाराष्ट्र	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (कोयला)	3000.00	इस्पात एलॉयज लिमिटेड/मित्सुई (जापान)
12.	तलचेर टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1500.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजिज, यूएसए

13. कामलांगा (थांकनाल टीपीएस) उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1500.00	इन्टरनेशनल इक्विटी पार्टनर्स, एल॰पी॰, यूएसए
14. इब घाटी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	420.00 (2×210) (कोयला)	2025.60	एईएस कारपोरेशन, यूएसए
15. इब घाटी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	3000.00 (2×250) (कोयला)	10500.00	आयजनवर्ग ग्रुप ऑफ कंपनी नार्थ ईस्ट एनर्जी सर्विसेज कंपनी यूएसए/उड़ीसा सरकार
16. डुबरी टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी/भारतीय	500.00 (2×250) (कोयला)	1548.00	कलिंगा पावर कारपोरेशन नार्थ ईस्ट एनर्जी सर्विसिज़ इन्क. यूएसए/उड़ीसा सरकार
17. लापांगा टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	पायोनीयर एनर्जी कं॰ एंजीनियरिंग सर्विसेज, यूएसए
18. बरसिंगसर टीपीएस/राजस्थान	विदेशी	240.00 (2×120) (लिग्नाइट)	585.73	कौलमैन एण्ड एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियन कन्सोर्टियम)
19. कुड्डालूर टीपीएस/तमिलनाडु	विदेशी	1000.00 (2×500) (कोयला)	2000.00	इन्टरनेशनल कंट्राक्टिंग एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन यूएसए

1	2	3	4	5	6
20.	जीरो यूनिट (एनएलसी)/तमिलनाडु	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	210.00 (1×210) (लिग्नाइट)	750.00	एस टी पावर सिस्टम्स इन्क॰ यूएसए/सीएमएस जेनरेशन, यूएसए
21.	जासामकोण्डम लिग्नाइट टीपीएस/तमिलनाडु	भारतीय/विदेशी	1500.00 (3×500) (लिग्नाइट)	4500.00	जायामकोण्डम लिग्नाइट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (टिडको) मकनैली भारत जर्मनी
22.	रोसा टीपीएस/उत्तर प्रदेश	विदेशी/भारतीय	750.00 (3×250) (कोयला)	2625.00	इण्डो फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स/पावर जेनरेशन यूके
23.	सागरदीघी टीपीएस/प॰बंगाल	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2×500) (कोयला)	2000.00	डेवलमेंट कन्सलटेंट प्रा॰लि॰, सीएमएस, यूएसए जेनरेशन एण्ड डब्ल्यूबीएसईबी
			17090.00	54110.03	

[अनुवाद]

तम्बाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध

4589. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यम पर कार्यक्रमों को प्रयोजित करने पर रोक लगाने का है;

(ख) क्या तम्बाकू क्षेत्र द्वारा कार्यक्रमों को प्रयोजित करने के संबंध में अन्य तम्बाकू उत्पादक देशों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) आकशवाणी तथा दूरदर्शन में सिगरेट तथा तम्बाकू उत्पादनों से संबंधित विज्ञापनों प्रयोजकर्ता को अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) सरकार को ऐसे किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का दर्जा

4590. **श्री मोहन रावले :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का वर्तमान लाइसेन्स कब समाप्त हो जाएगा;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान अपनी शुरूआत के बाद से अब तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को प्रतिवर्ष कितना लाभ/हानि हुई है; और

(ग) महानगर टेलीफोन लिमिटेड को पूरी तरह से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में परिवर्तित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मौजूदा लाइसेंस 31 मार्च, 1995 को समाप्त हो जाएगा।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को पूरी तरह से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में बदलने का मामला दूरसंचार विभाग के समग्र पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है, जो सरकार के विचाराधीन है।

नये राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली नयी सम्पर्क सड़क

4591. **श्री के. मुरलीधरन :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को एझिमाला से जोड़ने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग सम्पर्क सड़क बनाने की घोषणा के संबंध में किये गये प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों के मामूली आबंटन के कारण केरल में प्रश्नगत सड़क सहित राज्यों में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना इस समय मुश्किल है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायतों को टेलीफोन

4592. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रतिदिन 100 पंचायतों को टेलीफोन उपलब्ध करने का कार्यक्रम यथा निर्धारित चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये टेलीफोन लगाने में पर्वतीय क्षेत्रों की प्राथमिकता दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में, जिला-वार कितनी पंचायतों को टेलीफोन पहले ही दे दिए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, नहीं।

वास्तविक कार्यान्वयन का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

1992-93	82/दिन
1993-94	90/दिन

इसके निम्नलिखित कारण थे :–

स्वदेशी उपस्करों का उपलब्ध न होना।

–दुर्गम तराई क्षेत्र, इत्यादि।

(ग) और (घ) जी हां, यद्यपि पर्वतीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई हैं, पर्वतीय तराई क्षेत्रों में तकनीकी तथा अन्य कठिनाईयों के कारण पूरा कार्यक्रम समय से पीछे है। 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में, जिन पंचायत ग्रामों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है। उनका जिलेवार ब्यौरा इस प्रकार से है :

क्र. सं.	जिला	कुल पंचायत ग्राम	टेलीफोन सुविधा प्रदान किए गए पंचायत ग्रामों की संख्या
1.	चमेली	632	173
2.	देहरादून	252	159
3.	पौड़ी	1214	187
4.	टिहरी	822	144
5.	उत्तरकाशी	337	47
		3257	710

असम में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र बढ़ाना

4593. **श्री प्रबीन डेका : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कौन-कौन से स्थान दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जहां दूरदर्शन की उपग्रह प्रदत्त सेवा देश भर में उपलब्ध है वहीं स्थलीय ट्रांसमिशन असम के सभी जिलों में पूर्णतः या अशतः उपलब्ध है, जो राज्य के 74 प्रतिशत क्षेत्र तथा 82 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) असम राज्य में भिन्न-भिन्न शक्तियों के 9 टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं। उनके पूरा हो जाने पर राज्य में क्षेत्र-वार तथा जनसंख्या-वार कवरेज बढ़कर क्रमशः 77.3 प्रतिशत तथा 85.6 प्रतिशत हो जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र

4594. **डा. परशुराम गंगवार : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अद्यवधि तक कितने इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र हैं;

(ख) जिला-वार विशेषतः पीलीभीत जिले में कितने इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र निर्माणाधीन हैं; और इन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा, और

(ग) इन पर कुल कितना खर्च आएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश में 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार 1356 इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) (i) उत्तर प्रदेश में 12 प्रमुख एक्सचेंज निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ii) पीलीभीत में 26-3-1994 को एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किया गया है।

(iii) 1994-95 के दौरान विभिन्न स्थानों पर उपस्कर प्राप्त होते ही छोटे एक्सचेंजों की संस्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) लगभग 150 करोड़ रुपये।

विवरण

प्रस्तावित प्रमुख एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	जिले का नाम	क्षमता एवं प्रकार	चालू करने की संभावित तारीख
1.	मेरठ	मेरठ	10 के सीमेंस	12/94
2.	कानपुर	कानपुर	8 के आरएलयू	-वही-
3.	लखनऊ	लखनऊ	8 के आरएलयू	-वही-
4.	वाराणसी	वाराणसी	5 के आरएलयू	-वही-
5.	आगरा संजय प्लेस	आगरा	5 के ई-10 बी	-वही-
6.	बरेली	बरेली	6 के 10 बी	-वही
7.	सहारनपुर	सहारनपुर	5 के ई-10 बी	-वही-
8.	आजमगढ़	आजमगढ़	2 के सी-डाट	-वही-
9.	सुलतानपुर	सुलतानपुर	2.5 के सी-डाट	-वही-
10.	मीरंजापुर	मीरजापुर	3 के सी-डाट	-वही-
11.	सीतापुर	सीतापुर	2 के सी-डाट	-वही-
12.	लखीमपुर	लखीमपुर	2 के सी-डाट	-वही-
एन.बी.	पीलीभीत	पीलीभीत	2048 आई.एल.टी	26-3-1994 को चालू किया गया

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में निम्न शक्ति का ट्रांसमीटर

4595. **प्रो. प्रेम धूमल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) में आकाशवाणी के एफ.एम. केन्द्र के उद्‌घाटन के पश्चात् स्थानीय स्तर पर दूरदर्शन के कार्यक्रमों में आ रहे व्यवधान के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार आकाशवाणी केन्द्र में एक कम शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। एफ.एम. ट्रांसमीटर के कारण हो रहे व्यवधान की इसे कम करने की दृष्टि से जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

बच्चों के लिए दूरदर्शन का चैनल

4596. **श्री जी. माडेगौड़ा :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार आठवीं योजनावधि के दौरान केवल बच्चों के लिए एक चैनल शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का राज्य विद्युत बोर्डों के साथ समझौता

4597. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों, विशेष रूप से पूर्वी राज्यों के विद्युत बोर्डों के साथ विद्युत की सप्लाई के सम्बन्ध में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह समझौता किस तिथि से प्रभावी हुआ है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) एन.टी.पी.सी. के विभिन्न केन्द्रों से विद्युत सप्लाई के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों

के साथ वृहत सप्लाई समझौतों (बी.पी.एस.) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में विभिन्न पहलुओं, यथा ऊर्जा लेखा पद्धति प्वाइंट्स ऑफ मीटरिंग, बिल बनाने और भुगतान करने की रूपात्मकताओं, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा सीधे विद्युत ग्रिह/अन्य बिल बनाने वाली एजेंसियों को विद्युत पारेषण/बिल प्रभारों का भुगतान करने की पद्धति, मध्यस्थता शर्तों आदि के लिए प्रावधान किया गया है।

(ग) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के साथ जिस तारीख से यह समझौता प्रभावी है इनका क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नवत है :

उत्तरी क्षेत्र	1-11-1992	(टैरिफ प्रयोजन हेतु)
पश्चिमी क्षेत्र	31-1-1994	(अन्य पहलुओं हेतु)
दक्षिणी क्षेत्र	1-11-1992	
पूर्वी क्षेत्र	1-1-1993	

[हिन्दी]

सोमालिया में भारतीय शान्ति सैनिक

4598. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र शान्ति दल के साथ कार्य कर रहे भारतीय शान्ति सेवा के सैनिकों की हत्या की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र दल में कुल कितने भारतीय सैनिक हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) यूनोसोम-II (सोमालिया) में भाग लेने वाले भारतीय सैन्य दल के जो सैनिक मारे गए उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

1. 21 नवम्बर, 1993 को एक सैनिक अपने ही हथियार के गल्ती से चले जाने के कारण मारा गया।
2. 22 मार्च, 94 को एक सैनिक की मृत्यु इमारत का मलबा उसके ऊपर गिर जाने के कारण हो गई।
3. 28 मार्च, 1994 को दक्षिणी बन्दरगाह शहर किसमायो में घात लगाकर किए गए हमले में दो भारतीय जवान मारे गए। ये सैनिक किसमायो के दक्षिणी भाग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामग्री पहुंचाने के लिए एक गाड़ी में दो यूनिसेफ के अधिकारियों के अनुरक्षक के रूप में जा रहे थे, जब सशस्त्र सोमालियों के साथ गोलाबारी में वे मारे गए।

(ग) इस समय सोमालिया में तैनात भारतीय सैन्य दल सभी रैंक के 4,966 कार्मिक हैं, जिसमें 41 स्टाफ के लोग हैं।

बिहार में यू.एच.एफ. प्रणाली

4599. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के दूरभाष केन्द्रों में यू.एच.एफ. प्रणाली आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

4600. **श्री सूरजभानु सोलंकी :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री फूलचंद वर्मा :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों और अंतर्राज्यीय सड़कों को चौड़ा करने/दो लेन और चार लेन वाला बनाने का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) अब तक कितना कार्य पूरा हो गया है;

(ग) इस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है और अंतर्राज्यीय सड़कों के लिए राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाएगी;

(घ) क्या यह कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जिन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने का कार्य शुरू किया जा चुका है वे वर्ष वार नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या
1990-91	रा.रा.सं. 7,12,16,25 और 26
1991-92	रा.रा.सं. 12
1992-93	रा.रा.सं. 12

रा.रा.सं. 12 पर तीन निर्माण कार्य सितम्बर, 1993 तक पूरे कर लिए गए थे। वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के दौरान आर्थिक और अंतर्राज्यीय महत्व की स्कीम के तहत सड़कों को चौड़ा करने का कोई कार्य अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों पर राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सितम्बर, 1993 तक 1222.80 लाख रुपये खर्च होने की सूचना दी गई है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर सात निर्माण कार्य कार्यक्रम से पीछे चल रहे है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

4601. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जल ताप एवं परमाणु विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट लागत क्या है;

(ख) ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब चीन, इटली और बेल्जियम में विद्युत उत्पादन लागत क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कैप्टिन विद्युत उत्पादन सैटों वाले औद्योगिक यूनिटों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर शुल्क मुक्त विद्युत संयंत्रों का आयात करने और ईंधन तेलों की आपूर्ति की अनुमति प्रदान कर विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने का है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) विभिन्न राज्यों में 1991-92 के दौरान ताप विद्युत और जल-विद्युत के उत्पादन की औसत लागत को दर्शाने वाला एक विवरण सलंग्न है। न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों से राज्य बिजली बोर्डों को बिक्री मूल्य और गुरू जल समायोजन प्रभारों की शर्ताधीन निम्नलिखित है :

	केन्द्र	दर वि. केन्द्र/कि.वा.घं.	प्रभारें तारीख
1.	तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र	57.00	1-12-1992
2.	राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र	60.80	जून, 1992
3.	मद्रास परमाणु विद्युत केन्द्र	75.04	जून, 1992
4.	नरौरा परमाणु विद्युत केन्द्र	140.96	1-2-1992

(ख) तदनुरूपी अवधि से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस समय विद्युत संयंत्रों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

1991-92 के दौरान विद्युत उत्पादन की लागत

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड	तापीय वि.केन्द्र/ कि.वा.घं.	जल विद्युत केन्द्र/ कि.वा.घं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	69.46	10.35
2.	बिहार	150.67	32.92
3.	गुजरात	89.69	28.20
4	हरियाणा	116.05	12.43
5.	हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	कर्नाटक	उपलब्ध नहीं	24.05
7.	केरल	0.00	7:80
8.	मध्य प्रदेश	67.47	18.68
9.	महाराष्ट्र	69.81	16.04
10.	उड़ीसा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11.	पंजाब	86.32	16.37
12.	राजस्थान	109.34	उपलब्ध नहीं
13.	तमिलनाडु	91.42	20.51
14.	उत्तर प्रदेश	82.81	31.39
15.	पश्चिम बंगाल	81.80	69.23
16.	मेघालय	उपलब्ध नहीं	24.82
17.	असम	190.08	उपलब्ध नहीं
	कुल राज्य बिजली बोर्ड	82.84	16.74

[हिन्दी]

अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में परिवर्तित करना

4602. **श्री काशीराम राणा :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्प शक्ति के ट्रांसमीटरों को उचित शक्ति के ट्रांसमीटरों में परिवर्तित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में इस तरह से परिवर्तित किये गये अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में परिवर्तित करने का लक्ष्य पूरा हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां विगत दो वर्षों, में देश के सात स्थानों अर्थात् तिरूपति, भुज धारवाड़, जगदलपुर, जबलपुर, बून्दी और बरेली में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) जबकि 12 स्थानों पर अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में परिवर्तित करने की स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है, 36 और अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में परिवर्तित करने की परिकल्पना है बशर्ते आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, पर्याप्त संसाधन तथा स्कीमों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक स्वीकृति उपलब्ध हो।

दूरदर्शन द्वारा अर्जित आय

4603. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 में दूरदर्शन द्वारा राजस्व अर्जित करने का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और लक्ष्य की कितनी पूर्ति हुई; और

(ख) सरकार ने 1994-95 में दूरदर्शन के राजस्व को बढ़ाने के क्या उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान, दूरदर्शन ने 380.00 करोड़ रुपयों के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में 372.98 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

(ख) दूरदर्शन ने हाल ही में कार्यक्रमों की प्रायोजकता की लागत प्रभावी तथा स्पॉट खरीद को और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक विज्ञापन के दर ढांचे को तर्क संगत बनाया है। दूरदर्शन के 1 तथा 2 चैनल दोनों पर कुछ मेघा धारावाहिकों सहित नए कार्यक्रम भी सूचीबद्ध किए गए हैं। इससे राजस्व में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों से वापस आए लोगों के क्षतिपूर्ति दावे

4604. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति आयोग ने भारतीय कुवैत प्रकोष्ठ के माध्यम से श्रेणी (क) और (ग) के क्षतिपूर्ति के कुल कितने दावेदारों के मामले निपटाए हैं; और

(ख) ऐसे शेष मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) कोई नहीं।

(ख) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने "बी" और "सी" के दावों की जांच करना शुरू किया है। "ए" के दावों की जांच शीघ्र शुरू करने की संभावना है। जहां तक भुगतान का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सिर्फ संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग का ही उत्तर दायित्व है कि वह दावों की जांच करके उनका मूल्यांकन करें, भुगतान की प्रक्रिया तैयार करके राष्ट्रीय सरकारों के जरिये भुगतान के लिए पात्र दावेदारों को दिए गए मुआवजें भेजे। इस समय इस बात का अनुमान लगाना संभव नहीं है कि भुगतान में कितना समय लगेगा या भुगतान की राशि कितनी है जिसका भुगतान अन्ततः संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने करना है।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी मिशन

4605. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों का मिशन भारत में है;

(ख) क्या गत दो वर्षों में सरकार को देश में अन्य देशों के मिशनों की स्थापना करने के और अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की देशवार क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जिन देशों के भारत में मिशन हैं उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां, अंगोला, उक्रेन, दक्षिण अफ्रीका, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गीजस्तान, स्लोवाक गणराज्य और नामीबिया से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) भारत सरकार उपरोक्त (ख) में उल्लिखित सभी देशों के मिशन खोलने के लिए सहमत हो गई है।

विवरण

जिन देशों के भारत में मिशन हैं उनकी सूची

अफगानिस्तान	अल्जीरिया	अंगोला
मिस्र अरब गणराज्य	अर्जेन्टीना	आस्ट्रेलिया

आस्ट्रिया	बहरीन	बंगलादेश
बेल्जियम	भूटान	ब्राजील
ब्रूनी दारेस्सलाम	बुल्गारिया	कम्बोडिया
कनाडा	चिली	चीन
कोलम्बिया	क्यूबा	साइप्रस
चैक	डेनमार्क	डोनिका राष्ट्रमंडल
इथोपिया	फिनलैंड	फ्रांस
जर्मनी	घाना	यूनान
होली सी	हंगरी	इन्डोनेशिया
ईरान	ईराक	आयरलैंड
इजरायल	इटली	जापान
जोर्डन	कजाकिस्तान	कीनिया
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	कोरिया गणराज्य	कुवैत
किर्गीजस्तान	लाओस	लेबनान
लीबिया	मलेशिया	मारीशस
मैक्सिको	मंगोलिया	मोरक्को
म्यांमार	नामीबिया	नेपाल
नीदरलैंड्स	न्यूजीलैंड	नाइजीरिया
नार्वे	ओमान	पाकिस्तान
फिलीस्तीन	पनामा	पेरू
फिलीपाइन्स	पोलैंड	पुर्तगाल
कतर	रूमानिया	रूसी परिसंघ

सहारवी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य	सऊदी अरब	सेनेगल
सिंगापुर	स्लोबाक	सोमालिया
दक्षिण अफ्रीका	स्पेन	श्रीलंका
सूडान	स्वीडन	स्विटजरलैंड
सीरिया	तंजानिया	थाईलैंड
त्रिनिडाड और टोवागो	तुनीसिया	तुर्की
उगान्डा	उक्रेन	संयुक्त अरब अमीरात
यूनाइटिड किंगडम	संयुक्त राज्य अमरीका	उजबेकिस्तान
वेनेजुएला	वियतनाम	यमन
युगोस्लाविया	जाइर	जाम्बिया
जिम्म बाब्वे		

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

4606. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 1991 में शहरों से गुजरने वाले प्रदेश राजमार्गों को उनकी चौड़ाई 25 मीटर मानते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उनके रख-रखाव का प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

म्यांमार में भारतीय मूल के छात्र

4607. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा म्यांमार में भारतीय मूल के छात्रों के लिए योजना के अन्तर्गत कोई कार्यक्रम लागू किया जा रहा है/लागू करने का विचार किया गया है तथा विदेशों में भारतीय मूल के छात्रों के कल्याण और शिक्षा हेतु क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यांमार में रह रहे अधिकांश हिन्दी भाषी छात्रों के लिए उस देश के विद्यालयों में हिन्दी अध्यापन सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या सरकार उस देश में भारतीय मूल के छात्रों को हिन्दी भाषा सिखाने में स्थानीय भारतीय समुदाय के प्रयासों में सहयोग दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार म्यांमार में भारतीय समुदाय की संस्थाओं को योगोन स्थित हमारे मिशन के माध्यम से हिन्दी की पुस्तकें भेजती है तथा हमारा राजदूतावास भारतीय संस्थानों से प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

[अनुवाद]

मूल्यवर्द्धित सेवाएं

4608. **श्री अमल दत्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में अब तक पता लगाई गई मूल्यवर्द्धित सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सेवाओं में से प्रत्येक सेवा जिसे निजी क्षेत्र के लिए खोलने का निर्णय किया गया है, कब से खोलने का निर्णय किया गया है, प्रत्येक सेवा को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की घोषणा किस तिथि को की गई, प्रत्येक सेवा को शुरू करने हेतु अभी तक निजी रूप क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति अथवा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का सेवा-वार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) दूरसंचार के क्षेत्र में अभी तक निम्नलिखित मूल्यवर्द्धित सेवाओं का पता लगाया गया है :

(i) रेडियो पेंजिंग सेवा।

(ii) सेल्यूलर सचल सेवा।

(iii) अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं।

(क) इलेक्ट्रानिक मेल

(ख) वायस मेल

(ग) वी.एस.ए.टी. का प्रयोग करके 64 के.वी.पी.एस. डाटा सेवा

(घ) आडियो टेक्स

(ङ) सीधी एक्सेस कोड डायलिंग

(च) बुलेटिन बोर्ड सेवा

(छ) वीडियो टेक्स सेवा

(ज) वीडियो कन्फ्रेंसिंग

(झ) प्रातःकालीन अलार्म सेवा

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक सेवा का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मूल्यवर्धित सेवाओं का संक्षिप्त विवरण और वर्तमान स्थिति

1. रेडियो पेजिंग सेवा

एम.टी.एन.एल. ने दिल्ली और बंबई में रेडियो पेजिंग सेवा पहले ही शुरू कर दी है। यह सेवा पंजीकृत भारतीय कंपनियों को फ्रेंचाइज आधार पर देने का भी निर्णय लिया गया है। 27 चुने गये शहरों में श्ह सेवा फ्रेंचाइच आधार पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं और उन्हें 15 जुलाई 1992 को खोला गया था। वाणिज्यिक तकनीकी और वित्तीय मानदण्डों के आधार फ्र बोलियों का मूल्याकंन करने के बाद 19 बोलियां चुनी गई। चुने गए बोलीदाताओं को वित्तीय निविदाएं जारी की गईं। कुछ बोलीदाताओं ने जिन्हें चुना नहीं गया था अदालतों में सिविल रिट याचिकाएं दायर की। अदालतों से यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि कोई स्थगनादेश नहीं है वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन किया गया था और विभिन्न शहरों के लिए 15 बोलीदाताओं को अनंतिम तौर पर चुना गया अनंतिम तौर पर चुने गये 15 में से 12 बोलीदाताओं ने अपनी स्वीकृति दे दी है और बैंक प्रतिभूति तथा लाइसेंस शुल्क का एक घटक जमा कर दिया है। तथापि मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है।

देश के शेष हिस्से में रेडियो पेजिंग सेवा फ्रेंचाइज करने के लिए प्रांतीय सर्किल आधार पर भी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इन्हें 10-5-1994 को खोलने का कार्यक्रम है।

2. सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा

इस समय दिल्ली में एक एनालोग सचल (कार) रेडियो प्रणाली प्रचालन में है। आरम्भ में इस सेवा को बंबई, दिल्ली कलकत्ता और मद्रास के चार महानगरों में प्रदान करने का प्रस्ताव है। दूरसंचार विभाग ने चार महानगरों में सेल्यूलर सचल टेलीफोन के प्रचालन के लिए लाइसेंस देने की दृष्टि से भारतीय कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित की। निविदाओं के प्रत्युत्तर में 30 बोलियां प्राप्त हुई और इन्हें 30 मार्च 1992 को खोला गया था। 14 बोलीदाताओं को चुना गया और उन्हें वित्तीय निविदाएं जारी की गई थी। वित्तीय मूल्याकंन के बाद 8 बोलीदाता अर्थात् प्रत्येक शहर के लिए दो-दो बोलीदाताओं का अनंतिम रूप से चुना गया था। कुछ असफल बोलीदाताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर की दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 फरवरी, 1993 को अपना फैसला सुनाया। अनंतिम तौर पर चुने गये बोलीदाताओं की सूची में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद संशोधन किया गया था। तथापि, कुछ बोलीदाताओं ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिकाएं/विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसले का इंतजार है।

3. अन्य मूल्य-वर्धित सेवाएं

अन्य मूल्य-वर्धित सेवाओं को गैर विशिष्ट आधार पर फ्रेंचाइज करने के लिए जुलाई, 1992 में पंजीकृत भारतीय कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और उनका निरंतद मूल्याकंन किया जा रहा है। अब तक लगभग 25 कपंनियों को विभिन्न मूल्य-वर्धित सेवाओं को फ्रेंचाइज करने के लिए आशय पत्र जारी किये गये। एक कंपनी ने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों ने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की औपचारिकताएं आंशिक तौर पर पूरी की हैं। कुछ के प्रस्तावों की भी जांच की जा रही है।

उड़ीसा में दूरदर्शन केन्द्र

4609. **श्री के. प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान सरकार ने टी॰वी॰ ट्रांसमीटर लगाने के लिए उड़ीसा में कुछ आदिवासी क्षेत्रों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में उन स्थानों पर टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवीं योजना अवधि में तय किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) सम्बलपुर स्थित मौजूदा ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाने की स्कीम के अलावा, बालेश्वर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा 11 अल्प/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्र में कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं। इस प्रयोजनार्थ परियोजनाओं हेतु उपयुक्त भवनों/स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए गए हैं तथा आवश्यक उपकरणों हेतु आर्डर दिए गए हैं।

(ग) आठवीं योजना अवधि को 1992-93, 1993-94 की वार्षिक योजनाओं के हिस्से के रूप में उड़ीसा में बालेश्वर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने, सम्बलपुर स्थित मौजूदा ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाने, सम्बलपुर तथा भवानीपटना में एक-एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र और 32 अल्प/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना हेतु परिकल्पित स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

सीमापार से आतंकवाद के मामले में सहयोग

4610. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता और सम्प्रभुता को सीमा पार से आतंकवाद और कट्टरवाद से होने वाले खतरों के प्रतिकार के लिए भारत के साथ द्विपक्षीय स्तर पर तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करने के प्रति वचनबद्धता का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो ये देश कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में अन्य देशों से इसी तरह का समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ) स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :

पूर्वी यूरोप

अनेक देश भारत के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवादी तथा रूढ़िवादी ताकतों ने क्षेत्रीय अखण्डता और संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न किया है। इन देशों में रूस, उक्रेन, अर्मेनिया, मालदोवा, वेलारूस, बुल्गारिया, रूमानिया तथा पोलैंड शामिल हैं। हमने मालदोवा तथा वेलारूस के साथ सहयोग के सिद्धान्त तथा दिशाओं के संबंध में घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि दोनों पक्ष आतंकवाद, रूढ़िवाद इत्यादि के खिलाफ संघर्ष में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, 1 मोटे रूप से इसी प्रकार की घोषणाएं संपन्न करने के लिए बुल्गारिया और रूमानियों के साथ भी बातचीत चल रही है। आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रीय अपराध, नशीली दवाइयों आदि का मुकाबला करने के लिए पृथक्-पृथक् द्विपक्षीय करार संपन्न करने के लिए पौलेंड, रूमानिया तथा बुल्गारिया के साथ बातचीत चल रही है।

एशिया

थाईलेंड

नवंबर, 1993 में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान दोनों देशों ने सीमा पार से आतंकवाद पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा इस बात के लिए सहमति व्यक्त की कि वे औषधद्रव्यों के गैर कानूनी व्यापार तथा आंतकवाद के साथ इसके गठजोड़ का मुकाबला करने में सहयोग को बनाए रखेंगे तथा, उसे मजबूत करेंगे।

बंगलादेश, श्रीलंका और मालदीव :

इन देशों ने बहुपक्षीय मंचों पर अपनी इस वचनबद्धता की पुष्टि की है कि वे सीमा पार से आतंकवादी ताकतों की ओर से राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता को उत्पन्न खतरों का मुकाबला करेंगे।

म्यांमा

म्यांमा ने अपनी इस वचनबद्धता की पुष्टि की है कि वह सीमा पार से आतंकवादी ताकतों की ओर से राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता संप्रभुता को उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ द्विपक्षीय स्तर पर सहेयाग करेगा।

पाकिस्तान

सरकार हर उपलब्ध अवसर पर पाकिस्तान से यह अनुरोध करती रही है और करती रहेगी कि वह सीमा पार से आने वाले आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद कर दे।

ईरान

भारतीय प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव की ईरान यात्रा (20-22) सितंबर, 1993 के बाद जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों पक्षों ने सभी राज्यों से अपील की कि वे किसी भी राज्य के खिलाफ आतंकवाद और विघटन को किसी भी प्रकार का समर्थन न दें।

संयुक्त राज्य अमरीका

मार्च, 1994 में अपनी यात्रा के दौरान सहायंक सचिव रोबिन राफेल ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान पर यह दवाब डालता रहेगा कि वह भारत में आतंकवाद को सहायता देना बंद कर दे। तथापि, सरकार अमरीका को जोर देकर यह कहती है कि पाकिस्तान की अन्तर्ग्रस्तता की अनदेखी करने वाली घोषणाओं से अमरीका की विश्वसनीयता अत्याधिक कम हुई है और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या के संबंध में भारत तथा अमरीका के बीच रचनात्मक क्रिया कलाप के मार्ग में बाधा आयी है।

कनाडा

कनाडा की सरकार तथा भारत सरकार 1987 की भारत-कनाडा प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मामले को हल करने में सहयोग करती रही हैं। दोनों पक्ष आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता से संबंद्ध एक संधि सम्पन्न करने पर भी बातचीत कर रहें हैं।

सरकार निम्नलिखित पर बराबर ध्यान देती रही है :

(i) कनाडा से उठने वाली उग्रवादी गतिविधियों को रोकने तथा नियंत्रित करने की जरूरत;

(ii) कनाडा से निधियों के उस अत्याधिक प्रवाह को नियंत्रण करने की जरूरत है जिससे भारत में उग्रवादी कार्रवाईयों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण होता है।

(iii) कनाडा में पंजाबी जातीय समाचार तंत्र में परिलक्षित विषाक्त संवाद कुप्रचार के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की जरूरत तथा;

(iv) ऐसे सिख युवाओं के प्रयासों को कड़ाई से नियंत्रित करने की जरूरत जिन्होंने उत्पीड़न के मिथ्या बहानों की आड़ लेकर राजनीतिक शरण पाने के लिए कनाडा को आश्रय स्थल के रूप में पाया है। हमारी इन चिंताओं में से प्रथम के संबंध में पर्याप्त सहयोग रहा है तथा अन्य तीन के संबंध में हमें बहुत ही सीमित, सफलता मिली है। कनाडा की सरकार ऐसी निधियों के मामले पर पर्याप्त संवेदनशील नहीं रही है। जो कनाडा से भारत में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए आ रही है। इस संबंध में कनाडा की सरकार ने जो कारण दिया है वह यह है कि विदेशी निवेश संबंधी उनके कानून उदार हैं और यह कानून कनाडा से निधियों के प्रवाह की कड़ी छानबीन की इजाजत नहीं देते हैं। सरकार बराबर यह प्रयत्न कर रही है कि इस मामले पर हमारी चिन्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह समझा जाए।

अफ्रीका

ट्यूनीशिया

आतंकवाद, औपधद्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार तथा संगठित अपराध का मुकाबला करने में सहयोग से सम्बद्ध एक संयुक्त घोषणा के प्रारूप का ट्यूनीशिया के साथ आदान-प्रदान किया गया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

अंगोला

अंगोला गणराज्य ने भारत का समर्थन करने की अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की है। अंगोला के विदेश मंत्री की 5-8 अप्रैल, 1994 की भारत यात्रा के दौरान यह वचन दिया गया था।

पश्चिमी यूरोप

आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच घनिष्ट द्विपक्षीय सहयोग है। आतंकवाद रूढ़िवाद तथा औषधद्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए फ्रांस तथा जर्मनी के साथ संपर्कों की भी शुरूआत कीं गई है।

हमने यूरोपीय यूनियन के समक्ष आतंकवाद से सबद्ध अपनी चिन्ताओं को रखने के लिए समुचित कदम भी उठाए हैं जैसा कि राजनीतिक वार्ता पर भारत-यूरोपीय यूनियन संयुक्त वक्तव्य में प्रावधान है।

खाड़ी

सरकार ने आतंकवाद, औषधद्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए खाड़ी के निम्नलिखित देशों के साथ एक समझौता ज्ञापन अथवा घोषणा पर हस्ताक्षर करने का प्रस्तावि रखा है :

(i) सऊदी अरब

(ii) संयुक्त अरब अमीरात

(iii) वहरीन

(iv) कतर

(v) कुवैत

(vi) यमन गणराज्य

प्रस्तावित प्रारूप पर प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

उजिबेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गीस्तान, तुर्कमनिस्तान एवं ताजिकिस्तान

इन देशों के साथ सरकार ने ऐसे करार। घोषणाएं सम्पन्न की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवाद और रूढ़िवाद का मुकाबला करने के लिए हमारी साझी वचनबद्धता भी शमिल है।

तुर्की

आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की अभिपुष्टि है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर विज्ञापन

4612. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञापनों द्वारा झूठे विज्ञापन देकर उपभोक्तओं को ठगने के लिए अपनाये जा रहे विज्ञापन संबंधी मानदंडों को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संबंधी संहिता में पहले से ही व्यवस्था है कि विज्ञापन यथार्थपूर्ण होंगे, उनमें तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा नहीं जाएगा और उलझाव एवं अनाचरण के माध्यम से जनता को भ्रमित नहीं किया जाएगा तथा असत्य कथन से उपभोक्ताओं को भ्रमित नहीं किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत प्रौद्योगिकी

4613. **श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अमरीका फर्म ने भारत से पेटेंट की हुई नई विद्युत प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उक्त फर्म द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकी की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अमरीकी फर्म के साथ कोई समझौता करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अमरीकी फर्म द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकी की तरह कोई विशेष प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु प्रयास किये हैं; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) अमरीका की मैसर्स एनर्जी इंक ने, सीधे विद्युत दहन उत्पादन प्रणालियों के लिए, हाल ही में कलीना साइक्ल प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव रखा है। परंपरागत विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त जल के स्थान पर कलीना साइक्ल प्रौद्योगिकी के अमोनिया जल के मिश्रण का तरल माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। विद्युत उत्पादन क्षमता 4 से 5 प्रतिशत अधिक होने का दावा किया है।

(ग) से (च) यह प्रौद्योगिकी अभी प्रारंभिक अवस्था में है, जिसमें लागत प्रभावकारिता को प्रमाणित करने के लिए एक निदर्शन संयंत्र के अधिष्ठापन के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। इसलिए आरंभ में, बी.एच.ई.एल. एनर्जी इंक द्वारा अमरीका में तैयार किए जा रहे निदर्शन संयंत्र के साथ अपने इंजीनियरों की साझेदारी का प्रस्ताव रखा है।

[हिन्दी]

इस्पात उत्पादन

4614. **श्री छीतूभाई गामात :**
श्री सोमजीभाई डामोर :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के लिए इस्पात उत्पादन के लिए तय लक्ष्य पूरे हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) 1993-94 और 1994-95 के लिए इस्पात के निर्यात का प्रस्तावित समयबद्ध कार्यक्रम क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कीमतों में कितनी वृद्धि हुई और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक कुकिंग कोयले की कमी है;

(च) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान आयातित कुकिंग कोयले की मात्रा और उस पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लौह उत्पादों को घरेलू कीमतें अमेरिका, चीन और जापान से अधिक हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान हुआ निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में परिसज्जित इस्पात का अनुमानित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित है :-

(उत्पादन : दस लाख टन)

वर्ष	अनुमानित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन		योग
		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	
1991-92	14.55	6.97	7.36	14.33
1992-93	16.10	7.47	7.73	15.20
1993-94 (अनन्तिम)	17.24	7.80	7.33	15.13

(ग) लोहे और इस्पात को सभी मदों को अब निर्बाय रूप से निर्यात करने की अनुमति है। व्यापार नीति प्रावधानों के उदारीकरण जिसमें निर्यात के लिए कच्ची सामग्री के शुल्क रहित आयात, व्यापार और चालू-खाते के संबंध में रुपए का परिवर्तनीयता आदि के प्रावधान शामिल हैं, से 1993-94 में 1688 करोड़ रुपए मूल्य के 22.88 लाख टन (अनन्तिम) कच्चे लोहे और इस्पात के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिली है जबकि वर्ष 1991-92 में 283 करोड़ रुपए मूल्य के 3.87 लाख टन कच्चे लोहे और इस्पात का निर्यात किया गया था। वर्ष 1994-95 के दौरान निर्यात में और अधिक वृद्धि होने की आशा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात के मुख्य उत्पादकों ने मूल्यों में वृद्धि की है ताकि जावक रेल भाड़े में हुई वृद्धि, उत्पाद शुल्क में हुई वृद्धि और विद्युत, कोयला, पानी आदि आदानों की लागतों में हुई वृद्धि को पूरा किया जा सके।

(ङ) जी, हां।

(च) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (बी.एस.बी.) ने वर्ष 1993-94 के 3476 लाख अमरीकन डालर मूल्य के लगभग 66.14 लाख टन कोककर कोयले का आयात किया। इसके अतिरिक्त, कोककर कोयले के आयात के लिए "सेल" द्वारा माल-भाड़े के रूप में इंडियन वैसल्स के भारतीय रुपए में 126.1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

(छ) और (ज) अन्तर्राष्ट्रीय बाजर में लोहे और इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के मूल्य लोहे और इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करते हुए समय-समय पर घटते-बढ़ते रहते हैं लोहे और इस्पात का निर्यात मूल्य सामान्यतः निर्यात करने वाले देशों के घरेलू बाजार मूल्य की तुलना में कम होता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन

4615. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रजमार्गों के रख-रखाव/सुधार के लिए धन नहीं मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में विद्युत की कमी

4616. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रम** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु को सिंचाई पम्पों के लिए विद्युत खरीदने/उत्पादन करने के लिए और राज्य के अन्य क्षेत्रों में विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु धनराशि देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को मध्य नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लापांग में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

4617. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास एक अमरीकी विद्युत कंपनी के सहयोग से उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में आई.वी. घाटी क्षेत्र में एक पात विद्युत संयंत्र लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत कितनी है और इस परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा तथा इसकी क्षमता कितनी है;

(ग) इस संबंध में किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लापांगा ताप विद्युत परियोजना (500 मे.वा.) की अनुमानित लागत 1750 करोड़ रु. है। मै. पायनियर एनेर्जी इनकारपोरेटर डयूक एनर्जी यू.एस.ए. और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के बीच अक्टूबर 1993 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

वित्त पोषण संबंधी व्यवस्था समेत सभी आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित किया जाने तथा मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए पूर्तिकर्ताओं को आर्डर दिए जाने के पश्चात् ही चालू करने संबंधी कार्यक्रम और इसके वाणिज्यक प्रचालन के संभावित समय की प्रत्याशा की जा सकेगी।

[हिन्दी]

विदेश प्रचार-प्रभाग

4618. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग की विभिन्न मतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस विभाग के पिछले दो वर्षों के कार्यकलापों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस विभाग के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस विभाग के असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के संबंध में कोई जानकारी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्राल में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) विदेश प्रचार प्रभाग राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत के विचारों तथा हित चिन्ताओं को प्रस्तुत करती है, हमारे मिशनों के माध्यम से विदेश में लोगों को भारत में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों की घटनाओं से अवगत कराती है तथा भारत विरोधी प्रचार का खंडन भी करता है।

(ख) विदेश प्रचार प्रभाग की गतिविधियों का तथा उसके कार्यों की विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार में उल्लेख किया जाता है।

पिछले दो वर्षों में इस प्रभाग की गतिविधियों के मुख्य अंश इस प्रकार है।

स्थानीय रूप से वितरण के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों को विभिन्न भाषाओं में उपयुक्त प्रचार सामग्री भेजना, भारत की अद्यतन घटनाओं की जानकारी देते हुए विदेश स्थिति मिशनों को समाचार बुलेटिनों का प्रेषण। 10 विदेशी भाषाओं में "इंडिया पर्सपेक्टिव" की 51,000 प्रतियों का प्रकाशन, विभिन्न मुद्दों पर भारत की नीति के संबंध में विदेशों में भारतीय पत्रकारों को नियमित रूप से जानकारी देना, विदेश स्थित भारतीय मिशनों को श्रव्य-दृश्य सामग्री भेजना, विदेशी पत्रकारों की मेजबानी करना 1992-93 में 30 से अधिक तथा 1993-94 में 64, तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की भारत की यात्रा के दौरान मीडिया संबंधित प्रबंध करना, तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ आए विदेशी पत्रकरों के लिए मीडिया संबंधी प्रबंध करना तथा पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे भारत विरोधी प्रचार का खंडन करना।

(ग) सरकार विदेश मंत्रालय के सभी प्रभागों के कार्य की नियमित रूप से समीक्षा करती रहती है। इस प्रभाग के कार्य से संबंधित मुद्दे विदेश मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति तथा परामर्शदात्री समिति द्वारा उठाए जाते हैं तथा उन पर चर्चा की जाती है।

(घ) विदेश प्रचार प्रभाग अपने दायित्वों का प्रभावकारी ढंग से निष्पादन कर रही है।

(ङ) विदेश प्रचार प्रभाग की गतिविधियों तथा उसके कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा तथा उसकी मानिटरिंग के आधार पर यथा आवश्यक उपाय किए जाते हैं ताकि इसके कार्य निष्पादन को और अधिक सुचारू और प्रभावकारी बनाया जा सके। इस प्रभाग के लिए बजट बढ़ा दिया गया है ताकि अपने उत्तरदायित्व को प्रभावकारी ढंग से निभाने के लिए प्रभाग को और अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। जो अन्य उपाय किए जा रहे हैं उनमें नई दिल्ली तथा विदेश स्थिति हमारे मिशनों के बीच संचार व्यवस्था की प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा करना, हमारे प्रचार प्रयासों में तेजी लाने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों का प्रयोग करना, विदेश स्थित मिशनों मे सूचना स्कन्धों का सुदृढ़ करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय टी.वी. उपग्रह चैनलों के माध्यम से प्रचार की संभावनाओं का पता लगाना शामिल है।

राज्यों में एस.टी.डी. सुविधा

4619. **श्री जंगबीर सिंह :**
श्री हाराधन राय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में वर्ष 1994-95 के दौरान किन-किन स्थानों को एस.टी.डी. से जोड़ा जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : जिन स्थनों पर 1994-95 के दौरान एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने की योजना है, बशर्ते कि निधि, भूमि, भवन उपस्कर जैसे संसाधन उपलब्ध हों, उनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन स्थानों के राज्यवार ब्यौरे जहां 1994-95 के दौरान एस.टी.डी. सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है

राज्य	स्टेशनों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	100
असम	25
बिहार	58
गुजरात	200
हरियाणा	10
हिमाचल प्रदेश	120
जम्मू एंव कश्मीर	17
कर्नाटक	96
केरल	162
मध्य प्रदेश	45
महाराष्ट्र	35
गोवा	1
अरुणाचल प्रदेश	11

1	2
मणिपुर	9
मेघालय	8
मिजोरम	4
नागालैण्ड	10
त्रिपुरा	10
उड़ीसा	50
पंजाब	17
राजस्थान	39
तमिलनाडु	140
उत्तर प्रदेश	57
प. बंगाल	69
सिक्किम	1

बिहार में पुलों पर पथकर की वसूली

4620. **श्री प्रेम चन्द राम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पुलों पर वसूल की गयी धनराशि, जिसका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए किया जाता है, को अब तक राज्य में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ धनराशि कब तक दी जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों का उपयोग करने वाले वाहनों से वसूले गए शुल्क के रूप में एकत्र राजस्व से है। वर्ष 1993-94 के दौरान स्थायी पुल शुल्क निधि में, से बिहार सरकार को 20 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में आई.एस.डी./एस.टी.डी. सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

4621. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश को आबंटित आई.एस.डी./एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1993-94 के लिए कितना प्रस्ताव किया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश सर्किल में आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के ब्यौरे

क्रम सं.	जिला	वर्ष 1992-93 के दौरान आबंटित किए गये आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ.	वर्ष 1993-94 के लिए प्रस्ताव
1	2	3	4
1.	इन्दौर	508	151
2.	भोपाल	302	160
3.	सियोन	9	9
4.	बालाघाट	20	4
5.	मंडला	9	12
6.	नरसिंहपुर	17	36
7.	ग्वालियर	104	110
8.	दतिया	4	-
9.	छिन्दवाड़ा	50	70
10.	सागर	66	100
11.	दमोह	15	40
12.	टिकमगढ़	06	20
13.	छतरपुर	26	60
14.	मुरैना	36	20
15.	भिण्ड	16	22
16.	गुना	27	32

1	2	3	4
17.	शिवपुरी	24	27
18.	रायपुर	201	160
19.	जबलपुर	308	160
20.	शाजापुर	24	17
21.	राजगढ़	16	35
22.	विदीशा	23	12
23.	रायसन	21	10
24.	खारगोन	33	25
25.	दिवास	35	26
26.	धार	52	43
27.	उज्जैन	106	40
28.	मंदसौर	79	50
29.	रतलाम	60	90
30.	झबुआ	23	20
31.	खंडवा	62	35
32.	होशंगाबाद	60	35
33.	बेतूल	20	15
34.	दुर्ग	174	150
35.	जगदलपुर	27	50
36.	राजनंदगांव	28	20
37.	बिलासपुर	81	90
38.	सतना	56	15
39.	रेवा	54	25
40.	पन्ना	6	4

1	2	3	4
41.	सिधी	7	2
42.	रायगढ़	38	30
43.	अंबिकापुर	15	15
44.	शाडौल	11	25
45.	सिहोर	15	13
	जोड़ :	2964	2094

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

4622. **मेजर डी.डी. खनोरिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : अब तक हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन से टेलीफोन एक्सचेंजों का एस.टी.डी. सहित विस्तारण और आधुनिकीकरण किया गया है और निकट भविष्य में किया जाने वाला है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (i) जिन एक्सचेंजों का 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान विस्तार किया गया उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए हैं।

(ii) जिन एक्सचेजों का, 1990-91, 1991-92 और 1993-94 के दौरान आधुनिकीकरण किया गया उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिये हैं।

(iii) जिन एक्सचेंजों का 1994-95 के दौरान हिमाचल प्रदेश में एस.टी.डी. सुविधा के साथ विस्तार करने का प्रस्ताव है उनके नाम संलग्न विवरण-III में दिये हैं।

विवरण-I

उन एक्सचेजों के नाम जिनका 1990-91 के दौरान विस्तार किया गया

1. मोलन
2. देहरा
3. मण्डी
4. बैजनाथ

उन एक्सचेंजों के नाम जिनका 1991-92 के दौरान विस्तार किया गया

1. जाछ

2. दरोह
3. हरिपुर
4. नगारोटा (एस)
5. सलोह
6. अरहल
7. सुमेरकोट
8. मुन्दीरली
9. फागू
10. जुंगा
11. मेहाटपुर
12. जुब्बल
13. कुमारलेन
14. रोहड़ू
15. भुन्टर
16. रामपुर
17. कोटली
18. बागथिन
19. कसौली
20. लडरूर
21. निहरीपुल
22. मसरेहर
23. रायसन
24. बकफोह
25. नलटी
26. बागसैड़
27. बड़ागांव

28. बग्गी
29. बाली चौकी
30. सियोह
31. दौलतपुर (धर्मशाला)
32. नैना-टिक्कड़
33. मटियाना
34. मांडू
35. भुन्टर
36. कुल्लू
37. डगसहाय
38. भरानू
39. देहा
40. शिमला ई-10 बी
41. काक्कड़
42. रानीताल
43. पालमपुर
44. परवाणू
45. सोलन
46. दरोट
47. माजरा
48. कसौली
49. देहरा
50. जिओरी
51. झाकड़ी
52. धर्मशाला
53. चरही

54. नुरपुर
55. चंबा
56. मण्डी
57. कुनिहार
58. जौनीजी
59. काला अंब
60. गागरेट
61. गुमरवीन
62. बखौल

उन एक्सचेंजों के नाम जिनका 1992-93 के दौरान विस्तार किया गया।

1. धुन्धान
2. धानियारा
3. टाकलैच
4. ताल
5. बिलासपुर
6. पजेरा
7. कुल्लू
8. पहाड़ा
9. दुर्गापुर
10. ज्वालापुर
11. ऊना
12. बग्गी
13. बनखंडी
14. हमीरपुर
15. सरहाण
16. शोघी

17. थियोग
18. रवैलमर
19. सन्धोल
20. बाल्दवाड़ा
21. मनाली
22. सरस्वती नगर
23. टिक्कर
24. निरमन्द
25. रंगम
26. बनखंडी
27. कंमौली
28. मैरी
29. रेहान
30. चौतंरा
31. थाना-कलां
32. ढाढा-सीबा
33. दादाहू
34. नालागढ़
35. लंज
36. भांग
37. कांगड़ा
38. चम्बा
39. बैजनाथ
40. पंचरूखी
41. डलहौजी
42. जवाली

43. धर्मशाला
44. कुल्लू
45. भैगरोटू
46. भुन्टर
47. नाहन
48. जारोल

उन एक्सचेंजों के नाम जिनका 1993-94 के दौरान विस्तार किया गया

1. मैर
2. थानेधार
3. भरेरी
4. राजगढ़
5. शिमला ई 10 बी
6. धानेटा
7. सुन्दरनगर
8. संताखगढ़
9. कुल्लू
10. बददी
11. पंजावर
12. सोलन
13. भुन्टर
14. चौपाल
15. कसौली
16. नागवेन
17. मनाली
18. देहरा
19. पालमपुर

20. नाहन
21. हमीरपुर
22. कोटखाई
23. चौंतरा
24. रायसन
25. बाखौल
26. हरिपुर
27. मेहातपुर
28. विलासपुर
29. धानाहट्टी
30. भटियाना
31. रामपुर-बुशहर
32. नन्दपुर
33. चौवारी
34. डलहौजी
35. इन्दौरा
36. सिनहूटा
37. जालोट
38. पारौर
39. करमसोग
40. नालागढ़

विवरण-II

वर्ष 1990-91 के दौरान जिन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया, उनके नाम

1. मन्जोली
2. जयसिंहपुर
3. गाजटा

4. चौपाल
5. पंजवार
6. जाबली
7. कन्दरौर
8. थुराल
9. जवाली
10. ज्वालामुखी
11. ग्गल
12. फतेहपुर
13. माजरा
14. छहौसा
15. धौलाकुआ
16. नलगढ़
17. सुबाथू
18. राजबन
19. सातौन
20. स्यारी
21. धर्मपुर
22. अरकी
23. कालाअम्ब
24. सलोनी
25. सारा
26. हारोली
27. भन्ज्जल
28. नमहोल
29. यरागपुर

30. मनाली
31. पछर
32. जारी
33. खखनाल
34. नागवेन
35. पांधो
36. सलापपेड़
37. चौतरा
38. रेवालसर
39. देहा
40. थियोग
41. किआरी
42. धानाहट्टी
43. धम्मी
44. छैला
45. डलहौजी
46. केहरा
47. पालौर
48. नगरोटा

वर्ष 1991-92 के दौरान जिन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया, उनके नाम

1. जागीतनगर
2. दागसी
3. कानमू
4. हरीपुर
5. धनेटा
6. गुम्मा

7. बग्गी
8. बाल्दवारा
9. इन्दौरा
10. राजगढ़
11. कुनिहार
12. दाधू
13. भांग
14. कोटली
15. संधोले
16. साराहान
17. शीलघाट
18. नंदपुर
19. दौलतपुर (एचएमआर)
20. महासू
21. नागरोटा (सुरियान)
22. दरोह
23. योल
24. धना हट्टी
25. जरोल
26. रामशेहार
27. मैर
28. बरथिन
29. चंडी
30. स्वरघाट
31. देवथीधार
32. कुटरा

33. सबरा
34. कुथेरी
35. चिंतपूर्णी
36. निर्माण
37. नानखेरी
38. लाडभरोल
39. देवथी
40. लहरीसरेल
41. मेहातपुर
42. सुही
43. बैजनाथ
44. खजियान
45. चोवारी
46. कोटला
47. दारलाघाट
48. लडरौर

वर्ष 1992-93 के दौरान जिन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया, उनके नाम

1. कियानी
2. चढियार
3. लूनी
4. केहारी
5. नौरा धार
6. टिक्कार
7. शैला कियार
8. फाराल
9. मदावनी

10. सराहान वीएसआर
11. भेरा
12. जुखाला
13. जानघट्टा
14. पिपलूघाट
15. नैना टिकिजार
16. मामलीग
17. डिग्गल
18. थानेधार
19. सिओह
20. कांगड़ा
21. भारमौर
22. फागू
23. कुमारसैन
24. नोगली
25. तलाई
26. धालियारा
27. दुलेहार
28. धामला
29. हरीपुर
30. शिल्लाई
31. संगराह
32. कफोटा
33. मंगाराह
34. पुरेवाल
35. भूमेटी

36. गंगाथ
37. कटौला
38. नैना देवी
39. घुमारविन
40. सलोह
41. दुलेहार
42. देहरा
43. तौनी देवी
44. नहरीआन
45. सांध
46. बग्गी
47. राजपुर
48. हारसर
49. धमेटा
50. शुन्टा
51. पाहारा
52. दौलतपुर
53. राख
54. सुंडला
55. गारसा
56. जोगिन्दरनगर
57. बनजार
58. सरकाघाट
59. बागथान
60. परारा
61. ऋषिकेश

62. नांगल जरियानान
63. बान-खानदी
64. रक्कार
65. दादासीबा
66. नीथर
67. बेवलिया
68. जुब्बाल
69. रोहरू
70. रामपुर बीएसआर
71. दुर्गापुर

वर्ष 1993-94 के दौरान जिन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया, उनके नाम

1. सुनही
2. साहापुर
3. जनजेही
4. ज्वालापुर
5. खत्रीया
6. कोहबाग
7. मरहोग
8. थथाल
9. सवारी-टकोली
10. अरहल
11. थाची
12. धुनदन
13. चांदी
14. लथीयानी
15. भवरना

16. जुंगा
17. कोहला
18. पिरसलुही
19. बादलथोरा
20. बिजेहरा
21. डंगार
22. मटीआना
23. रंगस
24. बलोरे
25. भरेरी
26. मंडी
27. देहर
28. बलीचौकी
29. मरही
30. नेहरी
31. चरखड़ी
32. धर्मपुर
33. बड़ागांव
34. सरहोग
35. ओचघाट
36. लौहारा
37. गेहरविन
38. भनगरोटू
39. जखडी
40. जरेबर
41. खनदीयां

42. लंग
43. मौरही
44. चिरगांव
45. खजिर
46. करलोटी
47. बरौली-कलन
48. बागसई
49. सैंज
50. नेरीपुल
51. कोटी
52. गोड़पुर-बनेरा
53. पैसा
54. चबूतरा
55. तिस्सा
56. खैरी
57. साहू
58. सुंदरनगर
59. परवानू
60. साई
61. दरंग
62. चदेश
63. तकलेच
64. जेओरी
65. दलश
66. डोफदा
67. खुनी

68. गौरा
69. पतलनदर
70. मशीबरा
71. धरान्
72. झिखनीपुल
73. नेरवा
74. बछुंच
75. बोहना
76. चुरग
77. जच्च
78. मुखी बही

विवरण-III

जिन एक्सचेंजों का 1994-95 के दौरान हिमाचल प्रदेश में एस.टी.डी. सुविधा के साथ विस्तार करने का प्रस्ताव है उनके नाम

1. कुमारमांई
2. निरमोंद
3. रोहरू
4. जुमल
5. आरी
6. चौपाल
7. संगला
8. भूरंग
9. निचर
10. पूह
11. सलूनी
12. भारमौर
13. करसोग
14. देहरागोपीपुर

15. चिरगांव

16. ददराकुआर

17. कोटखाई

18. काजा

19. जयसिंहपुर

20. चुरह (लिशा)

21. इंदोरा

22. बरौह

23. बगजार

24. चचिओट

25. झुनाग

26. उदयपुर

27. किल्लर

28. बैजनाथ

टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को मिले ठेके

4623. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को 1993 94 के दौरान दूसरे देशों से कोई ठेके मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान, टेलीकॉम कसंल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को दूसरे देशों से 404.07 करोड़ रुपए मूल्य की लागत के ठेके प्राप्त किए हैं। ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये में)

1	2
इंडोनेशिया	125.00
मारीशस	75.25

1	2
घाना	67.00
कुवैत	57.33
नाइजीरिया	37.00
ओमन	12.00
के.एस.ए.	10.90
बेनिन	10.50
यमन	3.87
जिम्बाबे	3.81
सीरिया	0.82
नीदरलैंड	0.39
मोजाम्बिक	0.15
सूडान	0.05
	404.07

(ग) इन ठेकों से निवल 80 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है।

[हिन्दी]

भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा

4624. **श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :**
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :

क्या **विदेश मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों को चीन से वीजा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरंकार ने इस संबंध में चीन से बातचीत की है या करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पारादीप में नौभार गोदी का निर्माण

4625. **श्री गोपीनाथ ग़जपति :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में एक बहुउद्देशीय नौभार गोदी का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर लोह-अयस्क के निर्यात के लिए पत्तन सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है, और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) फिलहाल पारादीप में बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में सड़कों की मरम्मत

4626. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों की मरम्मत के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योनजा के दौरान इन सड़कों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई.

(ग) क्या अनेक परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय मुख्यत : राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। अन्य राज्य सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के

रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियों का वर्षवार आबंटन किया जाता है तथा जम्मू और कश्मीर राज्य को 1985-86 से 1989-90 की अवधि के दौरान 806.10 लाख रु. और 1990-91 से 1993-94 की अवधि के दौरान 424.58 लाख रु. की राशि आबंटित की गई थी।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मतों के लिए निधियों का उचित रूप से उपयोग किया जाता है।

(घ) प्रश्न नही उठता।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण

4627. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्र विभिन्न भाषाओं में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों के भाषा-वार नाम क्या हैं और इनके लिए आवर्तन और अवधि क्या रखी गई है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों में नेपाली भाषी लोगों हेतु कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के नाम क्या हैं तथा इनके आवर्तन और अवधि क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिहं देव) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न केन्द्रों द्वारा उनकी समय-समय की कार्यक्रम-अपेक्षाओं के अनुसार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है तथा उन कार्यक्रमों को प्रदशनार्थ सूची बद्ध किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) हांलाकि दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता, सोमवार तथा मंगलवार को 25 मिनट के नेपाली कार्य्रक्रम नियमित आधार पर टेलीकास्ट करता है, लेकिन दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली, लखनऊ तथा गुवाहाटी भी समय-समय पर नेपाली कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विभागेत्तर कर्मचारियों के लिए समिति का गठन

4628. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल वापस लेते समय मंत्रालय द्वारा सहमत सेवा शर्तों के अनुसार विभागेत्तर कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में अध्ययन करने के लिए समिति गठित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त समिति कब तक गठित कर दी जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जब सरकार द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों के वेतन-ढांचे आदि की जांच के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है तब एक नीतिगत मामले के बतौर, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतन के ढांचे और उनकी सेवा शर्तों आदि की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जाती है। सरकार द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन अभी दिनांक 9-4-1994 को ही किया गया है। इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्टाफ फेडरेशनों से विचारार्थ विषयों के मसौदे के संबंध में सुझाव देने और साथ ही यह बताने को कहा गया है कि क्या वे यह चाहेंगे कि इस मुद्दे पर पांचवां वेतन आयोग विचार करे या इसके लिए एक अतिरिक्त विभागीय समिति का अलग से गठन किया जाए।

दूरदर्शन धारावाहिकों में हिंसा के दृश्य

4629. **श्री जीवन शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दूरदर्शन धारावाहिकों में हिंसा के दृश्यों का प्रतिशत किसी भी अन्य देश से अधिक है, जैसा कि 2 अप्रैल, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मोस्ट टी.वी. सीरियल्स हैव वायलेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन धारावाहिकों तथा फिल्मों में हिंसा, अभद्रता, नग्नता और अश्लीलता के दृश्यों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) सरकार को इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं। सर्वेक्षण में केवल दूरदर्शन कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस प्रकार की शिकायतें/सुझाव नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हैं क्योंकि दर्शकों की प्रतिक्रिया हमेशा एक-सी नहीं होती है तथा जब कभी भी आवश्यकता होती है उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार की शिकायतों/सुझावों का रिकार्ड केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजीटल नेटवर्क

4630. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को "रूरल इन्टीग्रेटिड डिजीटल नेटवर्क कार्यक्रम के कवरेज के अंतर्गत लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन-किन जिलों का चयन किया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर हिन्दी फिल्मों का दिखाया जाना

4631. **श्री जंगबीर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान दूरदर्शन पर कुल कितनी फिल्में दिखाई गईं;

(ख) इनमें से अलग-अलग कितनी वयस्क और बाल फिल्में दिखाई गईं;

(ग) क्या चालू वर्ष में केवल अच्छी फिल्में दिखाए जाने की कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) 1993 के दौरान दूरदर्शन ने अपने राष्ट्रीय नेटवर्क/दिल्ली तथा अन्य संबद्ध प्रसारण केन्द्रों पर हिंदी की 202 फीचर फिल्में दिखाई।

(ख) दूरदर्शन पर प्रदर्शित वयस्क तथा बाल फिल्मों की संख्या क्रमशः 20 तथा 8 थी।

(ग) और (घ) जी, हां। फिल्मों के प्रसारण की गुणवत्ता में और अधिक सुधार करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ने "प्रायोजकता योजना" के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

सड़क दुर्घटना

4632. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं चालकों की गलतियों के कारण होती हैं;

(ख) यदि हां, तो चालकों की क्षमता के परीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावकारी कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में चालकों की लापरवाही की वजह से हुई सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चालकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाने का है; और

(ङ) इन सावधिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भाग न लेने वाले चालकों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाने का विचार किया जा रहा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहा है कि वाहन-चालन (ड्राइविंग) लाइसेंस जारी करते समय चालकों की कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए।

(ग) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991 में 8065, 1992 में 8506 और 1993 में 8459 (अनन्तिम) दुर्घटनाएं हुईं। लगभग 80 प्रतिशत दुर्घटनाएं चालकों की गलती के कारण होती हैं।

(घ) नवम्बर, 1992 में चालकों के लिए पुनश्चर्या-पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे जो अभी भी चालू हैं। चालकों की प्रवीणता की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन आफ इंडिया भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। नेशनल एसोसिएशन आफ क्रिटिक्ल केयर मैडिसिन (इंडिया) ने भी इंस्पेक्शन पिट बुराड़ी, नई दिल्ली में चालकों के लिए 60 एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें लगभग 6500 चालकों ने भाग लिया।

(ङ) जिसको भी ऐसे प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है वह इनमें भाग लेता है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर टेलीफोन सेवा

4633. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चार महानगरों सहित देश में "सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस" शुरू करने के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : 8 भारतीय कंपनियों-दिल्ली, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में दो-दो कंपनियों-को अंतिम आधार पर चुना गया है कुछेक क्रंपनियों ने न्यायालय में सिविल याचिकाएं/विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं। यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। इस मामले में सुनवाईयां पूरी हो गई हैं और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी इस मामले में निर्णय दिया जाना है। देश के शेष भाग में सेल्यूलर मोबाइल टैलीफोन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

दूरदर्शन धारावाहिकों का चयन

4634. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन ने धारावाहिकों के चयन में मानदण्डों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर द्वारा धारावाहिकों के चयन में अनियमितताओं संबंधी मामला केन्द्रीय जाच ब्यूरो को भेज दिया गया है।

पारपत्र

4635. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 की अवधि में पारपत्र कार्यलयों में कार्यालय-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए,

(ख) वर्ष में आवेदकों की त्रुटियां दूर करने के लिए कितने आवेदन लौटाए गये और पुन जमा नहीं किए गए।

(ग) 31 दिसम्बर, 1993 तक की स्थिति के अनुसार कार्यालय-वार कितने पारपत्रों को मंजूरी दी गई, कितने अस्वीकृत किये गये और कितने लम्बित हैं; और

(घ) पुलिस जांच में देरी के कारण आज की तारीख तक कार्यालय-वार कितने पारपत्र लम्बित पड़े हैं ?

मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) 1993 के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा इस संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या, अस्वीकार्य किए गए आवेदनों की संख्या और बकाया आवेदनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सभी पासपोर्ट अधिकारियों को यह हिदायत दी गई है कि आवेदन प्राप्त होने के चार सप्ताह के अंदर अगर पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वे पासपोर्ट जारी करना न रोकें।

विवरण-I

1993 के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या

क्रम सं.	स्टेशन	नये आवेदन	विविध सेवायें
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	111325	60467
2.	बंगलौर	111035	32583
3.	बरेली	59603	29213
4.	भोपाल	25833	11856

1	2	3	4
5.	भुवनेश्वर	10069	3263
6.	बंबई	211059	155031
7.	कलकत्ता	42470	29796
8.	चंडीगढ़	73766	39156
9.	कोचीन	137771	76620
10.	दिल्ली	129632	75190
11.	गोवा	16065	15723
12.	गुवाहटी	8840	2794
13.	हैदराबाद	202069	108142
14.	जयपुर	67030	28657
15.	जालंधर	80042	35611
16.	कोषिकोड़	206917	103262
17.	लखनऊ	139215	33628
18.	मद्रास	152674	66646
19.	नागपुर	12934	3548
20.	पटना	45485	13469
21.	त्रिची	218491	56508
22.	त्रिवेन्द्रम	124600	75051
	कुल योग :	2186925	1056214

विवरण-II

1993 के दौरान जारी किए गए तथा अस्वीकार किए गए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या और 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार बकाया आवेदनों की संख्या

क्रम सं.	कार्यालय	स्वीकृत किए गए	अस्वीकार/समाप्त किए गए (अनन्तिम)	कुल बकाया	एक महीने से अधिक समय से बकाया
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	124080	1846	16897	14126
2.	बंगलौर	104060	885	19882	7089
3.	बरेली	61900	188	1798	1781
4.	भोपाल	26410	1652	3346	327
5.	भुवनेश्वर	11114	196	1956	245
6.	बंबई	209480	8606	49827	16216
7.	कलकत्ता	51720	4235	14707	4601
8.	चंडीगढ़	95554	3195	59912	49900
9.	कोचीन	183535	9100	8912	6225
10.	दिल्ली	128186	14799	33355	10464
11.	गोवा	16015	162	2350	'97
12.	गुवाहटी	9358	4	3071	1977
13.	हैदराबाद	215090	4575	23254	9222
14.	जयपुर	106104	1905	8988	1583
15.	जालंधर	110070	40	75547	67032
16.	कोषिकोड़	341000	12678	24609	18077
17.	लखनऊ	138457	6765	68231	66301
18.	मद्रास	188416	2825	13376	12819

1	2	3	4	5	6
19.	नागपुर	12890	166	1143	54
20.	पटना	46661	76	42979	36536
21.	त्रिची	334847	1746	36040	24471
22.	त्रिवेन्द्रम	194319	1062	12655	1161
		2709280	76706	522780	350304

उत्तर प्रदेश में गोपेश्वर (चमोली) में आकाशवाणी केन्द्र

4636. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गोपेश्वर (चमोली) में आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र से प्रसारण कब से शुरू हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिहं देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) गोपेश्वर में आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारण, परियोजना के पूरा हो जाने के बाद शुरू होगा जिसके वर्ष 1995-96 तक तैयार हो जाने की आशा है।

विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति

4637. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या राज्य के विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में अवस्थित विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 4724.44 मेगावाट है जिसमें 2592.94 मेगावाट जल विद्युत क्षमता, 2032.50 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता और राज्य क्षेत्र की 99.0 मेगावाट गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्रों की क्षमता एवं केंद्रीय क्षेत्र की 2100 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र की क्षमता शामिल है।

(ख) से (घ) वर्ष 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के किसी भी ताप विद्युत केन्द्र से कोयले के अभाव में विद्युत उत्पादन में हुई हानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

4638. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक स्थापित किए गये टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रतिशत क्या है;

(ख) ये टेलीफोन एक्सचेंज अब तक किन-किन स्थानों में स्थापित किए गये हैं और 1994-95 के दौरान कहां-कहां स्थापित करने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1993-94 में जिला-वार ग्राम पंचायतों में टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में स्थपित टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या 2334 है जो भारत में टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या का 12 प्रतिशत है।

(ख) 30 सितम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों के जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार ब्यौरे भी संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) 1993-94 के दौरान प्रदान किए गए ग्राम पंचायत टेलीफोनों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

30 सितम्बर, 1993 तक मध्य प्रदेश में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार ब्यौरे

क्रम सं.	जिला	स्थापित एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	34
2.	बस्तर	49
3.	बेतूल	34
4.	भिण्ड	41
5.	भोपाल	22
6.	बिलासपुर	92

1	2	3
7.	छत्तरपुर	26
8.	छिन्दवाड़ा	55
9.	दमोह	20
10.	दतिया	15
11.	देवास	58
12.	धार	88
13.	दुर्ग	27
14.	गुना	51
15.	ग्वालियर	38
16.	होशंगाबाद	68
17.	इंदौर	53
18.	जबलपुर	59
19.	झबुआ	31
20.	खंडवा	64
21.	खारगांव	87
22.	मंडला	23
23.	मंदसौर	101
24.	मुरैना	46
25.	नरसिंहपुर	39
26.	पन्ना	12
27.	रायगढ़	48
28.	रायपुर	74
29.	रायसन	37
30.	राजगढ़	32

1	2	3
31.	राजनंदगांव	26
32.	रतलाम	53
33.	रेवा	27
34.	सागर	51
35.	सरगुजा	25
36.	सतना	27
37.	सिहोर	37
38.	सिओनी	32
39.	शहडौल	29
40.	शाजापुर	62
41.	शिवपुरी	40
42.	सिदी	18
43.	टिकमगढ़	15
44.	उज्जैन	70
45.	विदिशा	29

विवरण-II

1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित किए जांने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों के जिलावार ब्यौरे

क्रम सं.	जिला	स्थापित. एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	5
2.	बस्तर	5

1	2	3
3.	बेतूर	3
4.	भिण्ड	3
5.	भोपाल	2
6.	बिलासपुर	8
7.	छत्तरपुर	8
8.	छिन्दवाड़ा	5
9.	दमोह	3
10.	दतिया	2
11.	देवास	4
12.	धार	4
13.	दुर्ग	3
14.	गुना	5
15.	ग्वालियर	4
16.	होशंगाबाद	10
17.	इंदौर	6
18.	जबलपुर	5
19.	झबुआ	3
20.	खण्डवा	3
21.	खरगांव	5
22.	मण्डला	4
23.	मंदसौर	5
24.	मुरैना	5
25.	नरसिंहपुर	3
26.	पन्ना	2
27.	रायगढ़	7

1	2	3
28.	रायपुर	4
29.	रायसन	5
30.	राजगढ़	5
31.	राजनंदगांव	5
32.	रतलाम	5
33.	रीवा	4
34.	सागर	5
35.	सरगुजा	5
36.	सतना	3
37.	सिहोर	2
38.	सियोनी	3
39.	शाहडौल	3
40.	शाजापुर	9
41.	शिवपुरी	4
42.	सिधी	3
43.	टिकमगढ	3
44.	उज्जैन	6
45.	विदिशा	4

विरण-III

1993-94 के दौरान प्रदान किए गए ग्राम पंचायत टेलीफोनों की जिलावार संख्या

क्रम सं.	जिला	स्थापित एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	176

1	2	3.
2.	बस्तर	251
3.	बेतूल	171
4.	भिण्ड	57
5.	भोपाल	29
6.	बिलासपुर	401
7.	छत्तरपुर	130
8.	छिन्दवाड़ा	177
9.	दमोह	115
10.	दतिया	41
11.	देवास	88
12.	धार	61
13.	दुर्ग	204
14.	गुना	149
15.	ग्वालियर	49
16.	होशंगाबाद	268
17.	इंदौर	शून्य
18.	जबलपुर	209
19.	झबुआ	60
20.	खण्डवा	202
21.	खरगांव	281
22.	मण्डला	188
23.	मंदसौर	137
24.	मुरैना	142

1	2	3
25.	नरसिंहपुर	88
26.	पन्ना	64
27.	रायगढ़	174
28.	रायपुर	256
29.	रायसन	122
30.	राजगढ़	202
31.	राजनंदगांव	161
32.	रतलाम	120
33.	रीवा	67
34.	सागर	236
35.	सरगुजा	67
36.	सतना	106
37.	सिहोर	48
38.	सियोनी	152
39.	शहडौल	82
40.	शाजापुर	104
41.	शिवपुरी	139
42.	सिधी	87
43.	टिकमगढ़	120
44.	उज्जैन	78
45.	विदिशा	98
	जोड़ :	6157

[अनुवाद]

दक्षिण एशियाई देशों को ऋण

4639. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार ने दक्षिण एशिया में अन्य देशों को देश-वार कितना ऋण दिया;

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 तक कुल कितना ऋण दिया गया और सम्बद्ध ऋणी देशों द्वारा कितने ऋण की अदायगी की गई;

(ग) क्या इस ऋण का संबंध उन देशों में स्थापित किसी परियोजना से है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ) देश-वार सूचना नीचे दी गई है :

भूटान

मार्च, 1993 में भूटान को 10 करोड़ रुपये की उद्यत ऋण सुविधा दी गई थी। जनवरी, 1994 में इसे बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया था। करार के अनुसार ली गई राशि को 6 महीने के भीतर वापिस किया जाना है। चूंकि यह उद्यत ऋण है इसलिए संवितरित की गई राशि और बकाया राशि घटती-बढ़ती रहती है। तथापि ब्याज का भुगतान प्रत्येक महीने किया जाता है।

यह उद्यत ऋण सुविधा किसी विशिष्ट परियोजना से सम्बद्ध नहीं है। यह भूटान को भारतीय रुपये की अल्पावधिक कमी को काबू पाने में सहायता करती है और इस प्रकार भारत के साथ व्यापार एवं वाणिज्य को सुविधाजनक बनाती है।

नेपाल

नेपाल को 1993 के लिए 35 करोड़ रुपये की उद्यत ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसे दिसम्बर, 1993 में बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया था। यूंकि यह उद्यत ऋण सुविधा है इसलिए संवितरित की गई राशि और बकाया राशि घटती-बढ़ती रहती है। तथापि, ब्याज का भुगतान प्रत्येक महीने किया जाता है।

यह उद्यत ऋण सुविधा किसी विशिष्ट परियोजना से सम्बद्ध नहीं है। यह भारतीय रुपये की अल्पावधिक कमी पर काबू पाने के लिए नेपाल की सहायता करती है और इस प्रकार भारत के साथ व्यापार एवं वाणिज्य को सुविधाजनक बनाती है।

बंगलादेश

30 करोड़ रुपये के ऋण के एक करार पर 1991 में हस्ताक्षर हुए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित की गई कुल राशि 3.68 करोड़ है। अभी तक कोई वापस भुगतान नहीं किया गया है। यह ऋण किसी परियोजना विशेष से सम्बद्ध नहीं है।

श्रीलंका

सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजभाषा क्रियान्वयन समिति

4640. **श्री ललित उरांव :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडलीय स्तर पर राजभाषा क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993 के दौरान कितनी बार इस समिति की बैठकें हुईं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और 3 पदाधिकारी तथा विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात, स्टील आथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेंल) और राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। सहायक निदेशक (राजभाषा) इसके सदस्य-सचिव हैं।.

(ग) वर्ष 1993 के दौरान इस समिति की दो बैठकें हुईं।

[अनुवाद]

स्विच लाइनों का स्वदेशी निर्माण

4641. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993 में स्विचिंग लाइन की कुल कितनी मांग थी और स्वदेशी निर्माताओं तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा क्रमशः इसके कितने भाग की आपूर्ति की गई और इनकी लागत कितनी थी;

(ख) क्या "सैंटर फार डवलपमेंट आफ टेलिमैटिक्स" ने दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर अपना क्षोभ व्यक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो स्विचिंग लाइनों इत्यादि के स्वदेशी निर्माताओं के सामने आई कठिनाईयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्होंने इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

टेलीफोन कनेक्शन

4642. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1994 के "जनसत्ता" में "तुरंत टेलीफोन लीजिए दलालों की मदद से" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने कदाचार की रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रुग्ण शिपिंग कंपनी

4643. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार के स्वामित्व वाली लम्बे समय से रुग्ण कुछ शिपिंग कंपनियों को पुनः चालू करने/बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक कंपनियों के संबंध में की जा रही कार्यवाही का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है; और

(ग) की जाने वाली कार्यवाही विशेष रूप से सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार के स्वामित्व वाली कोई नौवहन कंपनी लम्बे समय से रुग्ण नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिंधिया स्टीम नैवीगेशन एक निजी कंपनी है। अपनी देयता और दायित्वों के निर्वहन में असफलता के कारण भारत सरकार ने इसका निदेशक मंडल नियुक्त किया है तथा इसके निदेशकों की एक उप समिति भी गठित की ताकि अनुत्पादक और घाटे वाली परिसम्पत्तियों (अचल परिसम्पत्तियों को छोड़कर) बेची जा सकें।

आई.बी. घाटी में ताप विद्युत संयंत्र

4644. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.ई.एस. विद्युत निगम और उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के बीच आई.बी. घाटी में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में वार्ता पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र को लगाने वाली फर्मों और समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है और इस संयंत्र का स्थापना कार्य शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस चरण में है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ए.ई.एस. ट्रांस पावर के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के बाद अधिकतर मामलों को अंतिम रूप दे दिया गया है और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड तथा ए.ई.एस. ट्रांस पावर की सहायक कंपनी इब घाटी विद्युत प्राइवेट लिमिटेड के बीच विद्युत क्रय करार पर 9-5-1993 को हस्ताक्षर किए गए। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड और ए.ई.एस. ने एक संशोधित विद्युत क्रय करार पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। संबंधित करार की भारत सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में एस.टी.डी./आई.एस.डी./सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

4646. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिला-वार कुल कितने आई.एस.डी./एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित हैं और कार्य कर रहे हैं; और

(ख) राज्य में विभिन्न पंचायतों को जिला-वार कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये गये हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	जिलों का नाम	संस्थापित और चालू आईएसडी/ एसटीडी पीसीओ की संख्या	विभिन्न पंचायतों को प्रदान किए गए कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4
1.	पुणे	1195	560
2.	नासिक	403	983
3.	धुलिया	172	620
4.	जलगांव	258	785
5.	नागपुर	268	705
6.	रायगढ़	163	552
7.	कोल्हापुर	458	701
8.	सोलापुर	192	666

1	2	3	4
9.	सांगली	206	535
10.	सतारा	248	643
11.	रतनागिरी	68	305
12.	अहमदनगर	247	887
13.	औरंगाबाद	263	394
14.	जालना	64	309
15.	लाटूर	55	281
16.	ओसमानाबाद	57	[illegible]42
17.	बीड	35	206
18.	नानदेड	97	436
19.	परमनी	91	367
20.	कल्यान (थाने का हिस्सा)	897	692
21.	अकोला	135	449
22.	अमरावती	121	530
23.	भंडारा	50	521
24.	चंद्रपुर	81	323
25.	वार्धा	38	319
26.	यवतमाल	41	[illegible]
27.	सिंधुदुर्ग	11	307
28.	गडचिरोली	17	137
29.	बुलढाना	43	389
30.	बबंई, एमटीएनएल	3354	–

[अनुवाद]

मांस प्रसंस्करण संयंत्र

4647. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने आधुनिकीकृत मांस प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) कर्नाटक के किन स्थानों में ऐसे संयंत्र स्थापित किये जाएंगे ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) कर्नाटक मांस तथा पाल्ट्री विपणन निगम लिमिटेड से जिसे पहले बंगलौर एनिमल फ़ूड कारपोरेशन के नाम से जाना जाता था, बंगलौर, मैसूर, हुबलिक-धारवाड़, गुलबर्गा, मंगलौर और बेलगांव में आधुनिक मांस उत्पादन तथा मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव मंत्रालय को पिछले दो सालों में प्राप्त हुए हैं। इन पर कुल 15.5 करोड़ रुपये व्यय होंगे। मंत्रालय ने 2.84 करोड़ रुपये की लागत वाले बंगलौर मांस संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए मंजूरी दी है और उसके लिए 1992-93 में 71 लाख रुपये की सहायता दी है। अन्य प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और विदेश मंत्रालय के अवर सचिव के साथ वार्ता

4648. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1994 के दौरान ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और विदेश मंत्रालय के अवर सचिव और भारतीय अधिकारियों के बीच कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक के दौरान किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें वर्ष, 1994 के दौरान उच्चस्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान, भारत-यू.के. आर्थिक सम्बन्ध, आतंकवाद और भेषज-द्रव्यों के अवैध व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग, जम्मू और कश्मीर की स्थिति तथा भारत-पाक मामले शामिल हैं। यू.के. के साथ नियमित विदेश कार्यालय परामर्शों का उद्देश्य एक-दूसरे की हित चिन्ताओं के लिए समझबूझ बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को बल प्रदान करना था, जिसे इन वार्ताओं के दौरान हासिल किया जा सका।

भारत-बंगलादेश संयुक्त आर्थिक आयोग

4649. **डा. असीम बाला :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बंगलादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की चौथी बैठक के निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या इन बैठकों के दौरान दोनों देशों के बीच कोई समझौते हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो इन समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) भारत-बंगलादेश संयुक्त आयोग की चौथी बैठक (जो 28 दिसम्बर, 1993 को सम्पन्न हुई थी) के परिणामतः यह सहमति हुई थी कि दोनों देशों के पारस्परिक हित के लिए सहयोग का क्षेत्र और गति बढ़ाई जाएगी विशेषकर वाणिज्यिक, वित्तीय, औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में।

(ख) और (ग) उक्त बैठक की समाप्ति पर सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षरों के अलावा, बंगला देश से 100,000 से 150,000 मीट्रिक उन यूरिया के आयात के लिए भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) तथा बंगलादेश रासायनिक औद्योगिक निगम (बीसीआईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन भी सम्पन्न हुआ।

केरल में मत्तिका-जांच

4650. **डा. राजगोपालन श्रीधरण** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज की मात्रा का पता लगाने हेतु केरल की बालू उष्ण कटिबन्धीय बालू वाली मिट्टी की कोई जांच कराई गई है;

(ख) क्या इस मिट्टी को केरल यात्रा करने वाले विदेशी थैलों में भरकर ले गये हैं; और

(ग) बालू वाली मिट्टी के नमूने ले जाने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने केरल की तटीय बालू में भारी खनिजों की खोज की है। इस समय इलेमेनाइट, रुटाइल, जिरकोन, सिलिमेनाइट, मोनाजाइट और गारनेट जैसे भारी खनिज विद्यमान हैं।

(ख) केरल राज्य सरकार ने इस प्रकार की किसी घटना की सूचना नहीं दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका, कनाडा और जर्मनी के साथ प्रत्यर्पण संधि

4651. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :
श्री मोहन रावले :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु र अमरीका, कनाडा और जर्मनी के साथ, प्रत्यर्पण सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में देशवार अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) **संयुक्त राज्य अमरीका** : भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने एक नई प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने के लिए सितम्बर, 1993 में बातचीत का पहला दौर सम्पन्न किया प्रत्यर्पण संधि

को तकनीकी स्तर पर और आगे वार्ता पूरी कर लेने, तथा दोनों सरकारों द्वारा परिणामों का मूल्यांकन कर लेने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

कनाडा : कनाडा के साथ एक प्रत्यर्पण सन्धि पर 1987 में हस्ताक्षर हुए थे, और इस समय यह दोनों देशों के बीच लागू है।

जर्मनी : भारत और जर्मनी ने एक प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने के लिए बातचीत का दूसरा दौर फरवरी, 1994 में पूरा किया। तकनीकी स्तर पर संधि को अन्तिम रूप दे दिया गया है; तथा इस समय दोनों सरकारें इस का मूल्यांकन कर रही हैं।

[हिन्दी]

गुजरात की खान परियोजनाएं

4652. **श्री महेश कनोडिया :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की खान परियोजनाएं समय और लागत की दृष्टि से घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन परियोजनाओं का पुनरोद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास गुजरात में कोई खान परियोजना नहीं हैं। अतः समय और लागत की दृष्टि से घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना

4653. **श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण देश में पासपोर्ट के आवेदन की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रक्रिया को सरल बनाने में मुख्य बाधाएं कौन-कौन-सी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पासपार्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) न्यूनतम विलम्ब से पासपोर्ट जारी करने में प्रमुख बाधाएं अमले की कमी, प्रक्रिया संबंधी अड़चनें और आधारित संरचना संबंधी समस्याएं हैं। पासपोर्ट जारी करने में सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार कर्मचारियों की व्यवस्था, नीति, उपकरण, और कार्यालय परिसर आदि के संदर्भ में निरन्तर कार्रवाई करती रहती है ताकि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

नई दूरसंचार प्रणाली

4654. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुक :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के दूरसंचार क्षेत्र में अमेरिका-आधारित ह्यूजेज नेटवर्क सिस्टम को अपनी दूरसंचार प्रणाली प्रस्तुत करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रणाली की क्या विशेष बातें हैं और इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र में निर्माण कार्य

4655. **श्री सुधीर सावंत :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले अनेक निर्माण कार्यों के प्रस्ताव भेजे हैं और उन्हें शीघ्र कार्यान्वित करने के संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) 1989 में महाराष्ट्र सरकार ने 365.59 करोड़ रुपये लागत की 801 स्कीमें भेजी थीं, जिन्हें बढ़ी हुई केन्द्रीय सड़क निधि के तहत वित्त पोषित किया जाना था। इनमें से 42 स्कीमों को पुराने संकल्प के अनुसार संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दे दी गयी है। चूंकि, केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वृद्धि नही हुई है, अतः अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि इन स्कीमों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी।

बिना दावे वाले जलयानों का निपटान

4656. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन् :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बिना दावे वाले कितने जलयानों की मरम्मत हुई है तथा कितने जलयान विभिन्न शिपयार्डों में पड़े हैं;

(ख) यदि हां तो, शिप बिल्डिंग की कंपनियों ने बिना दावे वाले इन जलयानों के निपटान हेतु क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी शिपयार्ड में पिछले तीन वर्षों से दावा न किए गए किसी विदेशगामी जहाज की मरम्मत नहीं की गई और न ही ऐसा कोई जहाज पड़ा हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पोतों का संचालन

4657. **डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने थाईलैंड में जी पी ग्रुप के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है जिसने इस देश में अपने पोतों को चलाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार ने एक पुराने बल्क कैरियर के अधिग्रहण के लिए मैसर्स जी॰पी॰ शिपिंग लिमिटेड के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से अनुमोदन के लिए स्वीकृति दे दी है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता कम्पनी द्वारा पोत का पता लगाए जाने के बाद होती है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का परिरक्षण

4658. **श्री गुमान मल लोढा** :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गड़वाल पहाड़ी क्षेत्रों में अपर्याप्त और अप्रभावी भण्डारण, परिवहन और प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण काफी मात्रा में फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या फलों और सब्जियों की बरबादी के कारण उनकी कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ग) सरकार द्वारा इस कच्चे माल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) अपर्याप्त भंडारण, परिवहन और फसलोत्तर हैंडलिंग और प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण फल और सब्जियों का फसलोत्तर नुकसान होता है।

(ख) फल और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि का कारण फल और सब्जियों का मौसमी होने के अलावा निवेश, परिवहन भंडारण, पैकेजिंग आदि की कीमतें अधिक होना है।

(ग) सरकार विभिन्न फसलोत्तर प्रसंस्करण तथा हैंडलिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता और प्रोत्साहन दे रही है।

(घ) से (ङ) जी हां। सरकार विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है। पिछले दो सालों में विभिन्न राज्यों में सहायता प्राप्त ऐसे केन्द्रों की वर्षवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई
1	2	3
1992-93	हरियाणा	2
	उत्तर प्रदेश	18
	हिमाचल प्रदेश	1

1	2	३
1992-93	बिहार	३
	पश्चिम बंगाल	४
	मिजोरम	6
		38
1993-94	कर्नाटक	4
	तमिलनाडु	4
	उत्तर प्रदेश	2
	बिहार	6
	हिमाचल प्रदेश	3
	असम	11
	हरियाणा	6
	उड़ीसा	30
	अरुणाचल प्रदेश	2
	राजस्थान	2
	मध्य प्रदेश	2
	जम्मू और कश्मीर	1
	गोआ	1
	त्रिपुरा	1
	मिजोरम	1
	आन्ध्र प्रदेश	1
	केरल	1
	महाराष्ट्र	3

1	2	3
1993-94	पश्चिम बंगाल	1
	गुजरात	1
		83

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियां

4659. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**
श्री सूर्य नारायण सिंह :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री महेश कनोडिया :
श्री बलराज पासी :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरसंचार नेटवर्क के परिचालन एवं अनुरक्षण में विशेषतः मूल्य वर्धित सेवाओं हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उन कंपनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से कार्य आरंभ किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इन कंपनियों को शामिल किए जाने के विरोध में कोई ज्ञापन मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं। तथापि, मूल्यवर्धित सेवाओं को फैंचाइज करने के लिए पंजीकृत भारतीय कंपनियों से निविदाएं/प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकती हैं।

(ख) अनंतिम रूप से चुनी गई संयुक्त उद्यम वाली भारतीय कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेडियो पेजिंग

नीचे यथा उल्लिखित 15 बोलीदाताओं को 27 शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा फैंचाइज करने के लिए अनंतिम रूप से चुना गया है। कुछ असफल बोलीदाताओं ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में सिविल रिट-याचिका दायर की है और मामला न्यायाधीन है। तथापि, न्यायालय ने इस संबंध में कोई स्थगनादेश नहीं दिया है।

क्र॰ सं॰	पंजीकृत भारतीय कंपनियों का नाम	शहर	विदेश सहयोगकर्त्ता
1	2	3	4
1.	मैसर्स आर्या कम्युनिकेशन्स एंड इलेक्ट्रानिक्स, 105 मेकर चैम्बर्स 220, नारीमन प्वांइट, बंबई-400021	बंबई, बेंगलूर	मोटरोला आईएनटीएल पेजिंग, आईएनसी यू॰एस॰ए॰
2.	मैसर्स मैट्रिक्स पेजिंग (इंडिया) प्राईवेट लि॰, अनिल चैम्बर्स (क्राउन मिल्स के पास) अंधेरी-कुरला रोड, साकीमाका, बंबई-400072	पुणे, वडोदरा, राजकोट, सूरत	मैट्रिक्स टेलीकॉम़ लि॰ आस्ट्रेलिया
3.	मैसर्स टेलीसिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 23/1, वीं मेन रोड पोस्ट ऑफिस के निकट, वंसत नगर बेंगलूर–560052	मद्रास, बेंगलूर, एरनाकुलम, कोयम्बटूर, त्रिवेन्द्रम, मदुरई	टेलीसिस्टम, एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया
4.	मैसर्स एसजे टेलीकाम सर्विसेज प्राइवेट लि॰, 13, मस्जिद मोठ, डीडीए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110048	दिल्ली, बंबई	टेलीकाम आईएनटी एल न्यूजीलैंड

1	2	3	4
5.	मैसर्स इंडिया टेलीकाम्प, टेलीकाम हाउस, एल-12, साउथ एक्सटेंशन-II नई दिल्ली-110049	बंबई, अहमदाबाद, बेंगलूर, पुणे, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास	1. स्टीमर्स टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर। 2. इलेक्टकॉम्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
6.	मैसर्स मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि. 505, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001	दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, पुणे।	1. एनआईटीटीआई, जापान 2. सी-आईटीओएच जापान
7.	मैसर्स हटचिसन मैक्स टेलीकाम, 12वां फ्लोर, देविका टॉवर 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	अहमदाबाद, बेंगलूर, पुणे, वड़ोदरा, चंडीगढ़, हैदराबाद, लुधियाना	हटचिसन टेलीकाम, हांगकांग
8.	मैसर्स मोदी टेलीकम्युनिकेशन्स लि. 12, फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली-110065	मद्रास, भोपाल, कानपुर, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, इन्दौर, वाराणसी	कांफ्रेस नेटवर्क सिस्टम्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
9.	मैसर्स इंजी. कॉल कम्युनिकेशन्स (इंडिया) प्रा.लि., एल बी/5, अंसल भवन, 16, कस्तूरबां गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	कलकत्ता, हैदराबाद, नागपुर, इन्दौर, भोपाल, विशाखापट्टनम, पटना	ईजी कॉल कम्यू., फिलीपीन
10.	मैसर्स माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लि., 1202, चिरंजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	बंबई, कलकत्ता, वदोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट	फोन्स वेस्ट, यू.एस.ए.

1	2	3	4
11.	मैसर्स एबी सी कम्युनिकेशन्स (इंडिया) प्रा.लि., 44-बी, नरीयूमन भवन, नारीमन प्वांइट, बबंई-400021	दिल्ली, कानपुर, जयपुर, चंडीगढ़, वाराणसी, लुधियाना, अमृतसर	ए एंड बीसी कम्युनिकेशन्स लि., हांगकांग
12.	मैसर्स उषा मार्टिन टेलीकॉम लि., 16, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017	नागपुर, राजकोट, एर्नाकुलम, इंदौर, कोयम्बटूर, भोपाल, वाराणसी, पटना, मदुराई, विशाखापटनम	टेलीकॉम मलेशिया, बरहाद, मलेशिया
13.	मैसर्स बेस्टन पेजर्स प्रा.लि. वेस्टन हाउस, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020	कानपुर, नागपुर, सूरत, जयपुर, वदोदरा, चंडीगढ़, राजकोट, लखनऊ, विशाखापट्टनम, त्रिवेन्द्रम	1. चैंपियन, टेक्नालोजी लि. हांगकांग 2. हरिलेला कान्टज टेलीकॉम लि. हांगकांग
14.	मैसर्स बीपीएल सिस्टम एंड प्रोजेक्ट्स लि., 64 चर्च स्ट्रीट, बेंगलूर-560001	एर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम	1. फ्रांस टेलीकॉम मोबाइल्स इंटर-नेशनल्स 2. एलसीआई, यूएसए।
15.	मैसर्स बेल्ट्रान टेलीकम्युनिकेशन्स लि., जे-189, पीपल्स को-ऑपरेटिव, लोहियानगर, पटना-800020	सूरत, नागपुर, पटना, लुधियाना, अमृतसर	आईएमएल यूएसए

सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन

नीचे यथा-उल्लिखित 8 बोलीदाताओं (प्रत्येक शहर के लिए दो-दो) का अनंतिम रूप से चयन किया गया है। कुछ असफल बोलीदाताओं ने भारत के उच्चतम न्यायालय में सिविल रिट याचिकाएं/विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं। मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय की प्रतीक्षा है।

क्र॰ सं॰	पंजीकृत भारतीय कंपनी का नाम	शहर	विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम
1.	मैसर्स हटचिसन मैक्स टेलीकॉम, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	बंबई	मैसर्स हटचिजन, व्हामपोआ
2.	मैसर्स भारती सेल्युलर लिमिटेड 15वीं मंजिल, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	बंबई	(i) मैसर्स जनरल मोबाइल, यू॰के॰ (ii) एस॰एफ॰आर॰ फ्रांस
3.	मैसर्स बीपीएल सिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 1/1, पैलेस रोड, बेंगलूर-560001	दिल्ली	मैसर्स फ्रांस टेलीकॉम
4.	मैसर्स स्टर्लिंग सेल्युलर लिमिटेड, 19, कैथेड्रल गार्डन रोड, नुंगमबक्कम मद्रास-600034	दिल्ली	मैसर्स सेल्युलर कम्युनिकेशन इंटरनेशनल आईएनसी यूएसए
5.	मैसर्स ऊषा मार्टिन टेलीकॉम लिमिटेड, 503, हेमकुंत चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019	कलकत्ता	मैसर्स टेलीकॉम, मलेशिया
6.	मैसर्स इंडियन टेलीकॉम प्राइवेट लि॰ 13वां तल, हेमकुंत टावर 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	कलकत्ता	मैसर्स ओटीसी इंटरनेशनल, आस्ट्रेलिया
7.	मैसर्स स्काईसेल कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, सरदार मोहन सिंह बिल्डिंग कनॉट लेन, नई दिल्ली-1	मद्रास	मैसर्स बेल साउथ संयुक्त राज्य अमरीका
8.	मैसर्स मोबाइल टेलीकाम सर्विस लि॰, एन, 83 प्रताप बिल्डिंग प्रथम तल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001	मद्रास	मैसर्स वोडोफाईन, यू॰के॰

इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा

क्र. सं.	रजिस्टर्ड इंडियन कंपनी का नाम	शहर का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम
1.	मैसर्स आरपीजी टेलीकॉम लिमिटेड, टीएम) प्रताप भवन, प्रथम तल, एन-83, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001	देश में किसी भी स्थान पर	(i) स्प्रिंट इंटरनेशनल आईएनसी संयुक्त राज्य अमरीका (ii) आरपीजी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कार्पोरेशन संयुक्त राज्य अमरीका।

उपग्रह के द्वारा 64 के बी पी एस डॉटा सेवा

क्र. सं.	रजिस्टर्ड इंडियन कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी
1.	मैसर्स ह्यूग्स एस्कार्ट्स कम्युनिकेशन द्वितीय तल, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	ह्यूग्स नेटवर्क सिस्टम, संयुक्त राज्य अमरीका
2.	मैसर्स आर पी जी टेलीकॉम लिमिटेड प्रथम तल, प्रताप बिल्डिंग, एन-83, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001	कॉमस्ट्रीम कार्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका
3.	मैसर्स मैक्स इंडिया लिमिटेड देविका टावर, नहेरू प्लेस नई दिल्ली-110019	कॉमसेट कार्पोरेशन संयुक्त राज्य अमरीका
4.	मैसर्स एच.सी.एल. हेवलेट पेकर्ड लिमिटेड 503-504, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	जीटीई स्पेसनेट कार्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमरीका
5.	मैसर्स अमेडिअस इनवेस्टमेंट्स एंड फिनांस लेनटिन चैम्बर्स, दलाल स्ट्रीट, बंबई-400023	टेलस्ट्रा होलडिंग्स प्रोप्राएटरी लिमिटेड, आस्ट्रेलिया

कृषि प्रसंस्करण उद्योग के किसान

4660. **श्री हरिन पाठक : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे किसानों को छोटे खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने में समर्थ बनाने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को अपने उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) जी हां। खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए "व्यावहारिक अनुभव" दिलाने और छोटे खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए कम लागत की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के वास्ते सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने में सहायता दे रही है। केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने अनाजों और दालों, मसालों, फलों और सब्जियों, तिलहनों तथा मांस और पाल्ट्री पर आधारित बहुत से खाद्य उत्पादों के लिए विभिन्न कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का विकास किया है।

(ग) और (घ) अल्कोहल युक्त पेयों के आसवन और किणवन तथा चीनी को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। औद्योगिक लाइसेंस के बिना किसान भी ऐसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में डाक थैलों का गुम होना

4661. **श्री हरि केवल प्रसाद : क्या संचार मंत्री** 20 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2710 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करौलबाग डाकघर से लगभग 2 लाख मूल्य के बैंक ड्राफ्टयुक्त पंजीकृत पत्र के गुम होने के संबंध में सूचना अब तक एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) श्रीनगर जनरल पोस्ट आफिस के रजिस्टर्ड पत्र संख्या 289 दिनांक 13-8-1993 के प्रेषिती श्री इन्द्रनाथ सहगल, वर्धन बिल्डिंग, अजमल खां रोड, नई दिल्ली ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज कराया कि मोहम्मद युसूफ बेग पीबी 587 श्रीनगर, द्वारा भेजे गए उक्त रजिस्टर्ड पत्र, जिसमें उनके कहने के अनुसार 1,99,000 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट था, उन्हें प्राप्त

नहीं हुआ। इस पत्र के वितरित न होने के बारे में न तो प्रेषक ने और न ही प्रेषिती ने विभाग को कोई शिकायत की। विभागीय छानबीन से यह पता चला कि उक्त रजिस्टर्ड पत्र दिल्ली में 16-8 1993 को प्राप्त हुआ था। किन्तु जब इसे 17-8-1993 को वितरण के लिए करोल बाग डाकघर भेजा जा रहा था तो वह बैग जिसमें उक्त रजिस्टर्ड पत्र था, गुम पाया गया।

(ग) निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(i) पुलिस ने मामले की छानबीन पहले से ही शुरू कर दी है।

(ii) प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए उत्तरदायी पाए गए कर्मचारियों को उनके, कार्यालयों से स्थानांतरित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दे दिए गए हैं।

(iii) रजिस्टर्ड पत्रों/थैलों के निपटान की सूक्ष्म मानीटरिंग के आदेश भी दे दिए गए हैं।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित लागत

4662. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कुछ विद्युत परियोजनाओं की निर्धारित अनुमानित लागत से काफी अन्तर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी निर्माणाधीन परियोजनाएं कौन-कौन-सी हैं, मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अलग-अलग इनकी कितनी अनुमानित लागत निर्धारित की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिका का एनरान डेवलपमेंट कारपोरेशन

4663. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :
श्री राम कापसे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के एनरान डेवलपमेंट कारपोरेशन ने देश में विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की प्रमुख बातों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) का आयात करके दमोल में एक विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित किए जाने से संबंधित एनरान के प्रस्ताव को महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना की प्रमुख बातें निम्नवत हैं :

(1) सोपान-1 में 695 मेगावाट के दो सोपान संयुक्त साइकिल विद्युत केन्द्र शामिल हैं। सोपान-2 में 1320 मेगावाट की क्षमता शामिल है।

(2) नम्बर-2 डिस्टीलेट फ्यूल आयल से सोपान-1 के ईंधन की पूर्ति की जाएगी। सोपान-1-2 के पूरा हो जाने के पश्चात् सोपान-1 और 2 दोनों के ईंधन की पूर्ति एल.एन.जी. द्वारा की जाएगी।

(3) सोपान-1 की पूंजीगत लागत 910 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें पत्तन और ईंधन सुविधा, महाराष्ट्र सरकार और एम.एस.ई.बी. द्वारा निर्मित की जा रही सड़कें, जल आदि जैसी सम्बद्ध अवसंरचनाएं और निर्माण के दौरान ब्याज की राशि शामिल है।

(4) जुलाई/अगस्त, 1994 में वित्तीय समापन के लक्ष्य के पश्चात् सोपान-1 का निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने का अनुमान है और तत्पश्चात् संयंत्र को 33 महीने के बाद मार्च, 1997 में चालू किए जाने का अनुमान है। बेचटल प्रमुख ठेकेदार और जी.ई. (यू.एस.ए.) प्रमुख उपस्कर सप्लाईकर्ता होंगे।

(5) सोपान-1 के लिए आयोजित ऋण ईक्विटी का अनुपात 70 : 30 है।

(6) सोपान-2 के कार्य को आरम्भ करने और रूपात्मकताओं से संबंधित विद्युत क्रय समझौते में पर्याप्त नम्यता का समावेश किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेशी निवेश की दृष्टि से प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कुछ शर्तों के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उत्पादन और व्यापार नियंत्रण में छूट

4664. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं पर कोटा न्यूनतम निर्यात मूल्य और सरणीकरण द्वारा लगाये गये मात्रा संबंधी प्रतिबन्धों सहित अनेक नियंत्रण समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपाय से देश में एक जैसा बाजार बनाने में सहायता मिलेगी, जिसमें मूल्यों में कम-से-कम अंतर हो; और

(ग) यह उपाय कब से अपनाया जाएगा ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) सभी नियंत्रण समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वेद मारवाह समिति

4665. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए श्री वेद मारवाह की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति को एक निर्धारित अवधि के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी अवधि निर्धारित की गई थी; और

(घ) यदि अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं तथा यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाल शिक्षा कार्यक्रम

4666. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन गुजरात में बाल शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बाल शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संगमरमर की खानें

4667. **श्री भेरू लाल मीणा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संगमरमर की खानों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन

4668. **श्री हाराधन राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ख) राज्यों में प्रत्येक जिले में 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान दिये जाने वाले नये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) सूचना संकलित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन कार्यक्रम

4669. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में दिखाए जा रहे विदेशी कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए दूरदर्शन पर रात-दिन कार्यक्रम प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का दूरदर्शन प्रसारण की अवधि बढ़ाने हेतु वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसारण समय की वर्तमान अवधि को पर्याप्त माना गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

4670. **डा. लाल बहादुर रावल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) क्या अलीगढ़ जिले के हाथरस, अतरौली या सासनी में कोई केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित आकाशवाणी का रिले केन्द्र अलीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है जो इसके पूरा होने पर हाथरस, अतरौली तथा सांसी सहित सम्पूर्ण अलीगढ़ जिले को कवरेज उपलब्ध करवाएगा।

आगरा स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से हाथरस तथा सांसी को प्राथमिक ग्रेड दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध है। अतरोली, आगरा स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर तथा अलीगढ़ स्थित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की सीमावर्ती सेवा परिधि में पड़ता है जहां अभिग्रहण प्राप्त करने के लिए ऊंचे एण्टीना तथा बूस्टरों का प्रयोग किया जा सकता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के वे स्थान जहां विगत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए

	1991-92	1992-93	1993-94
आकाशवाणी	शून्य	शून्य	(i) फैजाबाद (ii) बरेली (iii) झांसी (iv) ओबरा
दूरदर्शन	(i) चुर्क (ii) मसूरी	(i) बरेली (ii) रामपुर (पुनः शुरू किया गया)	(i) लखनऊ (दूरदर्शन-II के कार्यक्रमों को रिले करने हेतु) (ii) रसरा

[अनुवाद]

कोचीन में कंटेनर टर्मिनल

4671. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में वलारपदम अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर टर्मिनल के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या कोचीन पत्तन और केरल सरकार की सहायता से कोचीन में एक द्वीप विकास प्राधिकरण का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्राधिकरण के उद्देश्य क्या होंगे;

(घ) क्या शहर एवं औद्योगिक विकास निगम (सीआईडीसीओ) मुम्बई इस परियोजना के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वलारपदम में कन्टेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना के लिए कोचीन पत्तन द्वारा निजी पार्टियों से सार्वभौमिक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इस संबंध में अब तक प्राप्त प्रत्युत्तर पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) से (ङ) केन्द्र सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

बंगलौर दूरदर्शन के लिए धारावाहिक

4672. **श्री वी. कृष्णा राव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रतिभाशाली बच्चे बंगलौर दूरदर्शन के लिए धारावाहिकों का निर्माण कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बच्चों द्वारा निर्मित धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मेघालय में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

4673. **श्री पीटर जी. मरबनिआंग** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय में 1993-94 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला गया और कितने नये एक्सचेंजों की शुरूआत की गयी; और

(ख) 1994-95 के दौरान राज्य में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है और ये एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) (i) मेघालय में वर्ष 1993-94 से पूर्व सभी टेलीफ़ोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया था।

(ii) मेघालय में वर्ष 1993-94 के दौरान चालू किए गए नए एक्सचेंजों की संख्या पांच थी।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) (i) में उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

4674. **श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा वह कहां तक उपलब्ध हुआ है; और

(ख) ये टेलीफोन एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर लगाये गये हैं; ये किस-किस टाइप के हैं और प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता कितनी-कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष-वार लक्ष्य सकल लाइनों के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, लक्ष्य और उपलब्धि निम्नलिखित हैं :

वर्ष	लक्ष्य (सकल लाइनें)	उपलब्धि (सकल लाइनें)
1991-92	52736	65436
1992-93	87876	105638
1993-94	80260	121704

(ख) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान, संस्थापित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की अवस्थिति, प्रकार और क्षमता के बार मे ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण I, II, और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

आन्ध्र प्रदेश में 1991-92 के दौरान प्रकार तथा क्षमता सहित संस्थापित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की अवस्थिति

क्रे. सं.	एक्सचेंज का नाम	जिला	क्षमता	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	चिन्नयाकुल्लूर	अन्नतपुर	56 लाइनें	
2.	पायसमपल्ली	कुडुपा	56	

1	2	3	4	5
3.	दुर्गा समुद्रम	चित्तूर	56	
4.	लडागिरी	कुरनूल	56	
5.	न्यू मदारम	कुडुप्पा	88	
6.	टीएएक्स बिल्डिंग वीजे	कृष्णा	88	
7.	सीटीएक्स बिल्डिंग वीजे	कृष्णा	88	
8.	कोसुख	कृष्णा	88	
9.	जी कोडूरू	कृष्णा	88	
10.	कुकट पल्ली एच बी	रंगारेड्डी	384	
11.	कुकट पल्ली एच बी	रंगारेड्डी	304	
12.	डाबा गार्डन	विशाखापटनम	2 हजार लाइनें	
13.	श्रीहरिकोटा	नेल्लूर	420	
14.	मुर्शीशराबाद	हैदराबाद टेली. जिला	4 हजार लाइन	
15.	पेडापल्ली	करीमनगर	384	
16.	अटीली	प. गोदावरी	384	
17.	सिरपुर कागजनगर	अदिलाबाद	384	
18.	रेपाल्ली	गुन्टूर	384	
19.	सेतनापल्ली	गुन्टूरर	384	
20.	रायदुर्ग	अनंतपुर	384	
21.	हनुमान जं.	कृष्णा	384	
22.	एमींगनूर	कुरनूल	384	
23.	इच्छापुरम	श्रीकाकुलम	384	
24.	कोराटला	करीमनगर	384	
25.	मुम्मीदिवारम	पूर्वी गोदावरी	384	
26.	बेलमपल्ली	करीमनगर	384	

1	2	3	4	5
27.	साथुपेल्ली	खमाम	384	
28.	दूरसंचार भवन	हैदराबाद टेली. जिला	3 हजार लाइन	
29.	श्रीकालाहाटी	चित्तूर	384	
30.	वीनूकोंडा	वीनूकोंडा	384	
31.	पलासा	श्रीकाकूलम	384	
32.	पार्वतीपुरम	विजियानगरम	384	
33.	चल्लापल्ली	कृष्णा	384	
34.	चोदावरम	विशाखापटनम	384	
35.	नरसीपटनम	विशाखापटनम	384	
36.	जेगारेड्डीगुडम	प. गोदावरी	384	
37.	येल्लाण्डू	खमाम	384	
38.	मानुमुख	खम्मम	384	
39.	गनपवरम	प. गोदावरी	384	
40.	तंदूर	रामडानेडी	1000	
41.	ज्योतिनगर	कृष्णानगर	290	
42.	पालमानेर	चित्तूर	296	
43.	रजोले	प. गोदावरी	296	
44.	वेंकटागिरी	नेल्लूर	296	
45.	अल्लागडा	कुरनूल	420	
46.	बेथमचेरिया	कुरनूल	420	
47.	हिल कोलोनी	नुलगोंडा	192	
48.	उरावाकोडा	अनंतपुर	192	
49.	श्री शैसम-पी	कुरनूल	192	
50.	नायडूपेट	नेल्लोर	192	

1	2	3	4	5
51.	8वीं इनकलाइन	करीमनगर	192	
52.	अचांता	प. गोदावरी	192	
53.	प्रशानिथियलयम	अनंतपुर	192	
54.	येलेश्वरम	पू. गोदावरी	192	
55.	पामिडी	अनंतपुर	192	
56.	जगमपेटा	प. गोदावरी	192	
57.	येलामनचिली	विशाखापटनम	192	
58.	सिगरायाकोडा	प्रकासन	192	
59.	कुप्पम	चित्तूर	192	
60.	बंटमिल्ली	कृष्णा	192	
61.	कोइल कुटा	अनमूल	192	
62.	वल्लूर	प. गोदावरी	88	
63.	अरावली	प. गोदवरी	88	
64.	वटीचेरीकुलू	गुन्टूर	88	
65.	कोटीपल्ली	गुण्टूर	88	
66.	मुलुग	वारेगल	88	
67.	नन्दीकोटकूर	कुरनूल	160	
68.	चितयाल	नलगोंडा	88	
69.	खानापुर	आदिलाबाद	88	
70.	परचूर	प्रकासम	88	
71.	मधीरा	खम्मण	160	
72.	इब्राहिमपटनम	रंगारेड्डी	240	
73.	हुसनाबाद	करीमनगर	240	
74.	सोमपेटा	श्रीकाकुलम	240	

1	2	3	4	5
75.	टेक्काली	श्रीकाकुलम	160	
76.	अटमाकुर	नेल्लूर	160	
77.	भीमनीपटनम	विशाखपटनम	160	
78.	कोठावलसा	विजयानगरम	160	
79.	श्रृंगावरपुकोटा	विजयानगर	160	
80.	कांचिकचेरिया	कृष्णा	240	
81.	पुनिवेंडुला	कुड्डुप्पा	240	
82.	राजवेल	महबूब नगर	160	
83.	नारायण पेटा	महबूंब नगर	240	
84.	थोर्रूर	वांरगल	160	
85.	इशनापुर	वारंगल	160	
86.	परीगी	रंगा रेड्डी	88	
87.	बिक्काबोलू	पू. गोदावरी	160	
88.	डोडीपटला	प. गोदावरी	88	
89.	एलामनचिली	प. गोदावरी	88	
90.	मंत्रालयम	कुरनुल	88	
91.	चेबरोलू	प. गोदावरी	88	
92.	डी. गनवरम	पू. गोदावरी	88	
93.	मुक्कामला	"	88	
94.	चल्लापल्ली	"	88	
95.	गोकावरम	"	88	
96.	कोककोंडा	"	88	
97.	श्रीसिस्यलमम देवास्थनम	कुरनूल	88	
98.	एल्लापल्ली	गुण्टूर	88	

1	2	3	4	5
99.	नंदीविलोगो	गुंण्टूर	88	
100.	दाचिपल्ली	गुंण्टूर	88	
101.	ताडीकोंडा	गुण्टूर	88	
102.	वेमुख	गुण्टूर	88	
103.	अमरावली	गुण्टूर	88	
104.	वेलपुर	प. गौदावरी	88	
105.	नरपाला	अनंतपुर	88	
106.	गुडूर	कृष्णा	88	
107.	गोपालापुरम	प. गोदावरी	88	
108.	उंडी	"	88	
109.	डबाचेरला	"	88	
110.	पोण्डरू	श्रीकाकुलम	88	
111.	हीरामनैण्डलम	"	88	
112.	अदावीरम	विशाखापटनम	88	
113.	चेल्लूर	कुडूब	88	
114.	वेटापलमय	प्रकासम	88	
115.	डल्ला	पू. गोदावरी	88	
116.	सुखीनटीपल्ली	"	164	
117.	चेबरोलू	गुण्टूर	88	
:18.	सब्बावरम	विशाखापटनम	88	
119.	नक्कापल्ली	"	88	
120.	शांतिनगर	महबूब नगर	88	
121.	मडगुला	विशाखापटनम	88	
122.	मुदिनपल्ली	कृष्णा	160	

1	2	3	4	5
123.	मोगादूर	प. गोदावरी	88	
124.	वटसवाड़	कृष्णा	88	
125.	गोल्लापलेम	पू. गोदावरी	88	
126.	चण्डूर	नालगोंडा	88	
127.	पमारू	कृष्णा	88	
128.	अटमाकुर	महबूब नगर	88	
129.	अल्लावरम	पू. गोदावरी	88	
130.	वल्लभपुरम	गुंटूर	88	
131.	वयरा	खम्माम	160	
132.	पुल्लाडीगुण्टा	गुंटूर	88	
133.	अचमापेट	महबूब नगर	88	
134.	जनारम	आदिलाबाद	88	
135.	करमचेडू	प्रकाशम	88	
136.	अलामुरू	पू. गोदावरी	164	
137.	मिरचीपाडु	पू. गोदावरी	88	
138.	रघुदेवपुरम	पू. गोदावरी	88	
139.	मनकोडुर	करीम नगर	88	
140.	घटकेसर	रंगारेड्डी	160	
141.	तिरूमालागिरी	रंगारेड्डी	160	
142.	अभयापालेम	पू. गोदावरी	88	
143.	थिमापुरम	पू. गोदावरी	88	
144.	कोल्लापुर	महबूब नगर	88	
145.	तीजा	महबूब नगर	88	
146.	कोसिगी	महबूब नगर	88	

1	2	3	4	5
147.	पाथापटमम	श्रीकांडुलम	88	
148.	तनकल्लू	अनंतपुर	88	
149.	चंडालपाडू	कृष्णा	88	
150	तुरकयामियाल	रंगारेड्डी	88	
151.	चिनापुरम	कृष्णा	88	
152.	चन्द्रागिरी	चित्तूर	160	
153.	अड्डानकी	प्रकाशम	160	
154.	इचोडा	आदिलाबाद	88	
155.	कोडंगल	महबूब नगर	88	
156.	देवारकडरा	महबूब नगर	88	
157.	पेमैर	महबूब नगर	88	
158.	चौदेपल्ली	चित्तूर	88	
159.	कतरेनीकौना	पू. गोदावरी	88	
160.	गुट्टोना देवी	पू. गोदावरी	88	
161.	आई. पोलावरम	पू. गोदावरी	88	
162.	मुरामल्ला	पू. गोदावरी	88	
163.	केसनाकुरूवालम	पू. गोदावरी	88	
164.	मारतुरू	प्रकाशम	88	
165.	अब्दुल्लापुरमेट	रंगारेड्डी	88	
166.	राजनागरम	पू. गोदावरी	88	
167.	कडियाम	पू. गोदावरी	88	
168.	नगुलावंचा	खम्माम	88	
169.	आलमपुर	महबूब नगर	88	
170.	प्रथीपाडु	गुंटूर	88	

1	2	3	4	5
171.	मंडलम	गुंटूर	88	
172.	कुचीपुडी	"	88	
173.	कोल्लुरू	"	88	
174.	नेकारीकल्लू	नलगोंडा	88	
175.	मछावरम	पू. गोदावरी	88	
176.	नवपाडा	श्रीकाकुलम	88	
177.	चिन्तापल्ली	विशाखापट्टनम	88	
178.	सपुर	रंगारेड्डी	88	
179.	कोलापुर	प. गोदावरी	88	
180.	पोडुरू	प. गोदावरी	88	
181.	पेरापलेम	प. गोदावरी	88	
182.	कोनीथीवाड	प. गोदावरी	88	
183.	चिंतापल्ली (बोडापाडू)	प. गोदावरी	88	
184.	आसिफाबाद	गुंटूर	88	
185.	जुल्लूरपाडाड	आदिलाबाद	88	
186.	वीरावसरम	खम्माम	160	
187.	नेलाकोडा	प. गोदावरी	88	
188.	पेनबाली	खम्माम	88	
189.	चोदावरम	प. गोदावरी	88	
190.	जमीगोलवपल्ली	कृष्णा	88	
191.	मल्लेपल्ली	नालगोंडा	88	
192.	खलीपल्ली	मेडक	88	
193.	मुनगोड़े	नलगोंडा	88	
194.	चीनागंजम	प्रकाशम	88	

1	2	3	4	5
195.	डोरमाडल	प्रकाशन	160	
196.	मलकापल्ली	प. गोदावरी	88	
197.	येरनागोडम	प. गोदावरी	88	
198.	पेडापाडु	प. गोदावरी	88	
199.	केलपुरू	प. गोदावरी	160	
200.	गुंडूगोलान	प. गोदावरी	160	
201.	पेरावल्ली	प. गोदावरी	160	
202.	दुववा	प. गोदावरी	88	
203.	वेगेश्वरपुरम	प. गोदावरी	88	
204.	सैरेड्डीपल्ली	चित्तुर	88	
205.	केशामुदरम	वारंगल	160	
206.	हासनपार्थी	वारंगल	88	
207.	मड्डीपाडू	प्रकाशम	88	
208.	शांतनुथइयापाडु	प्रकाशम	88	
209.	उप्पूगुंडरू	प्रकाशम	88	
210.	कोंडरूपाडू	गुंटूर	88	
211.	उप्पलापाडू	"	88	
212.	अमरूथलूर	"	88	
213.	गुराजाला	"	88	
214.	क्रोसुरू	"	88	
215.	मिदथूर	करनूल	88	
216.	गजपतिनगरम	विजयनगरम	88	
217.	चोप्पाडंडी	करीम नगर	160	
218.	इंदरवल्ली	आदिलाबाद	88	

1	2	3	4	5
219.	कोथाचेरूवू	अंतंतापुर	88	
220.	बुग्गा	अनंतापुर	88	
221.	कदूरू	कृष्णा	88	
222.	गामपालागुदेव	कृष्णा	88	
223.	कोदूर	कृष्णा	88	
224.	कदथाल	महबूब नगर	88	
225.	डचचीरेड्डीपलम	नेल्लोरे	160	
226.	पुल्ला	प. गोदावरी	88	
227.	मोटुरू	कृष्णा	88	
228.	तंगुतुर	प्रकाशम	160	
229.	पोलावराम	प. गोदावरी	88	
230.	बट्टाटायागुदेम	प. गोदावरी	88	
231.	पेडांनदीपाडु	गुंटूर	160	
232.	नुम्बुर	"	160	
233.	विंजामारू	नेल्लोर	160	
234.	मुक्तेश्वरम	प. गोदावरी	160	
235.	मुनुगापाका	विशाखापट्टनम	88	
236.	चिंतलापुडी	प. गोदावरी	160	
237.	पेंडुर्थी	विशाखापट्टनम	160	
238.	पारगी	रंगारेड्डी	88	
239.	बशीराबाद	रंगारेड्डी	88	
240.	कीसारा	रंगारेड्डी	88	
241.	चेवेलिया	रंगारेड्डी	88	
242.	अजीजनगर	रंगारेड्डी	88	

1	2	3	4	5
243.	द्वेवरीयामजल	रंगारेड्डी	88	
244.	मनखाल	रंगारेड्डी	88	
245.	मधुरावाडा	विशाखापट्टनम	160	
246.	परवाड़ा	विशाखापट्टनम	88	
247.	माइडुकुरू	कुड्डापाट	160	
248.	पोरूमामिल्ला	कुड्डापाट	88	
249.	चेन्नुरू	नलगोंडा	88	
250.	रामायामपेट्टी	महबूब नगर	160	
251.	उप्पाड़ा	पूर्व गोदावरी	88	
252.	पेडायांदावल्ली	पूर्व गोदावरी	88	
253.	कलवाकुर्थी	महबूब नगर	160	
254.	पासरलापुडी	पूर्व गोदावरी	88	
255.	करापा	पूर्व गोदावरी	88	
256.	मोमिनपेट	रंगारेड्डी	88	
257.	करीमनगर (सेवा)	करीमनगर	160	
258.	मोलागावल्ली	करनूल	56	
259.	होलागुंडिया	करनूल	56	
260.	मुडानूर	कुड्डापाह	56	
261.	कोंडापुरम	कुड्डापाह	56	
262.	खाजीपेट	कुड्डापाह	56	
263.	एदारा	कृष्णा	56	
264.	अक्कीरेड्डीगुदेम	कृष्णा	56	
265.	सैदापुरम	नेल्लोर	56	
266.	गदाला	पूर्व गोदावरी	56	

1	2	3	4	5
267.	नंदावंदा	पूर्व गोदावरी	56	
268.	वट्टीचेरूकुरू	गुंटूर	56	
269.	डचावरम	गुंटूर	56	
270.	निदूमोल	कृष्णा	56	
271.	देवरापल्ली	विशाखापट्टनम	56	
272.	ब्रह्मागिरी	महबूब नगर	56	
273.	तकानल्ली	नलगोंडा	56	
274.	कालीगिरी	प्रकाशम	56	
275.	चिंतारापार्थी	चित्तूर	56	
276.	कल्लूर	चित्तूर	56	
277.	कुरावालाकोटा	चित्तूर	56	
278.	रोम्पीचेरिया	चित्तूर	56	
279.	कालीचेरिया	चित्तूर	56	
280.	महाल	चित्तूर	56	
281.	वडामालापेटा	चित्तूर	56	
282.	इराला	चित्तूर	56	
283.	स्टुवर्टपुरम	एर्नाकुलम	56	
284.	अलमकुर	अनंतपुर	56	
285.	एलामार्र	कृष्णा	56	
286.	वडापल्ली		56	
287.	पगिडियाला	कुरनूल	56	
288.	सोमानदपल्ली	अनंतपुर	56	
289.	अराकू	विशाखापट्टनम	56	
290.	धनवाडां	महबूब नगर	56	

1	2	3	4	5
291.	देवपुर	आदिलाबाद	56	
292.	तोतलावल्लरू	कृष्णा	56	
293.	गादीबेमिला	कुरुनल	56	
294.	कोटपल्ली	पूर्व गोदावरी	56	
295.	डोंगेरू	पूर्व गोदावरी	56	
296.	मोलाकलाचेरूवू		56	
297.	चिन्नतिप्पू	चित्तूर	56	
298.	बोमसमुद्रम	चित्तूर	56	
299.	नरहरिपेट	चि ूर	56	
300.	येरपेडू	चित्तूर	56	
301.	कठिपुडि	पूर्व गोदावरी	56	
302.	शंकरवरम	पूर्व गोदावरी	56	
303.	पूर्व विप्पारू	पश्चिम गोदावरी	56	
304.	रेगापुरम	कुरनूल	56	
305.	वंदियाटमकूर	कूरनूल	56	
306.	उव्वलवाड़ा	कुरनूल	56	
307.	तनिकल्ला	खम्माम	56	
308.	अंतरवाडी	पूर्व गोदावरी	56	
309.	अच्युतपुरम	पूर्व गोदावरी	56	
310.	मेल्लम	पूर्व गोदावरी	56	
311.	कटराबुल्लापल्ली	पूर्व गोदावरी	56	
312.	मोदीकोंडरू	गुन्टूर	56	
313.	नलरसापुर	आदिलाबाद	56	
314.	लोहेसिया	आदिलाबाद	56	

1	2	3	4	5
315.	के.जे. पुरम	विशाखापट्टनम	56	
316.	तलियापलेम	विशाखापट्टनम	56	
317.	एटिकोप्पाका	विशाखापट्टनम	56	
318.	पट्टमपल्म	पश्चिम गोदावरी	56	
319.	हंसावरम	पूर्व गोदावरी	56	
320.	राक्थुलापुडी	पूर्व गोदावरी	56	
321.	सिद्धवलम	कुडापाह	56	
322.	लक्कीरेड्डिपल्ली	कुडापाह	56	
323.	सोदाम	चित्तूर	56	
324.	नल्लाचेरुवू	अनंतपुरम	56	
325.	रणस्तलम	श्रीकाकुलम	56	
326.	पोलाकी	श्रीकाकुलम	56	
327.	बुर्जा	श्रीकाकुलम	56	
328.	वेसमूर	खम्माम	56	
329.	गुडिहाबनूर	आदिलाबाद	56	
330.	दमलचेरुबू	अनंतपुर	56	
331.	श्रीकृष्णपट्टलम	पूर्व गोदावरी	56	
332.	एस. रायवरम	विशाखापट्टनम	56	
333.	सीतानगरम	विशाखापट्टनम	56	
334.	कनकद्रीपल्ली	कुरनूल	56	
335.	पडगोपडी	खम्माम	56	
336.	चिंताकारी	खम्माम	56	
337.	गुडिवाडा	विशाखापट्टनम	56	
338.	पूसापत्तिरेगा	विजयनगरम	56	

1	2	3	4	5
339.	सर्वकोटा	श्रीकाकुलम	56	
340.	देवरापल्ली	कृष्णा	56	
341.	येरापलम	खम्माम	56	
342.	दरवणगुडेम	अनंतपुर	56	
343.	अमरपुरम	प. गोदावरी	56	
344.	अमिडियाला	अनंतपुर	56	
345.	मोहम्मदपुरम	नेल्लूर	56	
346.	मोदीराजगुडूर	कुरनूल	56	
347.	थिमापुर	कुरनूल	56	
348.	महानंदी	कुरनूल	56	
349.	सीमेंटनगर	कुरनूल	56	
350.	कोलीमिगुन्डला	कुरनूल	56	
351.	खम्बापुरम	कृष्णा	56	
352.	एरागुंटपल्ली	प. गोदावरी	56	
353.	तादुवई	प.गोदावरी	56	
354.	परागदावरम	प. गोदावरी	56	
355.	हनुमाकोंडा	वारंगल	56	
356.	भोगपुरम	विजयनगरम	56	
357.	मक्कुवा	विशाखापट्टनम	56	
358.	नरसायापलम	गुंटूर	56	
359.	दिगुवापाडू	कुरनूल	56	
360.	गडिगारेवलू	कुरनूल	56	
361.	संजामाला	कुरनूल	56	
362.	ब्रह्मणानकोटकुर	कुरनूल	56	

1	2	3	4	5
363.	बन्नूर	कुरनूल	56	
364.	वटकुर	खम्माम	56	
365.	चेन्नुरू	खम्माम	56	
366.	पेड्डूर	आदिलाबाद	56	
367.	कोराताल	आदिलाबाद	56	
368.	थोटापल्ली	खम्माम	56	
569.	कमाला	वारंगल	56	
370.	संगाम	नेल्लोर	56	
371.	मुंडुरू	प॰ गोदावरी	56	
372.	कोनीडेला	कुरनूल	56	
373.	अस्पारी	कुरनूल	56	
374.	कोक्कीरापाडू	प॰ गोदावरी	56	
375.	गजूलापल्ली	कुरनूल	56	
376.	गोसपाडू	खम्माम	56	
377.	वल्लभी	खम्माम	56	
378.	पंडितापुर	खम्माम	56	
379.	हलाहारर्वी	कुरनूल	56	
380.	मोहम्मदाबाद	रंगारेड्डी	56	
381.	करनकोटा	रंगारेड्डी	56	
382.	चिलामापुर	कुड्डाप्पा	56	
383.	संताजलेम	पूर्व गोदावरी	56	
384.	कंदुरूर	प्रकाशम	56	
385.	मरापल्ली	रंगारेड्डी	56	
386.	घरूर	रंगारेड्डी	56	

1	2	3	4	5
387.	कोटानंदूर	पूर्व गोदावरी	56	
388.	थोडांगी	पूर्व गोदावरी	56	
389.	पुरूषोतापटनम	पूर्व गोदवरी	56	
390.	रंग्गामपेटा	पूर्व गोदावरी	56	
391.	गर्जनपल्ली	पूर्व गोदावरी	56	

विवरण-II

आंध्र प्रदेश में 1992-93 के दौरान संस्थापित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के स्थान तथा प्रकार एवं क्षमता व स्थनावार ब्यौरे

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	जिला मुख्यालय	क्षमता	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.
1.	खुशाईगुडा	हैदराबाद टेलीफोन जिला	3.0 लाइनें	
2.	करंगडा	–वही–	3.0 लाइनें	
3.	कुक्करापल्ली	रंगारेड्डी	2.0 लाइनें	
4.	गोलीगुडा	हैदराबाद टेलीफोन जिला	4.0 लाइनें	
5.	रूदमपुर	खम्माम	88 लाइनें	
6.	तिरंगावारीपलम	गुंटूर	–वही–	
7.	कारमेरी	[illegible]ाद	56 लाइनें	
8.	चिंतूड़	खम्माम	56 लाइनें	
9.	शिवालयापुरम	गुंटूर	56 लाइनें	
10.	नेरेदिकेन्द्र	आदिलाबाद	56 लाइनें	
11.	हानमकोंडा	वारंगल	4.0 लाइनें	
12.	काजीपेट	वारंगल	5.0 लाइनें	
13.	बनीसा	आदिलाबाद	388 लाइने	

1.	2.	3.	4.	5.
14.	मदनसपल्ली	चित्तूड़	1632 लाइनें	
15.	रायमहोटी	कुडप्प	384 लाइनें	
16.	नरसरापेट	गुंटूर	1632 लाइनें	
17.	वापटला	गुंटूर	768 लाइनें	
18.	विकोहाबाद	रंगारेड्डी	384 लाइनें	
19.	इब्राहीमपट्टनम	रंगारेड्डी	384 लाइनें	
20.	हुजूराबाद	रंगारेड्डी	384 लाइनें	
21.	कलकालौर	कृष्णा	384 लाइनें	
22.	तिरूपुर	कृष्णा	384 लाइनें	
23.	वंगनारती	मेहबूबनगर	384 लाइनें	
24.	सदाशिवपेट्टा	मेडक	384 लाइनें	
25.	जोगीपेट	मेडक	–वही–	
26.	हाजारनगर	नालगोंडा	–वही–	
27.	राजम	श्रीकाकुलम	–वही–	
28.	जनगांव	वारंगल	–वही–	
29.	निदादेवोले	पश्चिम गोदावरी	1632 लाइनें	
30.	पी.सी. काम्पलेक्स	आदिलाबाद	160 लाइनें	
31.	चिन्नौर	आदिलाबाद	160 लाइनें	
32.	बोठ	आदिलाबाद	160 लाइनें	
33.	पापांदाईदुपेट	चित्तूड़	88 लाइनें	
34.	कमलापल्ली	निजामाबाद	–वही–	
35.	बी.एन. खंडीगा	चित्तूड़	–वही–	
36.	टी. नारसपुर	पश्चिम गोदावरी	88 लाइनें	
37.	वेंकटागिरिकोटा	नेल्लोर	160 लाइनें	
38.	थॉमबाल्लापल्ली	चित्तूड़	88 लाइनें	
39.	दुर्गासुन्दरम	–वही–	–वही–	

1.	2.	3.	4.	5.
40.	कांदूलवारीपल्ली	–वही–	–वही–	
41.	पुठालपेट्टा	–वही–	–वही–	
42.	थनेडानाडू	–वही–	–वही–	
43.	राजमपेट	कुडप्पा	384 लाइनें	
44.	वेंटीमिट्टा	–वही–	88 लाइनें	
45.	कारापा	पूर्वी गोदावरी	–वही–	
46.	पासरालमपुदी	–वही–		
47.	कोठीपल्ली	–वही–	–वही–	
48.	गोपालपुरम	–वही–	–वही–	
49.	फेन्नामडाडा	–वही–	160 लाइनें	
50.	दुराबाद	करीमनगर	88 लाइनें	
51.	कोट्टापल्ली	–वही–	160 लाइनें	
52.	बेजनकी	–वही–	88 लाइनें	
53.	केशवापट्टनम	–वही–	160 लाइनें	
54.	बौयारम	खम्माम	88 लाइनें	
55.	गराला	–वही–	88 लाइनें	
56.	कुसुमानची	–वही–	88 लाइनें	
57.	रोकोड़	–वही–	88 लाइनें	
58.	गोल्लापुडी	–वही–	88 लाइनें	
59.	कारापल्ली	–वही–	88 लाइनें	
60.	बोनाकाल्लू	–वही–	–वही–	
61.	मारीपाडा	वारंगल	–वही–	
62.	सुजाठनगर	खम्माम	–वही–	

1.	2.	3.	4.	5.
63.	वेंकेटपुरम	खम्माम	88 लाइनें	
64.	जग्गलपेट	कृष्णा	1400 लाइनें	
65.	कोटवालेरम	–वही–	88 लाइनें	
66.	गोपावरम	–वही–	88 लाइनें	
67.	जयंती	–वही–	88 लाइनें	
68.	नीमानूर	–वही–	–वही–	
69.	नेपीदेवी	–वही–	–वही–	
70.	कोडाली	–वही–	–वही–	
71.	ककारापाहू	–वही–	–वही–	
72.	केपाना	–वही–	160 लाइनें	
73.	कोठीपल्ली	–वही–	–वही–	
74.	मंडावपल्ली	–वही–	88 लाइनें	
75.	ओक	कुरनूल	88 लाइनें	
76.	येल्लूर	कुरनूल	88 लाइनें	
77.	श्रीवेल	–वही–	–वही–	
78.	खामला	–वही–	–वही–	
79.	गुंदूर	कृष्णा	–वही–	
80.	भरमगिरी	मेहबूबनगर	–वही–	
81.	चिन्नमबाथानू	–वही–	–वही–	
82.	तेलीकामपल्ली	–वही–	–वही–	
83.	मेकथाल	–वही–	–वही–	
84.	नारीकल	–वही–	–वही–	
85.	हावमपेट	–वही–	–वही–	

1.	2.	3.	4.	5.
86.	पेंटापल्ली	–वही–	–वही–	
87.	कोट्टूर	–वही–	160 लाइनें	
88.	अचमपेट	–वही–	–वही–	
89.	अमराचिंता	–वही–	88 लाइनें	
90.	लिंगल	–वही–	–वही–	
91.	रासापुर	–वही–	–वही–	
92.	जाकराबाद	मेडक	1000 लाइनें	
93.	दुबका	मेडक	88 लाइनें	
94.	सूरमपेटा	नालगोंडा	1400 लाइनें	
95.	देबरकोंडा	नालगोंडा	24.0 लाइनें	
96.	पाटीपाका	–वही–	88 लाइनें	
97.	परेड्थोरला	–वही–	160 लाइनें	
98.	रामनपेट	–वही–	160 लाइनें	
99.	कोमचिकला	पश्चिम गोदावरी	88 लाइनें	
100.	गल्लावनीथाला	–वही–	–वही–	
101.	वेंकेटरामगुंडाम	–वही–	–वही–	
102.	तेंनपा	–वही–	–वही–	
103.	योदागुंडी	–वही–	–वही–	
104.	रायकुपुरु	–वही–	–वही–	
105.	धनजीगुडम	–वही–	–वही–	
106.	गोरोपट्टनम	–वही–	–वही–	
107.	तांदीमाला	–वही–	–वही–	
108.	पूर्वी वीपूरम	वही	वही	

1.	2.	3.	4.	5.
109.	अंगदालि	–वही–	–वही–	
110.	मेघलतुराम	–वही–	–वही–	
111.	पार्लेवा रीगुडम	–वही–	–वही–	
112.	पाटीमाल्ला	–वही–	–वही–	
113.	बादीमाठा	–वही–	–वही–	
114.	इलीवेठी	–वही–	–वही–	
115.	कोंडावल्ली	पश्चिम गोदावरी	४४ लाइनें	
116.	अमलापुरम	"	४४ लाइनें	
117.	कलावानमपल्वी	"	"	
118.	कोठायाडू	"	"	
119.	तादीकुलपाडी	"	"	
120.	कन्नापुरम	"	"	
121.	चिनईगुडम	"	"	
122.	नाहनपुर	मेडक	"	
123.	कोडूर	कड्डापाह	192 लाइनें	
124.	बांडवल	"	192 लाइनें	
125.	मोहनाबाद	रंगारेड्डी	192 लाइनें	
126.	नारागत	रंगारेड्डी	192 लाइनें	
127.	मंतानी	करीमनगर	"	
128.	कोड़मुरू	कुरनूल	"	
129.	बोलाराम	मेडक	"	
130.	बनवाडा	निजामाबाद	"	
131.	येरोरड्डी	"	192 लाइनें	

1.	2.	3.	4.	5.
132.	गिड्डालूर	अंगोले	"	
133.	शिरपट टाउन	अदीलाबाद	56 लाइनें	
134.	सारंगपुर	निजामाबाद	56 लानइें	
135.	जैनम	अदीलाबाद	56 लानइें	
136.	मुधोले	"	"	
137.	कालमपल्ली	चित्तूड़	"	
138	कारवेतिनगर	"	"	
139.	तादुकपेट	"	"	
140.	बग्गा अग्राहम	अनन्तपुर	"	
141.	रामाकुप्पम	चित्तूर	"	
142.	तोकुलपल्ली	खम्माम	"	
143.	वेकेटपालयम	"	"	
144.	राजेश्वरपुरम	"	"	
145.	तालमपाडू	"	"	
146.	वीरनपल्ली	कृष्णा	"	
147.	पोटुमेडा	"	"	
148.	विश्वनाथपल्ली	"	"	
148.	आरिंगा	"	"	
150.	टाडोपाडू	"	"	
151.	तामीयन	"	"	
152.	जूज्जूर	"	"	
153.	हरीनाम	कुरनूल	"	

1.	2.	3.	4.	5.
154.	गांगेडले	कुर्नूल	56 लाइनें	
155.	कोथलम	"	"	
156.	किरीगिरी	"	"	
157.	डोमोपाडू	"	"	
158.	तिन्नमपेट	मेहबूबनगर	"	
159.	राधकोठपल्ली	मेहबूबनगर	"	
160.	मादीजी	"	"	
161.	उटनूर	"	"	
162.	तिपारथी	नेल्लोर	"	
163.	विडावलपुर	नेंल्लोर	"	
164.	यल्लापोला	"	"	
165.	जयारपू	"	"	
166.	लिंगम्पेड	जिजामाबाद	"	
167.	उलावापेडा	ओंगोले	"	
168.	कुरनूला	ओंगोले	"	
169.	बारवा	श्रीकाकुलम	"	
170.	गारा	"	"	
171.	यूरियम	"	"	
172.	कोड्डूर	"	"	
173.	सीतमपेट	"	"	
174.	नीजमपाडा	"	"	
175.	के॰एम॰ वोलेडा	"		
176.	श्री कुमदू	"	"	

1.	2.	3.	4.	5.
177.	वाडनाचेरमपल्ली	विशाखापट्टनम	56 लाइनें	
178.	सीतमपेट	"	"	
179.	धरमवरम	विसिंगाग्राम	"	
180.	जामी	"	"	
181.	कुजरला	पूर्वीगोदावरी	88 लाइनें	
182.	कोठीपुड़ी	"	88 लाइनें	
183.	मालीसाला	"	"	
184.	मदनपल्ली	"		
185.	कोवाकरम	"	"	
186.	गोदमपल्ली	"	"	
187.	रंगमपाडा	"	"	
188.	राजमणिगिरी	"		
189.	तंडराडा	"	"	
190.	नागुलमपल्ली		"	
191.	नरेन्द्रपुरम	"		
192.	अदालाग्गाला	"	"	
193.	दिविली	"	"	
194.	पाडीगुटेली	गुंटूर	1000 लाइनें	
195.	सुतलूर	"	88 लाइनें	
196.	पेंडरकुंपाडा	"	160 लाइनें	
197.	टी. बुन्दूर	गूंटूर	88 लाइनें	
198.	एस.जे. मुदी	"	160 लाइनें	
199.	परथूर	"	160 लाइनें	

1.	2.	3.	4.	5.
200.	पदमपालम	गुंटूर	88 लाइनें	
201.	चुमडोला	"	"	
202.	मेदीकोन्दरू	"	"	
203.	तिरूरामपुर	"	"	
204.	कोरूरून	"	"	
205.	पाथनाचिलम	"	160 लाइनें	
206.	हेमदुलामाथुर	"	88 लाइनें	
207.	कारमपाडी	"	"	
208.	कोनामकालू	"	"	
209.	नागरम	"	"	
210.	दूर्गो	"	"	
211.	मंदपाडा	"	"	
212.	अमंतवरम	"	"	
213.	लुनाला	"	"	
214.	वारकी	"	160 लाइनें	
215.	चिनाईगायपालम	"	88 लाइनें	
216.	एन.एल. चिनोला	"	"	
217.	चिरूखपल्ली	"	"	
218.	मडोचल	रंगारेड्डी	1000 लाइनें	
219.	मनीपेठ	"	88 लाइनें	
220.	नारपल्ली	"	"	
221.	बादंगीपेठ	"	"	
222.	एन. पाटलेगुडा	"	"	

1.	2.	3.	4.	5.
223.	हिन्दगुल	रंगारेड्डी	160	
224.	महावरम	"	88 लाइनें	
225.	करमकोठा	"	"	
226.	जागीत्याल	करीमनगर	2000 लाइनें	
227.	सिरोल्ला	"	1000 लाइनें	
228.	मेरापल्ली	"	384 लाइनें	
229.	सुलतानाबाद	"	160 लाइनें	
230.	एल.एन.डी. कालोनी	"	88 लाइनें	
231.	हिल कालोनी	नालगोंडा	160 लाइन्स	
232.	तुल्लूर	नेल्लौर	85 लाइन्स	
233.	बी.सी. संतराम	"	"	
234.	लुबूर	"	"	
235.	चिन्ना चेकरन	"	160 लाइन्स	
236.	टी.एफ. गुड्डूर	"	85 लाइन्स	
237.	वेकांडा	"	"	
238.	एस. कोटा	"	160 लाइन्स	
239.	बिनोबाकोंडा	निजामाबाद	85 लाइन्स	
240.	वोगरी	"	"	
241.	थारग्राम	"	"	
242.	सरगमपुर	"	"	
243.	नवीपेट	"	"	
244.	नाकापुर	प्रकाशम	1000 लाइन्स	
245.	चिल्लागांव	"	2000 लाइन्स	88 लाइन्स

1.	2.	3.	4.	5.
246.	धराज	प्रकाशम	58 लाइन्स	
247.	स्वरूप	"	85 लाइन्स	
248.	कामीगिरी	"	160 लाइन्स	
249.	मंडवारीपालम	"	85 लाइन्स	
250.	कोटाबामली	श्रीकाकुलम	160 लाइन्स	
251.	श्री रागाट्म	"	"	
252.	बुधीटी	"	85 लाइन्स	
253.	पाठाकोली	"	"	
254.	वी.एस. पुरम	"	"	
255.	राबातालम	"	"	
256.	काबीती	"	"	
257.	ममदास	"	"	
258.	पालकोंडा	"	"	
259.	बालाथोपरा	विशाखापट्नम	1000 लाइन्स	
260.	अम्मादपुरम	"	"	
261.	ए. कांगरू	"	"	
262.	वाडानी	"	"	
263.	बालाजीपेट	विजियावरम	"	
264.	सालरू	"	240 लाइन्स	
265.	गुरलम	"	88 लाइन्स	
266.	महासबराबाद	वारांगल	1000 लाइन्स	
267.	करमपेट	"	420 लाइन्स	
268.	जिसथाडा	"	88 लाइन्स	

1.	2.	3.	4.	5.
269.	चारपल	वारांगल	160 लाइन्स	
270.	सुगम	"	88 लाइन्स	
271.	कुतुरनारम	"	"	
272.	कालीपत्तनम	"	"	
273.	पोगुंडा	पश्चिम गोदावरी	1000 लाइन्स	
274.	पेठावरम	"	88 लाइन्स	
275.	नल्लापोरला	"	88 लाइन्स	
276.	गुदकिजारम	"	160 लाइन्स	
277.	पाढ़नानी दुर्कलम	"	160 लाइन्स	
278.	दाबंतूरू	"	58 लाइन्स	
279.	ब्लायबरमसरबाली	चित्तूड़	56 लाइन्स	
280.	अवंती	"	" "	
281.	कालनाडा	"	" "	
282.	पुल्लोरहाल	"	" "	
283.	नरसिंहरायनरम	"	" "	
284.	गालीवीडू	कुड्धा	" "	
285.	चिन्नामादेम	"	" "	
286.	टी. सुन्दरपाली	"	" "	
287.	गुराजनपल्ली	पूर्वी गोदावरी	" "	
288.	कुमाराजपेट	"	" "	
289.	वानापल्ली	"	" "	
290.	अपासरम	"	" "	
291.	घंटापाडवाडी	"	" "	

1.	2.	3.	4.	5.
292.	जगन्नाधागेरी	पूर्वी गोदावरी	56 लाइन्स	
293.	वल्लामकोंठा	गन्टूर	" "	
294.	अपीकाठला	"	" "	
295.	मुप्पाला	"	" "	
296.	मादुलगावेरी	"	" "	
297.	ए.जी. बालम	"	" "	
298.	दुलीपीडूं	"	" "	
299.	कोचीनापुडी	"	" "	
300.	इपूर	"	" "	
301.	कनकपालतालम	"	" "	
302.	पोमीदीनपालम	"	" "	
303.	बोदीपालम	"	" "	
304.	भृगवांडा	"	"	
305.	वालदुरर्थी	"	" "	
306.	शाबद	रंगारेड्डी	" "	
307.	महाराजपेट	"	" "	
308.	योचारम	रंगारेड्डी	" "	
309.	जगमगुड्डा	"	" "	
310.	मादनुरू	"	" "	
311.	पालगुट्टा	"	" "	
312.	वेकेटपुर	"	" "	
313.	बोम्मारजपेट	"	" "	
314.	बीलीगुडी	"	" "	

1.	2.	3.	4.	5.
315.	चीना कोलकुंडा	रंगारेड्डी	56 नाइनें	
316.	डांडामेलराम	"	" "	
317.	कुलाकचेरेला	"	" "	
318.	डीना	"	" "	
319.	मानोगुडा	"	" "	
320.	बोलमपल्ली	"	कुरनूल	
321.	वय्याराम	खय्याम	"	
322.	मोदीगुंडा	"	"	
323.	प्रोडातूर	"	"	
324.	श्रीरामपुरम	"	"	
325.	दूरमुटा	"	"	
326.	चंद्रगुंडा	"	"	
327.	दामनगुंडा	"	"	
328.	कोयांचिलुक्का	"	"	
329.	तिरूमालयम	"	"	
330.	रूकमनेपाटा	गोदावरी	"	
331.	पालनगुडम	"	"	
332.	गोगुंटा	"	"	
333.	मक्कीनपारोगुंडा	"	"	
334.	राघवपुरम	"	"	
335.	लक्ष्मीपुरम	"	"	
336.	चुम्मारूलू	"	"	
337.	सी एच पीठापल्ली	"	"	

1.	2.	3.	4.	5.
338.	कल्याणखानी	अदीलाबुम	कुरनूल	
339.	पुनागुरू	चिल्लम	"	
340.	ज्वालादुर्गा	कुडुप्पा	"	
341.	मधोरला	गुंटूर	"	

विवरण-III

आंध्र प्रदेश 1993-94 के दौरान संस्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की किस्म तथा क्षमता और स्थानों के नाम

1	2	3	4
1.	दंदापल्ली	आदिलाबाद	88
2.	कुरीरू	अनन्तपुर	88
3.	पेड्डावड्डुगुरू	अनन्तपुर	56
4.	दोनापुडी	गुंटूर	88
5.	संकरमपेटा	मेडक	88
6.	कालूवोया	नेल्लोर	88
7.	बिट्रारगुंटा	नेल्लोर	88
8.	भिकनूर	निजामाबाद	88
9.	बंदीपालम	कृष्णा	56
10.	पिलेर	चित्तूर	384
11.	नागरेड्डीपेट	निजामाबाद	88
12.	मकवाड़ापलेम	वारंगल	88
13.	रघुनाथपल्ली	"	88
14.	निगवा	आदिलावाद	56
15.	लक्ष्मनवन्दा	"	56

1	2	3	4
16.	मेदीसिटी	हैदराबाद दूरसंचार जिला	56
17.	अनकापल्ली	विशाखापट्टनम	2400
18.	पुल्लमपेटा	कुड्डापा	88
19.	कोय्यलागुडेम	नलगोंडा	88
20.	कुरूगोंडा	नेल्लोर	56
21.	अन्नामोड़ू	नेल्लोर	56
22.	पकाला	चित्तूर	192
23.	भेल (एमआईजी)	हैदराबाद दूरसंचार जिला	1000
24.	नल्लुरू	अनन्तापुर	88
25.	गुरूरामकोंडा	चित्तूर	88
26.	सोडम	"	88
27.	नरबाईपलेम	गुंटूर	88
28.	पेरावाली		88
29.	अडाबुलाटीवी	"	88
30.	स्टुवर्टपुरम	"	88
31.	बुर्गमवहाड़	खम्माम	88
32.	देवरावल्ली	कृष्णा	88
33.	मोरथड	निजामाबाद	88
34.	पोथागंल	"	88
35.	अल्लीनगरम	श्रीकाकुलम	88
36.	गोविंदरावपेटा	वारंगल	88
37.	घनपुर (एम)	वारंगल	88
38.	पटनम	अनन्तापुर	35

1	2	3	4
39.	मंगलपेटा	चित्तूर	56
40.	टेकमल	कहबूब नगर	56
41.	तुरमामिड़ी	हैदराबाद दूरसंचार जिला	56
42.	वडमालापेटा	चित्तूर	88
43.	आलेर	नलगोंडा	88
44.	दिचपल्ली	निजामाबाद	88
45.	कनूर	पश्चिम गोदावरी	85
46.	रातूर	गूंटूर	56
47.	पाखल	कुरनूल	56
48.	रमालाकोट	"	56
59.	मुडीवरथी	नेल्लोर	56
50.	सोमालिया	"	56
51.	कलवालापल्ली	पश्चिम गोदावरी	56
52.	दुब्बूर	कुड्डापा	88
53.	वसूला	"	88
54.	चित्तापुर	नेल्लोर	88
55.	नैदीमेट	निजामाबाद	88
56.	पिडीमीमावरम	विजयवरम	8[illegible]
57.	कृष्णम	"	88
58.	मल्लावरम	पश्चिम गोदावरी	88
59.	मंगमपेट	कुड्डापा	56
60.	बछोदा	खम्माम	56
61.	वी के पुरम	"	56

1	2	3	4
62.	अन्नापुरादीपल्ली	खम्माम	56
63.	नागूपल्ली	"	56
64.	थगुंड्राम	चित्तूर	56
65.	एपुरीलंका	गुंटूर	56
66.		"	56
67.	कोठाकोटा	विशाखापट्टनम	56
68.	कंबादुर	अनन्तापुर	56
69.	काकूमानू	गुटूंर	56
70.	मुरीकीपुंडी	"	56
71.	डिंडी	नलगोंडा	56
72.	दोनाकोंडा	निजामाबाद	56
73.	रोम्मेनसाल	अन्नतपुर	88
74.		"	88
75.	बथलापल्ली		88
76.	डंगेरू	पूर्व गोदावरी	88
77.	वाटीलुरू	पश्चिम गोदावरी	88
78.	लक्कावरम	"	88
79.	मुलकानूर	करीमनगर	88
80.	दम्मापेट	खम्माम	88
81.	गड्डीपल्ली	नलगोंडा	88
82.	पोडाबेगी (2 यूनिटें)	पश्चिम गोदावरी	160
83.	एल.बी. चेरला (जोठीपलेम)	"	88
84.	विजयराय	"	88

1	2	3	4
85.	नगीदापलेम	पश्चिम गोदावरी	88
86.	महादेवपटनम	पश्चिम गोदावरी	88
87.	मरेदूमिल्ली	पूर्व गोदावरी	56
88.	गंगाधरा	करीमनगर	56
89.	गंदराय	कृष्णा	56
90.	मियापुर	रंगारेड्डी	384
91.	गडाला	पूर्व गोदावरी	88
92.	कोसीगो	कुरनूल	88
93.	कुल्लू	मेडक	88
94.	भीमगल (2 यूनिटें)	निजामाबाद	160
95.	कोठापटनम	प्रकाशम	88
96.	मोलियापुट्टी	श्रीकाकुलम	88
97.	गंतगाडा	विजयनगरम	88
98.	गुडिवाडालंका	पश्चिम गोदावरी	88
99.	सिंगागुडेम		88
100.	चिनागट्टीगल्लू	गुंटूर	56
101.	ए. मल्लावरम	पूर्वगोदावरी	56
102.	मदारम	खम्माम	56
103.	कम्बलपाडू	कुरनूल	56
104.	कोन्डेपी	प्रकाशम	56
105.	यानम	पूर्वगोदावरी	384
106.	चेलेश्वरम	"	384
107.	पुट्टूर	चित्तूर	384

1	2	3	4
108.	बोब्बिली	विजयानगरम	384
109.	बोल्लाराम	मेडक	384
110.	पुट्टुर	अनंतापुर	56
111.	मुतचुकीटा	"	56
112.		श्रीकाकुलम	56
113.		"	56
114.		कड्डापा	296
115.	मेमूमुरू	चित्तूर	88
116.	मंगलागिरी	गुंटूर	1000
117.	करीमनगर	करीमनगर	1000
118.	हरिवरम	कुरनूल	56
119.	पेरूसोमाला	कुरनूल	56
120.	येम्मीगनूर	"	1000
121.	मुंजूलूर	कृष्णा	88
122.	मनिकोंडा	"	88
123.	कोरूकोंडा	"	88
124.	दिगवाल	मेडक	88
125.	रूद्रराम	"	88
126.	इस्माइलखानपेट	"	88
127.	कोठापल्ली	"	88
128.	पपन्नापेटा	"	88
129.	येल्दूरथी	"	88
130.	शंकरमपेटा-II	"	88

1	2	3	4
131.	जगदेवपुर	मेडक	88
132.	इंटुकूरपेट (2 यूनिटें)	नेल्लोर	160
133.	कोप्परू	पश्चिम गोदावरी	88
134.	रंगापुरम	"	88
135.	नल्लांबाडा	अनंतापुर	56
136.	रोद्दन	"	88
137.	एकआपलम	कुड्डापा	88
138.	संटकाविटी	श्रीकाकुलम	56
139.	अप्पीकटला	गुंटूर	88
140.	मुप्पाडा	"	56
141.	विकाराबाद	रंगारेड्डी	1000
142.	अदोनी	कुरनूल	1400
143.	कंकोपाडू	कृष्णा	1000
144.	सत्यनारायणपुरम	खम्माम	88
145.	मोदाकुता	"	56
146.	एम पी बंजारा	"	56
147.	शादनगर	महबूबनगर	1000
148.	योद्दमैलारम	मेडक	88
149.	विटलाम	निजामाबाद	88
150.	कोदट	नलगोंडा	1000
151.	बलागोंडा		88
152.	थूंगासूती	नलगोंडा	88
153.	उदयगिरी	नेल्लोर	88

1	2	3	4
154.	अडंडकी	खम्माम	384
155.	चिराला	"	1400
156.	चिंतलपुडी	पश्चिम गोदावरी	56
157.	कोडाडा (2 यूनिटें)	"	160
158.	श्रीपरू	"	88
159.	वेल्दूरथी	कुरनूल	184
160.	अटामाकुर	कुरनूल	184
161.	पोडालापुर	नेल्लोर	184
162.	परचूर	प्रकाशम	184
163.	अन्नावरम	पूर्व गोदावरी	192
164.	न्यू श्रीरामपुर (2)	आदिलाबाद	160
165.	इंदलुरू	कुड्डापा	88
166.	अमादलावालसा (3)	श्रीकाकुलम	240
167.	निदुरूर	रंगारेड्डी	88
168.	मालवी नगर	रंगारेड्डी	88
169.	वेटिटना गुलापल्ली	रंगारेड्डी	88
170.	डुब्बाचेरला	वही	88
171.	जग्गमगुड्डा	वही	88
172.	येल्लमपेट	वही	88
173.	दासुपल्ली	वही	88
174.	एन्नाराम	वही	88
175.	बंदियातमाकुर	कुरनुल	88
176.	वेक्ट्राप्रगडा	कृष्णा	88

1	2	3	4
177	परियापल्ली	[illegible]	४४
178.	वलंकी	वही	४४
179.	तल्लापलेम	वही	४४
180.	निदूमोलू	वही	४४
181.	रेड्डीगुडम	वही	४४
182.	अंगलुरू	वही	४४
183.	टाडीनाड़ा	वही	४४
184.	पोलावरम	वही	४४
185.	भुजबलपटनम	वही	४४
186.	पुटरेला	वही	४४
187.	मनोपड	महबूबनगर	४४
188.	मलडाकल	वही	४४
189.	राजोली	वही	४४
190.	मोसापेट	वही	४४
191.	केशमपेट	भेडक	४४
192.	मनोहराबाद	भेडक	४४
193.	दौलताबाद (2)	भेडक	४४
194.	मनुबोलू	नेल्लोर	४४
195.	हलिया	नलगोंडा	४४
196.	निदामानुर	वही	४४
197.	नामपल्ली	वही	४४
198.	पामूर	प्रकाशम	४४
199.	एल कोटा	विजियानगरम	४४

1	2	3	4
200.	कोवली	पश्चिम गोदावरी	88
201.	बोरमपलम	"	88
202.	रचालूर	"	88
203.	बछनापेट	वारंगल	88
204.	डोडलोरू	गुंटूर	56
205.	पोड्डामुल	रंगारेड्डी	56
206.	यलाल	"	56
207.	कोंगराविरयाल	"	56
208.	मारीपल्ली	"	56
209.	सरदार नगर	"	56
210.	मादीरोडड्डीप पल्ली	"	56
211.	गड़ीसिंगापुर	"	56
212.	रायपोला	"	56
213.	मछला	"	56
214.	रचालूर	"	56
215.	टुरकापल्ली	"	56
216.	कानेकल	"	56
217.	मिखानपेट	"	56
218.	छेनितिकल्लू	कृष्णा	56
219.	कनूमुर	"	56
220.	उरूकोंडा	महबूबनगर	56
221.	वालापरला	प्रकाशम	56
222.	जोडीमेतला	हैदराबाद दूरसंचार जिला	800

1	2	3	4
223.	विजयवाड़ा	कृष्णा	1000
224.	इरागदा	हैदराबाद दूरसंचार जिला	200
225.	सीआरआर (वीएस)	विशाखापट्टनम	383
226.	इंडस्ट्रीयल एस्टेट (वीएम)	"	296
227.	वारांगल	वारांगल	1000
228.	सोमाजीगुडा	हैदराबाद दूरसंचार जिला	200
229.	मलकपेट	"	2000
230.	विजयवाड़ा (मुख्य)	कृष्णा	1000
231.	इंडस्ट्रीयल एस्टेट (वीजे)	"	1000
232.	गोवलीगुडा	हैदराबाद दूरसंचार जिला	1200
233.	कुशईगुडा	हैदराबाद दूरसंचार जिला	160
234.	मछावरम (वीजे)	कृष्णा	5600
235.	वारंगल	वारंगल	1500
236.	मलकापुरम (वीएम)	विशाखापट्टनम	1360
237.	एमवीपी कोलोनी (वीएम)		2900
238.	पांडूरंगापुरम (वीएम)	"	900
239.	दादागारडेना (वीएम)	"	900
240.	सीथमधरा (वीएम)	"	2900
241.	सरूरनगर	हैदराबाद दूरसंचार जिला	1000
242.	वनस्थलीपुरम	"	1000
243.	मुशीराबाद	"	1000
244.	कुकटपल्ली	"	400
245.	अमीरपेठ	हैदराबाद दूरसंचार जिला	5000

1	2	3	4
246.	गोलकुंडा	वही	6000
247.	गोवालीगुडा	वही	6000
248.	सैफाबाद	-वही-	4000
249.	सैफाबाद	-वही-	20,000
250.	चारमिनार	-वही	7000
251.	मुशिराबाद	-वही-	7000
252.	सिंकदराबाद	-वही-	6000
253.	नंदियाल	कुरनूल	2000
254.	मेहबूबनगर	मेहबूबनगर	3000
255.	ताडेपल्लीगुडम	पश्चिम गोदावरी	3000
256.	तेनाली	गुंटूर	3500
257.	नालगुंडा	नालगुंडा	1400
258.	चिराला	प्रकाशम	1400
259.	अडोनी	कुरलून	1400
260.	आनन्ययापुरम	अनांथापुरम	1400
261.	पालावोंछा	खम्माम	1400
262.	गुडूर	नल्लोर	1400
263.	लिंगमपल्ली	रंगारेड्डी	1400
264.	अनाथापल्ली	विशाखापट्टनम	2400
265.	बीएचईएल (एचडी)	हैदराबाद दूरसंचार जिला	1000
266.	मंगलागिरी	गुंटूर	1000
267.	करीमनगर	करीमनगर	1000
268.	येम्मेनुर	कुरनूल	1000

1	2	3	4
269.	विकाराबाद	रंगारेड्डी	1000
270.	काकीपाडु	कृष्णा	1000
271.	शादनगर	महबूबनगर	1000
272.	कोडाडा	नालगोंडा	1000
273.	निरमल	अधिलाबाद	1000
274.	एकमबाराकुप्पम	चित्तूर	1000
275.	तिरूपति	वही	1000
276.	चिलाकालुरीपेट	गुंटूर	1000
277.	धोलेश्वरम	पूर्वी गोदावरी	1000
278.	राजामुंदरी	-वही-	1000
279.	शमसाबाद	रंगारेड्डी	1000
280.	वडवाल	महबूबनगर	1000
281.	लेल्लोर	लेल्लोर	1000
282.	पलासा	श्रीकाकुलम	1000
283.	विजयानगरम	विजयानगरम	1000
284.	तनुकू	पश्चिम गोदावरी	1000
285.	पालाकोड	-वही	1000
286.	अमालापुरम	पूर्वी गोदावरी	420
287.	येरागुन्तला	गुडाप्पां	296
288.	हिंदपुर	अनन्थापुर	420
289.	प्रोडातूर	कुडप्पा	420
290.	मेठक	मेठक	420
291.	बीएचईएल (एमआईजी)	रंगारेड्डी	400

1	2	3	4
292.	कुडुप्पा	गुडप्पा	400
293.	कुरनूल	कुरलूल	400
294.	तन्दूर	रंगारेड्डी	400
295.	विटापालम	प्रकाशम	296
296.	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम	1600
297.	केकालूर	कृष्णा	384
298.	पिलेरू	चित्तूर	384
299.	हनुमान जंक्शन	कृष्णा	384
300.	मेल्लेन्डू	खम्माम	384
301.	मियापुर	रंगारेड्डी	384
302.	यानम	पूर्व गोदावरी	384
303.	येलेश्वरम	पूर्व गोदावरी	384
304.	पित्तूर	चित्तूर	384
305.	बोबिली	विजयानगरम	384
306.	बोलाराम	मेठक	384
307.	बल्लापल्ली	कृष्णा	384
308.	पेड्डापल्ली	करीमनगर	384
309.	बोधान	निजामाबाद	384
310.	अडांकी	प्रकाशम	384
311.	तुनी	पूर्व गोदावरी	384
312.	सिरपुरकागजनगर	अदिलाबाद	384
313.	ताडीपत्री	अनन्तपुर	384
314.	प्रशान्तिनिलयम	-वही-	384

1	2	3	4
315.	वेमुतावाड़ा	करीमनगर	384
316.	एफ सी आई	-वही-	384
317.	अवनीगड्डा	कृष्णा	384
318.	तूरकयामजल	रंगारेड्डी	384
319.	गिडालूर	प्रकाशम	384
320.	पार्वतीपुरम	विजयनगरम	384
321.	जंगारेड्डीगुडम	पश्चिम गोदावरी	384
322.	श्रीसैलम	कुरूनूल	384

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

4675 **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उनके मंत्रालय में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने इस सम्बन्ध में अपनी सहमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली

4676 **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली की मांग और सप्लाई के बीच कितना अंतर है और इससे दूरसंचार सेवाओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण में किस सीमा तक बाधा पहुंची है; और

(ख) दूरसंचार विभाग का विचार इस अंतर को भविष्य में किस प्रकार पाटने का है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर की मांग तथा आपूर्ति के बीच कोई अन्तर नहीं है क्योंकि विनिर्माण क्षमता योजना संबंधी आवश्यकताओं से अधिक है। विस्तार और आधुनिकीकरण के लक्ष्यों में बिना किसी बाधा के वृद्धि हो रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ठेका श्रम

4677 **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में इस मंत्रालय के निगमों में अभी भी ठेका श्रम प्रणाली के द्वारा काम कराया जाता है;

(ख) किन-किन राज्यों में ठेका श्रम प्रणाली के जरिए परियोजनाएं/कार्य शुरू किए जा रहे हैं। तथा किन-किन राज्यों में यह प्रणाली समाप्त कर दी गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार ठेकेदारों के चंगुल से मजदूरों को मुक्त कराने के लिए अन्य राज्यों में भी ठेका श्रम प्रणाली समाप्त कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विज्ञापन नीति

4678 **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत की वास्तविकताओं पर आधारित विज्ञापन नीति बनाने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए प्रमुख विज्ञापन एजेंसियों की बैठक बुलाने का है;

(ख) क्या हमारे प्रसारण माध्यमों पर लागू प्रतिबंध, रोक तथा अन्य दिशा-निर्देश विदेशों में प्रचलित आचार-व्यवहार से प्रेरित हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार विज्ञापन नीति के मुद्दे पर भारतीय उद्योग के साथ और अधिक आदान-प्रदान करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) एजेंसियों के विचारों को जानने के लिए समय-समय पर इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार की नीतियों की सामान्य रूप रेखा के अंतर्गत भारतीय उद्योग के साथ पारस्परिक कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया है।

दिल्ली में खराब पड़े टेलीफोन

4679 **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बरसात के मौसम के दौरान विशेष रूप से बरसात के मौसम के आरम्भ में बड़ी संख्या में हर वर्ष टेलीफोन खराब हो जाते हैं;

(ख) 1991,1992 और 1993 के दौरान प्रत्येक वर्ष बरसात के कारण कितनी टेलीफोन लाइनें खराब हुई;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विस्तृत अध्ययन अथवा विश्लेषण कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) भविष्य में टेलीफोन खराब होने की ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं, तथापि पहली बार बारिश होने पर शिकायतों की संख्या में वृद्धि हो जाती है जिससे उन केबिलों पर प्रभाव पड़ता है जो वर्ष के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा खुदाई कार्य करते समय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

(ख) वर्षा के दौरान खराब हो जाने टेलीफोन लाइनें इस प्रकार हैं :-

1991	149624
1992	148459
1993	233093

(ग) जी हां, सरकार ने इस तथ्य का विश्लेषण करने के लिए एक समिति का गठन किया था।

(घ) समिति द्वारा की गई जांच के अनुसार प्रणाली के असफल होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :-

(1) विभिन्न नागरिक एजेंसियों द्वारा पूरे वर्ष बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य करने के कारण हमारे कुछ भूमिगत केबिल असावधानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये केबिल शुष्क मौसम के दौरान निष्क्रिय पड़े रहते हैं और वर्षा के दौरान इनमें पानी भर जाने से इनकी खराबियां स्पष्ट हो जाती हैं।

(2) जन-निकास प्रणाली के असफल होने के कारण बहुत से क्षेत्रों में पानी इकट्ठा हो जाना।

(ङ) भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और सभी संबद्ध यूनिटों, इनके कार्यान्वयन हेतु अनुदेश दिए गए हैं। ये इस प्रकार हैं :-

(1) केबिल को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए दिल्ली नगर पालिका, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विद्युत आपूर्ति यूनिट, लोक निर्माण विभाग, जल-कार्य आदि जैसी अन्य एजेंसियों और स्थानीय निर्माण समूह के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहले दाबीकृत किए गए केबिलों में दबाव बना हुआ है, नियमित पर्यवेक्षण किया जाएगा।

(3) डक्ट वाले केबिलों के लिए प्रयुक्त होने वाले मैनहोल दो एंटरी होलों के साथ पर्याप्त आकार के होंगे।

(4) दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र से अनुरोध किया गया है कि थर्मोश्रृंक ज्वाइंटों की जांच के लिए उपयुक्त विधि तैयार करें।

असम में पार्सलों की चोरी

4680. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के प्रधान डाक घर से कई पार्सल चोरी चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ढलवां लोहे की कमी

4681. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ढलाई फैक्ट्रियों को ढलवां लोहे की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में ढलाई फैक्ट्रियों द्वारा कच्चे लोहे की कमी के कारण किसी कठिनाई का सामना करने के बारे में

कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। विकास आयुक्त लोहा और इस्पात द्वारा 1993-94 में कच्चे लोहे के 85,000 टन के आबंटन की तुलना में लघु उद्योग निगम और उत्तर प्रदेश की फाउंड्री इकाइयों की एशोसिएशनों द्वारा फरवरी, 1994 तक केवल 35,937 टन कच्चा लोहा उठाया गया।

(ग) इस समय देश में कच्चे लोहे की कोई कमी नहीं है। मुख्य उत्पादकों के पास 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार लगभग 2.1 लाख टन कच्चे लोहे की माल-सूची थी। कच्चे लोहे के निर्बाध रूप से आयात करने की अनुमति है और आयात पर सीमा-शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सेवा निवृत्त व्यक्तियों को टेलीफोन

4682 **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में टेलीफोन शुल्क विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) क्या अत्यधिक शुल्क के कारण टेलीफोन मध्यम वर्ग और सेवानिवृत्त लोगों की पहुंच से बाहर है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेवा निवृत्त लोगों को इस संबंध में रियायती किराये प्रभार के साथ प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराकर कुछ राहत देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत में टेलीफोन शुल्क मध्यम वर्ग और सेवानिवृत्त लोगों की पहुंच से बाहर नहीं है। मध्यम वर्ग और सेवानिवृत्त आवेदकों की प्रतीक्षा सूची बहुत लम्बी है।

(ग) और (घ) सेवा निवृत्त व्यक्तियों के लिए रियायती शुल्क का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, सेवा निवृत्ति के समय इसके लिए निर्धारित वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों को टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

गुजरात में एस.टी.डी. सुविधायुक्त इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्र

4683 **श्री काशीराम राणा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामों में गत दो वर्षों के दौरान एस.टी.डी. सुविधायुक्त दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में निकट भविष्य में इस तरह के अनुमानतः कितने नए दूरभाष केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

अवधि	इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या
1992-93	80
1993-94	71

(ग) एस.टी.डी. सुविधा सहित 10 नई एक्सचेंजों तथा इसके अतिरिक्त 190 एक्सचेंजों को इलैक्ट्रो-मैकेनिकल से एस.टी.डी. सुविधा वाले इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से बदले जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में टेलीफोन का स्थानान्तरण

4684 **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में टेलीफोन उपभोक्ताओं के आवेदन पत्रों को शीघ्र नहीं निपटाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान, प्रत्येक महाप्रबंधक के कार्यालयों में महानगर टेलीफोन निगम, दिल्ली को टेलीफोन स्थानान्तरण/एस.टी.डी. क्नेक्शन/कनेक्शन काटने के संबंध में कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(घ) कितने आवेदन पत्रों का निपटान उनके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन पश्चात् कर दिया गया;

(ङ) शेष आवेदन पत्रों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय मूल के विदेशी छात्रों हेतु आरक्षण

4685 **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में कुछ सीटें विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के छात्र इन कालेजों में प्रवेश हेतु आरक्षित सीटों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी हां। प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न सरकारी इंजिनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों में स्ववित्त पोशित विदेशी छात्र योजना तथा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंर्तगत विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को नीचे लिखे अनुसार आबंटित करते हैं :-

इंजिनियरिंग	451
मैडिकल	40-45

(ग) और (घ) विदेशी राष्ट्रीयता वाले छात्र जिनमें भारतीय मूल के छात्र भी शामिल हैं, सरकारी मैडिकल तथा इंजिनियरिंग कालेजों में आरक्षित इन स्थानों पर प्रवेश पा सकते हैं। तथापि वे छात्र कि जो भारतीय राष्ट्रिक हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं, इन आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के पात्र नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर, 1993 के अपने निर्णय में गैर-सरकारी मैडिकल तथा इंनिनियरिंग संस्थानों में विदेशी छात्रों तथा अनिवासी भारतीयों के लिए उन संस्थानों की क्षमता का 15 प्रतिशत तक आरक्षण निर्धारित किया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में आकाशवाणी केन्द्र

4686 **श्री के. प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आकाशवाणी के पूर्ण विकसित केन्द्रों, रिले केन्द्रों तथा सहायक केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में ऐसे कुछ आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान राज्य में आकाशवाणी केन्द्रों के विस्तार हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) उड़ीसा राज्य में रेडियो केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सम्बलपुर में मौजूदा 30 कि.वा.मी. वे. ट्रांसमीटर की शक्ति का 100 कि.वा.मी. वेव ट्रांसमीटर में उन्नयन किया जा रहा है।

(घ) उड़ीसा में आकाशवाणी सेवाओं के विस्तार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमों की परिकल्पना की गई है :–

(i) जैपोर में 50 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमीटर

(ii) बहु-उद्देशीय स्टूडियो तथा जोरांडा के स्टाफ क्वार्टरों सहित 1 कि.वा.मी.वे.व. ट्रांसमीटर (स्थानीय रेडियो केन्द्र)।

(iii) पुरी में 3 कि. वाट एफएम ट्रांसमीटर (स्थानीय रेडियो केन्द्र)

(iv) बहु-उद्देश्यी स्टूडियो तथा राउरकेला के स्टाफ क्वार्टरों सहित 2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्थानीय रेडियो केन्द्र)।

दिल्ली में दूरभाष केन्द्र

4687 **श्री ब्रह्मानंद मंडल :**
श्री तेजनारायण सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में नए दूरभाष केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु चयन किए गए स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिल्ली में 1994-95 के दौरान सम्भवतः चालू किए जाने वाले एक्सचेंजों की सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम
1	2
1.	शक्ति नगर डी-वी
2.	बादली डी-I
3.	इदगाह डी-I
4.	शाहदरा डी-II
5.	लक्ष्मी नगर डी-IV
6.	जोर बाग डी-III
7.	भीकाजी कामा प्लेस डी-I
8.	चाणक्यपुरी डी-I

1	2
9.	हौज खास डी-I
10.	नेहरू प्लेस डी-III
11.	ओखला डी-II
12.	जनकपुरी डी-III
13.	राजौरी गार्डन डी-III
14.	तेखंड डी-I
15.	दिल्ली कैंट डी-I

आकाशवाणी प्रसारण सेवाएं

4688 **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्री वी.एस. विजयराघवन :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आकाशवाणी सेवाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) क्या आकाशवाणी नेटवर्क के कार्यक्रम को देश के सभी लोगों और क्षेत्रों तक प्रसारित किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। आठवीं योजना के अंतर्गत स्कीमों के पूरा होने पर आकाशवाणी द्वारा देश का कवरेज जनसंख्यावार 97.5 प्रतिशत और क्षेत्रवार 91 प्रतिशत होगा। तथापि, आठवीं योजना की सभी स्कीमों के पूरा होने पर समग्र देश को शार्ट-वेव सहायता सेवा से कवर किया जाएगा। कवरेज में और अधिक विस्तार, संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विवरण

देश में आकाशवाणी सेवाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु सरकार की आठवीं योजना की मुख्य बातें

करोड़ रुपये में

1.	गृह सेवाओं का समेकन	30.15
2.	विदेश सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	17.65
3.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	15.00
4.	नई प्रौद्योगिकी आरंभ करना	18.61
5.	इनसैट तथा अन्य दूरसंचार सुविधाओं के माध्यम से रेडियो नेट कार्यकरण	22.15
6.	कम्प्यूटरीकरण	13.45
7.	एस॰टी॰आई॰ (टी) तथा एस॰टी॰आई(पी) के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार	61.45
8.	विद्यमान केंद्रों में सुविधाओं में सुधार करना	28.00
9.	सुरक्षा उपायों का सुदृढ़ीकरण	10.00
10.	कल्याण स्कीमें	20.00
11.	पूर्व योजनाओं की चालू स्कीमें	631.00
12.	आधुनिकीकरण तथा नवीकरण स्कीमें	207.00
		1074.46

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की मशीनें

4689 **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की मशीनों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इन मशीनों को किन-किन देशों से आयात किया गया और आयात करने के क्या कारण हैं और किन-किन एजेंसियों को इन मशीनों का आयात करने की अनुमति दी गई है तथा गत तीने वर्षों के दौरान इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ग) क्या इन मशीनों के उपयोग का मछुआरों द्वारा अपनाए जा रहे पारंपरिक तरीकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) देश में ही इन मशीनों का निर्माण शुरू करने और मछुआरों के पारंपरिक तरीकों को अनुचित प्रतियोगिता से बचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) सरकार ने पिछले तीन सालों के दौरान भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गैर-श्रिम्य संसाधनों के दोहन के लिए मात्स्यिकी कंपनियों का जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, थाईलैंड, इस्तोनिया, रूस और चीन के गहन समुद्री मात्स्की जलयानों के आयात के लिए अनुमति दी है। इन ट्रालरों की खरीद की भुगतान शर्तें या तो कंपनी द्वारा निर्यात से होने वाली आय द्वारा किया जाने वाला आस्थगित भुगतान है अथवा निर्माण की अवधि के दौरान किया जाने वाला चरणबद्ध भुगतान है। चरणबद्ध भुगतान वाले ट्रालरों के आयात पर लगभग 17.07 मिलियन अमरीकी डालर व्यय हुए हैं।

(ग) गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान पारम्परिक मछुआरों के प्रचालन क्षेत्र की सीमा के बाहर चलाए जाते हैं। इसलिए गहन समुद्री मात्स्यिकी ट्रालरों को चलाने से परम्परिक मछुआरों पर असर नहीं पड़ेगा।

(घ) भारत में शिपयार्ड गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इन शिपयार्डों के पास उन संसाधन विशिष्ट जलयानों के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी तथा आर्डर नहीं हैं। जिनका आयात किया जा रहा है।

गुजरात में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

4690 **श्री छीतू भाई गामीत :**
श्री दिलीप भाई संघाणी :
श्री हरि सिंह चावड़ा :
डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में चालू योजनावधि के दौरान नये दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर; और

(ग) प्रत्येक दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता कितनी-कितनी है और ऐसे प्रत्येक ट्रांसमीटर की स्थापना कब तक की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिहं देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात राज्य में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित टी.वी. ट्रांसमीटर

क्र.सं.	स्थल	शक्ति	पूरा होने की स्भावित तारीख/अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	भुज	10 कि.वा.	वर्तमान में 1 कि.वा. शक्ति पर प्रचालन कर रहे ट्रांसमीटर को 1995-96 के दौरान बढ़ाकर 10 कि.वा. पर प्रचलित किए जाने की संभावना है।
2.	पालीताना	निश्चित किया जाना है।	योजनाएं औपचारिक तौर पर अनुमोदित की जानी है। औपचारिक अनुमोदन के पश्चात् 3-4 वर्ष का समय लगेगा।
3.	सूरत	10 कि.वा.	
4.	बडोदरा	10 कि.वा.	
5.	खम्बात	300 वा.यू.एच.एफ.	चालू करने के लिए तैयार।
6.	ईदर	100 वा.वी.एच.एफ	मार्च, 95 बशर्ते अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं एवं समय पर उपस्कर की आपूर्ति उपलब्ध हो।
7.	धरंगधरा	300 वा.यू.एच.एफ.	
8.	मंगरौल (जूनागढ़ जिला)	300 वा.यू.एच.एफ.	
9.	मोरबी	300 वा.यू.एच.एफ.	
10.	नकतरना	300 वा.यू.एच.एफ.	
11.	रापन	300 वा.यू.एच.एफ.	
12.	दीसा	100 वा.वी.एच.एफ.	
13.	स्थूला	100 वा.वी.एच.एफ.	
14.	तंजेली/ संतरामपुर	100 वा.वी.एच.एफ.	

1	2	3	4
15.	खम्बारिया	100 वा.वी.एच.एफ.	
16.	अमोद	300 वा.यू.एच.एफ.	
17.	मंगरोल (सूरत जिला)	300 वा.यू.एच.एफ.	
18.	झागड़िया	300 वा.यू.एच.एफ.	
19.	महुआ	300 वा.यू.एच.एफ.	
20.	पालीताना	100 वा.वी.एच.एफ.	
21.	नेतरंग	10 वा.	
22.	देवगढ़-बारिया	10 वा.	

गांव में डाकघर

4691 **श्री मोहन रावले** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने गांव डाकघर खोले जाने के पात्र हैं;

(ख) उनमें से राज्यवार कितने गांवों में अब तक डाकघर खोले गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार और राज्यवार शेष पात्र गांवों में डाकघर खोलने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) डाकघर, निकटतम डाकघर से दूरी, जनसंख्या और आय से संबंधित विभागीय मानदंडों की पूर्ति के आधार पर खोले जाते हैं। डाकघर खोलने के लिए पंचायत मुख्यालयों को वरीयता दी जाती है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। डाकघर खोले जाने के लिए पात्र ग्रामों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान, पात्र ग्रामों में, 1299 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की मंजूरी दी गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष 800 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलते हुए देश में 2400 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सर्किलवार ब्यौरे को वार्षिक आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

तमिलनाडु में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

4692 **डा. (श्रीमती) के.एस. सुन्दरम्** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में आई.एस.डी./एस.टी.डी. सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र प्रदान करने के लिए लम्बित आवेदनों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान स्वीकृत तथा आबंटित किए गये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विरण-II में दी गई है।

(ग) लंबित आवेदन पत्रों का निपटान करने के लिंए एस.टी.डी. पी.सी.ओ. आबंटन समिति की बैठकों का, समय-समय पर आयोजन किया जा रहा है। एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने और विभिन्न एक्सचेंजों से एस.टी.डी. सार्वजनिक टैलीफोनों की तकनीकी व्यवहार्यता में वृद्धि करने वाले एस.टी.डी. जंक्शनों का आवर्धन करने के लिए भी, योजना में निहित प्रस्तावों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

क्र. सं.	संकेण्डरी स्विचन क्षेत्र (एसएसए) का नाम	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1.	कोयम्बटूर	500
2.	सालम	420
3.	मदुरई	1,000
4.	थन्जावुर	803
5.	कुड्डालोर	276
6.	वेल्लोर	249
7.	तिरूनेलवेली	120
8.	विरूधूनगर	65
9.	चेंगलपट्टू	18
10.	इरोड	शून्य (वर्ष 1993-94 के लिए आबंटन पूरा हो चुका है।)

त्रिवी, पांडेचेरी, करालकुडी, कूनूर, धर्मापुरी, टयूटीकोरिन और नागरकोल एस.एस.ए. से संबंधित आवेदन पत्र भी मांगे जाने हैं।

विवरण-II

सं.	सेकेण्डरी स्विचन क्षेत्र का एस.एस.ए. का नाम	1992-93 के दौरान	1993-94 प्रदान किए गये
1	2	3	4
1.	छेंगलपट्टू	15	28
2.	कोयमबटूर	50	69
3.	कुनूर	37	9
4.	कुड्डालोर	4	10
5.	धर्मापुरी	15	4
6.	इरोड	5	56
7.	करायकुडी	55	16
8.	मदुरई	59	30
9.	नागरकोसल	10	7
10.	पांडीचेरी	3	5
11.	सालेम	36	32
12.	थन्जावुर	44	31
13.	तिरूनेलवेरी	16	18
14.	त्रिची	30	76
15.	टूटीकोरिन	5	16
16.	वेल्लोर	37	10
17.	विरूधुनगर	5	2

टेलीफोन उपकरण

4693. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्माताओं और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से दूरसंचार उपकरण, एक्सचेंज और केबल आदि खरीदने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां। दूरसंचार, उपस्करों, एक्सचेंजों तथा केबिलों की प्राप्ति खुली निविदा के माध्यम से की जाती है। कुछ ऐसे उपस्करों के मामले में, जिनका विनिर्माण दूरसंचार विभाग की सार्वजनकि क्षेत्र की यूनिटों द्वारा ही किया जाता है, उनकी प्राप्ति आपसी बातचीत से तय किए गए मूल्य के हिसाब से भी की जाती है।

(ख) दूरसंचार विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाएं सामान्यतया भारतीय विनिर्माताओं के लिए खुली होती है और विदेशी सहययोग वाली कंपनियों के मामले में केवल उन्हीं कंपनियों की निविदाएं स्वीकृत होती हैं जिन्होंने सीधे आयात के कुछ-एक मामलों, को छोड़कर, भारत में उपस्कर के विनिर्माण हेतु पंजीकरण कराया है उपस्करों की प्राप्ति तकनीकी, आर्थिक और व्यावसायिक रूप से विश्वस्त सफल बोलीदाताओं से दूरसंचार विभाग के निविदा विनिर्देशनों के अनुसार उनके उपस्करों के यथावत सत्यापन/किस्म अनुमोदन के बाद ही की जाती है।

अपर-इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना

4694. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अपर इन्द्रावती एवं बिजली परियोजना को सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नही, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना (4×150 मे.वा.) को योजना आयोग द्वारा 4-5-1978 को स्वीकृति प्रदान की गई थी और यह क्रियान्वयन की अंग्रिम अवस्था में है। परियोजना को 1997-98 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है। विश्व बैंक की सलाह से तकनीकी मार्गदर्शन और परियोजना कार्य तत्परता से किए जाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिक

4695. **श्री शिवलाल नागजीभाई बेकारिया** :
श्री शिबू सोरेन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में विशेषतः खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों को परेशान करने की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है;

(ग) क्या श्रमिकों की परेशानियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए सरकार में कोई प्रकोष्ठ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार को शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं तो अन्य बातों के साथ-साथ जो मजदूरी का भुगतान न करने या विलम्ब से भुगतान करने, लम्बे और श्रमसाध्य कार्य घंटों के लिए पर्याप्त मुआवजे का भुगतान न करना, भारत वापिस आने के लिए छुट्टी देने से इंकार करना और एयर पेसेज सुविधा देने से इंकार करना, प्रयोजक/नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के यात्रा दस्तावेजों को देने से इंकार करना, संविदाकारी वाध्यताओं को पूरा न करना एवं आम तौर पर दुर्व्यवहार करने के संबंध में होती हैं।

ऐसे श्रमिकों से भर्ती करने वाले एजेन्टों द्वारा धोखे से ऐसे संविदाओं पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं जो उनके हित के विरुद्ध होती हैं। ऐसे भी उदाहरण है जहां श्रमिक किसी तरह से गैर-कानूनी ढंग से विदेशों में प्रवेश कर गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ताओं द्वारा तंग किए जा रहे हैं।

भारत सरकार विदेश स्थित अपने मिशनों के जरिए विदेशी सरकारों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखती है ताकि संबंधित देशों में भारतीय श्रमिकों के कल्याण और उनकी परिस्थितियों में सुधार का सुनिश्चिय किया जा सके। भारतीय मिशन सबसे पहले नियोक्ता और दुखी श्रमिक के बीच मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करते हैं ताकि परस्पर स्वीकार्य हल निकाला जा सके जहां कहीं आवश्यक हो ऐसे मामलों को विदेशी सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि भारतीय श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए नियोक्ताओं को राजी किया जा सके। मिशन के भरसक कोशिशों के बावजूद यदि कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं मिलता है या कोई संभव हल नहीं निकलता है तो दुःखी श्रमिक को वापिस अपने देश भेजने की सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाती है।

श्रम मंत्रालय, उत्प्रवास महासंरक्षक के जरिए नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और छह क्षेत्रीय कार्यालयों में भी शिकायतें दूर करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम चलाती है या सप्ताह में दो बार उत्प्रवास के विभिन्न पहलुओं पर सूचना देती है।

[हिन्दी]

उपग्रह चैनलों की समीक्षा

4696. **श्री बारे लाल जाटव :**
श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 20 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2765 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रो चैनल नीति के अंतर्गत अंतरिम प्रबंधों सहित उपग्रह चैनलों की समीक्षा कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन के उपग्रह चैनलों की 1 फरवरी, 1994 से पुनर्रचना की गई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दूरदर्शन चैनल

समीक्षा के बाद, दूरदर्शन के चैनलों की 1 फरवरी, 1994 से निम्नलिखित रूप से पुनर्रचना की गई है :-

(i) दूरदर्शन-I : समाचार, सम-सामयिकी, फिल्में, खेल, शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवा आदि सहित कार्यक्रमों की समग्र श्रेणी, सभी आयु वर्गों, ग्रामीण तथा शहरी लक्षित दर्शकों सहित। इसका पूर्ण भू-भागीय चैनल के रूप में कार्य करना जारी है।

(ii) दूरदर्शन-II : यह मौजूदा मैट्रो चैनल है जिसमें प्रमुखतः मनोरंजन प्रधान तथा खेल व संगीत कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। लक्षित दर्शक प्रमुखतः युवा आयु वर्ग तथा मध्य वर्ग में आर्थिक शहरी जनसंख्या से चार महानगरों, तथा लखनऊ, हैदराबाद में सीमित भू-भागीय पहुंच।

(iii) दूरदर्शन-III : दिल्ली में सीमित भू-भागीय वितरण के साथ पूर्ण रूप से उपग्रह आधारित चैनल I इस चैनल की कार्यक्रम रूपरेखा प्रमुखतः लक्षित दर्शकों की पूर्ति के लिए है जो अधिक बौद्धिक, अधिक गंभीर प्रवृत्ति वाले हैं। गंभीर मनोरंजन, टेलीफिल्में, नाटक, चर्चाएं, सामाजिक समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम तथा वृत्तचित्र की विस्तृत श्रेणी इसमें शामिल हैं।

क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों की आवश्यकता की पर्याप्त पूर्ति के उद्देश्य से बाकी तीन उपग्रह चैनलों का निम्न प्रकार से क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों हेतु विशिष्ट तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है :—

(iv) दूरदर्शन-IV : कन्नड़, मलयालम, तमिल तथा तेलुगु

(v) दूरदर्शन-V : असमिया, बंगला तथा उड़िया

(vi) दूरदर्शन-VI : गुजराती, कश्मीरी, मराठी तथा पंजाबी

मध्य प्रदेश को सड़क परियोजनाओं हेतु धनराशि

4697 **श्री भीम सिंह पटेल :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री सूरजभानु सोलंकी :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को 1989-90 के लिए धनराशि हेतु और चालू पंचवर्षीय योजना हेतु केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत 3-10-1989 को कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव को आंशिक रूप से ही स्वीकृति दी है;

(ग) क्या शेष कार्य के लिए धनराशि स्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा और राज्य सरकार को धनराशि कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के तहत वित्त पोषण किए जाने हेतु 115.26 करोड़ रुपये की लागत के कुल 92 प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें से 4.05 करोड़ रुपये की लागत के 8 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि अभी केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि की जानी है, इसलिए अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि शेष प्रस्तावों को कब अनुमोदित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के गांवों में एस.टी.डी. सुविधा वाले टेलीफोन एक्सचेंज

4698 **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाये गये और कितने गांवों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराई गयी है;

(ख) भविष्य में राज्य में एस.टी.डी. सुविधा युक्त ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) (i) पिछले दो वर्षों के दौरान 514 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जा चुके हैं।

(ii) 16 टेलीफोन एक्सचेंजों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से एस.टी.डी. सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपस्कर, भूमि, भवन और निधि आदि जैसे संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) 1994-95 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है ताकि 31-3-1994 तक दर्ज प्रतीक्षा सूची को निपटाया जा सके, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

भारतीय समाचार पत्र समिति से प्रस्ताव

4699 **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री अंकुश राव टोपे :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय समाचार पत्र समिति से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) भारतीय समाचार पत्र सोसायटी ने अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 को समाप्त करके अखबारी कागज के विनियंत्रण का प्रस्ताव किया है। इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कोचीन पोत कारखाने का विकास

4700 **प्रो. पी.जे. कुरियन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोचीन पोत कारखाने की विकास योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर अब तक किए गए काम और इस पर व्यय की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पोत कारखाने की मुख्य समस्याएं क्या हैं; और

(घ) इनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वयन के लिए शामिल किया गया है;

(करोड़ रुपये)

(i) जहाज मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण	8.00
(ii) क्षमता उपयोग में सुधार	11.20
(iii) नवीकरण तथा बदलना	3.60
(iv) अतिरिक्त जहाज मरम्मत सुविधाएं	25.00
	47.80

(ख) क्षमता उपयोग में सुधार और जहाज मरम्मत की अतिरिक्त सुविधाओं से संबंधित स्कीमों पर वर्ष 1992-93 और 1993-94 में 10.05 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

(ग) सी एस एल के सामने कमजोर आर्डर बुक स्थिति इसकी मुख्य समस्या है।

(घ) इस समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाए किए जा रहे हैं/किए गए हैं।

(i) सी एस एल में निर्माणाधीन 86,000 डी डब्ल्यू टी के एक टैंकर के मूल्य के संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

(ii) जहाज मरम्मत संबंधी कार्य पर अधिक जोर दिया गया है और इससे टर्नओवर बढ़कर 1989-90 के 21.70 करोड़ रुपये से 1993-94 में 65.20 करोड़ रुपये हो गया है।

(iii) सी एस एल की पूंजीगत पुनः संरचना के लिए 24-3-1994 को मंजूरी दे दी है।

(iv) सी एस एल सहित सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के पुनरुद्धार के लिए एक राहतों के पैकेज को दिनांक 8-9-1993 को स्वीकृति दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

4701 **श्री जगबीर सिंह :**
डा. विश्वनाथम कैनिथी :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री हरिलाल ननजी पटेल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित ताप विद्युत संयंत्रों और जल-विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर कितना खर्च आया और प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) अब तक स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इन विद्युत संयंत्रों का कार्यान्वयन किन-किन अवस्थाओं में है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) ब्यौरा सलंग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

परियोजना/यूनिट संख्या	क्षमता (मे.वा.)	चालू करने की तारीख	कुल अनुमानित लागत/ 9/93 तक व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
पंजाब			
राज्य क्षेत्र			
रोपड़–5	210	29–3–1992	55000/49224
रोपड़–6	210	30–3–1993	
राजस्थान			
राज्य क्षेत्र:			
कोटा–5	210	26–3–1994	48000/28325
जम्मू व कश्मीर			
राज्य क्षेत्र:			
पम्पोर चरण–2–1	25	7–1–1994	15500/11059 (यूनिट–4 सहित)

1	2	3	4
पम्पोर चरण–2–2	25	6–2–1994	
पम्पोर चरण–2–3	25	31–3–1994 (एफएसएनएल टैस्ट कम्पलिशन)	
उत्तर प्रदेश			
राज्य क्षेत्र			
अनपारा "ख"–4	500	19–7–1993	410000/313654 (यूनिटें–5 सहित)
केन्द्रीय क्षेत्रः			
एनसीटीपीपी–1	210	24–10–1991	165488/121111
एंनसीटीपीपी–2	210	18–12–1992	
एनसीटीपीपी–3	210	22–3–1993	
एनसीटीपीपी–4	210	24–3–1994	
दादरी सीसीजीटी–1	131	21–2–1992	95857/74070
दादरी सीसीजीटी–2	131	26–3–1992	
दादरी सीसीजीटी–3	131	6–6–1992	

दादरी सीसीजीटी–1	131	14–10–1992	
दादरी सीसीजीटी एस टी–1	146.5	26–2–1994	
दादरी सीसीजीटी एस टी–2	146.5	27–3–1994	
पश्चिमी क्षेत्र:			
***गुजरात**			
राज्य क्षेत्र:			
गांधीनगर–4	210	20–7–1991	21583/20365
वात्वा जीटी–2	33	26–6–1991	(निजी क्षेत्र परियोजना का ब्यौरा उपलब्ध नहीं)
एसटी–1	33	18–10–1991	
उतराण जीटी–1	33	28–1–1992 (क्रैंक्ड)	
उतराण–2	33	28–2–1992 (–वही–)	
उतराण–3	33	31–3–1993 (रोल्ड)	
उतराण एसटी–1	33	17–7–1993	
सिक्का विस्तार–2	120	31–3–1993	21162/1926
केन्द्रीय क्षेत्र:			
कवास जीटी–1	106	22–3–1992	
कवास जीटी–2	106	25–5–1992	156070/128889

1	2	3	4
कवास जीटी–3	106	30–6–1992	
कवास जीटी–4	106	27–8–92	
एसटी–1	110	23–2–93	
एसटी–2	110	19–3–93	
गांधार जीटी–1	131	17–3–94	229127/109143
गांधार जीटी–2	131	31–3–94	
मध्य प्रदेश			
राज्य क्षेत्र:			
संजय गांधी–1	210	26–3–93	88000/61447
संजय गांधी–2	210	27–3–94	
महाराष्ट्र			
राज्य क्षेत्र:			
चन्द्रपुर–6	500	11–3–92	108800/98867 (यूनिट–5 सहित)
उरांण डब्ल्यूएचपी–1	120	16–3–94	84500/66853 (यूनिट–2 सहित)

[illegible] जीटी–1	120	29–7–1993	निजी क्षेत्र परियोजना 1 ब्यौरा उपलब्ध नहीं।
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश			
राज्य क्षेत्र:			
विज्जेश्वरम एसटी–1	33	17–3–1992	14900/11065(3/92 तक)(जीटी–1, 2 सहित)
विजयवाड़ा–5	210	31–3–1994	79000/36940 (यूनिट–6 सहित)
रायलसीमा–1	210	31–3–1994 (रोल्ड)	79500/46891 (यूनिट–2 सहित)
कर्नाटक			
राज्य क्षेत्र:			
येलाहान्का डीजी सैट्स–6	21.32	31–3–1993	28770/19686
येलाहान्का डीजी सैट्स–5	21.32	14–5–1993	
येलाहान्का डीजी सैट्स–4	21.32	27–7–1993	
येलाहान्का डीजी सैट्स–3	21.32	19–10–1993	
येलाहान्का डीजी सैट्स–2	21.32	26–11–1993	
येलाहान्का डीजी सैट्स–1	21.32	31–1–1994	

1	2	3	4
तमिलनाडु			
राज्य क्षेत्र:			
तूतीकोरिन–4	210	11–1–1992	73227/6061 (यूनिट–5 सहित)
नारीमानम जीटी–1	5	14–1–1992	3657/3451
नारीमानम जीटी–2	5	17–1–1992	
केन्द्रीय क्षेत्र:			
नैवेली चरण–2–5	210	30–12–1991	144551/132880 (यूनिट–4 सहित)
नैवेली चरण–2–6	210	30–10–1992	
नैवेली चरण–2–7	210	19–6–1993	
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार			
केन्द्रीय क्षेत्र:			
कहलगांव–1	210	31–3–1992	192845/148058 (यूनिट–3, 4 सहित)
कहलगांव–2	210	17–3–1994	

बोकारो 'ख'–3	210	31–3–1993	30134/31260 (यूनिट 2, 3 के लिए)
पश्चिमी बंगाल			
राज्य क्षेत्र			
दक्षिणी विद्युत उत्पादन स्टेशन–2	67–5	10–4–1991	25433/25540* (*6/91 तक) यूनिट–1 सहित
कोलाघाट विस्तार–6	210	16–1–1993	114500*/103082*
कोलाघाट–4	210	29–12–1993	(*यूनिट 4, 5, 6 के लिए)
केन्द्रीय क्षेत्र			
फरक्का एसटीपीपी–4	500	25–5–1992	213687/171696
फरक्का एसटीपीपी–5	500	16–2–1994	
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
असम			
राज्य क्षेत्र			
लाकवा जीटी–5	20	3–1–1994(ए)	9830 रुपये 7992
लाकवा जीटी–6	20	31–3–1994 (कॆंक्ड)	(यूनिट–5, 6, 7 के लिए)

1991-92

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/कार्यकारी एजेंसी	यूनिट संख्या	क्षमता (मे.वा.)	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6
जल विद्युत					
1.	टनकपुर	उत्तर प्रदेश/एनएचपीसी	1	48	401.03
2.	टनकपुर	उत्तर प्रदेश/एनएचपीसी	2	48	
3.	टनकपुर	उत्तर प्रदेश/एनएचपीसी	3	48	
4.	यूबीडीसी-2	पंजाब/पीएसईबी	2	15	121
5.	यूबीडीसी-2	पंजाब/पीएसईबी	3	15	
6.	सूरतगढ़	राजस्थान/आरएसईबी	1	2	13.58
7.	सूरतगढ़	राजस्थान/आरएसईबी	2	2	
8.	मंगरौल	राजस्थान/आरएसईबी	1	2	
9.	मंगरौल	राजस्थान/आरएसईबी	2	2	17.84
10.	मंगरौल	राजस्थान/आरएसईबी	3	2	
11.	खारा	उत्तर प्रदेश/यूपीएसईबी	1	24	
12.	खारा	उत्तर प्रदेश/यूपीएसईबी	2	24	237.90
13.	खारा	उत्तर प्रदेश/यूपीएसईबी	3	24	
14.	बीरसिंहपुर	मध्य प्रदेश/एमपीईबी	1	20	24.26
15.	बाणासागर टौंस फेज-1	मध्य प्रदेश/एमपीईबी	3	185	608.99
16.	नागार्जुनसागर	आन्ध्र प्रदेश/एपीएसईबी	1	38	
17.	नागार्जुनसागर	आन्ध्र प्रदेश/एपीएसईबी	2	38	63.93

1	2	3	4	5	6
18.	घाटप्रभा	केरत/केपीसीएल	1	16	36.40
19.	टागो	अरूणाचल प्रदेश/इलैक्ट्रिक	2	1.5	
20.	टागो	अरुणाचल प्रदेश/इलेक्ट्रिक	3	1.5	10.65

वर्ष 1992-93 के दौरान का कार्य निष्पादन : 1992-93

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	यूनिट संख्या	क्षमता (मे.वा.)	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	सलाल* चरण-3 (एमएचपीसी)	जम्मू एवं कश्मीर	1	115	308.95
2.	उज्जैनी	महाराष्ट्र	1	12	
3.	शिवपुर (कैप्टिव)	कर्नाटक	1 2	9 9	30.60
4.	घाटप्रभा	कर्नाटक	2	16	36.40
5.	वाराही (मणि डैम)	कर्नाटक	1 2	4.5 4.5	245.00
6.	सोन पश्चिमी नहर	बिहार	1	1.65	34.20
			2	1.65	
			4	1.65	
7.	अपर कोलाट विस्तार	उड़ीसा	4	80	28.46
8.	रेंगाली विस्तार	उड़ीसा	3	50	71.00
9.	अपर रोंगनिचू	सिक्किम	1	2	28.32
			2	2	

1	2	3	4	5	6
10.	म्योनगोटू	सिक्किम	1	2	16.14
			2	2	
11.	उनियम टरू	मेघालय	1	30	133.03
			2	30	

*1993 94 से पहले कार्यक्रम निजी क्षेत्राधीन

(1993-94)

क्र॰ सं॰	राज्य/परियोजना का नाम		यूनिट रोल्लड/ चालू की गई क्षमता (मे॰वा॰)	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1	2		3	4
केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	चमेरा चरण-1	यूनिट-1	180.0	2400
	(एनएचपीसी)	यूनिट-2	180.0	
	(हि॰प्र॰)	यूनिट 3	180.0	
2.	सलाल	यूनिट-2	115.0	308.95
	एनएचपीसी			
	(जे॰एण्ड के॰)			
राज्य क्षेत्र				
1.	हसदेव बांगो	यूनिट-1	40.0*	113.98
	मध्य प्रदेश			
2.	पैन्ना अहोबिलम	यूनिट-1	10.0	19.68
	आन्ध्र प्रदेश	यूनिट-2	10.0	

1	2		3	4
3.	अपर सिलेरू आन्ध्र प्रदेश	यूनिट-1	60.0	54.30
4.	मालापुर	यूनिट-1	4.5	
	कर्नाटक	यूनिट-2	4.5	20.59
5.	काल्लाडा केरल	यूनिट-2	7.5	16.06
6.	मनियार (निजी) केरल	यूनिट-1	4.0	13.22
7.	सोन पश्चिम बिहार	यूनिट-3	1.65	34.20
8.	अपर रोंगनिचू	यूनिट-3	2.00	28.32
	सिक्किम	यूनिट-4	2.00	

*1993-94 में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

विवरण-II

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मूल्यांकित विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना/राज्य/प्रकार का नाम	क्षमता मेगावाट	प्रस्तुत करने की तिथि	स्वीकृति की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा					
1.	यमुनानगर एनटीपीएस चरण–1 (एनटीपीसी)	4×210=840	25–3–1988	10–10–1988 (वास्तविक) 23–6–1992 (संशोधित)	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है
राजस्थान					
2.	अन्ता सीसीजीटी चरण–2 (एनटीपीसी)	3×100+1×130 =430	6–9–1988 14–3–1991	21–3–1990 (वास्तविक) 14–3–1991 (संशोधित)	आभार भार प्रचालन के लिए अतिरिक्त गैस लिकेज और निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।
उत्तर प्रदेश					
3.	रिहन्द एसटीपीएस चरण–2 (एनटीपीसी)	2×500=1000	30–6–1987	16–5–1988	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है लागत अनुमानों को अद्यतन किया जा रहा है।

4. ऊंचाहार टीपीएस चरण–2 (एनटीपीसी)	2×210=420	3–8–1992	20–10–1992	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।
5. कोटेश्वर एचईपी (टीएचडीसी)	4×100=400		8–8–1989	वन संबंधी दृष्टि से अस्वीकृत कर दिया गया है।
6. टिहरी चरण–2 पीएसएस (टीएचडीसी)	4×250=1000		10–10–1988	निवेश संबंधी अनुमोदन प्रतीक्षित है
पंजाब				
7. एसवाईएल नहर (पीएसईबी)	2×18+2×7=50		18–12–1987	निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है। कोई वन्य भूमि शामिल नहीं है।
हिमाचल प्रदेश				
8. धामवाड़ी सुन्डा (एचईपी)(एचपीएसईबी)	2×35=70		8–10–1991	निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है। निवेश संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी गई है।
9. कोल डैम एचईपी (एनजेपीसी)	4×200=800		10–8–1988	निवेश संबधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
10. चमेरा चरण–2 (एनएचपीसी)	3×100=300		11–5–1992	निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
11. मलाना एचईपी (एचपीएसईबी)	2×46=86		23–4–1993	निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है। पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी गई है।
जम्मू व कश्मीर				
12. सवालकोट एचईपी (जे एंड के)	3×200=600		13–1–1993	पर्यावरण संबंधी स्वीकृति 9–5–89 को प्रदान की गई है। वन संबंधी स्वीकृति 29–5–89 को प्रदान की गई निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।

1	2	3	4	5	6
13.	बगलिहार एचईपी(एनएचपीसी)	3×150=450		14–3–1991	निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
14.	परनाई एचईपी (जे एण्ड के)	3×12.5=37.5		17–11–1991	पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। वन संबंधी स्वीकृति लागू नहीं होती। निवेश संबंधी स्वीकृति लागू नहीं होती। निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात					
15.	पीपावाव सीसीजीटी (जीपीसीएल)	615	2–7–1987	30–10–1989 (जीईबी) 14–3–1991 (जीपीसीएल)	गैस लिकेज की पुष्टि नहीं की गई। जीपीसीएलने दिसम्बर, 1993 की व्यवहार्यता रिपोर्ट संशोधित की है। जिसमें गैस की अनुपलब्धता में नापथा के समप्रयोजन की बात सामने रखी गई है।
16.	गंधार सीसीजीटी (मै. गुजरात टौरेंट) एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड	655	7/93	12–11–1993	

मध्य प्रदेश				
17. विंध्याचल एसटीपीएस (एनटीपीसी)	2×500=1000	6–7–87	10–8–1988 (वास्तविक) 9–5–1989 (संशोधित)	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।
18. पेंच टीपीएस (मै. सेंचुरी पावर)	2×210=420	7/92	16–11–1993	
19. ओंकारेश्वर (एमपीपी)	8×65=520	1.1	14–12–1993	निवेश संबंधी अनुमोदन प्रतीक्षित है।
20. मारीही–खेड़ा एचईपी	2×20=40		23–4–1993	निवेश संबंधी अनुमोदन प्रतीक्षित है।
महाराष्ट्र				
21. दभोल जीटीसीसी (मै. दभोल पावर कंपनी)	2015	4/93	12–11–1993	
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश				
22. कोठागुडम टीपीएस चरण–5 (एपीएसईबी)	2×250=500	29–3–1993	9–12–1993	निवेश संबंधी निर्णयं प्रतीक्षित है।
23. जेगुरूपाडू जीटीसीसी (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज)	216	9/92	12–11–1993	
24. गोदावरी जीटीसीसी टीपीएस (मै. स्पैक्ट्रम पावर जनरेशन लिमिटेड)	2×208=416	1/93	14–12–1993	
25. प्रियदर्शिनी जुराला एचईपी	6×36.9=221.4		10–3–1992	निवेश संबंधी अनुमोदन प्रतीक्षित है।

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक					
26.	मंगलौर एसटीपीएस चरण–1 (एनटीपीसी)	2×210=420	25–4–1989	2–1–1991 (वास्तविक)	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।
27.	सारापाडी एचईपी (केपीसीएल)	3×30=90		4–12–1990	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।
केरल					
28.	कायमकुलम एसटीपीएस चरण–1(एनटीपीसी)	2×210=420	24–1–1989	31–8–1990	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।
29.	कसारगोडे डीजी सैट्स (केएसईबी)	3×20=60	20–3–1992	16–12–1992	पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति और निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।
तमिलनाडु					
30.	नैवेली टीपीएस विस्तार (एनएलसी)	2×210=420	23–10–1987	10–8–1988 (वास्तविक) 4–12–1990 (संशोधित)	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है। फर्म फयल लिकेज और सीजीडब्ल्यूबी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
31.	पिल्लईप्रेरूमलनल्लूर सीसीजीटी चरण–1 (टीएनईबी)	300	5–3–1991	14–5–1991	

पूर्वी क्षेत्र

बिहार

32. मुजफ्फरपुर टीपीएस विस्तार (बीएसईबी)	2×250=500	25–5–1990	9–2–1993	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।
33. मैथॉन आरबी टीपीएस चरण–1 (डीवीसी)	4×210=840	3–10–1988	19–10–1988	ईएस अधिनियम के खंड 29 की अनुपालना और पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
34. उत्तरी कर्णपुरा एसटीपीएस चरण–1 (एनटीपीसी)	2×500=1000	17–11–1990	8–5–1989	–तथैव–
सिक्किम				
35. तीस्ता चरण–5 एचईपी (सिक्किम सरकार)	3×170=510		23–4–1993	पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जानी है। निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
36. तीस्ता चरण–3 (सिक्किम सरकार)	6×200=1200		4–12–1990	पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई है। निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
पश्चिम बंगाल				
37. फरक्का बैराज (डब्ल्यूबीएसईबी)	5×25=125		11–11–1991	पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई है। निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।

1	2	3	4	5	6
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र					
त्रिपुरा					
38.	अगरतला जीटी (नीपको)	4×21=84	14–1–1991	1–7–1992	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।
39.	रोखिया जीटी चरण–2 (त्रिपुरा सरकार)	2×8=16	21–11–1990	14–3–1991	निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।
अरुणाचल प्रदेश					
40.	कामेंग एचईपी (नीपको)	4×150=600		30–4–1991	पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है। निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
मणिपुर					
41.	लोकतक डाउन स्ट्रीम (मणिपुर सरकार)	3×30=90		27–11–1992	पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। निवेश संबंधी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
मिजोरम					
42.	धालेश्वरी एचईपी (एनएचपीसी)	3×40=120		10–10–1988	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दृष्टि से अस्वीकृत कर दी गई है। वन संबंधी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई है। निवेश संबंधी अनुमोदन प्रतीक्षित है।

43. तुईरियल एचईपी (मिजोरम सरकार)	2×30=60	15–9–1992	पर्यावरण दृष्टि से स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना है। निवेश संबंधी अनुमोदन प्रतीक्षित है।
44. तुईवाई एचईपी (मिजोरम सरकार)	3×70=210	12–10–1993	पर्यावराण व वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना है। निवेश संबंधी अनुमोदन प्रतीक्षित है।
मध्य प्रदेश			
45. महेश्वर (मै. एस कुमार्स)	10×40=400	12–11–1993	निर्णायक वित्तीय पैकेज प्रतीक्षित है।

डाक और तार विभाग की भूमि का अतिक्रमण

4702 **श्री छेदी पासवान :**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किं :

(क) क्या सरकार को गत वर्षों के दौरान डाक और तार विभाग की भूमि पर अतिक्रमण संबंधी कुछ मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में आज तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) भविष्य में ऐसे अतिक्रमणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : डाक तथा दूरसंचार विभाग (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तेलीचेरी-माहे उप मार्ग की स्थिति

4703 **श्री के मुरलीधरन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलीचेरी-माहे उप मार्ग से संबंधित प्रस्ताव की क्या स्थिति है;

(ख) इस उप मार्ग पर काम आरम्भ करने में हो रही देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) केरल के कालीकट जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के क्वलेंडी विपथन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आंशिक लम्बाई में भूमि-अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

(ख) पूरे बाईपास के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा। इसलिए इसमें कोई विलंब नहीं है।

(ग) क्वलेंडी विपथन के लिए संशोधित प्रस्ताव के साथ-साथ केरल में रा.रा. 17 के पूर्ण खंड के सुधार के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

बिहार में चांदी की खानें

4704. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में चांदी खनन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत वित्त निगम

4705 **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत वित्त निगम के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बड़ी संख्या में भारत में आने पर विद्युत वित्त निगम की क्या भूमिका होगी; और

(ग) विद्युत वित्त निगम की भूमिका का पुर्नमूल्यांकन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) विद्युत वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य राज्य बिजली बोर्डों की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए योजना आबंटन के अलावा पूंजीगत ऋण उपलब्ध करा कर वित्त पोषण करना तथा राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए विकासात्मक वित्तीय संस्था के रूप में निर्वाह करना है।

(ख) यह परिकल्पना की गई है कि विद्युत क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को सारणीबद्ध किए जाने के वास्ते विद्युत वित्त निगम की भूमिका में आने वाले वर्षों में वृद्धि होगी।

(ग) 1991-92 के दौरान विद्युत निगम ने एक कारपोरेट प्लान को अपनाया है।

पीएफसी की ऋणप्रदान करने की नीतियां तथा विभिन्न परियोजनाओं और स्कीमों के वित्त पोषण के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण, आठवीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन को मद्देनजरं रखते हुए समीक्षा की गयी थी तथा अपेक्षित संशोधन किए गए थे। विद्युत यूटिलिटिज द्वारा पूर्व-निवेश अध्ययन कार्यों का वित्त पोषण किए जाने तथा निजी विद्युत विकास की शुरूआत किए जाने को मद्देनजर रखते हुए परियोजना रिपोर्ट, विद्युत क्रय समझौते आदि तैयार करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा परामर्शदाताओं को रोजगार दिए जाने का वित्त पोषण किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

तीस्ता पन बिजली परियोजना

4706 **श्री अमर रायप्रधान :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीस्ता पन बिजली परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा इससे कितनी बिजली का उत्पादन होगा; और

(ग) कब तक परियोजना आरम्भ हो जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल की तीस्ता नहर प्रपात-1-4 जल विद्युत परियोजना (3×3×7.5 मेगावाट) का वित्त पोषण ओवरसीज इकोनामिक्स कोपरेशन फण्ड (ओ.ई.सी.एफ.), जापान के ऋण से किया गया है। परियोजना क्रियान्वयन की अग्रिम अवस्था में है। अद्यतन लागत 366.27 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। विद्युत उत्पादन की मात्रा 385 मिलियन यूनिट होने की आशा है। परियोजना को 1995-97 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम

4707 **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान के शस्त्रोन्मुखी परमाणु कार्यक्रम और इस संबंध में विभिन्न देशों से इसकी जानकारी की प्राप्ति की रिपोर्टों से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) सरकार को पाकिस्तान के गुप्त शस्त्रोन्मुखी परमाणु कार्यक्रम की जानकारी है। वह विदेशी स्रोतों से सामग्री और प्रौद्योगिकी प्राप्त करके इस कार्यक्रम को जारी रखे हुए है।

सरकार भारत की सुरक्षा से सम्बद्ध सभी गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी रखती है और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

अभिलेखागारों में फिल्म प्रिंट को जमा किया जाना

4708 **श्री राम कापसे :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यूनेस्को द्वारा पारित संकल्प के कर्यान्वयन के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है जिसके तहत देश में फिल्म निर्माताओं को उनके द्वारा निर्मित प्रत्येक फिल्म का एक प्रिन्ट भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में जमा करना अनिवार्य किये जाने का प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम

4709 **श्री बीर सिंह महतो : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम की कार्यकरण की नीति और इसकी संरचना के बारे में सलाह देने के लिए जिस राघवन समिति का गठन किया गया था इसने निगम को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। निगम द्वारा इसकी सिफारिशों पर विचार किए जाने और सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् ही सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों पर विचार किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डाक परामर्शदात्री समिति

4710 **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में डाक परामर्शदात्री समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में डाकघर

4711 **मेजर डी.डी. खनोरिया : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में नये डाकघर खोलने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से गत एक वर्ष के दौरान कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान स्वीकृत किये गये तथा खोले गए डाकघरों की जिला-वार संख्या कितनी है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) पिछले एक वर्ष (1993-94) के दौरान, नए डाकघर खोले जाने के लिए 225 अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए और खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए और खोले गए डाकघरों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या	
		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1	2	3	4
1.	बिलासपुर	6	–
2.	चम्बा	3	–
3.	हमीरपुर	5	–
4.	कांगड़ा	18	1
5.	कुल्लू	9	–
6.	किन्नौर	2	–
7.	लाहौल स्पीति	–	–
8.	मण्डी	21	1
9.	शिमला	1	1
10.	सोलन	10	–
11.	सिरमौर	8	–
12.	ऊना	7	–
	योग	90	3

चीन की कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम

4712 **श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड चीन की कंपनी जिनन आयरन एण्ड स्टील जनरल वर्क्स के साथ संयुक्त उद्यम की स्थापना करने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) चीन के मैसर्स जिनन आयरन एण्ड स्टील जनरल वर्क्स, जो कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल.) से लौह अयस्क सान्द्रण और पैलेट खरीदता है, ने कच्चा लोहा और डक्टाइल स्पन पाइप संयंत्र की स्थापना करने के लिए कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड को प्रस्तावित योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने में अपनी इच्छा व्यक्त की है।

परियोजना की शक्यता रिपोर्ट प्राप्त होने तथा परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित किए जाने के बाद ही कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड द्वारा चीन के मैसर्स जिनन आयरन एण्ड स्टील जनरल वर्क्स के संयुक्त उद्यम प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

परिवहन सलाहकार मंच द्वारा सेमिनार का आयोजन

4713 **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन सलाहकार मंच ने हाल ही में एक सेमिनार का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी (दिल्ली) तथा अन्य महानगरों में दुर्घटनाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सेमिनार में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने कोई परिवहन सलाहकार मंच गठित नहीं किया है। तथापि, सड़क सुरक्षा पर 5–1–1994 को एक गोष्ठी आयोजित की गयी थी।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए 5–1–1994 को आयोजित सड़क सुरक्षा गोष्ठी में सुझाए गए उपचारात्मक उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए 5 जनवरी, 1994 को आयोजित सड़क सुरक्षा गोष्ठी में सुझाए गए उपाचारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं;

(i) विभिन्न श्रेणियों के सड़क प्रयोक्ताओं के लिंए "करने योग्य" और "न करने योग्य" बातों से संबंधित द्रव्य, दृश्य, इश्तहार आदि तैयार किए जाने चाहिए और अधिक बेहतर ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(ii) शिक्षा मंत्रालय को अधिनियम बनाकर "यातायात शिक्षा" को स्कूली बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बना देना चाहिए।

(iii) सभी मोटर ड्राइविंग स्कूलों, जिनकी संख्या बहुत अधिक हो गयी है, राज्य की एजेंसियों द्वारा विनियमित और नियंत्रित किए जाने चाहिए। इन ड्राइविंग स्कूलों में उचित मूल संरचनात्मक सुविधाएं और अर्हता प्राप्त अनुदेशक होने चाहिए।

(iv) चूंकि पैदल यात्री और साइकिल चालक सड़क दुर्घटनाओं के अधिक शिकार होते हैं, इसलिए सड़क अनुशासन के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षा अभियान की आवश्यकता है।

(v) पहाड़ी खंडों के साथ–साथ भू-ज्यामितीय सुधार।

(vi) पुल के पहुंच मार्गों तथा उच्च तटबंधों आदि पर सुरक्षा पटरियों का प्रावधान।

(vii) बिना व्यक्तियों के रेलवे लैवल क्रासिंगों पर सिग्नल लगाना और चेतावनी संकेत और ध्वनि यंत्रो की व्यवस्था करना।

(viii) राष्ट्रीय और राज्यीय, राजमार्गो पर से गति अवरोधकों को हटाना और जहां गति रोधकों की नितान्त आवश्यकता हो, वहां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना।

(ix) शहरी केन्द्रों और मुख्य घाटों के साथ बेहतर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करना।

(x) ड्राइवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और ड्राइविंग लाइसेंसों पर अधिक कड़ा नियंत्रण।

(xi) प्रत्येक सड़क पर उचित सड़क चिह्नों की व्यवस्था करना ताकि उचित लेन का अनुशासन लागू किया जा सके।

(xii) पैदल यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं बरकरार रखना और उन्हें उपलब्ध कराना।

(xiii) व्यवस्थित आधार पर सड़क प्रकाश प्रणाली का सुधार करना।

विदेशी मालवाही जहाज

4714 **श्री गुरुदास कामत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर समुद्र तट पर एक बड़ा विदेशी मालवाही जहाज डूबने लगा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

(ग) क्या अधिकारीगण इस बात में अनभिज्ञ हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तांबे की खानों में घाटा

4715 **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तांबे की सभी खानों के क्या-क्या नाम हैं और 1991-92 और 1992-93 के दौरान अर्जित लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) तांबे में किन-किन खानों में मजदूर अभी भी परम्परागत और अकुशल उपकरणों से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) तांबे की इन खानों को आधुनिक बनाने और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

ख़ान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हिन्दुस्तान कापर लि. (एचसीएल) केन्द्र सरकार का एक उद्यम है और हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड (एचजीएमएल), कर्नाटक राज्य सरकार का एक उपक्रम है। देश में नीचे दी गई तांबा खानों का प्रचालन कर रही हैं। इन संगठनों के अतिरिक्त सिक्किम सरकार और भारत सरकार का संयुक्त उद्यम, सिक्किम माइनिंग कार्पोरेशन (एसएमसी) मोटांग स्थित अपनी खानों से खनन किए गए पोलिमिटेलिक अयस्क से तांबा सांद्रण (कंसंट्रेट) का उत्पादन करता है।

एचसीएल :
1. खेतड़ी
2. कोलिहान
3. चांदमारी
4. दरीबा
5. मोसाबोनी

6. पाथरगोडा
7. सुर्दा
8. केंडाडिह
9. राखा
10. मलंजखंड तांबा परियोजना

एचजीएमएल : 1. चित्रदुर्गा
2. कल्यादी

पिछले दो वर्षों में इन संगठनों का लाभ/घाटा इस प्रकार है :

(लाख रुपये)

	एचसीएल	एचजीएमएल	एसएमसी
1991-92	54.90	(402)*	0.08
1992-93	26.40	(422)*	(18.55)

*सिर्फ तांबा यूनिट के संबंध में।

(ख) और (ग) एचसीएल और एचजीएमएल की तांबा खानें कुल मिलाकर यंत्रीकृत हैं। एसएमसी, जहां आधुनिकीकरण किया जा रहा है, में इस समय खनन की परम्परागत पद्धति अपनाई जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार के झारखंड क्षेत्र में दूरदर्शन सुविधा

4716 **श्री साईमन मराण्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के झारखंड क्षेत्र में आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए दूरदर्शन के सभी पांचों चैनलों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्टरी

4717 **श्री अमल दत्त : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता टेलीफोन के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जायेंगे;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या विज्ञापनों से धन एकत्र करने जिसमें काफी समय लगेगा की प्रतीक्षा किए बिना ही डायरेक्टरी के प्रकाशन के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) पीले पृष्ठों (बलो पेजेज) सहित कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख 25–3–1994 थी। कलकत्ता टेलीफोन्स इन निविदाओं पर कार्रवाई कर रहा है।

(ग) और (घ) यदि पीली पृष्ठ डायरेक्टरियों के लिए पहले से ही आमंत्रित निविदा कार्यान्वित नहीं होती है, तो उस दशा में कलकत्ता टेलीफोन को विभागीय तौर पर डायरेक्टरी के प्रकाशन के लिए दूसरी निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

कलकत्ता हल्दिया पत्तन नौवहन चैनेल से गाद निकालना

4718 **श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता हल्दिया पत्तन नौवहन चैनेल से गाद निकालने में कुल कितना धन व्यय होगा और उसका कितना भाग कलकत्ता पत्तन न्यास तथा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा;

(ख) गाद निकालने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा अब तक कितनी ऋण राशि नहीं लौटाई गयी है;

(घ) क्या सरकार ने निर्णय लिया है कि कलकत्ता पत्तन न्यास की ऋण अदायगी को अब और स्थगित नहीं किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कलकत्ता, हल्दिया पत्तन नैविगेशन चैनल की 1993-94 में निकर्षण की कुल वार्षिक लागत लगभग 87.46 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी। इसमें से 18.36 करोड़ रुपये की केन्द्र सरकार की ओर से सब्सिडि थी।

(ख) हल्दिया-कलकत्ता नैविगेशनल चैनल का सी डी एस के सैंड हैड्स से वार्षिक अनुरक्षण निकर्षण निरंतर होता रहता है।

(ग) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार कलकत्ता पत्तन न्यास ने 509.45 करोड़ रुपये का ऋण अभी तक नहीं लौटाया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने हल्दिया गोदी परियोजना के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास को दिया गया ऋण तथा 1-4-1992 तक उस पर ब्याज संबंधी देयता को "फ्रीज" करने का निर्णय लिया है।

नए दूरदर्शन केन्द्र

4710 **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990, 1991, और 1993 में उनके मंत्रालय पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों पर कितना खर्च किया;

(ग) 1994 के दौरान कितने नए दूरदर्शन केन्द्र शुरू किए जाएंगे;

(घ) इन दूरदर्शन केन्द्रों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) ये केन्द्र कब से कार्य करना शुरू कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) इस मंत्रालय द्वारा किए गए कुल व्यय का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

	(रुपये लाखों में)
1990-91	10,53,05.75
1991-92	10,88,85.72
1992-93	12,48,39.88

(ख) शिक्षा कार्यक्रमों पर किए गए व्यय का अलग-अलग ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ग) से (ङ) 1994-95 के दौरान 13 टी.वी. कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों और विभिन्न शक्तियों के 325 टी.वी. ट्रांसमीटरों को चालू किए जाने की आशा है। बशर्ते उपकरणों की समय से आपूर्ति हो, आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों तथा स्थलों पर सिविल कार्य समय पर पूरे किए जाएं।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल

4720 **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के हाल ही के अधिवेशन में भेजे गए

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के उन सदस्यों, जिन्हें पूर्ण अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया गया था, सहित अन्य सदस्यों के नाम और पदनाम क्या है और जिनेवा में वे कितने समय तक रहे; और

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल, जिनमें जिनेवा में रह रहे सदस्य शामिल नहीं हैं, पर कुल कितना व्यय हुआ और आवास, परिवहन, टेलीफोन प्रभार, आतिथ्य और दैनिक भत्ते पर हुए व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) हाल में संपन्न 50वें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अधिवेशन में भेजे गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

प्रतिनिधि का नाम और पदनाम		रहने की अवधि आगमन	प्रस्थान
1	2	3	4
1.	डा. मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री	1–2–1994	5–2–1994
2.	श्री एन.के. जैन, वित्त मंत्री के निजी सचिव	1–2–1994	5–2–1994
3.	श्री फारूख अब्दुल्लाह, भूतपूर्व मुख्य मंत्री जम्मू और कश्मीर	1–2–1994 8–2–1994 26–2–1994	5–2–1994 18–2–1994 10–3–1994
4.	श्री अटल बिहारी बाजपेयी, संसद सदस्य और लोक सभा में विपक्ष के नेता	11–2–1994 7–3–1994	18–2–1994 10–3–1994
5.	सुश्री सुजाता मनोहर, बम्बई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश	13–2–1994	23–2–1994
6.	श्री वी.के. ग्रोवर, सचिव, विदेश मंत्रालय	19–2–1994	10–3–1994
7.	श्री सलमान खुर्शीद, विदेश राज्य मंत्री	22–2–1994	10–3–1994
8.	श्रीमती सावित्री कुनाडी, संयुक्त सचिव (यूएन)	22–2–1994	12–3–1994
9.	श्री एम.एच. अंसारी, स्थायी प्रतिनिधि/ राजदूत, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क	23–2–1994	11–3–1994

1	2	3	4
10.	डा. एल.एम. सिंघवी, भारत का हाई कमिश्नर, लंदन	24–2–1994	2–3–1994
11.	श्री बी.सी. मिश्रा, भूतपूर्व सचिव विदेश मंत्रालय	26–2–1994	11–3–1994
12.	श्री प्रकाश शाह, राजदूत, भारत का राजदूतावास, टोक्यो	27–2–1994	11–3–1994
13.	श्री मोहन चिरागी, सम्पादक, कौमी आवाज	2–3–1994	11–3–1994
14.	श्री टी.एन. कौल, भूतपूर्व विदेश सचिव	2–3–1994	11–3–1994
15.	सुश्री एम. मणिमेकलय, प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क	1–2–1994	12–3–1994

(ख) प्रतिनिधि मंडल पर हुए व्यय का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

पौड़ी गढ़वाल में घड़ियाल में अत्यन्त कम शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना

4721 **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पौड़ी गढ़वाल के निवासियों ने घड़ियाल में अत्यन्त कम शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या ट्रांसमीटर को कलजीखाल के लिए स्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या कलजीखाल में अत्यन्त कम शक्ति के इस ट्रांसमीटर हेतु स्वीकृति देने से पूर्व भैगोलिक दृष्टि से उपयुक्त स्थल का चयन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार स्थानीय निवासियों की लगातार मांग को देखते हुए घंडियाल में अत्यन्त कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जहां कलजीखाल में एक अलग अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर मंजूर कर दिया गया है, वहीं क्षेत्र में टी.वी. कवरेज में सुधार लाने के उद्देश्य से और अधिक ट्रांसमीटरों हेतु स्थल का पता लगाने की दृष्टि से घंडियाल सहित पौड़ी गढ़वाल के कवर किए गए भागों का सर्वेक्षण करने के लिए कार्रवाई भी शुरू की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय संस्कृति पर दूरदर्शन धारावाहिक

4722 **डा. के.वी.आर. चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान भारतीय संस्कृति पर नए दूरदर्शन धारावाहिक प्रसारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्स मंत्री (श्री के.पी. सिहं देव) : (क) और (ख) ऐतिहासिक/सांस्कृतिक वर्ग में प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित धारावाहिकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, "अकबर द ग्रेट" (पहले ही प्रसारित किया जा रहा है) के अलावा इन कार्यक्रमों का वास्तविक प्रसारण समय-समय पर दूरदर्शन की नियमों तथा शर्तों को पूरा करने तथा अन्य कार्य क्रम अपेक्षाओं पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्र.सं.	धारावाहिक का नाम
1	2
1.	हिजरत
2.	सिन्दूरी
3.	नर्तकी
4.	जगत गुरू शंकराचार्य
5.	फन्कार का फन
6.	अतीत
7.	अकबर द ग्रेड (पहले ही प्रसारित किया जा रहा है)
8.	श्री मुथुस्वामी दीक्षितर
9.	पट्टा महादेव शांतला

1	2
10.	कारतूस
11.	निराला
12.	बहते पानी की कहानी
13.	पानी रुद्रमा
14.	अनमोल मोती
15.	धरती वीरों की
16.	काला पानी
17.	आम्रपाली
18.	आल्हा उद्धल
19.	रूपमती
20.	सौंग्स फ्रॉम नार्थ ईस्ट इंडिया
21.	राजाबादल
22.	ओ नमः शिवाय
23.	स्वतंत रथ समर सेनानी
24.	जय हनुमान
25.	गंगा इतिहास की महाधारा
26.	नौटंकी कथा माला
27	बुल्ले शाह
28.	साधना
29.	महारानी दुर्गावती
30.	हरदौल
31.	इसूरी (आई एस यू आर आई)
32.	मैना सुन्दरी

1	2	
33.	परकरामा	
34.	कारवां	
35.	रंगमंच	

चुंगी की समाप्ति

4723 **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुंगी की समाप्ति के लिए ट्रांसपोर्टरों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए गठित मुख्य मंत्रियों की समिति ने केन्द्र सरकार को हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और क्या सरकार ने इन सिफारिशों के प्रभावों का अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई प्रस्तावित है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नही।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में डाकघर

4724 **श्री दत्ता मेघे :**
श्री राम कापसे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 1993-94 के दौरान जिला-वार कितने नए डाकघर स्वीकृत किए गए और खोले गए; और

(ख) राज्य में 1994-95 के दौरन कितने डाकघर खोले जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) महाराष्ट्र में वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए और खोले गए नए डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान डाकघर खोलने के लिए राज्यवार लक्ष्य को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र में वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए और खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	मंजूर किए गए		खोले गए	
		शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर	शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदनगर	6	1	6	–
2.	अंकोला	1		1	–
3.	अमरावती	3	–	3	–
4.	बुल्दाना	1	–	1	–
5.	भंडारा	1	–	1	–
6.	बीड	1	–	1	–
7.	चंद्रपुर	1	–	1	–
8.	धुले	7	–	7	–
9.	गढ़ चिरौली	7	–	5	–
10.	जालाना	1	–	1	–
11.	जलगांव	1	–	1	–
12.	कोल्हापुर	1	1	1	1
13.	नागपुर	1	1	1	–
14.	नादेंड	–	1	–	–
15.	नासिक	5	–	5	–
16.	उस्मानाबाद	1	–	1	–
17.	पुणे	9	14	9	7
18.	रायगढ़	4	–	4	–
19.	रत्नागिरि	2	–	2	–
20.	शोलापुर	2	1	2	1

1	2	3	4	5	6
21.	सतारा	8	–	8	–
22.	सांगली	1	–	1	–
23.	थाणे	9		9	–
24.	यवतमाल	3	–	3	–
	कुल	76	19	74	9

पश्चिमी देशों के कार्यक्रम

4725. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण में आधुनिकीकरण के नाम पर पश्चिमी देशों के कार्यक्रमों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारी संख्या में ऐसे कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर दिखाए जाने के कारण भारतीय संस्कृति के लिए खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) आकाशवाणी द्वारा प्रसारित और दूरदर्शन की मुख्य सेवा में टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों में विदेशी स्रोतों से प्राप्त कार्यक्रमों की प्रतिशतता नगण्य है। तथापि दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु उपग्रह चैनलों पर पश्चिमी टेलीविजन संगठनों से प्राप्त अधिक कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रसारित/टेलीकास्ट किए जाने से पहले कार्यक्रमों का पूर्वावलोकन किया जाता है।

[अनुवाद]

सस्ती टेलीफोन प्रणाली

4726. **डा. राजगोपालन श्रीधरन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैंड ने हाल ही में सस्ती टेलीफोन प्रणाली की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस टेलीफोन प्रणाली की भारतीय सन्दर्भ में उपयुक्तता संबंधी जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव पर किया गया व्यय

4727 **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री जंगबीर सिंह :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव के लिए राज्य-वार और कार्य-वार प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और इन कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) इस प्रयोजनार्थ, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों को इस प्रयोजनार्थ दी गयी धनराशि पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) राज्यों को अतिरिक्त धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी; और

(च) राज्य-वार दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रख रखाव और मरम्मत के लिए राज्यों को आबंटित धनराशि अलग-अलग कार्यों के लिए नहीं बल्कि एक मुश्त जारी की जाती है। पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/मरम्मत और रख रखाव के लिए किए गए राज्यवार आबंटन और खर्च की राशि संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) चालू वर्ष 1994-95 के दौरान विकास के लिए प्रस्तावित राशि संलग्न विवरण-II में दी गयी है। रख रखाव के लिए राज्य वार प्रस्तावित राशि का निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख रखाव के लिए राज्यों को दी गयी धनराशि, संसाधनों की समग्र कमी के कारण, पर्याप्त नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1991-1992, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव और मरम्मत तथा विकास के लिए राज्य वार आबंटन

क्र.सं.	राज्य का नाम	1991–92		1992–93		1993–94	
		रख-रखाव और मरम्मत	विकास	रख–रखाव और मरम्मत	विकास	रख–रखाव और मंरम्मत	विकास
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1279.42	2455.00	1249.44	2600.00	1716.42	4580.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	84.36	48.00	35.41	80.00	33.51	50.00
3.	असम	1018.09	1225.00	1039.625	1275.00	1355.22	1400.00
4.	बिहार	1012.30	1142.00	1072.66	1385.00	1276.45	1920.00
5.	चंडीगढ़	16.00	28.00	15.48	25.00	14.00	25.00
6.	दिल्ली	163.00	550.00	171.80	700.00	208.21	550.00
7.	गोवा	191.97	930.00	208.308	850.00	245.05	570.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	गुजरात	918.89	4770.00	881.37	4650.00	1033.95	6350.00
9.	हरियाणा	362.29	1060.00	380.83	1870.00	573.86	3200.00
10.	हिमाचल प्रदेश	518.77	1140.00	529.55	1150.00	881.70	1200.00
11.	जम्मू और कश्मीर	45.00	50.00	143.39	50.00	94.54	40.00
12.	कर्नाटक	990.02	1775.00	1105.85	1880.36	1234.19	2900.00
13.	केरल	586.54	1120.00	587.82	1400.00	726.15	3050.00
14.	मध्य प्रदेश	1195.69	1850.00	1213.25	1915.00	1316.28	1850.00
15.	महाराष्ट्र	1620.90	3358.00	1506.677	3280.00	1815.54	3080.00
16.	मणिपुर	51.67	250.00	73.32	250.00	130.47	300.00
17.	मेघालय	205.19	450.00	170.27	387.00	231.13	470.00
18.	नागालैंड	3.50	48.00	3.50	50.00	7.29	45.00
19.	उड़ीसा	859.98	1384.00	738.52	1375.00	1016.11	1350.00

20.	पांडिचेरी	6.83	120.00	5.78	44.84	16.02	50.00
21.	पंजाब	579.98	2850.00	638.97	2800.00	661.30	2200.00
22.	राजस्थान	1054.61	1800.00	1141.02	3095.00	1339.97	4200.00
23.	तमिलनाडु	979.91	1422.00	1134.69	1600.00	1643.67	3150.00
24.	उत्तर प्रदेश	1312.05	6025.00	1394.96	4995.00	1710.52	4750.00
25.	पश्चिम बंगाल	1284.35	1634.00	1071.51	2230.00	1760.45	3500.00

विवरण-II

1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य-वार आबंटन

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1994-95 में विकास हेतु प्रस्तावित राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.00
3.	असम	1400.00
4.	बिहार	1700.00
5.	चंडीगढ़	25.00
6.	दिल्ली	100.00
7.	गोवा	300.00
8.	गुजरात	5000.00
9.	हरियाणा	4600.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1200.00
11.	जम्मू और कश्मीर	40.00
12.	कर्नाटक	2450.00
13.	केरल	3100.00
14.	मध्य प्रदेश	1550.00
15.	महाराष्ट्र	2600.00
16.	मणिपुर	300.00
17.	मेघालय	400.00
18.	नागालैंड	15.00
19.	उड़ीसा	3200.00

1	2	3
20.	पांडिचेरी	50.00
21.	पंजाब	2200.00
22.	राजस्थान	4100.00
23.	तमिलनाडु	1700.00
24.	उत्तर प्रदेश	8300.00
25.	पश्चिम बंगाल	2800.00

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में राजापुर में कम शक्ति का ट्रांसमीटर/उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर

4728 **श्री सुधीर सावंत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में राजापुर के लिए कम शक्ति का ट्रांसमीटर और उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब तक स्थापित और कब से चालू हो जायेंगी;

(ग) क्या कर्मचारियों की सुविधा के लिए केवल शहरी क्षेत्रों के लिए ही यह मांग करने से साइट रेंज के चयन की बात को छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। महाराष्ट्र के राजापुर में एक अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापना के लिए प्रस्तावित है। टी.वी. ट्रांसमीटर के 1994-95 के दौरान सेवा हेतु शुरू कर दिए जाने की आशा है बशर्ते कि उपकरणों की समय से आपूर्ति हो तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"एड्स" संबंधी जानकारी का प्रसारण

4729 **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास एड्स के खतरों के प्रति जनमानस को जागरूक बनाने हेतु इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर विशेष अभियान आरंभ करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिहं देव) : (क) और (ख) आकाशवाणी व दूरदर्शन कार्यक्रमों के विभिन्न फार्मेटों का उपयोग करते हुए एड्स के बारे में जागरूकता विषयक कार्यक्रम पहले से ही प्रसारित/टेलीकास्ट कर रहे हैं। इन नियमित कार्यक्रमों के अलावा, दूरदर्शन द्वारा निकट भविष्य में एड्स पर एक टी.वी. धारावाहिक प्रसारित करने की भी परिकल्पना है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में जलगांव में टी.वी. ट्रांसमीटर

4730. **डा. गुणवन्त रामभाऊ संरोदे :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में जलगांव जिले के रावेर और इदालाबाद तहसीलों में कम क्षमता वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो ये ट्रांसमीटर कब तक स्थापित कर दिये जायेगें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के जलगांव जिले की रावेर और इदालाबाद तहसीलों में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिले में टी.वी. सेवा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से या तो जलगांव में अथवा अकोला में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की परिकल्पना है बशर्ते कि उपयुक्त स्थल उपलब्ध हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम अनुमोदित कर दी जाए। इस उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर जिले के रावेर तथा इदालाबाद दोनों ही तहसीलों को संतोषजनक टी.वी. सेवा उपलब्ध करवाने की आशा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाना

4731. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
श्री आर. जीवनरत्नम :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के हर जिले में कम-से-कम एक कृषि-आधारित उद्योग लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फल संरक्षण और प्रसंस्करण पर विचार गोष्ठियां सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो 1993-94 में हुई ऐसी विचारगोष्ठियों/कार्यशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण एकको, विशेषतः गुजरात और माहराष्ट्र में, महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी राज्य में स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता। परन्तु सरकार देश के विभिन्न भागों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा ऐसी विचार गोष्ठियां, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आयेाजित नहीं की गई हैं किन्तु मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने में सहायता दे रहा है और आठवीं योजना के पहले दो वर्षों में 121 ऐसे केन्द्रों को सहायता दी जा चुकी है। ये केन्द्र प्रशिक्षण के अलावा जिला उद्योग केन्द्रों और राज्य नोडल एजेंसियों के साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं पर सूचना का प्रचार-प्रसार करेंगे।

(ङ) और (च) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्रामीण महिलाओं को कृषि आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें छोटे खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने और उनका प्रबंध करने में "व्यावहारिक अनुभव" प्राप्त हो जाये।

[अनुवाद]

गोवा में नौवहन का विकास

4732 **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गोवा में नौवहन विकास हेतु कोई वृहद योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो आधारभूत नेटवर्क के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा कन्टेनल यातायात को सुगम बनाने हेतु गोवा में पत्तन को जाने वाली प्रमुख सड़कों को चौड़ा करने तथा इन्हें मजबूत बनाने सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पक्की चौड़ी सड़क के अभाव में इस समय मारमोगोवा पत्तन से क्या गोवा शिपयार्ड को कन्टेनर परिवहन संभव नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो वहां कन्टेनर यातायात हेतु सड़क निर्माण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धनराशि का क्या प्रावधान किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुरगांव पत्तन न्यास पर मिश्रित कार्गो को कन्टैनरीकृत किए जाने की संभावना नहीं है।

(घ) मुरगांव पत्तन के विकास के लिए आठंवी योजना (1992-97) में विभिन्न स्कीमों पर कार्रवाई के लिए 123.00 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गयी है।

प्रसारण संहिता

4733. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एस.वी. सिदनाल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसारण संहिता को पुनः लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अफ्रीका के सभी भागों में आकाशवाणी के प्रसारण को सुदृढ़ बनाने हेतु इसकी विदेश सेवा को पुनः शुरू करने के कोई ठोस प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रसारण संहिता को पुनः लागू करने की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) किसी व्यक्ति द्वारा आकाशवाणी पर प्रसारण को नियंत्रित करने वाली आकाशवाणी की प्रसारण संहिता बरकरार है। अतः इसे पुनः लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) आकाशवाणी की विदेश सेवा को अफ्रीका के विभिन्न भागों में पहले ही निर्देशित किया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, कवर न किए गए क्षेत्रों में ट्रांसमिशन का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी दूतावासों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां

4734. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **विदेश मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुवैत और श्रीलंका सहित विभिन्न देशों में पाकिस्तानी दूतावासों द्वारा की जा रही भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा किसी अन्य देश के विरुद्ध उनकी भूमि का दुरुपयोग करने के संबंध में इन देशों के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर इन देशों की देशवार क्या प्रतिकिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान अपने विदेश स्थित मिशनों के माध्यम से, अन्तर्राष्ट्रीय अभि समयों के विपरीत है, कुछ पड़ोसी देशों की धरती का प्रयोग भारत विरोधी गतिविधियों के आयोजन के लिए कर रहा है तथा अधिकांश देशों में भारत के विरुद्ध गलत सूचना देने का अभियान चला रहा है। सरकार ने पाकिस्तानी मिशनों की इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना स्थानीय सरकारों को दी है। श्री लंका ने जहां पाकिस्तानी राजदूतावास ने "कश्मीर-ए डिस्पुटेड लीजेंसी वाई एलिसतैयर लैम्ब" नामक शीर्षक की फिल्म दिखाई है, तथा कुवैत में स्थिति, हमारे मिशनों ने समुचित डिमार्श जारी किया और उन्हें दोनों सरकारों से संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुए। हमारे मिशनों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मिशनों के गलत सूचना अभियान का प्रतिकार करने के लिए समुचित प्रयास भी किए हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का निजीकरण

4735 **श्री एस.बी. सिदनाल :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेडियो और दूरदर्शन के निजीकरण करने और भारतीय प्रसारकों को भारतीय उपग्रहों से जोड़ने की प्रसारण सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ग) क्या नेपाल जैसे कुछ पड़ोसी देश उपग्रह से जोड़ने की सुविधायें दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र की किसी मीडिया कंपनी ने काठमांडू को उपग्रह से जोड़ने की सुविधा की पेशकश की है;

(ङ) क्या बी.बी.सी. भी इस संबंध में दिल्ली दूरदर्शन से सहयोग करने के लिए तैयार है; और

(च) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक निजी एजेंसियों द्वारा अपलिंकिंग सुविधाओं की स्थापना करने के लिए अनुमति दिए जाने का संबंध है, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) नेपाल जैसे पड़ौसी देशों ने अभी तक प्रसारण हेतु उपग्रह को जोड़ने की सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं।

(घ) इस मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ङ) आपर्लिंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था में दूरदर्शन के साथ सहयोग हेतु **बी.बी.सी.** द्वारा किए गए किसी प्रस्ताव की सरकार को जानकारी नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत

4736 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मार्च, 1994 के दौरान तेहरान में चीन के विदेश मंत्री के साथ व्यापक चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत-चीन समझौते तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ) विदेश मंत्री श्री दिनेश सिंह ने 6 मार्च, 1994 को तेहरान मे चीन के उप-प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री श्री कियान कि चेन से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री को भारत की यात्रा पर आने का निमन्त्रण दिया जिसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस बात पर गौर किया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में अच्छी प्रगति हो रही है तथा शान्ति एवं अमन से संबंधित करार इस दिशा में एक कदम था। दोनों मंत्री आर्थिक सहयेाग गहन करने पर सहमत हुए जिसमें भारत से चीन की लौह-अयस्क का निर्यात भी शामिल है जम्मू एंव कश्मीर के संबंध में चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच, सीधी वार्ता का समर्थन करता है। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि 1994 में शान्ति पूर्ण-सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों की 40वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी।

[हिन्दी]

मैट्रो चैनल पर गुजराती कार्यक्रम

4737 **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मैट्रो चैनल कार्यक्रमों के प्रायोजक गुजराती कार्यक्रमों को कोई महत्व नहीं देते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात में गुजराती कार्यक्रमों के लिए पूर्व निर्धारित समय को यथावत रखने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) इस समय, मैट्रो चैनल पर गुजराती कार्यक्रम नहीं दिखाए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मेघालय में खाद्य प्रसंस्करण एकक

4738 **श्री पीटर जी. मरबनिआंग** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मेघालय में कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए वहां खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) जी, नहीं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी राज्य में स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता। मेघालय में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजना स्कीमों के अन्तर्गत सहायता के वास्ते कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

4739 **श्री तारा सिंह** :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की ओर देय 300 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे-खतों में डालने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की ओर देय ऋणों को बट्टे खाते में डाले जाने का अन्य राज्य विद्युत बोर्डों के ऋणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (बी.टी.पी.एस.) से खरीदी गई विद्युत के लिए डेसू

को 3288 करोड़ रु. का भुगतान करना था। इन बकाया राशियों अथवा डेसू की ओर अन्य कोई बकाया राशि को बट्टे खाते डालने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उपकरण पुल (इंक्विपमेंट ब्रिज)

4740 **श्री सुधीर सावंत** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमार्गों पर उपकरण पुलों (इक्विपमेंट ब्रिज) का प्रयोग किया जाता है;

(ख) देश में किस प्रकार के उपकरण पुल (इक्विपमेंट ब्रिज) उपलब्ध हैं और ऐसे प्रत्येक 100 मीटर लम्बे पुल की निर्माण लागत क्या बैठती है तथा सामान्य आर.सी.सी. पुल की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है; और

(ग) क्या इस प्रकार के पुलों के प्रयोग से देश में सड़कों और राजमार्गों का निर्माण कार्य तथा उन्हें चालू करने का कार्य तेज हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संभवतः उपकरण पुल से माननीय सदस्य का आशय बेलीपुल से है। भारत सरकार संवैधानिक रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बेली पुल आपातकाल उपाय के रूप में उपयोग किए जाते हैं और वे केवल 50 मीटर स्पैन तक होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 मीटर स्पैन के लिए कोई ऐसे पुल प्रयोग नहीं किए गए हैं।

चूंकि बेली पुल केवल आपातकालीन मामलों में ही उपयेाग किए जाते हैं इसलिए ऐसे पुलों की निर्माण की लागत की आर.सी.सी. पुलों की लागत से तुलना नहीं की जा सकती जो स्थायी स्वरूप के होते हैं।

(ग) जी नहीं। बेली पुलों को केवल आपातकालीन उपायों के रूप में उपयोग किया जाता है।

दूरदर्शन पर विज्ञापन

4741 **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "दी इंडियन सोसाइटी आफ एडवर्टाइजर्स" से दूरदर्शन पर कुछ उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि, हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु शस्त्र परिसीमन पर सेमिनार

4742 **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेशी :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी वैज्ञानिक परसिंघ ने हाल ही में "फूडान विश्वविद्यालय, संघाई" में परमाणु शस्त्र परिसीमन और विश्वास निर्माण पर कोई सेमिनार कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने सेमिनार में भाग लिया था;

(ग) इस सेमिनार में किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(घ) इस सेमिनार में अन्य किन-किन देशों ने भाग लिया; और

(ङ) सेमिनार की क्या उपयेागिता रही ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां। अमरीकी वैज्ञानिक महासंघ और भारत के नीति अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से फूडान विश्वविद्यालय ने शंघाई में 24 से 26 फरवरी, 1994 तक "संभव अन्तर-संबद्ध दक्षिण एशियाई और विश्वव्यापी नामिकीय अस्त्र नियंत्रण और निःस्त्रीकरण संबंधी पहलकदमियों के संबंध में एक कार्यशाला" का आयोजन किया।

(ख) एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने शंघाई में आयोजित इस कार्यशाला में भाग लिया जिसमें भूतपूर्व राज्य मंत्री डा. राजा रमन्ना, जनरल (सेवानिवृत्त) के. सुन्दरजी, भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, श्री ए.पी. वेंक्टेश्वरन, भूतपूर्व विदेश सचिव और डा. ब्रहम चेलेनी, अनुसंधान प्रोफेसर, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली शामिल थे। इसमें किसी सरकारी भारतीय अधिकारी ने भाग नहीं लिया।

(ग) समाचार में छपी खबरों के अनुसार इस कार्यशाला में जिन मसलों पर चर्चा हुई वे दक्षिण एशिया में नाभिकीय अस्त्रों की सुरक्षा का प्रत्यक्ष ज्ञान और विकास, संपर्क खोजना, असुरक्षित विखण्डकारी सामग्री का उत्पादन रोकना, सम्पर्क खोजना: एक सार्वभौम व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि संपर्क खोजना: स्वीकृत नामिकीय अस्त्र वाले राज्यों के नामिकीय अस्त्रागारों में और कटौती करना, पक्षेपास्त्रों के प्रसार को नियंत्रित करना, क्षेत्रीय और सार्वभौम विचार और क्षेत्रीय सहयोग तथा विश्वास निर्माण" से संबंद्ध थे।

(घ) इस कार्यशाला में संयुक्त राज्य अमरीका, पाकिस्तान और चीन से आए लोगों ने भाग लिया।

(ङ) समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार यह चल रही शैक्षिक वार्ता का हिस्सा है। यह कार्यशाल इस प्रकार की बैठकों की श्रृंखला में पहली है जिनकी योजना आयोजकों ने की है।

कजाकिस्तान के साथ समझौते

4743 **श्री अन्ना जोशी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री की कजाकिस्तान की यात्रा के दौरान भारत और कजाकिस्तान के बीच किन्हीं समझौतों और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विशेष बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री की कजाखस्तान की यात्रा के दौरान निम्नलिखित दो करारों पर हस्ताक्षर हुए :-

(i) भारत गणराज्य की सरकार और कजाखस्तान गणराज्य की सरकार के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर करार। इस करार में अन्य बातों के अलावा वैज्ञानिकों और विज्ञान संबंधी सूचना के आदान-प्रदान, द्विपक्षीय वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठियों प्रदर्शनियों का आयोजन तथा उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयोगोन्मुखी अनुसंधान कार्यक्रमों का संयुक्त रूप से पता लगाना उनकी रूपरेखा तैयार करना उनका कार्यान्वयन शामिल है। इस करार में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग के लिए एक संयुक्त समिति के गठन की तथा सरकारी एजेन्सियों और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सम्पर्को को बढ़ाने की भी संकल्पना की गई है।

(2) भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और कजाखस्तान गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग पर प्रोतोकोल इस करार में दोनों मंत्रालयों के बीच नियमित विचार-विमर्श, राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग गहन करने कजाख राजनायिकों के भारत में प्रशिक्षण और शिष्टमण्डलों के आदान-प्रदान भी शामिल हैं।

12.00 मध्याहन

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 7 दिसंबर, 1992 को मेवात, जिला गुड़गांव, हरियाणा में 23 मंदिरों को तोड़ कर आग लगाई गई और गायों को सड़क पर पटक-पटक कर मार दिया गया। हजारों लोगों की संपत्ति नष्ट कर दी गई। इस घटना के संबंध में स्थानीय प्रशासन ने 669 अपराधियों के खिलाफ 15 मुकदमे बनाए और इस विनाशलीला को देख कर हरियाणा के मुख्य मंत्री ने 30-12-1992 को सार्वजनिक भाषण में अपराधियों को कड़ी-से-कड़ी सजा दिलवानें के बारे में कहां इसके पश्चात् 11-12 फरवरी, 1994 को ताबरू और पुनहाना की जन सभाओं में मुख्य मंत्री हरियाणा ने 669 अपराधियेां के खिलफ जो केसेस थे, उनको वापिस लेने की घोषणा

कर दी। इस घोषणा से न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इस घोषणा से अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं और उत्पीड़ित लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इतना ही नहीं अपराधियों के सरगना नेताओं का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जब इस सदन में मुलायम सिंह जी के बारे में प्रश्न उठाया गया था, तब आपने ही आब्जेक्ट किया था, लेकिन आज आप ही हरियाणा के मुख्य मंत्री के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय– –(**व्यवधान**)–

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जोयगा।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा, सिर्फ विनय कटियार जो बोल रहे हैं, वो रिकार्ड में जायेगा।

–(**व्यवधान**)–

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी सरकार या मुख्य मंत्री के बारे में नहीं कहना चाहता, मेरा निवेदन यह है कि 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराए जाने पर हम लोगों को जेलों में डाल दिया गया, लेकिन निर्विवाद स्थानों को गिराने और हत्याएं करने वालों के खिलाफ चल रहे केसेस को मुख्य मंत्री हरियाणा ने वापिस लेने की घोषणा कर दी। इस कारण अपराधियों के हौंसले बुलंद हो रहे हैं और सामान्य व्यक्ति को जीना दूभर हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फैजाबाद में जिन लोगों के घरों से बम बरामद किए गए, ऐसे 8 अपराधियों को गुंडा एक्ट में बंद किया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन शिवसेना के एक कार्यकर्त्ता अनिल कालिया, जिसके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ और जिसके खिलाफ कभी कोई केस नहीं चला, उसको गुंडा एक्ट में बंद कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें तथा निर्देश दें कि अपराधियों के खिलाफ केस वापिस न लिए जाएं, अन्यथा न्याय का गला घुट जाएगा। इस बारे में मंत्री महोदय एक वक्तव्य सदन में दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री बृशिण पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, बी.सी.सी.एल. धनबाद के 480 शिक्षक 5 महीने से जंतर-मंतर पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं, जिनका 800 से 1200 रुपए वेतन देकर बी.सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में मैं दो सवाल यहां पर उठाना चाहता हूं पहला सवाल जांच के बारे में है और दूसरा सवाल विचार करने के बारे में है। जांच के सवाल के बारे में मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार 2.40 करोड़ रुपया

बी.सी.सी.एल. धनबाद के अंतरर्गत चलने वाले स्कूलों के लिए अनुदान के रूप में देती है, जिसके अंतर्गत सेंट्रल स्कूल, डीएवी स्कूल और **बी.सी.सी.एल.** के श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 100 के करीब स्कूल चलाए जाते हैं। यह जांच करने की बात है कि सेंट्रल स्कूल का सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है तथा डीएवी स्कूल में 150 रुपया महीना फीस लेकर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन इनको अनुदान का 80 प्रतिशत दे दिया जाता है और बीसी.सी.एल. के गरीब श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए जो स्कूल चलाए जाते हैं, उनको 20 प्रतिशत ही अनुदान की राशि दी जाती है। यह जांच का विषय है सौ स्कूलों में श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है तो उनको बीस परसेंट और जिन स्कूलों को दूसरी चीजों से आमदनी हो रही है, तो ऐसे स्कूलों को 80 फीसदी अनुदान क्यों दिया जाता रहा है ? दूसरा विषय यह है कि बीसीसीएल, धनवाद के प्रबंधन द्वारा चलाए जा रहे स्कूल के 480 शिक्षक जिन्हें बिहार सरकार के शिक्षक के अनुरूप वेतन दिया जा सकता है पूर्व कोयला मंत्री श्री संगमा जी ने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फैसला लिया था कि 1991 के बाद बिहार के शिक्षक हैं के अनुरूप इन शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा। लेकिन सरकार आज तक कान में रुई डालकर बैठी हुई है और कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि कोयला मंत्रालय को इस मामले में निर्देश जाना चाहिए कि जो शिक्षक पांच महीने से धरने पर बैठे हुए हैं उनके लिए विचार करें --**(व्यवधान)**--

[अनुवाद]

श्री पीटर जी. मरबीन आंग (शिलांग) : महोदय, मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कसाइयों की हड़ताल का मामला उठाना चाहता हूं।

ईदगाह बूचड़खाने के संबंध में गतिरोध जारी है कसाइयों की हड़ताल का आज 40वां दिन है। इस मुद्दे पर कोई समझौता होने का कोई लक्षण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मरबनिआंग, यह मामला न्यायालय में है। यह इस संसद द्वारा विचारणीय नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि इसे इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : पूरी दिल्ली को कष्ट हो रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसे इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान फाजिल्का जिले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर जिलों में 1971 की जंग के बाद जो सरकारी मुलाजिम 16 किलोमीटर की पट्टी के अंदर काम करते थे उन मुलाजिमों को सरकार ने बार्डर अलाउंस देने का फैसला किया था। वह 1973 से 1988 तक चलता रहा और 1988 में सरकार ने वह बार्डर अलाउंस बंद कर दिया था। जिसके कारण टीचर्स, हैड-मास्टर्स और डाक्टरों की हजारों पोस्ट्स हर विभाग में खाली पड़ी हैं। पंजाब इलैक्शन से पहले इस देश के गृह मंत्री पंजाब के डेरा बाबा नानक, गुरुदासपुर में गए थे। वहां इन्होंने ऐलान किया कि जो काटा हुआ बार्डर अलाऊंस हैं, वह देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि बार्डर अलाऊंस देना तो दूर की बात है परंतु जो 15-20 साल पहले दिया हुआ बार्डर अलाऊंस है उसकी रिकवरी शुरू कर दी है जिसके कारण इन जिलों के मुलाजिमों ने जो बार्डर की पट्टी पर काम करते हैं, उन्होंने ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया है इसलिए बार्डर की पट्टी पर हजारों पोस्ट्स खाली पड़ी हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन बार्डर मुलाजिमों की समस्याओं को शीघ्रता से हल करें और जो काटा हुआ बार्डर अलाऊंस है वह दिया जाए और जो रिकवरी की जा रही है उसको फौरीतौर पर बंद किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान बिहार में छोटा नागपुर पठार पर एक स्थायी चांदमारी की प्रस्तावित स्थापना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तथा लगभग 245 गांवों को शामिल किया जायेगा और इससे 2.5 लाख लोग विस्थापित और बेदखल होंगे। इस क्षेत्र का यदा-कदा चांदमारी के प्रयोजनों से उपयोग किया जा रहा था परन्तु अब एक स्थायी चांद मारी क्षेत्र बनाने के प्रयोजन से यथोचित तथा उपयुक्त अधिसूचना के बिना ही भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इससे स्थानीय लोग उद्वेलित हुए हैं जिन्हें विकास के नाम पर बार-बार बेदखल और विस्थापित किया जाता है। हाल ही में, उन्होंने दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था तथा सरकार को एक ज्ञापन भी दिया था। महोदय, इस कदम से वन (संरक्षण) अधिनियम का वो उल्लंघन होगा ही, इस क्षेत्र का परिस्थिति की संतुलन भी इससे प्रभावित होगा और यह विचार करने पर कि आदमी तथा उसके वास स्थान के बीच जैव संबंध है, अतः इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों की बेदखली तथा विस्थापन का छोटा नागपुर पठार में उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने एक जन संघर्ष समिति का गठन किया है और यह समस्या एक राजनैतिक आयाम ग्रहण करती जा रही मैं यह नही चाहूंगा कि सरकार आदिवासी लोगों की भावनाओं की उपेक्षा करे। वास्तव में, समस्त आदिवासी क्षेत्र में क्रोध तथ हताश व्याप्त है और हमें इसका विस्फोट हिंसा के रूप में नहीं होने देना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस कदम पर पुनर्विचार करे। मैं यह पूरी तरह समझता हूं क प्रतिरक्षा की अपनी आवश्यकताएं हैं और यह कि इसकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए परन्तु पूर्वकाल में इनकी पूर्ति अधिक क्षति, विस्थापन तथा बेदखली किए बिना होती रही है इसलिए मेरा मानना है कि पुरानी व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए। उन्हें निर्णय की पुनरीक्षा करनी चाहिए।

s[हिन्दी]

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : हमारे निर्वाचन क्षेत्र घाटमपुर में और उसके साथ लगे बुन्देलखंड इलाके में फतेहपुर, बांदा, इटावा और नये जिले अकबरपुर में पीने के पानी की भीषण किल्लत हो गई है। वहां पर पानी का जल स्तर नीचे चला गया है और वहां की महिलायें चार-पांच किलोमीटर दूर दरिया से पानी लाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : पानी पिलाने का काम राज्य सरकार को करना है।

श्री केशरी लाल : वहां पर जो इंडिया हैंड पंप लगे हैं उनको भारत सरकार बदल सकती है। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के कलेक्टर्स को अधिक धन दे ताकि बुन्देलखंड इलाके में जहां पानी का जल स्तर नीचे चला गया है। वहां पर लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। यही हमारी आपके द्वारा सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, केरल के कुछ भागों में भारी वर्षा तथा हवा का प्रकोप रहा है जिससे पेड़-पौधों का भारी विनाश हुआ है किसानों को कठिनाई हो रही है क्योंकि केरल की सरकार यथोचित मुआवजा नहीं दे पायेगी। रबड़ के एक पेड़ के लिए मात्र 40 रुपये मुआवजा दिया गया। जबकि यदि 2000 रुपये मुआवजा दिया जाये तो भी बहुत कम है। कल मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में गया था और मैंने पाया कि अकेले एक पंचायत वार्ड में ही 50,000 रबड़ के पेड़ हवा से उखड़ गये थे। वित्त मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से इस समस्या को हल करने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने का अनुरोध करता हूं क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं प्रतिवर्ष आ रही हैं। और हम किसानों को कोई मुआवजा नहीं दे सकते। भारत सरकार भी कोई मुआवजा नहीं दे सकती। अतः मैं वित्त मंत्री जी से सामूहिक बीमा की ऐसी योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध और सुझाव देता हूं जिससे सभी किसानों को लाभ पहुंचे। सेवा सहकारी बैंक, कृषि एजेंसियां तथा राज्य सरकारें सहयोग कर सकती हैं और प्रीमियम दे सकती हैं मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा करने से कृषक समुदाय को बचाया जा सकता है और जब तक इस मामले में कुछ किया नहीं जाता, आने वाले वर्षों में हमें भारी हानि होने जा रही है। मैं कृषि मंत्री महोदय से इसे एक विशेष मामला मान कर गौर करने तथा किसानों, विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहां पर हाल ही की वर्षा और तूफान से भारी हानि हुई है, के किसानों को मुआवजे के रूप में केरल को कुछ सहायता देने का अनुरोध करूंगा।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, नारियल तेल को खुले जनरल लाइसेंस की सूची में लाने का सरकार का निर्णय राज्य के लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप नारियल तेल का आयात किया जायेगा। यह आयात मेरे राज्य के कृषकों के लिए बिल्कुल विनाशकारी होगा। नारियल तेल के दाम पहले ही घट रहे हैं और उसका लाभकरी मूल्य दिलाये जाने की मांग थी। समर्थन मूल्य 2350 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। नारियल तेल को खुले जनरल लाइसेंस की सूची में लाने के इस निर्णय की घोषणा

के बाद, मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल कम हो गया है पिछले वर्ष, इसी अवधि के दौरान, मूल्य केवल 4300 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास था। जबकि आज वह 3300 रुपये प्रति क्विंटल है। इससे वाकई समस्या होगी हमारे राज्य की पूरी अर्थ-व्यवस्था नारियल पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय : हम बजट पर विचार कब करेंगे, आप इसे शून्य काल में क्यों उठा रहे हैं ?

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, सरकार के इस निर्णय से मेरे राज्य के लोगों को वास्तव में समस्या होगी। इसके कारण हमारे किसानों को कष्ट हो रहा है अतः मेरा अनुरोध है कि नारियल तेल को खुला जनरल लाइसेंस की सूची में न रखा जाये।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : यह रिपोर्ट मिली है कि केन्द्रीय सरकार ने विकास केन्द्र योजना को बंद करने का निर्णय चुप-चाप ले लिया है। इस योजना के अनुसार जिसे 24 राज्यों में शुरू किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में छह केंद्रों सहित 70 विकास केन्द्रों की स्थापना की जानी है इस योजना में प्रत्येक केन्द्र में 30 करोड़ रुपये का निवेश करने की व्यवस्था है। यह देश में भौगोलिक रूप से संतुलित औद्योगिक विकास हेतु अत्यंत निर्णायक था। यदि इस योजना को ताक पर रखा गया तो इससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के प्रयास को भारी धक्का लगेगा और पहले ही हो चुका। लगभग 90 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश भी व्यर्थ हो जायेगा मैं सरकार से इस संबंध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, क्या आप इस मुद्दे को उठाने में वास्तव में रुचि रखते हैं ? इस पर चर्चा करने में राजनैतिक कठिनाई नहीं बल्कि कुछ कानूनी कठिनाई होगी।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, आपने इसमें काफी प्रयास किया और आपके कमरे में इलेक्शन्स रिफार्मस के बारे में मीटिंग हुई और आपने सरकार से बार-बार यह सवाल उठाया गया···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चैम्बर में जो चर्चा की गयी उस सभी पर चर्चा करने की आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है।

श्री शरद यादव : लेकिन आयेडेंटी कार्ड और इलेक्शन रिफार्मस का मामला सरकार को जिस गति से पिछले चार साल में लेना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। इस बारे में आपके चैम्बर में बैठक हुई थी और उसमें पेपर्स सरकुलेट होने थे और गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट पर यूनानिमिंटी थी, सरकार के पास है, जो दो इलैक्शन कमिशनर्स की बात है, वह रिपोर्ट भी सरकार के पास है और जहां तक कोड आफ कंडक्ट का सवाल है, यह बाहर तो बहुत चर्चित है और आयेडेंटी कार्ड के मामले में 1995 के बाद संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है और हमारे लोग इस बात के लिए चिन्तित हैं और आपके मना करने के बावजूद भी मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं···

अध्यक्ष महोदय : इस ढंग से चलने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री शरद यादव : मैंने कई मंत्रियों से और विशेषकर शुक्ला जी को फोन करके संपर्क किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे फोन पर श्री शुक्ला जी ने बताया था कि पेपर्स सरकुलेट हो रहे हैं और एक-दो दिन में मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, जरा मेरी बात तो सुन लीजिए। यह मामला पिछले चार साल से घिसटता रहा है और यह काम हम लोगों का, पार्लियामेंट का है और जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, उनका है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर एक क्राइसिस पैदा हो गया है। सारे मुख्यमंत्री और हम इस बारें में अपनी राय दे चुके हैं तो सरकार को एक मानस बनाकर इसमें सुधार करना चाहिए और यह कब तक करेंगे, यह टाइम बाउंड प्रोग्राम बताना चाहिए और यह इस सैशन में हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि समय ही निकल जाये तो उससे बड़ी दिक्कत हम सब लोगों को होगी। अतः मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर इसमें काम्प्रेहेंसिव चेंज क्या लाना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए और आपके चैम्बर में क्या बात हुई है, उसको बताना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शुक्ल जी, क्या आप कोई जबाब देंगे ? मेरे विषय में आप उत्तर के लिए विपक्ष की ओर देख रहे हैं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम इस मामले में पहल करना और इस विषय पर चर्चा करने के लिए विपक्ष के सभी नेताओं को आमंत्रित करना चाहते हैं। इस पर एक बार आपके कक्ष में विचार-विमर्श हुआ था और मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि थोड़ा समय निकाल कर सभी नेताओं को आमंत्रित करें। ताकि इस मामले में सर्वसम्मति बन सके और हम आगे बढ़ें। मैं माननीय सदस्यों को विशेषतः श्री शरद यादव को जो अक्सर इस मामले को उठाते रहे हैं, आश्वासन देता हूं कि हम इस मामले को समुचित ढंग से निपटाने के इच्छुक हैं ताकि इससे हमारी लोकतांत्रित प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : क्या इसी सैशन में होगा ? मंत्री जी को कहना चाहिए कि इस सैशन में ही हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कहना बहुत कठिन है। यह हमारी बातचीत पर निर्भर करता है। हम निश्चित ही इसे यथाशीघ्र निपटाना चाहेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारत सरकार पर उसकी परमाणु अप्रसार नीति को बदलने के लिए पड़ रहे कथित दबाब की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि इस नीति को राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है और हमारा आरम्भ से ही यह मत रहा है कि परमाणु हथियारों और यहां तक कि संबंधित अनुसंधान और विकास पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। महोदय, हम इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए थे—

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, हम विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने जा रहे हैं मेरे विचार में अभी चर्चा के लिए सूची में यह पहला विषय है। आप इस मामले को उचित ढंग से उठा सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि वह यह है कि सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। परमाणु संबंधी बातों के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए अमरीका से लगातार दवाब पड़ रहा है और इस सम्बन्ध में लोगों के मन में भरी आशंका है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस सभा को विश्वास में ले। क्योंकि यह सर्वमान्य राष्ट्रीय नीति है कि जहां तक शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु क्षमता विकसित करने का प्रश्न है तो हम इस दिशा में अपना काम रोकने को सहमत नहीं होंगे। लेकिन यह दबाव पड़ रहा है कि सरकार किसी क्षेत्रीय सम्मेलन या एक बहुपक्षीय बैठक के लिए तैयार हो।

अतः सरकार को अपनी नीति को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि संसद को विश्वास में लिए बिना उसकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

श्री जसवंत सिंह (चित्तोड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि कहा है कि जब विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर चर्चा आरम्भ होगी तब हम इस विषय पर चर्चा कर पाएंगे। मेरी समस्या यह है कि इस पूरे प्रश्न पर विदेश मंत्रालय का निःशस्त्रीकरण डेस्क ही विचार करता है। जहां तक विदेश मंत्रालय का संबंध है, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ में निःशस्त्रीकरण पर विचार करता है। रक्षा मंत्रालय इस विषय से कुछ लेना-देना नहीं है। अब, इन दो मंत्रालयों के बीच और सरकार की असमंजस की स्थिति में तथा प्रधानमंत्री जी की आगामी अमेरिका यात्रा को ध्यान में रखते हुए इस बात की आशंका होती है कि कहीं सरकार सर्वमान्य अभेदात्मक स्थिति के अतिरिक्त और किसी बात को स्वीकार न करने की भारत की सर्वमान्य नीति से हट न जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम किस कारण से ऐसा सोच रहे हैं कि सरकार दूसरा रुख अपनाएगी।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, आपसे यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है।

श्री चन्द्रजीत यादव : ऐसा सुनने में आया है कि सरकार बहुपक्षीय वार्ता के लिए सहमत हो गई है। आशंका का यही कारण है। इसी मुद्दे पर सरकार को अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूं कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। महोदय, सरकार की अपनी घोषणाओं से ही ऐसी आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे सुझाव दिए गए हैं कि नौ राष्ट्रों के एक सम्मेलन के आयोजन की योजना तैयार हो रही है। नौ राष्ट्रों का सम्मेलन सार्वभौम नहीं होगा। क्या यह 9+2+2 है या फिर 5+2+2 है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक जटिल मामला है। आप इसे उसी समय उठा सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं आपसे सहमत हूं। चूंकि यह एक जटिल मुद्दा है, अतः सरकार के लिए यह और भी आवश्यक है कि वह इस मामले से जुड़े सारे संदेहों को दूर करे और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही बयान दे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं कहता हूं कि ये सारी आशंकाएं पूर्णतः निर्मूल हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि जब यह मामला अखबारों में आया तो सेना के जनरलों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित किया गया था। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके बाद यह स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, तो परमाणु अप्रसार सन्धि पर उनका रुख वहीं है जो पहले था।

यह नीति सर्वमान्य और अभेदात्मक है। अतः जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, तो सरकार की स्थाई नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या सरकार इस बीच बहुपक्षीय वार्ता के लिए सहमत हुई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक भारत सरकार का संबंध है, इस नीति में न कोई परिवर्तन हुआ है और न होगा।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : अब क्या चर्चा होने जा रही है ?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, आपके कक्ष में दलों के प्रतिनिधियों की जो बैठक हुई थी, उसमें मैं उपस्थित नहीं था, श्री जसवंत सिंह जी उपस्थित थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम आपको आमंत्रित करते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवानी : अभी-अभी मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुना कि हम इस विषय में एक कसेंसस हैं, आम सहमति दलों के बीच में पैदा करना चाहते हैं, तो वे किस विषय में पैदा करना चाहते हैं, इस पर मतभेद दिखता है क्योंकि जहां तक हमारा सवाल है और जसवंत सिंह जी ने उस बैठक में भी यह स्पष्ट किया था कि हम पूरे चुनाव सुधार के मसले पर इंटरेसटेड है, सहमत हैं और चुनाव सुधार के मसले पर एक आम सहमति, एक उच्चस्तरीय बैठक में, श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में पैदा भी हो चुकी है, उसका कार्यान्वित करना जरूरी है। उसमें बाकी पहल भी हो सकती है, लेकिन सरकार की ओर से केवलमात्र एक विषय पर ही आम सहमति की बात होती है, और वह है आइडेंटिटी कार्ड या केवल मात्र चुनाव आयोग के अधिकार। मैं समझता

हूं कि विषय इससे ज्यादा गम्भीर है और उस गंभीर विषय को उसी रूप में लिया जाना चाहिए कि पहले चुनाव सुधार के मसले पर सरकार कोई कार्रवाई करने वाली है कि नहीं ? बहुत सालों से, 20-30 साल से कितनी रिपोर्टें आ चुकी हैं, उन रिपोर्टों को कार्यान्वित करिए, कानून बनाइए और इस सत्र में अगर हम कुछ कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : निःसंदेह हमने बैठकें की हैं। और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमें हाल ही में बुलाया भी था। जहां तक चुनाव सुधारों के आम मुद्दे का सम्बन्ध है, इस संबंध में हम यह कहते रहे हैं कि मैंने भी अपने दल की ओर से यह कहा है कि हमारे पास रिपोर्टें तो हैं और वे भी 1971 और उसके बाद से हैं और चुनाव सुधार के विभिन्न मुद्दों के संबंध में सभी का यह विचार है कि यह मामला अत्याधिक महत्वपूर्ण है और कई बातों पर आम सहमति भी है। इन बातों को बिसार दिया गया है क्योंकि सरकार इस सम्बन्ध में अपना मानस नहीं बना पाई है। वे सम्बन्ध में कुछ सोच रहे हैं आपका नहीं, किन्तु उन्होंने 1990 की दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट पर भी निर्णय नहीं लिया है। मैंने इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री से पूछा था। उन्होंने इस पर कुछ निर्णय ले लिया होगा। विधि मंत्री का कहना है कि इस सम्बन्ध में उनके पास एक विधेयक तैयार है। मुझे यह पता तो नहीं है कि यह एक व्यापक विधेयक है आपका नहीं किन्तु इस स्थिति से निपटना तो है ही ।

मैं सरकार तथा यहां उपस्थित अपने सभी मित्रों से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जो इसलिए अत्यावश्यक हो गए हैं क्योंकि सरकार की पूरी संसदीय प्रणाली को ही ठंडे बस्ते में डाल देने की धमकी दी गई है, जो चुनाव नहीं कराये जाने के बारे में है। ये ऐसे तत्काल महत्व के विषय हैं जिन्हें हमें निपटाना है।

जहां तक पहचान पत्र की बात है, इसमें कोई भी इंकार नहीं कर रहा है। पर मुश्किल तो साधनों की है। सभी राज्य सरकारें सिद्धान्त रूप से सहमत हो गई हैं। इससे इंकार कौन करेगा ? मेरे दल की ओर से भी इस पर मैंने सहमति इसलिए दी है क्योंकि मैं दिनेश गोस्वामी समिति का सदस्य था। वास्तव में, हम सभी ने जब तक यही सुझाव दिया है कि इसमें वित्त पोषण हेतु एक योजना तैयार की जाए और कोई तंत्र विकसित किया जाए। यदि यह प्रक्रिया 1990 में ही आरम्भ हो जाती तो हमने इस मामले को काफी समय पहले ही सुलझा लिया होता। जैसा कि मैंने कहा है, ऐसा नहीं किया गया। हमारी रिपोर्ट वर्तमान सरकार को ध्यान में रखकर नहीं दी गई थी। यह कार्य तब किया गया था जब ये महोदय सत्ता में नहीं थे।

उस समय इस प्रकार का कोई विवाद नहीं था क्योंकि इसे उस समय आवश्यक माना गया था। अतः कुछ मामलों में, जैसा कि श्री शरद यादव ने ठीक ही कहा है, हमें निर्णय लेने हैं। अब मई का महीना आ रहा है, अगले छः महीने के अंदर वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते अथवा वे क्या करेंगे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हम प्रधानमंत्री महोदय से भी अनुरोध कर रहे हैं। मैं उनसे इस मामले पर कई बार मिल चुका हूं। कुछ तो करना ही होगा। सिर्फ टाल-मटोल से कोई काम नहीं चलेगा। जब हर व्यक्ति पहचान पत्र चाहता है। तो ये बनने ही चाहिए। किन्तु

इसका तरीका ढूंढिए। पहचान पत्र बनाइए इसके लिए प्रक्रिया क्या होनी और धन कहां से आएगा ? यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम गतिरोध नहीं चाहते। यह बात भी जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन मामलों के कारण चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय बनाए जाने संबंधी निर्णय को भी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अतः यही समय है कि हमें इस मामले को सुलझा लेना चाहिए।

महोदय मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इस संबंध में अपना मन शीघ्र बनाये ताकि आपके नेतृत्व में हम इस मामले को सुलझा सकें। हमने कुछ शुरुआत तो की है। इसलिए सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं है। हम यह कार्य विपक्ष के माननीय नेताओं से परामर्श के बाद ही करना चाहते हैं। हमने उनके साथ एक बार आपके कक्ष में बैठक भी की है। मैंने, जब भी समय मिले तभी एक बैठक बुलाने का भी अनुरोध किया है। हमें अपने ही बीच में आम सहमति विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक इन मामलों का संबंध है, सरकार का विचार नेताओं के समक्ष स्पष्ट रूप से रख दिया गया है और हमारा मन बिल्कुल साफ है। किन्तु हम इस मामले पर विपक्ष की आम सहमति चाहेंगे जिससे इस मामले पर हम जो भी कार्यवाही करें उस पर किसी प्रकार का विवाद न हो।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अध्यक्ष के कक्ष में बैठक करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि दलों के नेताओं के लिए संसद के सत्र के चलते इसमें आसानी रही है।

दूसरे, हमें गोस्वामी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर चर्चा करने का अवसर मिला था। मेरे विचार से कि कुछ मुद्दों पर तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और सरकार भी इसके लिए तैयार दिखती है। तथा इन बातों पर अन्य दलों के भी सहमत होने की संभावना है। किन्तु कतिपय ऐसे मामले हैं जिनमें कई कठिनाइयां हैं और मुझे इस बात की आशंका है कि इन पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होगी। हम निश्चित रूप से ही एक अथवा दो और कई-कई लम्बी बैठकें करेंगे तथा इन सभी मुद्दों पर विचार भी बनेंगे और सहमति पर पहुंचने का प्रयास भी करेंगे जो हमारे लिए चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने के मामले में मददगार होगा जिसके लिए इस सभा में, बाह्य रिपोर्टों तथा समिति रिपोर्टों में चर्चा हो चुकी है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : महोदय, उड़ीसा में फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया गया है।...

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब नहीं अब समय समाप्त हो चुका है। अब आधे घंटे की चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं आप इस मामले को उसी समय उठा सकते हैं अब राज्य सभा से प्राप्त संदेश को लेते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आधे घंटे की चर्चा का समय अब समाप्त हो चुका है।

12.33 म०प०

राज्य सभा से प्राप्त संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 22 अप्रैल, 1994 को हुई बैठक में लोक सभा द्वारा 22 अप्रैल, 1994 को पारित किये गये मणिपुर पंचायतीराज विधेयक, 1994 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

12.33 $\frac{1}{4}$ म०प०

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 22 अप्रैल, 1994 को सभा में प्रस्तुत अपने छठे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों की प्रत्येक के सामने दर्शाई गई अवधि हेतु अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए :

1. श्री गुरुदास कामत	2-12-1993 से 22-12-1993
2. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा	8-12-93 से 24-12-93
3. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी	2-12-93 से 24-12-93
4. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	14-8-1993 से 28-8-93 2-12-93 से 30-12-93 और 21-2-94 से 17-3-94
5. श्री राजाराम शंकरराव माणे	21-2-94 से 17-3-94
6. श्री राम नाईक	29-3-94 और 30-3-94 तथा 18-4-94 से 13-5-94
7. श्री राम निवास मिर्धा	18-4-94 से 13-5-94

क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को सूचित कर दिया जाएगा।

12.34 $\frac{1}{4}$ म०प०

लोक लेखा समिति

पैंसठवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : महोदय, मैं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड–लेखा परीक्षा

[श्री भगवान शंकर रावत]

पुनरीक्षा से, संबंधित लोक लेखा समिति का पैंसठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.34 $\frac{1}{4}$ म०प०

संचार संबंधी स्थाई समिति

छठा प्रतिवेदन एवं कार्यवाही सारांश

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं संचार मंत्रालय– अनुदानों की मांगों (1994-95) के बारे में संचार संबंधी स्थाई समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.34 $\frac{1}{4}$ म०प०

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थाई समिति

चौदवां प्रतिवेदन

श्रीमती वसुंधरा राजे (झालावाड़) : महोदय मैं इलैक्ट्रोनिकी विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों (1994-95) के बारे में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थाई समिति के चौदहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

12.35 म०प०

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थाई समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री इम्चालम्बा (नागालैंड) : मैं जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.36 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

उनतालीसवां प्रतिवेदन

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा प्रतिवेदन के पैरा 2 की सभा द्वारा निपटाई गई मद संख्या (1) और (2) को छोड़कर, 22 अप्रैल, 1994 को सभा में प्रतुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा प्रतिवेदन के पैरा 2 की सभा द्वारा निपटाई गई मद संख्या (1) और (2) को छोड़कर, 22 अप्रैल, 1994 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के उनतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.37 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल के कोट्टायम में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय तुरंत खोले जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट स्थित तीनों पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट संबंधी लाखों आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं। पासपोर्ट प्राप्त करने में अपेक्षा से अधिक देर होने के कारण रोजगार की तलाश में देश से बाहर जाने वालों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या और निपटारे हेतु काफी संख्या में लंबित पासपोर्ट आवेदन पत्रों के कारण विलम्ब हो रहा है। इसीलिए केरल की जनता कोट्टायम में पासपोर्ट का नया कार्यालय खोलने की मांग करती आ रही है। कोट्टायम में एक पासपोर्ट आफिस बन जाने से कोट्टायम, इदुक्की तथा पटनमथिट्टा जिलों की जनता को बहुत सुविधा हो जाएगी। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोट्टायम में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठायें।

(दो) केरल के इदुक्की जिले से होकर अंगमैली–कुमली और मदुराई के बीच एक रेल लाइन का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता

श्री पाला के०एम० मैथ्यू (इदुक्की) : केरल की आम जनता यह महसूस करती है कि रेलवे में नई परियोजनाओं की मंजूरी के संदर्भ में इस राज्य के प्रति इस वर्ष भी अन्याय किया गया है। इस राज्य में किसी नई परियोजना के लिए समुचित नियतन नहीं किया गया है और गत समय में जिनके लिए नियतन किया भी गया तो उन्हें कभी भी समय पर लागू नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है तथा अनुचित विलम्ब भी हुआ है।

अनुरोध है कि रेलवे केरल के इदुक्की जैसे पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। अंगमल्ली-कुमैली-मुदराई मार्ग पर इदुक्की जिले के बीचों-बीच एक नई रेलवे लाइन का बिछाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मंजूरी दी जाए और साथ ही इसे पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निधारित किया जाए।

सरकार से अनुरोध है कि केरल के लिए प्रस्तावित इस नई रेल लाइन के लिए मंजूरी दी जाए और निर्धारित समय के भीतर इसको पूरा किया जाए। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसके बारे में इसी वर्ष विचार किया जाए।

(तीन) आने वाली गर्मी के मौसम के दौरान केरल और दिल्ली के बीच एक विशेष रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता

***श्री वी०एस० विजयराघवन** (पालघाट) : महोदय, गर्मी के मौसम के दौरान केरल और दिल्ली के बीच प्रतिवर्ष विशेष रेलगाड़ियां चलायी जाती थीं। इससे इस मौसम के दौरान भारी भीड़ को कम करने में सहायता मिलती थी। परन्तु इस वर्ष केरल के लिए कोई विशेष रेलगाड़ी चलाये जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसका कारण हो सकता है कि निजामुद्दीन-मंगलोर एक्सप्रेस नामक नई रेलगाड़ी चलाई गई है। यद्यपि यह नई रेलगाड़ी चलाई गई है परन्तु इससे गर्मी में होने वाली भारी भीड़ को कम करने में कोई सहायता नहीं मिली है। इस समय भी केरल एक्सप्रेस में अगले डेढ़ महीने का आरक्षण उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को 'कोई जगह खाली नहीं है' का जवाब मिलता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यात्रियों को ऐसी कठिनाइयों से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये :

(1) प्रतिवर्ष की भांति केरल और दिल्ली के बीच गर्मी के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई जाये।

(2) आरक्षण खिड़कियों पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए आकस्मिक जांच कराई जाये।

(3) दलालों की पहचान कर उन्हें दण्डित करने के लिए तन्त्र को सुदृढ़ किया जाये।

(चार) बिहार के सहरसा में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला बिहार राज्य का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। यहां पर शिक्षा का उचित प्रसार न किये जाने के कारण यहां अशिक्षित लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहां पर बाढ़ एवं सूखे का प्रकोप अधिक रहता है। इसी के कारण यहां पर गरीबी है जिससे यहां के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाई कराने में काफी दिक्कत होती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सहरसा जो कि एक कमीश्नरी क्षेत्री भी है, में बच्चों को सस्ती शिक्षा प्रदान कराये जाने के लिये एक नवोदय विद्यालय अविलम्ब खोले जाने के आदेश दिये जायें जिससे इस क्षेत्र की गरीब जनता को अपने बच्चों को समुचित शिक्षा देने की सुविधा मिल सके और यह एक शिक्षित क्षेत्र बन सके।

(पांच) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, आजादी से अब तक रेलवे विस्तार पर करीब 46000 करोड़ का व्यय हो चुका है, लेकिन गढ़वाल में रेलवे लाइन के विस्तार एवं सर्वेक्षण के लिए समुचित धनराशि खर्च नहीं की गई है। कोटद्वार (गढ़वाल) में एक रेलवे स्टेशन सन् 1930 के करीब बनाया गया था, वह भी अब तक कोयले के ईंधन से चल रहा है।

अंग्रेजों के समय ऋषिकेश के कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था। आज

*मूलतः मलयालम में उठाए गए विषय का अनुवाद

जबकि टैक्नोलॉजी का इतना विस्तार हो चुका है। ऋषिकेश के कर्ण प्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण की अति आवश्यकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि गढ़वाल जो कि उद्योगविहीन और पिछड़ा इलाका है, विकास के लिए ऋषिकेश से कर्ण प्रयाग तक और अन्य कई स्थानों पर रेलवे लाइन बिछाने की शीघ्र व्यवस्था की जाए।

(छह) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 पर शिल-तोरसा नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्रनाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के फलाकाता स्थान पर शिल-तोरसा नदी पर एक पुल बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। यह केवल जलपाईगुड़ी ही नहीं अपितु पूर्वोत्तर भारत के लोगों की दीर्घकालीन मांग रही है। इस गंभीर मामले पर केन्द्र सरकार के पास कई अभ्यावेदन भेजे गए थे परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। यह पुल पूर्वोत्तर भारत में यातायात व्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इस मुद्दे पर इस क्षेत्र के लोग काफी उत्तेजित हैं। इन परिस्थितियों में मैं सरकार से उक्त पुल के निर्माण हेतु तुरन्त उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

(सात) राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लम्बाई 2118 कि०मी० है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है। वर्ष 1974 से प्रायः 20 वर्षों की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी अब तक कोई नए राष्ट्रीय उच्च पथ की स्वीकृति इस राज्य में नहीं मिली है, जबकि इस 20 साल की अवधि में देश के अन्य राज्यों में कई हजार किलोमीटर नए राष्ट्रीय उच्च पथ बनाए गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1000 किलोमीटर की लम्बाई में छः मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की अनुशंसा की है, परन्तु अब तक केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। 1990 में 1400 कि०मी० पथों को राजमार्ग के रूप में राष्ट्रीबकृत करने का प्रस्ताव जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुरसण्ड, भीठामोड़ पथ हैं, केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया था, अभी तक लम्बित है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार जैसे पिछड़े प्रान्त के लिए व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय पथ निर्माण योजना को स्वीकृति कर विकास की ओर बढ़ने में सहयोग प्रदान करें।

12.44 म०प०

बजट (सामान्य), 1994-95 सामान्य चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य बजट 1994-95 पर आगे सामान्य चर्चा शुरू करते हैं।

[अध्यक्ष महोदय]

बजट पर 30 घंटे 21 मिनट तक सामान्य चर्चा हो चुकी है। इसके लिए केवल दस घंटे का समय आबंटित किया गया था और सभी दलों ने अपने आबंटित समय का उपयोग कर लिया है। तथापि इस पर दलों के कुछ नेताओं के विचार भी सुनने चाहिए और हम उन विचारों को सुनना चाहेंगे।

मेरे विचार से वित्त मंत्री लगभग 5 बजे बजट पर हुई सामान्य चर्चा का उत्तर देंगे। तब तक हम सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देंगे।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा परन्तु आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

अब श्रीमती दिल कुमारी भंडारी बोलेंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त, क्या आप दोपहर बाद बोलना पसन्द करेंगे?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, यदि आप अनुमति देंगे तो मैं अवश्य बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी भी बोलना चाहते हैं और श्री सोमनाथ चटर्जी भी इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं।

अब मैं श्रीमती दिल कुमारी भंडारी को बोलने के लिए कहता हूं।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष जब माननीय वित्त मंत्री अपना बजटीय भाषण देते हैं तो मैं यह बलवती आशा लेकर इस उच्च सदन में आती हूं कि कम से कम इस वर्ष तो माननीय वित्त मंत्री भारत के पर्वतीय तथा हिमाचल क्षेत्र के लोगों के लिए बजट संबंधी सहायता और बजटीय आबंटन तथा वित्तीय संसाधनों के अंतरण में थोड़ी उदारता और सहृदयता दिखायेंगे। परन्तु इन सभी वर्षों में मैं अपनी टूटी अभिलाषाओं और अन्यताभाव के कटु अनुभव के साथ अपने गृह राज्य, सिक्किम लौटी हूं।

12.46 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तथापि, सिक्किम के लोगों का एकमात्र प्रतिनिधि होने की वजह से मैं दुखी और बिना सुने नहीं रह सकता हूं। मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया गया है। भारत के पर्वतीय क्षेत्र, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग बारह प्रतिशत है और राष्ट्रीय जनसंख्या का छह प्रतिशत है, की इन सभी वर्षों में उपेक्षा की गई है। हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद भी यहां की सामाजिक आर्थिक संरचना तथा विकास का स्वरूप एकतरफा रहा है जिससे पर्वतीय क्षेत्रों अथवा पर्वतीय प्रदेशों में गरीबी, असमानता तथा कठिनाइयों में वृद्धि हुई है।

पर्वतीय प्रदेश सिक्किम सहित जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं। महोदय, आप मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि इन प्रदेशों का उपयोग विभिन्न

मूल्य-संवर्द्धित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह से किया जा सकता है। इन प्रदेशों के पास अपेक्षित धूल-रहित वातावरण है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त ढांचा और सुलभ कच्चा माल नहीं है और हमारे पास स्थानीय उद्यमियों एवं बाहर के उद्यमियों को उचित प्रोत्साहन देने का अभाव है। मुझे यह उल्लेख करते हुए दुख है कि माननीय वित्त मंत्री ने पर्वतीय राज्यों यथा सिक्किम के हितों की पूरी तरह अनदेखी की है। यह इन कठिनाई वाले इलाकों में उद्यमों को शुरू करने वाले उद्यमियों को शुल्क छूट तथा अन्य प्रकार के प्रोत्साहन न देकर किया गया है। यह सुनकर काफी खुशी हो रही है कि माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि गत वर्ष के बजट में घोषित सिक्किम जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में नए पूंजी निवेश में पांच वर्ष के लिए करों में छूट दी जाएगी तथा पिछले वर्ष शामिल नहीं किए गए अन्य पिछड़े जिलों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। इस छूट का सिक्किम जैसे राज्य पर स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला है। पूंजी निवेश किए जा रहे हैं लेकिन फिर प्रभावी आन्तरिक ढांचे के अभाव में, स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में, क्या मैं माननीय वित्त मंत्री को यह सुझाव दूं कि भारत के पर्वतीय राज्यों को, विशेषरूप से सिक्किम को, कम से कम आगामी कुछ वर्षों तक कच्चे माल के आयात में और उत्पादन और विपणन की प्रक्रिया के शुल्क में विशेष शुल्क छूट मिलनी चाहिए। उन्हें नए क्षेत्र जिनमें काफी निर्यात की संभावना है। यथा मूलभूत ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंटक्टर, साफ्टवेयर तथा पारंपरिक क्षेत्र जैसे दरी और हथकरघा जैसी वस्तुओं को शामिल करना चाहिए।

सब कुछ कहने के बाद भी, पर्वतीय राज्य में सबसे बड़ी चीज सदा से 'सेवा क्षेत्र' और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन रही है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बेरोजगारी की बढ़ती हुई चुनौती से निपट पानें का न केवल पूरा आवश्वासन प्रदर्शित होता है अपितु योग्यता भी है। माननीय वित्त मंत्री मुझसे सहमत होंगे, जब मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह क्षेत्र केवल सरकार के हाथ में ही नहीं होना चाहिए। निजी क्षेत्र को इसमें प्रवेश करनें हेतु प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यह सिक्किम जैसे राज्य में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार के पास मूलभूत ढांचा और वित्तीय संसाधन दोनों की ही कमी है।

हमारा राज्य का अनुभव यह रहा है कि जब तक हम कुछ एकतरफा प्रोत्साहन न दें, निजी क्षेत्र हमेशा भागीदारी से दूर चला जाता है। उदाहरण के तौर पर पर्यटन क्षेत्र में भी, जब भी राज्य सरकार ने कुछ आकर्षक प्रोत्साहन दिए निजी क्षेत्र की भागेदारी में कमी नहीं पाई गयी। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि केवल राज्य सरकार ही इस तरह का बढ़ावा देने वाला कार्य नहीं कर सकती हैं। काफी हद तक यह आपकी, माननीय वित्त मंत्री की नीतियां हैं जो 'सेवा क्षेत्र में' उतार और चढ़ाव का निर्धारण करती हैं। अतः, क्या मैं वित्ती मंत्री से नई प्रोत्साहन नीति की घोषणा करने के लिए अनुरोध करूं जिसमें पर्वतीय राज्यों के समूचे सेवा क्षेत्र को सम्बद्ध किया जायेगा?

महोदय, मैं अपने कर्तव्य में असफल रहूंगा यदि मैं अपने राज्य, सिक्कम के लोगों की कठिनाइयों को रिकार्ड में दर्ज न करवा सकूं जो बजट से पहले और बजट के बाद आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से प्रभावित हुए हैं। मेरा विश्वास है कि किसी भी चीज़ से ज्यादा सिक्किम में अन्य

[श्रीमती दिल कुमारी भंडारी]

राज्यों की तुलना में प्रतिकूल प्रभाव का अनुपात ज्यादा रहा है। इसका कारण है कि सिक्किम में अत्यंत दुर्गम क्षेत्र होने तथा अन्य बातों के साथ-साथ वहां निम्न स्तरीय मूलभूत ढांचा है तथा यह अन्य पड़ौसी राज्यों पर पूरी तरह निर्भर है। वास्तव में, खाद्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के साथ-साथ पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि का संपूर्ण मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिसके ऊपर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

मूल्य में अत्यधिक वृद्धि का प्रभाव इन दिनों गंभीर होकर सिक्किम के असामाजिक तत्वों द्वारा राजनीतिक हिंसा में परिवर्तित हो गया है जो अन्यथा, देश का सर्वाधिक शांतिप्रिय राज्य होने का गर्व कर सकता है।

महोदय, अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान सिक्किम में अत्यंत अशान्त स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, भुटिया और लेप्चा को 1994-95 के बजट में केन्द्रीय आयकर कानून के प्रावधानों से छूट देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका ध्यान केन्द्रीय आयकर कानून का 1995 से सिक्किम में लागू किए जाने के अत्यन्त गंभीर परिणाम की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, मुझे आशा है कि आपको सिक्किम के सभी वर्गों की ओर से बहुत से अभ्यावेदन मिल रहे होंगे और हाल में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री काजी लेन्डुग डोर्जी, जो सिक्किम के लोगों को भारतीय संघ में विलय करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, ने भी इस आशय का अभ्यावेदन किया है।

महोदय, आप जानते हैं कि सिक्किम, राज्यों के पूर्वोत्तर परिषद में न होने के बावजूद भी, भारतीय संघ का सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है और इसके पास काफी अलग राजनीतिक–ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है जब यह 1975 में भारत का संघटक राज्य बनाया गया। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि चोग्याल के विरुद्ध 1973 का आन्दोलन सभी जातीय समूहों के विशाल बहुमत के आर्थिक असंतोष का नतीजा था। वास्तव में, सिक्किम के समाज और राजनीति में जातीय मुद्दे इतने महत्वपूर्ण रहे हैं कि तत्कालीन वहां के महाराजा ने भी बार-बार, भूटिया, लेप्चा और नेपाली इन तीन प्रमुख जातीय समूहों की सामाजिक तथा राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न नीतियां बनाई थीं।

मैं विस्तार से चर्चा करूंगा जब मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर मिलेगा। लेकिन, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूं कि वह कृपया नेपाली मूल के जातीय सिक्किमों को केन्द्रीय आयकर कानूनों से मुक्त करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें?

इस अनुरोध के साथ मैं आपको मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री बिजय कृष्ण हांडिक (जोरहट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1994-95 के बजट का समर्थन करता हूं। इन लगातार वर्षों के चार बजटों में, एक निश्चित स्वरूप और दर्शन आकार ले रहा है। आपको याद होगा कि वर्ष 1991-92 में, इस सरकार का पहला बजट तब पेश किया गया था जब

देश गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा था। अपने आपको बचाए रखने का प्रश्न ही तब महत्वपूर्ण था। वर्ष 1992-93 के बजट में, आर्थिक व्यवहार्यता को आर्थिक विस्तार पर तरजीह दी गई थी क्योंकि ढांचागत सुधार की श्रृंखला में उठाए गए कदम गंभीर परिणाम और दुख के साथ भी अर्थव्यवस्था को बचाने तथा मजबूत करने के लिए उस समय आवश्यक था। वर्ष 1993-94 के बजट में इन उपायों से थोड़ी सी सफलता मिली। इन सुधारों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही थी। विकास और आर्थिक विस्तार, समाज के प्रति सेवायें और शिक्षा संबंधी विषयों का प्रभाव महसूस किया गया।

तथापि वर्ष 1994-95 का बजट आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त साहसपूर्ण था जिसने आलोचकों का मुंह बन्द कर दिया। यह साहस निराशा से नहीं उत्पन्न हुआ है अपितु परिपक्व विचारधारा और नीति की देन है जिसमें सरकार का सामाजिक-आर्थिक विकास और उद्देश्य के प्रति सरकार की वचनबद्धता है।

महोदय, यह देखना रुचिकर है कि आरक्षित भंडार और वित्तीय घाटे में व्यापक वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में बहस का एक मुद्दा बन गया है कि बजट का फोकस ढांचागत समायोजन से ज्यादा अस्थिरता के पहलू पर है। निस्संदेह रूप से स्पष्टी तौर पर यह प्रतीत होता है कि खर्च राजस्व प्राप्ति से ज्यादा है। लेकिन यह मुद्दों को देखने का बहुत ज्यादा सामान्य तरीका है। वित्त मंत्री का यह विश्वास कि सप्लाई पक्ष उत्प्रेरक से धनात्मक प्रतिक्रिया करेगा तथा राजस्व में वृद्धि घटे हुए दरों की बराबरी का लेगा एक सतही और निरर्थक विश्वास नहीं है। इसे गहराई से देखने की जरूरत है।

महोदय, एक विचारधारा ने इस प्रकार की ठीक ही टिप्पणी की है :

> "वास्तविक समस्या वित्तीय सूचकों के संख्यात्मक पहलू में उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि गुणात्मक पहलू में है।"
>
> "अर्थात् बजट का ढांचागत व्यय, राजस्व तथा वित्त पोषण। चिन्ता राजस्व संग्रहण की क्षमता तथा व्ययगत नीति की होनी चाहिये, संसाधनों अथवा व्यय की मात्रा की चिन्ता उतनी नहीं।"

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मात्रा में अन्तर नहीं पड़ता। मात्रा में अन्तर अवश्य पड़ता है, परन्तु यह एक ऐसी विकासशील अर्थव्यवस्था में अत्यधिक चिन्ता का विषय नहीं है जिसमें ऋणों की भरमार हो, जो मुद्रास्फीति से ग्रसित हो और जिसमें न्यायसंगत विकास की ललक हो। वित्त मंत्री महोदय ने इसी संदर्भ में अपने भाषण के दौरान यह कहा था कि वित्त विशेषज्ञों की यह एकमत राय है कि कर प्रबन्ध तथा उसके अनुपालन में सुधार करने से इसको घटकर कर भी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में, वित्तीय स्थायित्व के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन करने से औद्योगिक विकास अवरुद्ध हो जाता। इसलिये सिमट कर इसी प्रश्न तक रह जाती है कि क्या हर बात में वित्तीय स्थायित्व के सिद्धान्त को ही चलायें तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के भविष्य को धूमिल हो जाने दें? सामाजिक-आर्थिक विकास से प्रतिबद्ध कोई भी सरकार गरीबों को आर्थिक लाभ देने के पूरे मुद्दे को बाजार पर नहीं छोड़ सकती।

[श्री बिजय कृष्ण हांडिक]

हमारे प्रधान मंत्री ने बार-बार यह कहा है कि सुधारों को अन्ततः गरीबों तक पहुंचाना है ताकि इस प्रक्रिया में गरीबों की दशा में सुधार हो और लक्ष्य की ओर इस मात्रा में, हमने औद्योगिक क्षेत्र को काफी छूट तथा सुविधाएं दी हैं जिससे एक ऐसी कर-प्रणाली युक्त त्वरित विकास को सुनिश्चित किया जा सके जिससे बचत की अंतर्निहित क्षमता तथा इसके द्वारा पूंजी निवेश और जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि की जा सके। निगमित कर को बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर दिया गया है तथा आयात शुल्‍ को घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः, यह उद्योग के ऊपर है कि उसमें विकास हो अथवा ह्रास हो। परन्तु ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में हम 1994-95 के बजट से एक उदाहरण लेते हैं। सरकार की राष्ट्रीय कार्यसूची में ग्रामीण विकास को शीर्ष प्राथमिकता प्राप्त है। यदि सरकार वित्तीय स्थायित्व, जो मात्र ढांचागत अवधारणा है, की प्रतीक्षा करे, तो आज ग्रामीण विकास ठप्प हो जाता और लोगों की आकांक्षाओं पर तुषारापात हो जाता। अतः, अपने पूर्व बजटों की तुलना में वित्त मंत्री महोदय ने सामाजिक क्षेत्र के लिये योजनागत लागत में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि की है। ग्रामीण परिव्यय में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर बल दिया गया है।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्र को दी गयी कई रिआयतों में, वित्त मंत्री महोदय ने खाद्य राज सहायता के लिये 2,200 करोड़ रुपये तथा उर्वरक राज सहायता के लिये 900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। विभाग के लिये परिव्यय पिछले वर्ष के बजट में 5,010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 7,010 करोंड़ रुपये कर दिया गया है। 1992-93 में यह 3,100 करोड़ रुपये था। अगली रोजगार गारंटी योजना, जिसे 1752 चयनित प्रखण्डों में लागू किया जा रहा है, के लिए गत वर्ष 600 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 1,200 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है।

1.00 म०प०

जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटन में 545 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है और यह बढ़कर 3,885 करोड़ रुपये हो गया है। ये उपाय बजट के दर्शन का हिस्सा है।

हमें 6,000 करोड़ रुपये के घाटे को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता है। 1993-94 के लिये संशोधित आंकड़ा 9,060 करोड़ रुपये है। निस्संदेह, यह अत्यंत कठिन कार्य है। क्योंकि यदि वास्तविक घाटा बजट प्राक्कलन से बढ़ जाये और यदि आपूर्ति पक्ष बजट में दिये गये प्रोत्साहनों के अनुकूल नहीं है, तो निश्चय ही हमारे सामने एक विकट समस्या है। यह एक दुष्कर और कठिन कार्य है परन्तु, निश्चय ही, यह असंभव कार्य नहीं है। कर प्रबन्ध तथा अनुपालन में सख्ती बरतने अपव्यय को बन्द कर देने से वित्तीय घाटे के बावजूद कराधान के बिना ही विकास किया जा सकता है। बजट में अंतर्द्वित स्थिति की यही चुनौती है। तथापि, यह गत तीन वर्षों के दौरान अपनाए गए रास्ते से स्थायी रूप से हट कर नहीं है। यह परिकलन वित्ती मंत्री का नहीं है कि वित्तीय घाटा कोई समस्या नहीं है। वास्तव में, बजट का व्यथित कर देने वाला आयाम वित्तीय राजस्व तथा आरंभिक घाटे में भारी वृद्धि है। अनुमानित 34,058 करोड़ रुपये के आंकड़े की तुलना में वित्तीय घाटा बढ़कर 32,727 करोड़ रुपये हो गया है। निस्संदेह, यह गंभीर चिन्ता का विषय है। क्योंकि आप देखेंगे कि

वित्त मंत्री ने हाल ही में भारतीय उद्योग संघ की एक बैठक में उद्योग क्षेत्र का ध्यान सरकारी राजस्व का इस समय भारी अनिष्ट करवा रहे भारी कर अपवंचन की ओर दिलाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रुग्णता सबसे बड़ा खतरा है तथा यदि सरकार एक दण्डात्मक कर व्यवस्था की स्थापना कर दे तो इसके लिये उद्योगपति स्वयं ही दोषी होंगे। यही समय है जब सरकार को सरकारी खर्च को नियंत्रित करने के लिये एक समिति का गठन करना चाहिये और जैसा कि डा० चेलैया ने इस बजट पर की गयी अपनी हाल ही की टिप्पणियों में सुझाव दिया है, यह एक सोचा समझा जोखिम है जो परिस्थितियों के दबाव में उठाना पड़ा, यह जुआ नहीं है, जैसाकि आरोप है, विशेषरूप से इसलिए क्योंकि 13 बिलियन डालर के विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हुए घाटा सुरक्षित स्तर पर है। चालू खाता घाटा 0.5 प्रतिशत से भी कम है, 1994-95 में मुद्रास्फीति की दर सामान्य, खाद्यान्न भंडार पर्याप्त तथा प्रत्याशित निर्यात वृद्धि कम होने की आशा है। तब क्या परंपरागत उपायों पर निर्भर करने और ऐसे प्रत्येक कदम को फूंक-फूंक कर उठाने के स्थान पर यह चुनौती स्वीकार कर लेना ठीक नहीं है?

दूसरी बात, जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं वह रक्षा परिव्यय से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में मेरे कुछ व्यक्तिगत विचार भी हैं। एक हो गये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, जिसमें द्विध्रुवीय विश्व के दौरान वाले रोकथाम और संतुलन के उपाय समाप्त हो गये हैं, विदेशों से और देश के भीतर से भी देश को अस्थिर करने के प्रयास में भी परस्पर से चलाये जा रहे आतंकवाद के रूप में कुछ गंभीर चुनौतियां मिल रही हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान द्वारा अमरीका से हथियारों की सप्लाई प्राप्त करने के हाल ही के लगभग सफल प्रयास से यह बात स्पष्ट रूप से उजागर होती है। पिछले चार वर्षों में संसाधनों की कमी के कारण सशस्त्र बलों को उनके देय नहीं मिल रहे थे। प्रतिरक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के निदेशक अवकाश प्राप्त एयर कोमोडोर, श्री जसजीत सिंह के अनुसार :

> "देश में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में प्रतिरक्षा व्यय वास्तविक रूप में 1986-87 में 4 प्रतिशत से कुछ अधिक से घट कर 1993-94 के मूल बजट में मात्र 2.44 प्रतिशत हो गया है और यह धीमी आर्थिक प्रगति की अवधि के दौरान 40 प्रतिशत की गिरावट है।"

अतः, प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि न केवल इस स्थिति का उत्तर है बल्कि हमारे सशस्त्र बलों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। परन्तु इस वर्ष के बजट में प्रतिरक्षा व्यय हेतु में वास्तव में उपलब्ध कराई गई धनराशि की मात्रा के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है। प्रतिरक्षा बजट में इस वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि वास्तविक रूप में इतनी बड़ी नहीं है। 1993-94 के लिये 19,180 करोड़ रुपये के बजट प्राक्कलन की तुलना में 21,500 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन के सम्पूर्ण आंकड़ों में वृद्धि 12.1 प्रतिशत है। यह 8.5 प्रतिशत की मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था की विकास दर के बराबर है। दूसरे शब्दों में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रतिरक्षा व्यय उतना ही रहेगा। 1993-94 के बजट प्राक्कलन में वृद्धि केवल सात प्रतिशत के लगभग है। निश्चय ही, अगले वर्ष की

[श्री बिजय कृष्ण हांडिक]

मुद्रास्फीति दर और विकास दर मिल कर इस प्रतिशत से अधिक हो जायेंगे। परिणामत:, 1994-95 के लिये अपने वर्तमान रूप में बजट प्राक्कलनों की प्रतिशतता में गिरावट आ जायेगी। अत: ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री द्वारा बजट में सशस्त्र बलों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास काफी हद तक असफल हो गया है। आपको याद होगा कि सशस्त्र बलों को 1990-91 से 1994-95 की अवधि के दौरान आठवीं प्रतिरक्षा योजना के लिये लगभग 102,000 करोड़ रुपये देने का वायदा किया गया था। अब पता चला है कि 1990 के मूल्यों के संदर्भ में इस राशि में लगभग 800 करोड़ रुपये कम हो गये हैं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस मुद्दे पर पुनर्विचार करेंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं संक्षेप में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिये निर्धारित धनराशि का उल्लेख करूंगा, जिसमें 2.5 प्रतिशत की कमी हुई है। 1993-94 के 4395.18 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन की तुलना में, 1994-95 का बजट प्राक्कलन घटकर 4235.24 करोड़ रुपये रह गया है। यहां तक कि वित्त मंत्री द्वारा गत वर्ष के बजट में शिक्षा संबंधी मामलों, विशेष रूप से अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिये दिये गये आश्वासन भी विशेष कारगर नहीं हो सके। अनुसंधान केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना अभी तक नहीं हुई है। मुझे आशा है कि शिक्षा संबंधी मामलों, जिनके बारे में माननीय मंत्री जी का दावा है कि वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, की आगामी वर्ष में ऐसी उपेक्षा नहीं की जायेगी।

कराधान के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समझ से परे हैं। मैं दो उदाहरण दूंगा। एक है साबुनों पर कर। बड़ी कंपनियों के बेहतर उत्पादों के बावजूद लघु उद्योग क्षेत्र के एक प्रतिनिधि उत्पाद के रूप में साबुन का हमारे दैनिक जीवन में, एक प्रमुख स्थान है। कवेल यही नहीं, रोजगार अवसरों के सृजन में लघु उद्योगों की बड़ी भूमिका है। रोजगार सृजन के लिए लघु उद्योगों को यह सुरक्षा जारी रखनी होगी। अन्यथा, राष्ट्र को भारी सामाजिक अशांति का सामना करना पड़ेगा।

दूसरे, ब्रांड वाली आयुर्वेद दवाइयों पर 10 प्रतिशत कर है। जहां तक आयुर्वेदिक दवाओं का संबंध है, तो हम उनका विस्तार और विकास करना चाहते हैं। साथ ही, आपको याद रखना चाहिए कि ये दवाएं आम, निर्धन लोगों के लिए हैं। परन्तु इन पर अनुचित कर लगाया गया है। मैं नहीं जानता कि इन पर कर क्यों लगाया गया है। मुझे आशा है कि इस कर को वापस ले लिया जायेगा।

मैं संक्षेप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। राज्यों को धनराशि के आवंटन में कमी को देखते हुए, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी पूर्वोत्तर के संवेदनशील राज्यों और इस क्षेत्र के बाहर के भी कुछ राज्यों की स्थिति पर विचार करें। इसके अतिरिक्त, गत वर्ष के बजट में, वित्त मंत्री जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पांच वर्षों के कर अवकाश की घोषणा की थी। पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर था। परन्तु पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले हम लोगों ने इस बात को सामान्य रूप से लिया था। क्योंकि हमें पता था कि लेने वाले कोई नहीं होंगे। कारण स्पष्ट है। जिस क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक ढांचा न हो, वहां पांच वर्षों के कर अवकाश का कोई आकर्षक नहीं है। जब तक उद्यमी इस ढांचे को तैयार करना शुरू करेंगे तब तक ये पांच वर्ष उड़न छू हो

जाएंगे। इस प्रकार कर लगाने के संबंध में वे वहीं हैं जहां वे पहले थे। अतः जब तक, 10 वर्षों का कर अवकाश न हो और सरकार मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में कुछ ठोस उपाय नहीं करती, तब तक ये रियायतें क्षेत्र के लिए केवल दिखावटी सिद्ध होंगी।

अंत में, महोदय, आप जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी संसद में पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे आशा है कि अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि इस क्षेत्र की क्या कठिनाइयां हैं, क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को किन बातों से चोट लगती है और उनकी इस सोच को क्या सालता है कि राष्ट्रीय विकास के मानचित्र में उन्हें अब तक कोई सुनिश्चित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी इन बातों का ध्यान रखेंगे क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान बजट कांग्रेस सरकार ने आगामी लोक सभा चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया है क्योंकि इस बजट में सामान्य जनता, मजदूर, किसान, बेरोजगार और सरकारी कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है बल्कि बड़े उद्योगपति, पैसे वाले लोग, एन० आर० आई० और विदेशी कम्पनियों पर विशेष ध्यान दिया गया है, उन्हें सुविधायें दी गयी हैं। कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी कम करके आई०एम०एफ० और वर्ल्ड बैंक के सामने झुककर भारतवर्ष को आजादी को उनके पास गिरवी रख दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने संसदीय इतिहास में बजट पेश करने की सभी पुरानी परम्पराओं को तोड़ दिया है क्योंकि बजट पेश करने के लिये 28 फरवरी का दिन निश्चित होता है लेकिन इस सरकार ने बजट से पूर्व ही अनाज, पैट्रोल और आावश्यक चीजों के दाम बढ़ा दिये जिससे बजट पेश करने का औचित्य ही समाप्त हो गया है। इस बजट में सरकार ने घोषणा की है कि हम कोई नया कर नहीं लगायेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहती है। इस बजट के जरिये सरकार उद्योगपतियों से पैसा जमा करके आगामी चुनाव के लिये धन एकत्रित कर रही है। सरकार ने उद्योगपतियों के हित में अनेक करों में कमी कर दी है और दूसरी तरफ उद्योगपतियों ने उन राहतों का लाभ सामान्य जनता तक नहीं पहुंचने दिया है और सरकार द्वारा कई चीजों के दाम कम कर देने के बावजूद बाजार में उनके दाम कम नहीं हुए हैं। बाजार में उसका कोई इम्पैक्ट दिखायी नहीं देता है।

वित्त मंत्री द्वारा दिये गये बजट भाषण से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि वे प्राइसेज को कैसे कंट्रोल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार 1988 तक पैट्रोल मद से 13,937.77 करोड़ रुपये का एक्सपैंडीचर बजट में कहीं दिखाया नहीं गया है। समझ में नहीं आता कि वह पैसा कहां गया? सरकार को पैट्रोल का दाम 4 या 5 रुपये प्रति लीटर रखना चाहिये क्योंकि ऑयल डैवलपमेंट सैंस लगाने के कारण 28 वर्षों तक सरकार को 5,008.37 करोड़ रुपये मिले। ऑयल बोर्ड से यह राशि इंडस्ट्री बोर्ड को दी जानी चाहये लेकिन उन्होंने यह राशि उसे नहीं दी। कुछ पता नहीं है कि कहां सरकार ने उस पैसे को खर्च किया? एक तरफ तो सरकार गरीबों

[श्री बिजय कृष्ण हांडिक]

को लूट रही है और दूसरी तरफ पैट्रोल के दाम बढ़ा रही है जिसके कारण सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार ट्रांसपोर्ट में भी मुनाफा कमाती है। सरकार को ट्रांसपोर्ट की मद से 8,052.85 करोड़ रुपये का मुनाफा मिला है। मैं चाहता हूं कि सारे मामले की जांच होनी चाहिये। आज यह सरकार तो लूट ही रही है, कल जब विदेशी कम्पनियां हमारे देश में आ जायेंगी तो यह सरकार प्राइस कंट्रोल कैसे करेगी, कुछ समझ नहीं आता है। सरकार को सदन में यही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

मुम्बई शहर में मिल मजदूरों की हालत एकदम खराब है। इस सरकार की नीति मिल मजदूरों के खिलाफ है। जब सरकार ने एन० टी० सी० मिलों का नेशनेलाइजेशन किया था तो उस समय कहा था कि हम मजदूरों का एम्पलायमेंट प्रोटैक्ट करेंगे लेकिन क्हां एम्पलायमेंट प्रोटैक्ट हो रहा है। आज अनेक एन० टी० सी० की मिलें बंद हैं और एन० टी० सी मिलों से लगभग 70 हजार लोग बाहर हैं। आज वे कहां जायें? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि उनको वापस काम कर लेना चाहिये लेकिन यह सरकार उनको वापस काम कर लेने के लिये राजी नहीं है। सरकार मरम्मत के लिये एन० टी० सी० को एक करोड़ रुपया देती है जबकि 120 एन० टी० सी० की मिलें भारतवर्ष में हैं और दूसरी ओर 300 करोड़ रुपया वी० आर० एस० स्कीम के लिये देती है ताकि उसके जरिये मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। मुम्बई की एन० टी० सी० से संबंधित ट्राइपैटाइट कमेटी में मैं भी था, जिसमें डिसीजन लिया गया था कि कोई मिल मर्ज नहीं होगी, कोई भी मिल बंद नहीं होगी।

कोई भी मिल क्लोज नहीं होगी, लेकिन 9 तारीख को जो डिसीजन हुआ उसको बाजू में रखकर उसको बंद करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से इन मिलों की लाखों करोड़ों की जमीनों को बेचा जा रहा है और हमारे मराठी लोगों से बाहर निकालने का काम यह केन्द्रीय सरकार कर रही है।

इन एन० टी० सी० की मिलों को कोआपरेटिव बेस पर चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 50% इक्विटी कैपीटल देने का प्रस्ताव रखा और कहा कि 40% कैपीटल केन्द्र सरकार दे। इसलिए मेरा निवेदन है कि मजदूरों की जिन्दगी बचाने के लिए आप कम से कम 40 प्रतिशत इक्विटी दें, बाकी 10 प्रतिशत मजदूर स्वयं लेने के लिए राजी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार उन्हें कपास नहीं दे रही है। मैंने जब ट्राइपर्टाइट मीटिंग में पूछा और संसदीय सलाहकार समिति में पूछा कि आप इनको कपास क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वे कहने लगे कि हम कपास इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर उन्हें कपास दिया, तो वे भ्रष्टाचार करेंगे। अरे आप कैसी सरकार चलाते हैं? उनको रा-मटीरियल नहीं मिल रहा है जिसके कारण बहुत मजदूर बेकार हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आया है कि इन मिलों को कोआपरेटिव बेस पर पर चलाने की अनुमति दी जाए, उस पर गम्भीरता से विचार कीजिए और उस प्रस्ताव को स्वीकार करिए, जिससे गरीब मजदूरों को रोजी-रोटी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994-95 में 6 हजार करोड़ रुपऐ का जो घाटा दिया गया है वह जानबूझकर कम दिखाया गया है। पिछले वर्ष का बजट घाटा कम था और अनुमानित 4314 करोड़ रुपए के बदले 9060 करोड़ रुपए आएगा, यह बताया गया है। असलियत में यह जो घाटा है यह 15 हजार करोड़ रुपए से कम नहीं आएगा और बोझा गरीब व सामान्य नागरिक पर ही होगा। सरकार इसी प्रकार बार-बार महंगाई बढ़ाती रहेगी। 1993-94 में आवश्यक वस्तुओं के दाम 8.1% बढ़े। 1992 में यह बढ़ोत्ती 2.5 प्रतिशत थी। गेहूं 8.1% चावल 6.9% तरकारियों के दाम 39.1% प्याज का 147.7% चाय का 7.5% कॉफी 28.3% मासं 9.8% और मसाले 24% बढ़े। मैं सरकार से पूछता हूं कि सरकार का वह चुनावी वायदा कहां गया जिसमें उसने 90 दिन के अन्दर महंगाई को कम करने की बात कही थी। सरकार सिर्फ नारा लगाना जानती है, उस पर अमल करना नहीं जानती?

उपाध्यक्ष महोदय, इन्कम टैक्स का करोड़ों रुपया देश के बड़े-बड़े लोगों पर बकाया है, उसको वसूल करना चाहिए। यदि वह वसूल हो जाता है, तो आपको ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में, मैं इतना और कहना चाहता हूं कि इगतपुरी में 66 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। सरकार ने बाद में इसे मान भी लिया था कि 2 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी, यह मेरे पास लिखित रूप में है, लेकिन आज तक यह पता नहीं लगा कि आखिर वह पैसा कहां गया? वैगनों से पेट्रोल बाहर निकाला था। बहुत बड़ी चोरी हुई थी। इस पर हमने सदन में हंगामा खड़ा किया थां अखबारों में आया था, लेकिन उसके बाद उस पेट्रोल का क्या हुआ, उस चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा।

भारत में तोड़ने के लिए विदेशों से जहाज खरीद जाते हैं। उन जहाजों को जब भारत लाया जाता है तब उनमें कोई कार्गो नहीं लाया जा सकता, ऐसा नियम है। लेकिन कुछ बेईमान लोग ऊंची बोली लगाकर विदेशों में जहाज खरीदते हैं और उनमें कार्गो लाते हैं। इस प्रकार एक तरफ तो सरकार को कस्टम ड्यूटी की हानिं होती है और दूसरी तरफ वास्तविक लोग जो इस शिप ब्रेकिंग उद्योग में लगे हैं, जहाज खरीद नहीं पाते। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं।

मैसर्ज एन० जी० इण्डस्ट्रियल सर्विसेज प्रा० लिमिटेड ने, जिनका कार्यालय 208 तुलसियानी चैम्बर्स, नरीमन पाइंट, मुम्बई में है, तोड़ने के लिए विदेशों से जहाज खरीदे और एक जहाज एम० वी० ओशियान ब्लेसिंग में 150 कन्टेनर लाए जिनमें प्रतिबंधित माल था ओर जिसका मूल्य लगभग 200 करोड़ रुपये था। उसमें विस्फोटक सामग्री भी थी। वह जहाज कर्नाटक राज्य में पुराने मंगलौर पत्तन पर लाया गया था। इस प्रकार वह कम्पनी इसी प्रकार के कार्य में लगी हुई है। सरकार को विभिन्न पक्षों की ओर से इस बारे में अनेक बार लिखित रूप में दिया गया लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी और उस कम्पनी का काला धन्धा बराबर चल रहा है। जाहिर है कि इसमें बहुत अफसर लिप्त हैं। सरकार इस प्रकरण की पूरी जांच कराए और देखे कि माल खरीदने के लिए पैसा कहां से जुटाया गया है।

मजगांव डौक जोकि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, का बम्बई हाई शोर का 760 करोड़ रुपये

[श्री बिजय कृष्ण हांडिक]

का कौन्ट्रैक्ट था। वह कौन्ट्रैक्ट लारसन एंड टूबरो कम्पनी जोकि लिमिटेड कम्पनी है, को दिलवा दिया गया क्योंकि बड़े अफसर मिले हुए थे और उन्होंने कोटेशन कम दिया। भजगांव डौक में 1500 मजदूर टैम्परेरी बेसेस पर जिन्हें 10 साल से परमानैंट नहीं किया गया है। अभी काम न होने के कारण उनको ले ऑफ़ कर रहे हैं।

मुम्बई की झोंपड़-पट्टी में 60 लाख लोग रहते हैं। मुम्बई शहर से 17,944 करोड़ रुपये उनको टैक्स के रूप में जाता है। उसमें से पुराने घर की मरम्मत और झोपड़-पट्टी के सुधार के लिए हमें 10 प्रतिशत मिलना चाहिए। मुम्बई शहर में 300-फैमिलीज हर रोज आती हैं।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.20 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

1.21 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.20 म०प०

2.20 म०प० पर गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई।

2.23 म०प० पर गणपूर्ति के लिए पुनः घंटी बजाई गई परन्तु गणपूर्ति नहीं हुई।

2.26 म०प० पर एक बार फिर गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई परन्तु गणपूर्ति नहीं हुई।

2.31 म०प०

गणपूर्ति के अभाव में सभा के 2.45 म०प० तक स्थगन के बारे में घोषणा

महासचिव : गणपूर्ति नहीं है। अतः सभा की बैठक नहीं हो सकती। जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है, हम सभा की कार्यवाही आरंभ नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि सभा की बैठक 2.45 म० प० पर होगी।

2.47 म०प०

लोकसभा 2.47 म०प० पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह है। पूरा मंत्रिमंडल हड़ताल पर रहता है और कोरम पूरा नहीं होता है, समय की बरबादी होती है। यह संसदीय प्रणाली पर कलंकपूर्ण

इतिहास लिखा जा रहा है और यह बार-बार हो रहा है। अभी भी 1-2 मंत्रियों को छोड़ कर बाकी मंत्री हड़ताल पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आप कोई व्यवस्था दीजिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से मल्लिकार्जुन जी संसदीय कार्य मंत्री बने हैं, तब से यह काम एक साजिश के तहत किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : कोई साजिश नहीं है। यह एक सामान्य प्रवृत्ति है। वास्तव में यदि हर संसद सदस्य यह सोचे कि सभा में उपस्थित होना उसका उत्तरदायित्व है, जनता के प्रतिनिधि के रूप में सभा में उपस्थित रहना अनिवार्य है, तो कोई समस्या नहीं होगी। परन्तु किसी माननीय संसद सदस्य को कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। वह सर्वोपरि है।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या इसका अर्थ यह है कि वे सभा से पूरे मंत्रिमंडल की अनुपस्थिति को उचित ठहरा रहे हैं? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर आप कोई व्यवस्था दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभी ने इसे नोट कर लिया है।

2.50 म०प०

बजट (सामान्य), 1994-95 सामान्य चर्चा–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 1994-95 के बजट (सामान्य) पर आगे चर्चा करेगी। प्रो० के० वेंकटगिरि गौड़।

प्रो० के० वेंकटगिरि गौड (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 20 फरवरी, 1994 को वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत इस वर्ष के बजट के संबंध में बोलने जा रहा हूं। यह बजट ऐतिहासिक है। यह इस अर्थ में ऐतिहासिक है कि इसने अर्थव्यवस्था के वृहत्-आर्थिक प्रबंधन की नई दिशाएं खोल दी हैं। यह डा० मनमोहन सिंह का चौथा बजट है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे दसवीं लोक सभा में दो और बजट प्रस्तुत करेंगे। ऐसे में वे सर सी०डी० देशमुख से, जिन्होंने पचास के दशक के आरम्भिक वर्षों में संसद में छः बजट प्रस्तुत किए थे, यदि बेहतर नहीं हो पाएंगे, तो उनके बराबर तो अवश्य रहेंगे।

बजट ने कई मिश्रित प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। कुछ के अनुसार यह मुद्रा स्फीति वाला या चक्रात्मक है; कुछ का कहना है कि ऐसा नहीं है। अभी कीमतें बढ़ गई हैं, पर कीमतों में यह वृद्धि अस्थाई है। ये अवश्य ही एक अंकीय स्तर पर आएगी। कुछ के अनुसार यह विकासात्मक बजट है, कुछ का कहना है कि यह गरीबों के विरुद्ध है। अतः कुछ प्रतिक्रियाएं वैज्ञानिक हैं, कुछ

[प्रो० के० वेंकटगिरि गौड]

सैद्धान्तिक हैं और कुछ बिल्कुल बेतुकी हैं। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है जहां प्रत्येक व्यक्ति को बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ऐसा इन विचारों या प्रतिक्रियाओं पर टिप्पणी करने के लिए नहीं होता। जब 1991 में डा० मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला, तो उन्हें भारी आर्थिक अस्तव्यस्तता विरासत में मिली। मुद्रा स्फीति 17.5 प्रतिशत थी। आर्थिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 प्रतिशत था। निर्यात डांवाडोल थे। भारी मात्रा में आयात हो रहा था। भुगतान घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत था। विदेशी और आंतरिक ऋण बढ़ रहे थे। देश में गरीबी थी। संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 42 करोड़ लोग गरीब हैं जिनमें से 25 करोड़ लोग अत्यन्त निर्धन हैं। डा० मनमोन सिंह को यही विरासत मिली थी। पर उन्होंने स्थिति पर काबू पा लिया है और अर्थव्यवस्था को प्रगति और विकास के मार्ग पर ला दिया है। जब ऐसी परिस्थिति थी तो डा० मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों एवं प्रधान मंत्री की सहायता से आर्थिक सुधार के उपाय अपनाए जिनका अभी पालन किया जा रहा है। आशा की जाती है कि आगे चलकर आर्थिक सुधार के ये उपाय सफल होंगे।

बजट आशाओं, आशंकाओं और उत्तेजना का सम्मिश्रण है। इसमें उत्तेजना है क्योंकि चेल्लैय्या रिपोर्ट के आधर पर भारतीय कर ढांचा को सुसंगत एवं सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि विकास को बढ़ावा दिया जा सके। आयकर सीमा को 30,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दिया गया है। कर दाताओं के पास उपयोग योग्य आय छोड़ दी गई है जिसे वे उपयोग में ला सकते हैं अथवा जिसका वे निवेश कर सकते हैं। इनमें किसी भी मामले में कुछ मांग, चल रही आर्थिक मंदी को समाप्त कर देगी। निगमित कर दर को 51.5 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे निगमों के पास प्रौद्योगिक विकास और उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक संसाधन हो जाएंगे। साथ ही ऋण दर का एक प्रतिशत कम अर्थात् 15 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे निगम और कंपनियां अधिक से अधिक ऋण ले सकती हैं और निवेश पर अधिक खर्च कर सकती हैं। इससे उपभोक्ता भी अधिक ऋण ले सकेगा और खपत संबंधी अधिक खर्च कर सकेगा। इस समय जारी मंदी को रोकने के लिए ये आवश्यक हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने सीमा शुल्क कम कर दिया है। इससे आयात-सघन निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इससे भुगतान संतुलन के अंतर को समाप्त किया जा सकेगा। उन्होंने उत्पाद शुल्क भी कम किया है ताकि वस्तुएं और सस्ती हो जाएं। गत वर्ष, उत्पाद शुल्क कम किया गया था और वे चाहते थे कि उद्योग इसका लाभ मूल्य घटाकर उपभोक्ताओं को दें। जब उद्योगों ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने उन रियायतों को वापस लेने की बात कही। तब उद्योगों ने उनकी बात को लागू किया। इस वर्ष भी उन्होंने उत्पादन शुल्कों में कटौती की है, ताकि वस्तुओं के बाजार भाव कम हो सकें। यह कार्य वस्तुओं की मांग को बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे जारी आर्थिक मंदी को रोकने में सहायता मिलेगी।

यह आशा की गई है कि बेरोजगारी पर काबू पाया जाएगा; गरीबी कम होगी; आर्थिक विकास की दर 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो जाएगी। साथ ही कई आशंकाएं भी हैं। एक

महत्वपूर्ण आशंका यह है कि भुगतान संतुलन के संकट से मूल्य में वृद्धि होगी। 1991 में जो मुद्रा स्फीति 3 प्रतिशत थी, वह 5 प्रतिशत हो गई है। आशंका यह है कि घरेलू मुद्रा स्फीति के कारण घाटे में और वृद्धि होगी। दूसरी आशंका मुद्रा स्फीति की है। 1990-91 में मुद्रा स्फीति 17.5 प्रतिशत थी। इसके लिए डा० मनमोहन सिंह व्यवस्था के सुयोग्य आर्थिक प्रबंधन के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अगस्त में मुद्रास्फीति की दर घट कर 7.5 प्रतिशत हो गई, लेकिन उसके बाद से उसमें वृद्धि होने लगी और इस समय यह 10.52 प्रतिशत है। इसके कई कारण हैं। बजट के पहले चीनी, गेहूं, रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि हुई। पुनः रेल भाड़ा एंव माल भाड़े में वृद्धि हुई, जिसका मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके पुनः बढ़ने की आशंका है। लेकिन वित्त मंत्री का यह कहना है कि मुद्रा स्फीति में वृद्धि मौसम के कारण है जो मात्र अस्थाई है और जब ये कारक कमजोर पड़ जाएंगे तो मुद्रास्फीति की पुनः एक अंक में आ जाएगी।

बजट घाटा 6000 करोड़ रुपये के लगभग है। वित्तीय घाटा 55,000 करोड़ के लगभग है और इन दोनों घाटाओं से निश्चित तौर पर मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। लेकिन वित्ती मंत्री का कहना है कि अर्थव्यवस्था में विकास के कारण कर प्राप्ति में वृद्धि होगी और इससे वित्तीय और बजट घाटा को कम करने में सहायता मिलेगी। आशा है कि उनकी बात सच होगी।

भुगतान संतुलन घाटा कम होकर 0.5 प्रतिशत हो गया है। ढाई वर्ष पहले यह 3 प्रतिशत था। आशा है कि निर्यात में वृद्धि होगी और आयात में कमी आएगी। जब उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था तो विदेशी मुद्रा भंडार 1.1 बिलियन डालर था, जो दो सप्ताह के दौरान आयात की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त था, लेकिन यह बढ़कर 15 बिलियन डालर हो गया है। सरकार इन भंडारों को विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों एवं वाणिज्यिक बैंक परिसम्पत्तियों पर निवेश करने का विचार कर रही है और साथ ही सरकार को इन दो भंडारों का उपयोग अत्यधिक ब्याज पर ली गई विदेशी ऋणों की अदायगी पर करना चाहिए और यदि विदेशी मुद्रा भंडार यह स्तर बनाए रखता है, तो इससे मुद्रा प्रसार बढ़ेगा जो मुद्रास्फीतिजनक है। मुद्रा प्रसार को बढ़ने से रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को एक उपयुक्त स्तर तक कम करना आवश्यक है।

देश में काला धन, लगभग 1,70,000 करोड़ रुपये का काला धन है। कई राजनीतिक और सरकारी अफसर, उद्योगपति अत्यधिक काला धन और काली सम्पत्ति जमा करते हैं। यह राशि बिना हिसाब के होती है, जिन पर कर अदा नहीं किया जाता है और इस काले धन से मुद्रा स्फीनि में वृद्धि हो रही है तथा यह प्रतिबंधात्मक वित्तीय एवं आर्थिक नीतियों का उल्लंघन है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण देने के दर में वृद्धि कर सकता है, ताकि ऋण लेने और व्यय करने पर रोक लगाई जा सके और मुद्रास्फीति को कम किया जा सके। लेकिन ऋण लेने वाले बैंक जाना नहीं चाहते और वे समानांतर अर्थव्यवस्था की ओर ऋण लेने और व्यय करने के लिए जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि ऋण देने के दर में वृद्धि के बावजूद भी व्यय में कमी नहीं आएगी और मुद्रास्फीति की दर में लगातार वृद्धि होती है।

रक्षा बजट में वृद्धि होनी चाहिए। यह सच है कि इस बजट में रक्षा व्यय को 21,00 करोड़

[प्रो० के० वेंकटगिरि गौड]

रुपया से बढ़ाकर 23,00 करोड़ रुपया कर दिया गया है, परन्तु मुद्रास्फीति वृद्धि के कारण वास्तविक रक्षा व्यय में कमी आई है। भारत पांच शत्रु पड़ौसी देशों के घेरे में है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का भारत से संबंध खराब है, सीमा के मुद्दे पर चीन के भारत से संबंध खराब हैं, नेपाल के भारतीय नागरिकों के नेपाल में प्रयास के मुद्दे पर भारत से संबंध खराब हैं। बंगलादेश के चकमा शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत से संबंध खराब हैं। लिट्टे के मुद्दे पर श्री लंका भारत से रुष्ट है। एक मात्र देश मालदीव का भारत से मित्रवत संबंध है। लेकिन भारत-पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में जातीय आधार पर हो सकता है कि मालदीव पाकिस्तान का साथ दे। अतः भारत के लिए आवश्यक है कि किसी भी पड़ौसी से युद्ध छिड़ने की स्थिति में वह पूरी तरह तैयार रहे।

3.00 म०प०

भारत की कोई भी स्पष्ट परमाणु नीति नहीं है। पाकिस्तान परमाणु शक्ति सम्पन्न देश हो गया है। यह इसका अपने परमाणु ताकत के रूप में उपयोग कर रहा है। साथ ही चीन भी एक बड़ा परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है, परंतु भारत ने अब भी स्वयं को परमाणु हथियारों के विकास के मार्ग पर नहीं ला सका है।

जब तक परमाणु अप्रसार संधि में पाकिस्तान और चीन सहित पूरे एशियाई क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता, तब तक उस पर हस्ताक्षर न करने का भारत ने सही निर्णय लिया है। अतः भारत को परमाणु बम बनाने का प्रयास करना चाहिए, पाकिस्तान या चीन पर आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि 50 के दशक के प्रारम्भ में चर्चिल ने भय दिखाकर रक्षा करने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यदि भारत के पास परमाणु अस्त्र हों तो अन्य देशों को भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं होगा। अतः भारत के पास एक स्पष्ट परमाणु नीति होनी और परमाणु बमों का निर्माण करना आवश्यक है, उन्हें तैयार रखा जाए ताकि इन्हें किसी भी उस देश पर छोड़ा जा सके, जो आक्रमण करने का दुस्साहस करें। अतः भारत के लिए अपने रक्षा व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है और परमाणु बम का निर्माण भी करना होगा, ताकि शत्रु देशों के संदर्भ में भारत सुरक्षित रहे।

अब उर्वरकों पर राज सहायता देने का प्रश्न है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष राज सहायता देने के विरुद्ध है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है? अमरीका किसानों को कृषि उत्पादों पर राज सहायता मिल रही है। युरोपीय देश भी अपने किसानों को राज सहायता दे रहे हैं। लेकिन ये दो संस्थाएं भारतीय किसानों को राज्य सहायता देने के संबंध में भारत सरकार के विरुद्ध हैं।

मान लें, उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता वापस ले ली जाती है तो उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि होगी। शोध निष्कर्षों से यह पता चला है कि जब उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि होती है तो इसकी मांग और आदान में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन कम होता है। जब कृषि उत्पादन कम होता है तो कृषि उत्पादों के निर्यात में कमी आती है और तभी खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। जब खाद्य वस्तुओं के मूल्यें में वृद्धि होती है तो मजदूरी में वृद्धि होती है और

मजदूरी में वृद्धि से दो प्रकार की मुद्रास्फीति होती है मांग में कमी और लागत में वृद्धि। अतः भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह कुछ और समय तक उर्वरक पर राज सहायता देना जारी रखे।

भारत अब भी एक बाजारी अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है, फिर भी यह उस मार्ग पर बढ़ने लगा है। अतः भारत के पूर्णतः बाजारी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने से पूर्व भारत सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसानों को राज सहायता देना जारी रखे। अब मुद्दा यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण दो संकटों के बीच होना है–मुद्रास्फीति संबंधी संकट और भुगतन संतुलन की समस्या। ये दो संकट नेहरू ने 1956 में उस समय भारत को उपहार स्वरूप दिये, जब उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। हमें आशा है कि अगले बजट में मुद्रास्फीति और भुगतान के संकट का समाधान हो जाएगा, आर्थिक विकास होगा, गरीबी कम होगी तथा रोजगार का सृजन होगा, ताकि भारत को स्वर्ग बनाया जा सके तथा एक खुशहाल देश बनाया जा सके।

मुझे आशा है कि श्री मनमोहन सिंह अगामी बजट मुद्रास्फीति, भुगतान घाटा तथा गरीब दूर करने और रोजगार के अवसर जुटाने की दृष्टि से तैयार करेंगे। मुझे आशा है कि अगली बार वह ऐसा करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं 1994-95 के केन्द्रीय बजट का स्वागत करती हूं और वित्त मंत्रालय को उस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देती हूं।

महोदय, यह एक अनोखी बात है कि डा० मनमोहन सिंह ने लगातार चार वर्षों से केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया है? इसलिए 1994-95 के केन्द्रीय बजट में सम्बद्धता, निरंतरता और आर्थिक लक्ष्य के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी रूपरेखा वित्त मंत्रालय ने जून, 1991 में, जब प्रधान मंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री पी० वी० नरसिंहराव ने सरकार का कार्यभार ग्रहण किया था।

जब वर्तमान सरकार ने देश के शासन को संभाला था उस समय देश में आर्थिक संकट था और आप यह जानते हैं कि वित्त मंत्री महोदय ने इन चुनौतियों का बड़ी बहादुरी और निर्णायक कदम उठाकर सामना किया है और स्थिति का सुधारा है तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति की दर घटकर उचित स्तर पर आ गई है। वर्ष 1991 में मुद्रास्फीति करीब 17 प्रतिशत थी। परन्तु वित्त मंत्रालय के अथक प्रयासों से यह घटकर 7 प्रतिशत रह गई।

परन्तु अब फिर मुद्रास्फीति की दर बढ़कर लगभग 10.5 प्रतिशत हो गई है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें और वृद्धि न हो। वर्ष 1992-93 में जब यह घटकर 7 प्रतिशत रह गई तो फिर यह बढ़कर 10.5 प्रतिशत कैसे हो गई? सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

जहां तक मूल्य-वृद्धि का संबंध है, वास्तव में मूल्यों में वृद्धि हुई है। जब हम बाजार जाते हैं तो हम यह देखते हैं कि अलग-अलग बाजारों में मूल्यों में विशेषतः चीनी, गेहूं, चावल, खाद्य तेलों, सब्जियों तथा सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भिन्न-भिन्न वृद्धि हुई है। मैं जानती हूं कि

[कुमारी ममता बनर्जी]

आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया है। परन्तु मैं यह नहीं जानती कि सभी की सहमति से नीति क्यों नहीं बनायी गई है। कुछ राज्यों में कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की गई है। दिल्ली में भी मूल्यों में वृद्धि हुई है।

हमारे राज्य में पिछले सप्ताह चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, परन्तु इस सप्ताह यह बढ़कर 15 रुपये हो गया। मैं इसका कारण नहीं जानती। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की गंभीरता से जांच करायी जाए, क्योंकि यदि मूल्यों मे वृद्धि होगी तो उसका आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार को शीघ्रतापूर्वक मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाना चाहिए, ताकि आम आदमी परेशान न हो।

सरकार को मुख्य मंत्रियों और उस विषय से संबंधित अन्य मंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए तथा कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि मूल्यों में वृद्धि न हो। क्योंकि यह सच है कि बजट प्रस्तुत होने से पहले रसोई गैस, पैट्रोल और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई थी परन्तु उनमें अब और वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

यह भी सच है कि बजट में केन्द्र द्वारा राज्यों को योजना सहायता की राशि 18,010 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 19,304 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत होने का अनुमान है। राज्य योजनाओं के लिए परिव्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, अर्थात् इसे 41,251 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 46,582 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतम महत्व दे रही है। बजट की 40 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए दी गई है। यह स्वागतयोग्य कदम है। मैं उसका स्वागत करती हूं। साथ ही सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार गारंटी योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये दिए हैं ताकि सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के लिए धनराशि 3855 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,500 करोड़ रुपये कर दी है। परन्तु मेरा सरकार से अनुरोध है कि आजकल हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी ध्यान दें। यह सच है कि विपक्ष में बैठे हमारे साथी सरकार की आलोचना करेंगे, क्योंकि वे सत्ता में नहीं हैं। वे केवल सरकार की आलोचना के लिए आलोचना करते हैं और मुद्दों को राजनैतिक रंग देते हैं।

3.09 म०प०

[श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं]

सामान्यतः आजकल क्या होता है कि सरकार जो कुछ भी धनराशि देती है उसका 50 प्रतिशत भाग का–मैं यह नहीं जानती कि इस धनराशि को विकासात्मक कार्यों के जिला में खर्च किया जा रहा है अथवा समुचित निगरानी प्रणाली या भ्रष्टाचार के कारण अथवा किसी अन्य कारण से–समुचित उपयोग नहीं किया जाता है। धनराशियों का इसी प्रकार किसी न किसी तरह दुरुपयोग किया जाता है।

उदाहरणार्थ जवाहर रोजगार योजना को ही लीजिए। चूंकि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहायता दे रही है इसलिए सरकार को यह देखना है कि इस धनराशि का समुचित उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। मैंने अपने राज्य में देखा है और यह बताया भी गया है कि किसी परियोजना के लिए आवंटित 80 लाख रुपये की धनराशि गायब कर दी गई थी। इस बात की कोई जानकारी भी नहीं है कि धनराशि दी गई है। बताया जाता है कि परिश्चम बंगाल के 24 परगना जिला में बसीरहाट के जिला मजिस्ट्रेट ने स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि इस धनराशि का कोई पता नहीं है। यह हो रहा है। **(व्यवधान)** यदि मैं गलत कह रही हूं तो वे मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला सकते हैं। परन्तु यदि मैं गलत नहीं कह रही हूं तो सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। मैं इस मामले को राजनैतिक रंग नहीं दे रही हूं। सच्चाई यह है कि ग्रामीण विकास के लिए दी गई धनराशि का समुचित उपयोग होना चाहिए, क्योंकि सरकार एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी०, डी० आर० डी० पी०, स्व रोजगार योजना कार्यक्रम, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना के लिए धनराशि दे रही है।

यदि मैं गलत नहीं हूं तो मैं आपको बताती हूं कि पचास प्रतिशत धनराशि का या तो दुरुपयोग किया जाता है अथवा उसका पता ही नहीं चलता है। मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा है कि क्या कुछ क्षेत्रों में इस धनराशि का समुचित उपयोग किया गया है अथवा नहीं। इसका उत्तर बड़ा कष्टकारक था। मंत्री जवाब नहीं देते। यह भी एक समस्या है। परन्तु जो कुछ हो रहा है उसे मैं जानती हूं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में कोई लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और राज्य सरकारें इसका लेखा-जोखा रखें। राज्य सरकार निस्संदेह निगरानी एजेंसी है। वे इसकी निगरानी करेंगी। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत धन नहीं है, यह सरकारी धन है। राज्य सरकार प्रत्येक क्षेत्र में इसी प्रकार धन का दुरुपयोग कर रही है। सरकार को इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई उचित निगरानी प्रणाली विकसित की जाए?

महोदया, मैं चिट फंडों के बारे में एक महत्वपूर्ण मसले को उठाना चाहती हूं। मेरे विचार से मंत्री महोदय इसे गंभीरता से लेंगे। महोदया आपको याद होगा कि जब प्रतिभूति घोटाला हुआ था, तब मैंने इस सभा में देखा था कि विपक्ष के मेरे मित्रों ने यहां बहुत शोर मचाया था। मैंने भी इसकी निंदा की थी क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली की असफलता के कारण हुआ था। हमें इस बात पर विचार करना होगा क्योंकि यह जनता का पैसा है।

मैं आपको पश्चिमी बंगाल के बारे में बता रही हूं कि वहां 1000 करोड़ रुपया डूब गया है जबकि अन्य राज्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यह कहां चला गया है? कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय निवेश कम्पनियों जैसे जनप्रिया, फेवराइट इन्वेस्टमेंट कम्पनी आदि ने ग्रामीण लोगों, रिक्शा चालकों, किसानों और श्रमिकों से धन लिया और अब उस धन का पता ही नहीं चल रहा है। हमारी राज्य सरकार ने जो किया है वह यह है कि उन्होंने 10 या 15 वर्षों के बाद तीन या चार लोगों को गिरफ्तार

[कुमारी ममता बनर्जी]

किया अब यह धनराशि 1000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करती हूं कि वे इस संबंध में सी॰बी॰आई॰ से जांच कराएं अथवा जांच आयोग का गठन करें क्योंकि 1000 करोड़ रुपए की धनराशि कोई मजाक का विषय है। राज्य सरकार ने पहले प्रतिक्रिया क्यों की है? मैं भारतीय रिजर्व बैंक को लिखे गए पत्र भी दिखा सकती हूं। महोदया, आप इस बात को मानेंगे कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं। अब बेरोजगार युवकों को इन निवेश कम्पनियों में थोड़ी गुंजाइश दिखाई दी है। वे एजेंटों के रूम में कार्य करते हैं। उन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। उन्होंने धन इकट्ठा किया था। अब वे इन निवेश कम्पनियों से धन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वे जिनसे पैसा लिया था उन्हें पैसा वापस नहीं लौटा पा रहे हैं। यह क्या हो गया है? दो-तीन बेरोजगार युवकों ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी न्याय नहीं मिला। एक बेरोजगार युवक ने जोकि एक एजेंट था, मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उसने यह कहा था कि उसने 19-4-90 को भारतीय रिजर्व बैंक, पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री और सभी वित्तीय संस्थानों को पत्र लिखे थे किन्तु किसी ने भी अभी तक उत्तर नहीं दिया है। चार वर्ष के पश्चात् जो धन वापस मिला वह मात्र 1,000 रुपए है। महोदया, रिक्शा चालक अपना धन कहां से प्राप्त करें? उन्होंने अपना सारा पैसा इन निवेश कम्पनियों में जमा करवा दिया था। इस संबंध में सरकार के कुछ मार्गनिर्देश होने चाहिएं। जब कभी चिट फंड कम्पनी समाचार-पत्र में अपना विज्ञापन जारी करती हैं, तो सरकार को आरम्भ से ही यह देखना चाहिए कि यह कम्पनी सही है अथवा नहीं है और सरकार को इस उद्देश्य हेतु एक कोष्ठ स्थापित करना चाहिए। लोगों को कठिनाई क्यों झेलनी पड़े? इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। वे तो चीख-चिल्ला रहे हैं। उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आप केवल तीन या चार लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या नतीजा निकला? क्या सभी लोगों को अपना पैसा वापस मिलेगा? उन्हें अपना पैसा वापस नहीं मिला है।

मैं यह कह सकती हूं कि इन चिट फंड कम्पनियों को कुछ राजनीतिज्ञों और प्रशासन के एक अंग का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। मैं यह मांग करती हूं कि इस संबंध में जांच आयोग कठित किया जाना चाहिए। जब लोगों का धन इनमें लगा है, तो इस मामले में सी॰बी॰आई॰ की जांच अथवा जांच आयोग द्वारा जांच क्यों नहीं कराई जाए? लोगों को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें सड़कों पर चिल्लाने की जरूरत न पड़े। अन्यथा लोग एक दिन विद्रोह कर देंगे। मुझे पता है कि पश्चिम बंगाल में यह सब हो रहा है। अतः सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि उसे मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए और स्थिति के बारे में हमें सभा में जानकारी दी जाए। मैंने इस चिट फंड के बारे में वित्त मंत्री महोदय को पहले ही पत्र लिखा था और उनसे यह उत्तर मिला है कि मामले की जांच की जा रही है। मैं केवल इतना ही नहीं चाहती कि मामले की मात्र जांच ही की जाए बल्कि मैं तो इसके सही परिणाम चाहती हूं जिससे लोगों को उपयुक्त समय के भीतर अपना पैसा मिल सके ... **(व्यवधान)** । सरकार भी कुछ नहीं कर रही है क्योंकि उसे भी उनसे धन मिल रहा है। महोदया, मैं

यह बात आपको बता रही हूं और यदि मेरी बात गलत हो तो वे मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव ला सकते हैं। क्या वे इस तथ्य को अस्वीकार कर सकते हैं कि हेरोना इंवेस्टमेंट कम्पनी ने राज्य सरकार के एक कार्यक्रम को प्रायोजित किया है? मैं उस कार्यक्रम का भी उल्लेख कर रही हूं। यह कार्यक्रम हल्दिया उत्सव है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? इस कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिमी बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय ने किया था। यदि मैं गलत बात कर रही हूं, तो वे मेरा विरोध कर सकते हैं। किन्तु मेरी बात गलत नहीं है। जो कुछ मैं कह रही हूं वह सत्य है और मैं यह सब रिपोर्टों के आधार पर कह रही हूं।

सभापति महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय यह बहुत बड़ा घोटाला है।

सभापति महोदय : लेकिन अन्य बहुत से सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है महोदया, मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगी। किन्तु यह एक गंभीर मामला है और यह कम्पनी चिट फंड के नाम से आम जनता को लूट रही है। इसलिए आम जनता की ओर से इस मामले को सभा में उठाने और न्याय हासिल करने का मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है।

अब मैं अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश के प्रश्न पर आती हूं। महोदया, आप इस बात को सही मानेंगी कि देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश की लगभग 1857 स्वीकृत परियोजनाएं हैं किन्तु पश्चिमी-बंगाल के लिए इनमें से केवल चार ही हैं। अतः सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह पश्चिम बंगाल में अधिक पूंजी निवेश सुनिश्चित करे। मुझे यह पता है कि हमारी राज्य सरकार तो दिवालिया हो चुकी है। सभी लोग यह कह रहे हैं कि यह पीयरलैस प्रायोजित सरकार है। पीयरलैस भी वित्तीय निवेश वाली कम्पनी है। यदि वह कम्पनी पैसा न दें तो राज्य सरकार तो चाय का एक प्याला भी नहीं पी सकती। अतः सभी लोग यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार एक दीवालिया सरकार है। यह एक वास्तविकता है कि आठवीं पंचवर्षीय के दो वर्ष बीत चुके हैं किन्तु हमारे राज्य में अभी तक इस पर चर्चा ही नहीं की गई है। कभी वे कहते हैं कि योजना बजट 1700 करोड़ रुपए का है, कभी कहते हैं कि 1,200 करोड़ रुपए का है और कभी कहते हैं कि यह 1,000 करोड़ रुपए का है। उन्होंने अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है। मैं चाहती हूं कि मेरे राज्य का विकास हो। मुझे पता है कि कुछ बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याएं हैं। राज्य में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं किन्तु अपने राज्य की ओर से मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें। हालांकि हमारे राज्य में सरकार है किन्तु वह सही ढंग से नहीं चला सकती। और यदि वे सही ढंग से नहीं चल सकते तो केन्द्र सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वह शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जैसी इस सरकार की देखभाल करे जिससे हमारे लोगों को यह महसूस न हो कि वे विकलांग हैं और मुख्यधारा से बाहर हैं।

तीसरे, मैं माननीय सदस्य मंत्री महोदय से लघु-उद्योगों, विशेष रूप से हाथ से बने साबुन उद्योग, छाता छ्द्योग और कुटीर उद्योगों के संबंध में अनुरोध करूंगी। हमारे पास बेरोजगार युवाओं के

[कुमारी ममता बनर्जी]

लिए रोजगार के कोई अवसर नहीं हैं किन्तु लघु उद्योगों में रोजगार की काफी गुंजाइश है। अतः हमें यह देखना है कि इन उद्योगों पर कर-भार का प्रभाव न पड़ने पाए। मुझे नहीं पता, हमारे देश में कितने लघु उद्योग पहले ही बंद हो चुके हैं। हमारे राज्य में ही इनकी संख्या 230,000 है। मुझे अन्य राज्यों के बारे में जानकारी नहीं। यह संख्या एक अथवा दो लाख से अधिक हो सकती है। इसलिए सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह विशेष सभा से लघु उद्योगों पर लगे उत्पादन शुल्क अथवा कर को वापस ले ले। यह इसलिए क्योंकि उन पर अधिकर कर-भार न पड़े और वे अधिक करों के कारण परेशानी में न पड़ें। मैं सरकार से यह अनुरोध भी करूंगी कि वह आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं के मामले को गंभीरता से ले। अधिकतर ग्रामीण लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। किन्तु अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कारण निर्माता यह मानने लगे हैं कि वे गरीबों को सही ढंग से दवा की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मेरा यह अनुरोध है कि इसे गंभीरता से लिया जाए और उपयुक्त कार्यवाही की जाये।

इसी के साथ-साथ मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वे यह देखें कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए प्रदत्त धन का सही उएयोग हो। इस धन का सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। यदि आप पता लगायें और मूल्यांकन करना आरम्भ करें तो आपको यह मालूम हो जाएगा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार का 15 सूत्री कार्यक्रम है। किन्तु मुझे यह पता है कि कुछ राज्यों ने अभी तक इस धन का सही उपयोग नहीं किया है। कृपया इस मामले का पूरी गम्भीरता से पता लगाएं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि हालांकि यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है परन्तु फिर भी इसके लिए धन वित्त मंत्रालय से आबंटित किया जाए। जहां तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम और एन० जी० एम० सी० का सम्बन्ध है, इस उद्योग में हजारों श्रमिक कार्यरत हैं। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने महाराष्ट्र में यह आश्वासन दिया था कि वे इन्हें बंद नहीं करने जा रहे हैं। यदि सरकार इन्हें बंद नहीं करने जा रही तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल और बिहार की सात मिलों में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। यह पहले ही रोक दिया गया है। उन्होंने समग्र उत्पादन रोक दिया है क्योंकि उन्हें धनराशि नहीं मिल रही है। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें।

मुझे बेरोजगार युवाओं के बारे में कुछ कहना है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। इन आंकड़ों में वृद्धि हुई है। हमारे राज्य में ही कुछ करोड़ बेरोजगार युवा हैं। यह संख्या अत्यधिक है। इस मामले में हमारा राज्य पहले स्थान पर है। वर्ष 1972-77 के दौरान जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय बेरोजगार युवाओं की संख्या 17 प्रतिशत से कम होकर 12 प्रतिशत हो गई थी। परन्तु साम्यवादी सत्ता के 17 वर्षों के अन्दर यह 12 प्रतिशत से बढ़कर 400 प्रतिशत हो गई है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? मैं यह जानता हूं कि सरकार के लिए उन लोगों को सभी

क्षेत्रों में सरकारी रोजगार उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। परन्तु सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ ऐसा बुनियादी ढांचा और कुछ कार्यक्रम हो। जिसके द्वारा बेरोजगार युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मैंने इस मुद्दे को सभा में कई बार उठाया। यह एक गम्भीर मामला है। सरकार को इस मुद्दे पर राष्ट्रीय विकास परिषद की एक अलग से बैठक बुलानी चाहिए। महोदया, राष्ट्रीय विकास परिषद एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निकाय है जिसके प्रधान मंत्री चेयरमेन होते हैं और अन्य मुख्य मंत्री सदस्य हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। अतः, जब बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार बेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरता से चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक नहीं बुला सकती है जिससे इस देश के युवा बेरोजगार अपने आप को अलग-थलग न समझें और यह महसूस करें कि वे राष्ट्रीय मुख्यधारा में हैं? मैं यह चाहती हूं कि हमारी अगली पीढ़ी भटकती न रहे। उनकी शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं सरकार से इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करती हूं। सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद (एन०डी०सी०) की बैठक बुला सकती है और इसमें सभी मुख्य मंत्रियों और अन्य मंत्रियों और विभागों को भी शामिल कर सकती है। इसमें बेरोजगार युवाओं के बारे में विशिष्ट रूप से चर्चा की जाए। अन्यथा, महोदया मैं समझती हूं कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो भावी पीढ़ी के लिए अत्यधिक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अतः, मेरा यह अनुरोध है कि इस मामले पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जाये।

महोदया, मुझे अपनी बात कहने की अनुमति देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं और अधिक मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहती हूं। परन्तु, मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि वह मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों, जैसे मूल्यवृद्धि, लघु उद्योग, बेरोजगार युवा, चिट फंड और पश्चिम बंगाल में और अधिक निवेश, पर गम्भीरता से विचार करे। मैं यह भी चाहती हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि निधियों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करे कि निधियों का समुचित रूप से उपयोग हो।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना कथन समाप्त करती हूं।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदया, मैं बजट का समर्थन करता हूं तथापि मुझे यह कहना है कि मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों पर विशेष ध्यान न देने की वित्त मंत्री की प्रवृत्ति की सराहना नहीं करता हूं। देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। इस तथ्य के बावजूद कि वित्त मंत्री उसी क्षेत्र से चुन कर संसद में आए हैं, हमें उस क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। इसलिए मैं बजट के बारे में अपनी निराशा व्यक्त करता हूं।

देश के हित में और राजनीतिक कारणों के आधार पर कतिपय राज्य बनाए गए हैं अथवा स्थापित किए गए हैं। ऐसे राज्य अपनी घरेलू आय अथवा अर्जन से अपने राज्य का शासन नहीं चला सकते हैं। ये राज्य पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार की अनुदानों पर आश्रित होते हैं। इस बजट में 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण का प्रस्ताव किया गया है। हमारी मांग 100 प्रतिशत से भी

[श्री याइमा सिंह युमनाम]

अधिक की रही है, यानि कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों का विकास संबंधी कुल व्यय उठाया जाए। इसमें मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा और कुछ अन्य गैर-अर्थक्षम राज्य शामिल हैं। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये राज्य हमारे देश पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। इन राज्यों का राजनीतिक कारणों से बनाया जाना अथवा स्थापित किया जाना भी देश के ही हित में है। अतः इन राज्यों की जिम्मेदारी हमारे देश की जिम्मेदारी भी है। हम यह जानते हैं कि यहां भारी मात्रा में कच्ची सामग्री और अपार संसाधन उपलब्ध हैं इसलिए हमें इन राज्यों में और अधिक निवेश करना चाहिए तथा अधिक निधि प्रदान करनी चाहिए। यहां की भूमि उपजाऊ है और मौसम भी अनुकूल है। यहां विद्युत उत्पादन की क्षमता भी है। पर्याप्त मात्रा में विद्युत उत्पादन के लिए कई परियोजनाएं चालू की जा सकती हैं और यहां से अन्य पड़ौसी राज्यों को बिजली उपलब्ध करायी जा सकती है। इन परियोजनाओं से लाभार्जन के लिए इसमें लगाने के लिए पूंजी न होने के कारण ये राज्य पिछड़े हुए हैं।

महोदया, मैं विशेष तौर पर अपने राज्य मणिपुर के बारे में अधिकारपूर्वक बताना चाहता हूं कि वहां कुछ परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं को चालू करके भारी मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है। वहां लोकतक पन-बिजली परियोजना है। इस परियोजना के तैयार हो जाने पर इससे नागालैण्ड, असम और अन्य पड़ौसी राज्यों को बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इसी तरह की एक अन्य 'लोकतम डाउनस्ट्रीम' परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। यदि यह परियोजना चालू हो जायेगी तो इससे पड़ौसी राज्यों को और अधिक बिजली उपलब्ध हो सकेगी। परन्तु इस परियोजना को स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक अधिकारी इस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही न करके इसे लंबित रखे हुए हैं। अनुमति न मिलने के कारण ये रुकी पड़ी हैं। अतः, इन गैर-अर्थक्षम राज्यों को पर्याप्त निधियां प्रदान की जानी चाहिए। यह सैकड़ों रुपये का सवाल नहीं है। हमारी मांग 1,000 करोड़ रुपये वार्षिक की दर से है। इन क्षत्रों से पूंजी निवेश करके लाभ अर्जित करके ही इन राज्यों की देनदारी को पूरा किया जा सकता है। इसलिए मैं इस बजट की सराहना नहीं कर सकता।

महोदया, मैंने पहले ही बताया कि यहां अपार संसाधन और कच्ची सामग्री है। जैसाकि आप जानते हैं कि मणिपुर में कृषि उत्पादों के लिए उपजाऊ भूमि है। परन्तु यहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। लगभग 15 वर्ष पहले कुछ नहरों का निर्माण शुरू किया गया था परन्तु इस कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। इसके परिणामस्वरूप इस कार्य से कोई लाभार्जन नहीं हो सका। इस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद ही लाभार्जन होगा और राज्य आत्मनिर्भर हो सकेगा तथा अन्य राज्यों को भी कृषि उत्पाद उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

महोदया, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने असम में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए धनराशि प्रदान की है। मैं इस कदम की सराहना करता हूं। मेरी यह मांग है कि मणिपुर राज्य में भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। यह

राज्य इसकी पात्रता पूरी करता है परन्तु बजट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मणिपुर में प्राकृतिक सौन्दर्य है। देश के तथा जापान, अमरीका, इंग्लैण्ड जैसे देशों और अन्य स्थानों के अनेक लोग भ्रमणार्थ मणिपुर इसलिए आते हैं क्योंकि यहां प्राकृतिक सौन्दर्य है। परन्तु यहां पर्यटन के विकास के लिए कोई संसाधन नहीं है। हम ऐसे पर्यटकों के लिए अच्छे होटल की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं।

अतः पर्यटन उद्योग के संबंध में कोई विकास नहीं हुआ है?

महोदया, अब मैं मणिपुर की ताजा राजनीतिक स्थिति की चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको तथा सदन को विदित है कि मणिपुर में कानून व व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वहां इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है। देश के उस हिस्से में इस समय अशांति क्यों है? इसका कारण युवाओं में व्याप्त हताशा है। वहां बेरोजगारी के कारण युवाओं में निराशा फैली है और वे हिंसा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इसी कारण, वे लोग इस समय भूमिगत हो गए हैं। कुछ गुमराह लोग उन्हें रोजगार प्रदान कर देते हैं। इस समय वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से थोड़े समय के लिए शान्ति है लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शान्ति; ऐसा गुप्त संगठनों द्वारा इस समय सुरक्षा बलों से मुठभेड़ से बचने के उद्देश्य के दृष्टिगत किया गया है। लेकिन अब ये संगठन नौजवानों को पैसा देकर नियुक्त करने लगे हैं। उन्होंने राज्य में रोजगार प्रदान करने वालों तथा अन्य धनी लोगों से फिरौती के तौर पर पैसे वसूल कर धन इकट्ठा किया है।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में मैं राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाने की वकालत करता हूं अथवा विधान सभा तो निश्चित रूप से ही भंग कर दी जानी चाहिए। मैं राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की तो सिफारिश नहीं करता क्योंकि इससे लोगों में रोष पैदा होता है। मैं लोकप्रिय सरकार बनाने का प्रस्ताव करता हूं। यदि ऐसा करना संभव नहीं हो, तो विधान सभा को अवश्य ही भंग कर दिया जाना चाहिए। सरकार को देशहित में इस तरह का स्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए।

जहां तक लघु उद्योग का संबंध है, जैसा कि कुमारी ममता बनर्जी ने कहा, लघु उद्योग पर से बिक्री कर को माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे छोटे राज्य में बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते। हमें लघु उद्योग पर निर्भर रहना है और लघु उद्योग में लगे लोगों को उनके उत्पाद पर बिक्री कर लगाकर परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य के विकास हेतु दी गई धनराशि पर निगरानी रखे। अन्यथा जैसा कि कुमारी ममता बनर्जी ने बताया भारी धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है तथा इसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की उचित देखभाल न किए जाने के संबंध में हमारे विरोध और प्रतिवाद के प्रत्युत्तर में केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर परिषद का कुछ वर्ष पूर्व गठन किया गया था। उस समय, कुछ आशा थी कि परिषद वहां के लिए कुछ कार्यक्रम तैयार करेगी। हमारे पास कई परियोजनाएं हैं लेकिन कोई धनराशि नहीं है। योजनाएं कागज पर रहती हैं और उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है क्योंकि पूर्वोत्तर परिषद के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है। बिना पर्याप्त धनराशि दिए, पूर्वोत्तर परिषद निष्प्रभावी

[श्री याइमा सिंह युमनाम]

सिद्ध होगी। बिना धनराशि के हम योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कर सकते हैं। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे पूर्वोत्तर परिषद को और ज्यादा धनराशि दें ताकि उस क्षेत्र के छोटे राज्य देशहित में योजनाएं शुरू कर सकें।

अंत में, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि सिक्किम को अवश्य ही पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया जाये। जैसा कि श्रीमती भंडारी ने पूर्वोत्तर परिषद के दायरे में सिक्किम को लाने के लिए अपील की है, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। विलय समझौता का पालन पूरी तरह किया जाना चाहिए।

अन्यथा युवा वर्ग काफी ज्यादा हतोत्साहित है तथा इससे भविष्य में और ज्यादा परेशानी पैदा होगी। मणिपुर का भारतीय संघ में विलय समझौता का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए।

इस गरिमापूर्ण सभा ने सहृदयापूर्वक मणिपुरी भाषा को मान्यता प्रदान कर इसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया है। लेकिन आज भी मैं मणिपुरी में बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि सचिवालय कोई भाषांतरकार नियुक्त नहीं कर सकता है। अतएव, मैं माननीय अध्यक्ष से एक मणिपुरी का भाषांतरकार नियुक्त करने का आग्रह करूंगा ताकि मैं यहां मणिपुरी में बोल सकूं।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदया, हमारे विद्वान वित्त मंत्री द्वारा लाए गए बजट प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

हम पंजाबी अच्छे किसान, अच्छे जवान और अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अब श्री मनमोहन सिंह और उनके सचिव श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने निस्संदेह यह साबित कर दिया है कि पंजाबी भी देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर ला सकते हैं तथा कृषि के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं।

'पंजाबी' केवल भारत में ही नहीं बसे हुए हैं बल्कि कई विकसित देशों में भी है। हम सभी को उन पर गर्व है क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो वे श्री मनमोहन सिंह के प्रति खुशी और गौरव का अनुभव करते हैं और मैं यहां पर उपस्थित सदस्यों के समक्ष उनकी भावना और विचार संप्रेषित करना चाहूंगा।

इस बजट में कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लाये गए हैं। इसने कर नियमों को सरलीकृत किया है तथा कर नियमों के पालन पर जोर डालकर कर-ढांचे का आधुनिकीकरण किया है तथा करों की चोरी की संभावना को भी समाप्त कर दिया है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन को प्रतियोगी बनाया गया है। मैं सोचता हूं कि यह शायद पहला अवसर है जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का प्रयास किया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में किंचित वित्तीय परिवर्तन ही लाए गए हैं। जब भी हम बजट पारित करते हैं, आयकर कानून तथा अन्य वित्तीय कानूनों से संबंधित अधिसूचनाओं का नया पुलिंदा और परिवर्तनों के नए पुलिंदे आ जाते हैं। लेकिन इस बार श्री मनमोहन सिंह ने बिना लोगों

को परेशान किए कम-से-कम वित्तीय परिवर्तन किए हैं। इसने न केवल हमारे देश में बसे लोगों को ही बल्कि विदेश स्थित भारतीयों को भी मदद मिली है। मैं केवल विदेश स्थित भारतीयों का ही उल्लेख करूंगा क्योंकि वे ज्यादातर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं। बजट में कई प्रस्ताव हैं। फिर भी, मैं कुछ प्रस्तावों के बारे में बात करना चाहूंगा ताकि बजट प्रस्ताव को लागू करते समय वित्त मंत्री इन सुझावों को ध्यान में रख सकें जो मेरे विचार से सहायक होंगे।

हम अनिवासी भारतीयों से काफी ज्यादा निवेश की आशा रखते हैं। मैं कह सकता हूं कि वे निवेश करने के इच्छुक हैं लेकिन अगर हम उनसे यहां आकर उद्योग लगाने की आशा रखें तो वे यह जानकर काफी प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर हम उन्हें भारत में निवेश करने के लिए कहें तो मैं सोचता हूं कि विदेश में स्थित सभी भारतीय इस देश में कुछ निवेश करना चाहेंगे बशर्ते कि हम उनके निवेश के बदले में लाभांश की उचित धनराशि या इसी तरह की कोई और चीज दें।

मेरे विचार से सरकार को ऐसी योजनाएं तैयार करनी चाहिए जिनमें वह अनिवासी भारतीयों को न केवल वहां आने का तथा फैक्ट्रियां लगाने का निमंत्रण ही दें, बल्कि उन्हें स्थापित की जा रही ऐसी फैक्ट्रियों में निवेश करने को भी कहें। मैं आशा करता हूं कि वे काफी खुशी से आएंगे तथा इस देश की ऐसी फैक्ट्रियों तथा अन्य उद्यमों में निवेश करेंगे।

अनिवासी भारतीयों से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण बात दोहरी नागरिकता की है। यह मुद्दा काफी समय से अधर में लटका है। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने विदेश में बसे सभी पाकिस्तानियों को दोहरी नागरिकता दे दी है। अब, यह उन सभी भारतीयों की उचित मांग है जो चाहे इंग्लैंड में बसे हैं या अमरीका में या वे विश्व के किसी अन्य भाग में बसे हैं। इससे उन्हें अक्सर यहां आने में मदद मिलेगी तथा इससे उन्हें यहां निवेश करने में प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि तब वे समझेंगे कि यह देश उनका अपना देश है। यद्यपि अभी भी वे देशप्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं, लेकिन एक बार वे किसी दूसरे देश का पासपोर्ट लेकर जाते हैं तथा उस देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो वे यहां आने से तथा निवेश करने से संकोच करते हैं। अतएव, मेरा मानना है कि इस सरकार को दोहरी नागरिकता प्रदान करने संबंधी कानून बनाना चाहिए–विशेषरूप से इस विषय विशेष को देखने वाले गृह मंत्रालय को अवश्य कुछ करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि यदि वे इस पर सहृदयतापूर्वक विचार करें, तो ये मामले आसान हो जायेंगे। अनिवासी भारतीयों के पास पर्याप्त पैसा है और वे खुशीपूर्वक यहां आएंगे और निवेश करेंगे। हमारी अधिकांश समस्याएं हमारी मदद करने के लिए तत्पर अनिवासी भारतीयों द्वारा हल कर दी जायेगी।

तत्पश्चात् अनिवासी भारतीयों से संबंधित अनेकानेक मुद्दों पर मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। जमीन तथा अन्य सम्पत्तियों की खरीद के संबंध में यहां कई बातों का पालन करना पड़ता है। अब वे रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे यहां सम्पत्ति नहीं बेच सकते हैं, वे यहां सम्पत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अतएव, इन अड़चनों को भी दूर किया जाना चाहिए क्योंकि हमने अन्य सभी कोटा और लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया है। यहां उद्योग स्थापित करने की प्रणाली को सरलीकृत कर दिया गया है।

[श्री उमराव सिंह]

अतः इस बात को भी आसान बनाया जाना चाहिए ताकि बहुत से लोग यहां आकर निवेश कर सकें। वे धन भेजते हैं और उनका धन घरों के निर्माण और अन्य उत्पादक उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, अंकों बीजा के बारे में शिकायते हैं। यहां विदेश मंत्री बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंग कि बीजा प्राप्त करने और पासपोर्टों के नवीकरण कराने में अनेक समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि मंत्रालय इस दिशा में काफी कुछ कर रहा है। परन्तु यदि कुछ और प्रयास किए जाते हैं तो इससे उन्हें प्रेरित करने में मदद मिलेगी।

पंजाब के अलावा, उन सभी स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है जहां से लोग विदेश जाते हैं। पंजाबी लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। अब, वे दिल्ली उतरते हैं और तब पंजाब जाते हैं। उनको अनेकों असुविधाओं और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार और नागर विमानन मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि वे इस संबंध में कुछ करें। हालांकि उन्होंने अमृतसर से चार्टर्ड उड़ान आरम्भ की है। परन्तु यह काफी नहीं है। पंजाब, विशेषरूप से जालन्धर, लुधियाना में अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन होना चाहिए। वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जानी चाहिए जिससे उनके स्वदेश आगमन में और देश के विकास में सहभागी बनने में मदद मिलेगी।

अब, मैं कृषि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। विदेश मंत्री द्वारा जिन ऋण सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, वे काफी उत्साहवर्धक हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन अभी भी ऋण सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मैं दो सुझाव देना चाहूंगा। प्रथम, किसान की उपज को उसी प्रकार से धरोवर रूप में रखा जाना चाहिए जैसा कि उद्योगपतियों और अन्य लोगों द्वारा वस्तुएं धरोवर रूप में रखी जाती हैं और उसे गोदाम में धरोवर के रूप में रखी गई उपज के आधार पर बैंक से धन लेने की आजादी होनी चाहिए–चाहे गोदाम उसके फार्म में स्थित हो या अन्यत्र। अतः किसान की उपज को भी धरोवर के रूप में रखी जाने का प्रावधान होना चाहिए। किसान को बैंक से उदार वित्तीय धन दिया जाना चाहिए और जब किसान अच्छी कीमत मिलने के समय अपनी उपज को बेचता है तो बैंक दिये गए ऋण को वापस वसूल कर सकता है। ऋण के संबंध में अन्य प्रस्ताव यह है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि किसानों को पासबुक मिलनी चाहिए।

अब हमें अपनी जमा धनराशि के बारे में बैंक की पासबुक मिल गईं हैं। अब, किसान के पास भूमि है जो भूमि रिकार्ड में दर्ज होती है और यह रिकार्ड राजस्व कार्यालय तहसील और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। यदि किसानों को पासबुक दी जाती है और इन पासबुकों के आधार पर बैंक किसानों की देय ऋण सीमा तय करते हैं, किसान किसी भी बैंकर विशेष के पास ऋण हेतु जाने के लिए आजाद होंगे और जब जरूरत समाप्त हो जाएगी तो वह राशि को बैंक को लौटा सकता है। यदि उसे आगे भी धन की आवश्यकता पड़ती है तो वह इसे बैंक से वापस ले सकता है। उसकी भूमि पासबुक के आधार पर गिरवी रखी जानी चाहिए। वह बैंक की अनुमति से ही अपनी भूमि को बेच सकता है। मैं समझता हूं कि यह पासबुक मिल जाने के बाद उसे किसी अन्य एजेंसी या भूमि विकास

बैंक या सहकारी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्हें किसानों की सहायता करने के लिए सहायता मिलती है। परन्तु वास्तव में तो वे किसानों की सहायता करने की प्रक्रिया में बाधक हैं। मेरा सुझाव है कि किसानों को पासबुक के आधार पर ऋण का अधिकार मिलना चाहिए।

अब मैं खाद्यानों की मुक्त आवाजाही के मुद्दे पर आता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यहां उल्लेख किया है कि खाद्यानों और अन्य कृषि वस्तुओं पर देश के अन्दर आवाजाही पर प्रतिबन्ध बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कौन लेगा–क्या व्यक्तव्य से ही प्रतिबन्ध समाप्त हो जाएगा या सरकार को अभी भी अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। यह स्वागत योग्य कदम है। किसानों ने इसकी तारीफ की है। विगत में, किसान इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे और वे खाद्यान क्षेत्रों का अतिलंघन करके अपने खाद्यानों को एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जा रहे थे। यदि यह स्वीकार कर लिया गया है, तो सरकार को इसकी स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए।

निर्यात के बारे में मुझे खुशी है कि सरकार ने कृषि उपज को प्रोत्साहित किया है। निर्यात कौन करेगा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह निर्यात वर्तमान एक्सपोर्ट हाउस द्वारा होगा या संबंधित किसानों द्वारा। मेरा सुझाव है कि सरकार को किसानों का परिसंघ या ऐसी कोई एजेंसी बनानी चाहिए जिससे किसानों का हित विहित हो। यदि किसान अपनी उपज को बाजार में बेचता है और उसे व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है और वे इसका निर्यात करते हैं तो लाभ व्यापारियों को मिलेगा न कि किसानों को। अतः किसनों का एक परिसंघ होना चाहिए और उन्हें निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को निर्यात करने की अनुमति देने के बाद ही कृषि निर्यात का लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा, उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

अब मैं विमान माल भाड़े के विषय पर आता हूं। हमारे पास काफी मात्रा में ताजी सब्जियां हैं, जिनका हम मध्यपूर्व के देशों को निर्यात कर सकते हैं। लेकिन विमान भाड़ा इतना अधिक है कि निर्यात करना बहुत कठिन है। पाकिस्तान और अन्य देशों ने विमान भाड़े को घटाकर इस संबंध में अपने किसानों की सहायता की है। मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए जिससे हम मध्यपूर्व और सुदूर पूर्व को अपनी सब्जियों का निर्यात करके काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। इन स्थानों पर भारतीय सब्जियों की भारी जरूरत है। यदि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाधाओं को दूर कर सके, तो हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों से सीधा रास्ता मिल सकता है जो अधिक मददगार साबित होगा।

कृषि भूमि को इस प्रकार की छूट देना और पुनः भूमि को लाना जो विशेष क्षेत्र के अन्तर्गत है, अधिनियम की भावना के विरुद्ध है। मेरी समझ से यह विरोधाभास है। यदि आप कृषि भूमि को छूट देना चाहते हैं तो इसे स्पष्ट रूप से छूट देनी चाहिए क्योंकि इस प्रावधान का नीचे के स्तर के अधिकारियों द्वारा अनुचित प्रयोग किया जा रहा है और किसानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। सरकार को कृषि भूमि पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।

अब, मैं सम्पदा कर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। सम्पदा कर अधिनियम को

[श्री उमराव सिंह]

संशोधित किया गया है। इसमें कृषि भूमि को सम्पदा कर से छूट है। यह 1981 में किया गया था जब 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी घोषणा की थी और कानून पारित किया गया था। अब जिस कृषि भूमि को इस अधिनियम के अन्तर्गत छूट दी गई थी इसके लिए एक और अधिनियम 1991 में पारित किया था जिसमें मूल्यांकन हेतु शहरी भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। अब शहरी भूमि का अर्थ है कि जो नगरपालिका समिति या अधिसूचित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।

मैं कहना चाहूंगा कि लघु उद्योग क्षेत्र में एक आशंका है कि इस 10 प्रतिशत कर के कारण उन पर इंसपेक्टर राज कायम हो जाएगा। यदि इन इंसपेक्टरों के अलावा कोई और प्रक्रिया हो सकती है तो उद्योगपति प्रसन्नतापूर्वक करेंगे। हमें आत्म अनुशासन रखना चाहिए। हम इन्हें उनके कुल उत्पादन के आधार पर सकल शुल्क या इसी तरह के शुल्क का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं। यह निर्णय होना चाहिए ताकि लघु उद्योगों को परेशानी न हो। उन्हें शुल्क देने में कोई हिचक नहीं है लेकिन उन्हें बड़ी संख्या में इंसपेक्टरों का डर है जो उनकी फैक्ट्रियों में इसके भुगतान के लिए आ धमकेंगे। महोदया, जहां तक घड़ियों का संबंध है, आपके माता-पिता ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां अनेक घड़ी फैक्ट्रियां हैं। मैं कहना चाहूंगा कि घड़ियों और अन्य मशीनरी और अन्य पुर्जों के आयात पर काफी अधिक क्रेडिट दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि घड़ियों के लिए पुर्जों जिन्हें घटे हुए कर पर अनुमति है, को आयात करने के नाम पर विभाग ने पूर्व आवागमन की अनुमति दे दी है। अब पूर्व आवागमन पूरी घड़ी का आयात करने के समान है। यदि आप क्वार्ट्ज घड़ी के आयात के पूर्व आवागमन की अनुमति देते हैं तो कोई भी देश में घड़ी नहीं बनाएगा। अतएव मेरा कहना है कि पूर्ण आवागमन को रोका जाना चाहिए और उस पर ड्यूटी कम नहीं की जानी चाहिए ताकि स्थानीय निर्माताओं और उद्योगों को विदेशियों के कारण हानि नहीं उठानी पड़े जो अपनी घड़ियों को यहां तस्करी से भेज सकते हैं और कम मूल्य पर बेच सकते हैं क्योंकि उनके पास निर्माण के बेहतर साधन हैं।

और मैं अन्तिम बात तस्करी के बारे में कहना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री का बहुत सम्मान करता हूं :

अगर कुछ बात करता हूं, मजा उलफ़त का जाता है
अगर खामोश रहता हूं तो कलेजा मुंह को आता है।

तस्करी को रोकने के मामले में देश में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया है, उसे उदार बनाया है लेकिन जहां तक तस्करी का मामला है, कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

महोदया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि एक बार मैं सिंगापुर से आ रहा था और जब मैंने अपनी सीट बुक कराई तो मुझे बताया गया कि विमान की सभी सीटें भरी हुई थी। परन्तु जब मैं हवाई अड्डा आया, तो देखा कि यह खाली है। जब मैं मद्रास आया तो मुझे बताया गया कि सीमा

शुल्क के अफसरों के विशेष दल के दौरे के कारण सभी यात्री अटके हुए हैं। जब कोई विशेष दल जाता है, तो सिंगापुर और हांगकांग के लोगों को पता चलता है कि सीमा शुल्क का एक विशेष दल अमुक हवाई अड्डे पर आ रहा है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही, तो हम इस तस्करी को नहीं रोक पाएंगे। हवाई अड्डे पर समुचित जांच-पड़ताल की व्यवस्था होनी चाहिए, उस स्थान, जहां से तस्करी हो रही है, परं समुचित जांच पड़ताल की व्यवस्था होनी चाहिए। नगरों में ऐसे जगह और बाजार हैं जहां खुलेआम तस्करी के सामान बेचे जाते हैं। यदि आप हमारे उद्योगों को सहायता देना चाहते हैं, यदि आप हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं, तो तस्करी को कड़े उपायों द्वारा रोका जाना चाहिए क्योंकि तस्कर का कोई खाता नहीं होता है, वे कोई कर नहीं देते हैं, वे कोई शुल्क नहीं देते हैं और वे देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। अतएव, मैं जोर देकर कहता हूं कि तस्करों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदया, बजट प्रस्तुत करते समय किसी वित्त मंत्री की दक्षता इसमें निहित होती है कि वह उस वर्ष के अनुमानित घाटे का यथार्थपरक प्राक्कलन करे।

4.00 म०प०

जब यह बजट फरवरी में प्रस्तुत किया गया था, तो डा० मनमोहन सिंह ने मोटे तौर पर लगभग 6000 करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे का प्राक्कलन किया था। यह अप्रिय ही है, परन्तु यह उनका अनुमान था। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में जो सर्वाधिक दुखद बात घटित हो रही है वह यह है कि गत बारह सप्ताहों से लगातार थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो रही है और स्वाभाविक रूप से इसके साथ ही मुद्रास्फीति की दर में भी वृद्धि हो रही है। मंत्री जी बेशक यह कहें कि मुद्रास्फीति घट रही है, तथ्य इसके विपरीत है।

4.01 म०प०

[श्री तारासिंह पीठासीन हुए]

जैसा कि आप जानते हैं कि गत कुछ सप्ताहों से यह आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है कि मुद्रास्फीति की दर दो अंकों से ऊपर पहुंच गई है। मैं सोचता हूं कि ऐसा पिछली बार 1992 में हुआ था। अब दो यह अंकों को पार कर गयी है और मैं नहीं कह सकता कि यह कहां जाकर रुकेगी। मुद्रास्फीति की दर पहले से ही 10.21% से ज्यादा हो गई है। वित्त मंत्री ने हाल ही में ऐसा वक्तव्य जारी किया है जिसमें लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इस मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाया जायेगा। उनका मतलब शायद अगले वित्त वर्ष से है। मैं नहीं जानता कि यह वित्त वर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि हमारे उदाहरणार्थ हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रां का पर्याप्त भंडार है। निस्संदेह 16 बिलियन डालर का भारी विदेशी मुद्रा भंडार इस समय हमारे पास है। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि विदेशी मुद्रा भंडार का कितना हिस्सा ऋणों पर ऊंची ब्याज दर के रूप में देय है तथा दूसरे अनिवासी भारतीयों द्वारा जमाराशि के रूप में हमारे पास जमा है। विदेशी मुद्रा भंडार का यह शेष भाग निर्यात से आय के रूप में प्राप्त किया जाता

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हो या नहीं, परनतु इसका बड़ा हिस्सा ऋण और अनिवासी भारतीयों द्वारा जमाराशि के इन दो खातों के अन्तर्गत आता है। मुझे मालूम नहीं है कि यह किस तरह मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करने जा रहा है। मुद्रास्फीति हुई है, हो रही है और हमने बजट में बहस के दौरान ही चेतावनी दे दी थी कि सरकारी ऊंचे मूल्य के साथ-साथ लोगों के ऊपर डाले गए नए भार, जैसे कि अधिक रेल भाड़ा तथा इसी तरह और पेट्रोलियम पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं के बढ़े मूल्य जो बाजार में जाने वाली अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित करते हैं, ये सभी मिलकर मुद्रास्फीति को बढ़ाएंगे। मेरे विचार से हमने जो कहा है पिछले बारह सप्ताहों में वह सच साबित हो रहा है।

मैं देखता हूं कि मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के मूल्य में सामान्य सूचकांक की तुलना में तेजी से वृद्धि हो रही है। यह हम बहुसंख्य लोगों के लिए चिंता का विषय है। हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर मूल्य इतने ज्यादा अप्रबंधनीय हो गए हैं कि सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि यह कपास, चीनी और खाद्य तेल को खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली में रखने जा रही है। चीनी का मूल्य इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सरकार के पास केवल यही विकल्प बच गया है कि वह देश में चीनी के मूल्य को घटाने के लिए इसे खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत लाएं तथा लगभग 10000 टन चीनी का पुनःआयात करने की अनुमति दे। यही स्थिति खाद्य तेल के संबंध में भी है। चीनी और खाद्य तेल मूल्य का एक छोटा सा अंश सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

इसका अधिकांश भाग अनियंत्रित रहता है। यह निजी व्यापारियों के हाथ में है; यह इस खुले बाजार के हाथ में है जिसके बारे में हम इतनी कुछ बात करते हैं। पंजाब से आए एक मित्र अभी-अभी बता रहे थे कि कर नियमों का पालन पहले से कहीं अच्छी स्थित में पहुंच गया है; करों की चोरी पहले से काफी कम हो गई है और इसलिए सरकार को मुबारकबाद दिया जाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि जैसा वे कहते हैं वैसा ही हो। लेकिन, मैं नहीं जानता कि जो वह कहते हैं उस पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए या एक मुख्य सलाहकार–सरकार के वित्तीय सलाहकारों द्वारा, सुधार समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं, उनके नाम का यहां बार-बार उल्लेख किया जाता है–डा० राजा चिलैय्या द्वारा सार्वजनिक रूप से जो कहा गया है, उस पर ज्यादा भरोसा किया जाये। जिन्होंने कई क्षेत्रों में रिपोर्टें तैयार की हैं जो सरकार को काफी पसंद भी आयी हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या कहा? भारतीय उद्योगों के महासंघ की वार्षिक बैठक के महाधिवेशन को संबोधित करते हुए, डा० राजा चिलैय्या ने सरकार के काम करने के तरीके पर कड़ी आपित्त की। उन्होंने कहा :

> "जब सरकार कर-ढांचे में सुधार लाने पर गंभीरता से विचार कर रही थी तब कर लागू करने संबंधी नियमों के सम्पूर्ण पालन हेतु कर प्रशासन में सुधार का ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य छोड़ दिया गया था; और इसके परिणामस्वरूप देश में करों की चोरी व्यापक स्तर पर होने लगी।"

यह डा० चिलैय्या का कहना है, मेरा नहीं। वे यह भी कहते हैं :

"अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जरूरतें जैसे कृषि क्षेत्र तथा किसानों के ऊपर कर लगाना को पूरा करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि यह मामला वोट से जुड़ा हुआ है।"

यह हम सभी समझते हैं केवल यही नहीं।

"लाभकारी मूल्यों को बिना किसी विचार या औचित्य के राजनीतिक कारणों से भी बढ़ाया जा रहा था।"

कुछ भी हो, मैं उस या इस तथ्य से इस समय ज्यादा चिंतित नहीं हूं कि डा० मनमोहन सिंह द्वारा परिकलित किया गया घाटा पूरी तरह निराधार सिद्ध हो जाये, यदि यह प्रवृत्ति जारी रही जो बजट प्रस्तुत होने के समय से हम देख रहे हैं : कि 6000 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा तब तक 10000 करोड़ रुपये तक चला जाये क्योंकि बढ़ रही इस मुद्रास्फीति दर को कोई रोकने वाला नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि उनका इस बारे में क्या करने का विचार है और यह उस बड़े बजट घाटे के कारण हुआ है, जो लगातार बढ़ रहा है, मुद्रा का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था के ऊपर यह मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है।

अतएव, माननीय अध्यक्ष, सबसे मुख्य बात जो मैं पहले इस समूचे बजट आंकलन के बारे में कहना चाहता हूं, वह यह है कि इस बजट के पीछे जो उद्देश्य हैं उसमें पूरी तरह से उलट-फेर होने की संभावना है, जब तक कि इस भयंकर मुद्रास्फीति के दबाव को रोका न जाये और इसे उल्टी दिशा में न ले जाया जाए जो मैं नहीं सोचता कि सरकार अपनी वर्तमान आर्थिक नीतियों की वजह से करने में सक्षम हैं। अतएव, मैं नहीं जानता कि हमारा क्या भविष्य है।

महोदय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक मिलकर **"दि वर्ल्ड इकानामिक आउटलुक"** नाम पत्रिका निकालते हैं। यह सर्वेक्षण है जो अंतर्राष्टीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के वार्षिक वसंत कालीन बैठक के उपलक्ष में जारी किया जाता है। इसके गत अंक में कहा गया है :

"1994-95 के वित्तीय वर्ष के बजट में महत्वपूर्ण कर तथा प्रशुल्क सुधारों को शामिल करते हुए . . . वस्तुतः इसके इस भाग को उन्होंने अनुमोदित किया है।"

" . . . में वित्तीय घाटे में साधारण-सी कमी करने की बात कही गयी है।"

अब हम पाते हैं कि व्यवहार में इसके विपरीत है; कोई कमी की ही नहीं गयी है।

"वास्तव में ऊंची ब्याज दरों के साथ-साथ निरंतर विशाल बजट घाटे ने हाल ही में पूंजी की आमद करने के प्रयासों में वृद्धि की है जिससे मुद्रा संबंधी प्रबंधन जटिल हो गया है।"

निस्संदेह इसे अत्यन्त विनीत भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि इससे मौद्रिक प्रबंध की वे योजनाएं बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो जायेंगी जिनके बारे में वित्त मंत्री महोदय हमें विश्वास दिलाना चाहते थे।

महोदय, अब मैं एक या दो मुद्दों का उल्लेख और करूंगा। मैं लम्बा भाषण करने नहीं जा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर, मैं यह जानना चाहूंगा कि जब हम उदारीकरण की बात करते हैं तो क्या

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इसका आशय प्रतिस्पर्द्धा का विस्तार है अथवा उसमें कमी। हमने हमेशा यही समझा है कि उदारीकरण का अर्थ यह होगा कि बाजार के कार्यकरण में, और अधिक प्रतिस्पर्द्धा की गुंजाइश होगी। यह है उदारीकरण का अर्थ। पहले हमने कहा कि चूंकि सरकारी क्षेत्र को, विशेषरूप से इस देश में, इतना अधिक संरक्षण दिया गया, इसलिये वह एक संरक्षित बाजार के भीतर कार्य कर रहा था, आदि। इसलिय, वह प्रतिस्पर्द्धा के क्षेत्र में नहीं उतरा था और इस कारण वह अक्षम हो गया। सरकार का यह कहना है और इस कारण उसकी उत्पादकता गिर गयी है, आदि, आदि। अतः स्पष्ट है, कि सच्चाई इसके विपरीत है। यदि अर्थव्यवस्था में उदारीकरण किया जा रहा है तो इसक अर्थ कम प्रतिस्पर्द्धा नहीं बल्कि अधिक प्रतिस्पर्द्धा होना चाहिये।

चाहे घरेलू एकाधिकार हो अथवा विदेशी एकाधिकार, एकाधिकार की अवधारणा प्रतिस्पर्द्धा के विपरीत है। यदि आप प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको मुक्त प्रतिस्पर्द्धा की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए एकाधिकारों की स्थापना करनी है। अब क्या हो रहा है? सरकार की आर्थिक नीति क्या है? क्या इससे मुक्त प्रतिस्पर्द्धा की कीमत पर एकाधिकार मजबूत हो रहे हैं अथवा नहीं? यहां तक कि भारत में टाटा की हिंदुस्तान लीवर तथा टॉमको जैसी बड़ी कंपनियों को विलय की अनुमति दे दी गयी है। साबुनों, डिटर्जेंटों आदि, जिनका निर्माण हिंदुस्तान लीवर तथा टॉमको दोनों करते हैं, के बाजार में, यदि इन दो विशाल कंपनियों का परस्पर विलय ही होना है तो इनके बाजार में प्रतिस्पर्द्धा अधिक होगी अथवा कम? वे बाजार पर कब्जा कर लेंगे। वे बाजार के 90 प्रतिशत अथवा इससे अधिक भाग को हथिया लेंगे। अन्य प्रतियोगियों को मौका ही नहीं मिलेगा इसकी अनुमति दी जा रही है। यह प्रवृति विद्यमान है। अन्य अनेक ऐसे उदाहरण हैं। अतः मेरी समझ में यह उदारीकरण बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है शायद वित्त मंत्री हमें यह स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि ऐसा कैसे होता है।

एक अन्य गम्भीर मामला है। कंपनियों के प्रमोटर बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों को, जो यहां की अनेक कंपनियों में अपने शेयर बढ़ाना चाहती हैं, शेयरों का आवंटन बाजार मूल्यों पर नहीं बल्कि प्राथमिकता देने वाले मूल्यों, रियायती मूल्यों, कम दामों पर कर रहे हैं। सरकार ने इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं। अब **"द बिजनेस स्टैंडर्ड"** में एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि अब बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि सरकार अब चिन्तित हो उठी है। और वे इस स्थिति को सुधारने के लिये दो विकल्पों पर विचार कर रहे हैं : या तो भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा बी-1 (i) (ए) में कोई संशोधन प्रस्तुत करना अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को उन शेयरों के हस्तांतरण को अवैध करार देने के अधिकार प्रदान करना जो कंपनी के प्रमोटरों द्वारा नगण्य मूल्यों पर किये गये हैं। प्रमोटरों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन शेयरों को नगण्य मूल्यों पर हस्तगत कर रही हैं। मुझे बताया गया है कि केवल एक ही मुद्दे पर विवाद है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक को अपने अधिकारों का प्रयोग पूर्वप्रभावी तिथि से करने के लिये कहा जाना चाहिये अथवा नहीं। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार के कपटपूर्ण सौदों के कारण कुल मिला कर कितनी धनराशि बहुराष्ट्रीय निगमों के लाभ

खाते में गयी है। परन्तु हमें बताया जाना चाहिये : क्या यह एकाधिकार को मजबूत बनाने का प्रश्न है अथवा उसे कमजोर बनाने का प्रश्न है ?

यह विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों तथा उनकी एकाधिकार वाली स्थितियों में सीधी अभिवृद्धि है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन कुछेक कंपनियों द्वारा विशाल धनराशि हस्तगत किये जाने के अतिरिक्त इसका अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से और क्या संबंध है? अतः, जब हम बजट पर चर्चा करते हैं तो हमें उसके पीछे के आर्थिक दर्शन पर भी विचार-विमर्श करना है। यह प्रश्न केवल आंकड़ों का अथवा यह हिसाब लगाने का नहीं है कि घाटा कितना होगा। मेरे मत में, दिये गये आंकड़ों के अनुसार, घाटा बनावटी है। इस तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण सब कुछ बढ़ेगा, पूरी तरह से सही, होने जा रहा है। मैं दिये गये इन आश्वासनों पर विश्वास नहीं करता कि इस मुद्रास्फीति को रोका अथवा विपरीत दिशा में मोड़ा जायेगा। जब तक इस नीति का पालन किया जाता रहेगा तब तक इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने लघु उद्योगों के विरुद्ध युद्ध क्यों छेड़ दिया है? इस देश की अर्थव्यवस्था के लिय लघु उद्योगों ने क्या क्षति पहुंचाई है? मेरे यह मित्र पंजाब के हैं जो ऐसा राज्य है जहां लघु उद्योग क्षेत्र प्रधान विशेषताओं में से एक है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में इतना योगदान किया है। अब वे देश के निर्यात में 30 प्रतिशत योगदान कर रहे हैं। यदि सारे लघु उद्योगों को एक-साथ मिला कर देंखे तो आपको पता चल सकेगा कि देश के कुल निर्यात में उनका योगदान लगभग 30 प्रतिशत है। परन्तु इस बजट में, बड़ी संख्या में घरेलू लघु उद्योगों को उन पर लगाये गये उत्पाद शुल्क में भारी वृद्धि के कारण नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित प्लास्टिक्स, लौह व अयस्क उत्पादों, ऊनी वस्त्रों, मानव-निर्मित फिलामेंट (तन्तुओं) और धागों तथा औषधों पर उत्पाद शुल्कों में इतनी भारी वृद्धि की गयी है कि इनमें से अनेक एकक बन्द होने के कगार पर हैं। कुछ सप्ताह पहले मैं पंजाब में था और मैंने पाया कि ये लघु उद्योग मालिक बिल्कुल निराश हैं। वे कहते हैं कि वे इन्हें नहीं चला सकते और इन्हें बन्द करना पड़ेगा तथा हजारों मजदूरों के रोजगार छिन जायेंगे। इसके पीछे कौन-सा विचार और कौन-सा दर्शन है? आप लघु उद्योगों का अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं और दूसरी ओर केवल इन्हीं एकाधिकारवादियों को मजबूत करना चाहते हैं क्या उदारीकरण और प्रतिस्पर्द्धा का यही अर्थ है? मैं इस संबंध में जानना चाहूंगा। ये सब जो हम देख रहे हैं वे बहुत बड़ी व्यथित कर देने वाली बाते हैं। दायरे को बढ़ाना तथा उसके घेरे में और अधिक करदाताओं को लाने की बात थी। मेरे जैसे अबोध व्यक्ति ने नहीं बल्कि स्वयं राजा चेलैय्या ने इस बात की ओर संकेत किया है कि कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक समृद्ध वर्ग को भी, इतने वर्षों के बाद, देश के राजस्व में कुछ योगदान देना चाहिये। वर्तमान समय में उन्हें उर्वरकों, डीजल, पानी तथा बिजली की दरों पर पूरी राजसहायता मिलती है परन्तु उन्हें एक पाई का भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। इससे किसी को ईर्ष्या नहीं है। उन्होंने देश का मस्तक ऊंचा किया है। विशेषरूप से पंजाब तथा हरियाणा ने देश का पोषण किया है। इससे किसी को ईर्ष्या नहीं है। परन्तु आखिरकार यह सब प्रेम के कारण नहीं बल्कि पैसे के

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

लिये किया जाता है और यदि आप कहते हैं कि धन केवल मुट्ठी भर समृद्ध किसानों के पास ही इकट्ठा हो गया है तो मैं यह बात स्वीकार करने को तैयार हूं। उन्हें देश के राजस्व में कुछ न कुछ योगदान क्यों नहीं करना चाहिये? खैर, श्री मनमोहन सिंह के अनुसार कर के दायरे को बढ़ाने का अर्थ है कि शेयर बाजार में शेयर दलालों को जो कमीशन मिलता है उसके कुछ भाग पर पहली बार कर लगाया जायेगा शेयर दलालों के कमीशनों पर कर लगाया जायेगा। अब मैं जानना चाहूंगा कि इन कमीशनों की पहचान और परिकलन किस प्रकार किया जायेगा और उन पर कर किस प्रकार लगाया जायेगा। क्या शेयर दलालों को मिल रहे कमीशनों का पता लगाया जा सकता है? उनका हिसाब किस प्रकार लगाया जायेगा? इसका हिसाब लगाना असंभव है और यह कर निरर्थक होगा। इसके बाद, सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा धारित शेयर धारकों की प्रतिशतता में भारी कमी करने का प्रस्ताव है। जैसा आप सब जानते हैं, वे सरकारी क्षेत्र में हैं और खराब ग्राहक सेवा अथवा खराब कार्य-निष्पादन के लिये कुछ वित्तीय संस्थाओं, बैंको आदि की आलोचना किया जाना न्याय संगत है परन्तु सामान्य बीमा क्षेत्र के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता जिसका कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा रहा है और जिसने बहुत अच्छी सेवा प्रदान की है। तथ्य और आंकड़े दिखाये जा सकते हैं। परन्तु अब कर दायरे को विस्तृत करने के नाम पर कठोर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। सामान्य बीमा कंपनियों से यह कहा जा रहा है कि उन्हें शेयर रखने की प्रतिशतता की अधिकतम सीमा निर्धारित कर उसे लागू करना चाहिये। वे धन अर्जित करने के लिये अनेक कंपनियों तथा अन्य स्थानों में पूंजी निवेश करती हैं। अब, उनसे कहा जा रहा है कि उन्हें शेयर रखने की प्रतिशतता की अधिकतम सीमा निर्धारित कर उसे लागू करना चाहिये जिसका अर्थ है इन सामान्य बीमा कंपनियों का अपना कोई दोष न होते हुए भी उनकी वित्तीय स्थिति खराब होने का अंदेशा है।

इन कंपनियों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। वे घाटे में नहीं चल रही हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में नहीं चल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम अवश्य घाटे में चल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रम अच्छा लाभ कमा रहे हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों की क्रयादेश पुस्तकों में अत्यधिक कमी को दर्शाया है। आर्थिक नीति में परिवर्तन के बाद से जिसके अंतर्गत आयात शुल्कों में कटौती की गई है और बड़ी विदेशी कंपनियों को यहां आने तथा हमारे बाजार को टटोलने की अनुमति दी गयी है, मशीन उपकरणों, विद्युत उत्पादन संबंधी उपकरण और कई अन्य क्षेत्रों में उनके पास क्रयादेश नहीं है। आगामी तीन-चार वर्षों में उनकी क्रयादेश पुस्तकें खाली रह जाएंगी। कई के पास कार्यकारी पूंजी नहीं है। सरकार ने घोषणा की है कि वह उन्हें कोई कार्यकारी पूंजी देने नहीं जा रही है अर्थात् उनके लिए किसी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं किया जाएगा।

इसलिए हमारे पास देश में सीमित तकनीकी आधार है और यह सरकारी क्षेत्र पर ही अत्यधिक निर्भर है। बिना उपयुक्त जांच-पड़ताल के इस प्रकार सरकारी क्षेत्रों को धनराशि न देकर तकनीकी आधार को कमजोर नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में हमें यह महंगा पड़ेगा। यह अत्यधिक महंगा पड़ेगा यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं।

अंत में, मैं यह कहता हूं कि सरकार के पास एक ऐसी नीति है जिसकी यह हर वर्ष व्याख्या करती है–कम-से-कम वर्तमान वित्त मंत्री और पूर्व वित्त मंत्रियों ने यह बार-बार दोहराया है– जितना कम आप जनता पर कर भार डालेंगे उतना ही अधिक जनता कर नियमों का पालन करेगी और जितना अधिक कर लगाएंगे उतनी ही अधिक कर चोरी का प्रयास होगा। अतः बेहतर यह होगा कि कम-से-कम कर लगाया जाये। लेकिन यह किस पर लागू है। यह निगमित क्षेत्र पर लागू है। यह अमीरों पर लागू है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद– यह वामपंथी, दल की इकाई नहीं है, यह एक सरकारी संस्था है–ने एक सर्वेक्षण प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि हमारे देश की सबसे धनी पांच प्रतिशत जनता के पास 30 प्रतिशत सम्पत्ति है। अतः यह दलील दी गई है कि इस धनी वर्ग, जिसमें निगमित क्षेत्र भी शामिल है, उस पर कम कर नहीं लगाया जाना चाहिए बल्कि अधिक कर लगाया जाना चाहिए। लेकिन यह धन आता कहां से है? सरकार को आवश्यक संसाधन कहां से प्राप्त होते हैं क्योंकि पूरी कराधान नीति ही असंतुलित है। इस प्रकार, यह न तो संसाधन प्राप्त कर सकेगा और न यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जो भी धनराशि आवंटित की जाती है उसे वास्तव में उत्पादक प्रयोजनों के लिए; उत्पादक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर ही खर्च किया जाएगा। यह नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने यह कहीं शिकायत की है कि वह औद्योगिक उत्पादन की अत्यधिक धीमी गति के बारे में भी वे चिंतित है। यह पता लगाया जाना चाहिए कि इसकी गति धीमी क्यों है। जिन लोगों को इतने सारे ऋण और प्रोत्साहन दिए जाते हैं वे देश के हित में उत्पादक परिसम्पत्तियों के विकास पर उस राशि का अधिकांश भाग क्यों नहीं खर्च करते हैं और वे इसे सट्टेबाजी संबंधी प्रयोजनों पर क्यों खर्च करते हैं? ऐसा क्यों किया गया। हम नहीं जानते कि इन बड़ी धांधलियों द्वारा जिस राशि को हमने खोया है, क्या उसके किसी भाग को पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

इस बैंक घोटाले के संबंध में यह वादा किया गया था कि चार महीनों के अंदर अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : 30 दिसम्बर से तीन महीने का समय दिया गया था। वह समय तो पहले ही पूरा हो चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे माननीय सदस्य भी यहां बैठे हैं जो संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वित्त मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि वित्त मंत्री ने 30 दिसम्बर से तीन महीने में कार्यवाही रिपोर्ट देने का वादा किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संयुक्त संसदीय समिति के उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मंत्री महोदय से यह आश्वासन प्राप्त किया था कि अब अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

सभापति महोदय : श्री गुप्ता अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे अपनी बात समाप्त करनी होगी। मैं क्या कर सकता हूं। पूरा देश ही समाप्त हो रहा है। यदि मैं समाप्त हो जाता हूं तो इसका कोई महत्व नहीं है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

अतः महोदय, अंतिम बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है। बैंक घोटाले में हजारों करोड़ रुपये की धनराशि अंतर्ग्रस्त है, जिसका दुरुपयोग किया गया है या चुराया गया है या किसी अन्य प्रयोजनों में लगा दिया गया है। हम कार्यवाही रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक और मामले में बहुत बड़ी राशि खो गई–जो बैंक घोटाले की तुलना में बहुत कम थी, वह तो नगण्य है–बोफोर्स सौदे में। मेरा यह कहना है कि इस कम्पनी के एक भद्र व्यक्ति पर बोफोर्स कम्पनी से धन प्राप्त करने की शंका व्यक्त की गई अथवा उन पर आरोप लगाया गया उक्त राशि बोफोर्स कम्पनी ने उसे यहां किसी व्यक्ति का विशेष ध्यान रखते हुए उसे देने के लिए दिया था–हम नहीं जानते कि वह व्यक्ति कौन था–ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोफोर्स तोप का क्रयादेश उन्हें ही मिले। यह गुप्त बात थी। अब यह बात सभी समाचार-पत्रों में आ गयी है। वह हिन्दुजा कम्पनी का प्रमुख है। उसने सरकार को चुनौती दी थी। श्री एस० पी० हिन्दुजा ने यह कहते हुए सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार स्विस बैंकों से उक्त राशि को प्राप्त करने के बारे में गंभीर नहीं है। क्या आपने बोफोर्स सौदे से जुड़े उस दस्तावेज को मांगा होता तो स्विस बैंक उन कागजातों को देने में अधिकाधिक विलम्ब नहीं करती। आपने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि सरकारी एजेंसियों ने कुछ कागजात को इतने साधारण, अस्पष्ट और प्रच्छन्न रूप से मांगा था जिससे वहां के लोगों को विलम्ब करने का मौका मिला। इससे उन्हें समय जाया करने और यह कहने का बहाना मिल गया कि वे अधिक ब्यौरा और तथ्य प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वे जानते हैं कि इसे किस तरह किया जाना है। मेरा यह कहना है कि सरकारी एजेंसियां जो इन मामलेां को देख रही हैं वे अपने कर्तव्य पालन में विफल रही हैं और सरकार इसके लिए उनकी खिंचाई नहीं कर रही है यद्यपि सरकार यह कहे जा रही है कि वह इस पर विशेष ध्यान दे रही है और एक दो दिन में उसे कागजात मिल जाएंगे। श्री हिन्दुजा के अनुसार, जो इस मामले में शायद सरकार से ज्यादा जानकारी रखते हैं, यदि यही रवैय्या रहा तो सरकार को वे कागजात कभी भी नहीं मिल पाएंगे। सरकार को उस दस्तावेज विशेष की मांग करनी चाहिए। उन्हें कागजातों का ढेर नहीं मांगना चाहिए। उन्हें बोफोर्स से, संबंधित दस्तावेज विशेष की मांग करनी चाहिए जो उन खातों के संबंध में है जो वहां के बैंकों में हैं। क्योंकि इन पर संख्या अंकित है। उनके पास कूट (कोड) नाम हैं। यदि सरकार उसकी मांग करती है तो वह उसे मिलेंगे। उन्होंने खुले तौर पर प्रेस के बड़े साक्षात्कार के दौरान कहा है, जिसमें उन्होंने वास्तव में सरकार पर इस मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है।

अतः मैं चाहूंगा कि इस मामले में भी माननीय वित्त मंत्री हमें बताएं कि मामला किस स्थिति में है।

मैं इस प्रकार के बजट का समर्थन नहीं कर सकता। यह देश के लिए पूरी तरह विनाशकारी बजट है और उसके परिणाम कुछ सप्ताहों या महीनों में सामने आएंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति महोदय, मेरे सामने वित्त मंत्री के दो भाषण

हैं। दोनों बजट पर हैं। एक भाषण यहां पर दिया गया था और दूसरा पुस्तक के रूप में सदस्यों में बांटा गया है। लेकिन दोनों में अन्तर है।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए जो चंद शेर या अशआर कहे थे वे छपे हुए भाषण में नहीं हैं। लोगों के पास छपा हुआ भाषण है, लोक सभा का उनका भाषण एक दस्तावेज का काम देगा लेकिन उसके लिए खोज करनी पड़ेगी, अनुसंधान करना पड़ेगा। आने वाली संततियों को यह पता लगना चाहिए कि भारत में ऐसा वित्त मंत्री था जो केवल अर्थ की बात नहीं करता था बल्कि रस की बात भी करना था। वित्त मंत्री ने कहा–"लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई ..." कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लम्हों ने खता की थी वे यही लम्हे हैं और आने वाली सदियों को सजा मिलेगी?

महोदय, वित्त मंत्री जमीन की पस्तियों से आसमान को पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आसमान की ओर देखते हुए हमारे पांव जमीन से उखड़ने नहीं चाहिये। आज इस बात की आशंका पैदा हो रही है। वित्त मंत्री हवा के रुख को भी बदलना चाहते हैं। उनकी जवांमर्दी की दाद देनी चाहिए। सचमुच में हवा के रुख को बदलने की जरूरत है। लेकिन महोदय, क्या यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि हवा का रुख बदलने के बाद, बदली हुई हवा किश्तों को किनारे पर ले जाएगी या किसी भंवर की ओर ले जाएगी। वित्त मंत्री जी ने एक और शेर कहा है– "यूनान, मिस्त्र, रोम सब मिट गये जमां से ..."। अच्छा होता अगर सरकार गैट को रद्द कर देती और उसके बाद उस शेर को पढ़ती जिसमें कहा गया है–"बहुत से देश मिट गए, मगर हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे।" कभी-कभी ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री के शेर बहुत मौजूं नहीं थे लेकिन उन्होंने शेर कहा यह अच्छी बात है। यह बात अलग है कि हमारे सोमनाथ चटर्जी साहब को शेर कहना पसंद नहीं आया। ... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अनुवाद को पढ़ कर इसे समझने से पूर्व उन्होंने दूसरा मुद्दा शुरू कर दिया। मैंने कहा बहुत हो चुका। उसके साथ-साथ चलना असंभव है और वह बजट पर चर्चा कर ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं था। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने शेर काफी फैला कर कहे थे और अगर अनुवाद में हमारे कामरेड समझना चाहते तो समझ सकते थे। ... **(व्यवधान)** ... भाई, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस शेर-व-शायरी का बजट से क्या सम्बंध है। लेकिन जैसा अभी दूसरे कामरेड ने कहा कि बजट में भी एक दर्शन है, बजट आर्थिक दर्शन का प्रतिबिम्ब है। यह बात अलग है कि उस दर्शन से और सत्ता पक्ष के दर्शन से हमारा आज मतभेद है लेकिन जिस तरह का भारत हम बनाना चाहते हैं ... **(व्यवधान)** ... उसकी एक झलक बजट में मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : काव्य हृदय से निकला संगीत है जिसे बजट में अच्छी तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब मैं बजट पर आना चाहता हूं क्योंकि मेरा समय कम है। सभापति महोदय, मुझे शिकायत है कि यह जो बजट पर चर्चा हुई है यह दो टुकड़ों में हुई है। खंडों मे हुई चर्चा न तो बजट के साथ न्याय करती है और न सदन की भावनाओं को उनकी समग्रता में प्रकट करती है। दूसरे सदन में चर्चा की गई और वित्त मंत्री ने जवाब दे दिया लेकिन यहां चर्चा लम्बी की जा रही है। अगर चर्चा पहले हो जाती तो शायद हम लोगों के सुझावों के प्रकाश में वित्त मंत्री अपने कुछ कर प्रस्ताव में संशोधन करते। यह मामला भी लटक गया। बजट की ऐसी छिछालेदर नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जब अगले वर्ष का बजट पेश होगा तो उस पर चर्चा करते समय सदन में यह बात ध्यान में रखी जाएगी।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते समय जिस आशावाद का परिचय दिया था, वह आशावाद यथार्थ से मेल नहीं खाता है। इनफ्लेशन के मामले में यह सिद्ध हो गया है, जैसा कि कामरेड इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि बजट के बाद चेतावनियां दी गई थीं कि बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, कीमतें चढ़ेंगी, सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब इनफ्लेशन डबल डिजिट पार कर गया है। वित्त मंत्री पहले इनफ्लेशन के बारे में क्या कह चुके हैं, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता, 1991-92 का उनका भाषण है।... **(व्यवधान)** ...

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसको छोड़िए, उसको तो इन्होंने मान लिया है कि वो सब गड़बड़ हो गया है।... **(व्यवधान)** ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब निकट भविष्य में मुद्रास्फीति पर रोक लगेगी, इसके आसार नहीं हैं, क्योंकि आपका जो अनुमान है और पिछले बजट के समय आपने जो अनुमान लगाए थे, उनमें से फारेन एक्सचेंज रिजर्व को छोड़ कर बाकी के सारे अनुमान गलत साबित हुए हैं। फिस्कल डेफीसिट बढ़ा है, रेवेन्यू डेफेसिट बढ़ गया, कर्जे के बदले में जो आप ब्याज देते हैं, उसकी राशि बढ़ गई। यद्यपि वित्त मंत्री जी ने उस समय के भाषण में इसकी आलोचना की थी और कहा था कि इससे भी मुद्रास्फीति पर असर पड़ता है।

विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है, अच्छी बात है और वित्त मंत्री जी अगर इसके लिए बधाई लेना चाहते हैं तो उसे देने में हम कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन जैसा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार का विवरण क्या है, किन-किन स्रोतों से विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है? पिछले साल के मुकाबले विदेशी कर्ज बढ़ा है और घरेलू कर्ज दुगना हो गया है। अगर वित्त मंत्री जी इसका खंडन करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। जो आंकड़े हमारे पास हैं, उनके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार किन-किन स्रोतों से बढ़ा है, इस संबंध में ट्रांस्प्रेंसी होनी चाहिए। आजकल इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि खुलापन होना चाहिए, ट्रांस्प्रेंसी होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं कि बजट के निर्माण में भी ट्रांसप्रेंसी होनी चाहिए। आप टैक्सों वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, कहां कस्टम ड्यूटी बढ़ानी है, कहां एक्साइज ड्यूटी घटानी है, इसको छोड़ कर इस संसद में और पूरे देश में बजट पर, बजट के एलोकेशन पर खुली चर्चा होनी चाहिए और वह चर्चा लगातार चलनी चाहिए। दुनिया के

और देशों में ऐसा होता है, जापान में ऐसा होता है, तो हम यहां क्यों नहीं कर सकते? आखिर गरीबी उन्मूलन के लिए जो पैसा दिया जाने वाला है, इस पर कितना एलोकेशन है, कितना एलोकेशन होना चाहिए, क्या बजट पेश करने से पहले इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसकी चर्चा नहीं हो सकती?

सभापति महोदय, मैं विदेशी मुद्रा की बात कर रहा था। वित्त मंत्री सदन को विश्वास में लें कि विदेशी मुद्रा भंडार का हिसाब क्या है। इसमें से सचमुच में इन्वेस्टमेंट कितना है। मेरे पास कुछ जानकारी है, उसके अनुसार कुल विदेशी निवेश 1993-94 में 3 बिलियन डालर को स्पर्श कर रहा है, लेकिन इसमें से कुल 425 मिलियन डालर डायरेक्ट इनवेस्टमेंट के रूप में है। 1992-93 में डायरेक्ट इनवेस्टमेंट राशि 343.5 मिलियन डालर थी, उस दृष्टि से विदेशी निवेश में कोई खास वृद्धि का दावा नहीं किया जा सकता। बाकी विदेशी पूंजी पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट के रूप में आई है। यह राशि 1.36 बिलियन डालर है, जिसमें से 1.1 बिलियन डालर अक्तूबर-नवंबर-दिसंबर, इन तीन महीनों में आई है। यह ज्यादातर फाइनांस केपीटंल के रूप में आई है, प्रोडक्टिव केपिटल के रूप में नहीं। अगर ये आंकड़े सही हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है और इसलिए अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं की ओर हम ध्यान न दें, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा।

वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें वे कुछ बातें मानकर चल रहे हैं। पहली बात यह मानकर चल रहे हैं कि पिछले छह वर्षों की तरह इस वर्ष भी मानसून ठीक रहेगा। हमारी खेती मानसून पर निर्भर है, यह सच है। लेकिन, यह कटु सच है कि बजट बनाते समय इसका विचार रखा जाए, यह बहुत आवश्यक है। अभी भी देश के कई भागों में अकाल है, अभाव है। मैं, राजस्थान गया था। वहां साठ हजार मजदूर राहत कार्यों में लगे हुए हैं और मांग हो रही है कि उन मजदूरों की संख्या बढ़कर एक लाख होनी चाहिए। कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है। वित्त मंत्री को इस देश का सौभाग्य मानना चाहिए क्योंकि वित्त मंत्री को छह मानसून लगतार ऐसे मिले हैं जिनसे फसल अच्छी हुई है। वे, यह मानकर चल रहे हैं कि आगे भी मानसून अच्छा रहेगा। ये यह मानकर भी चल रहे हैं कि उन्होंने घरेलू और विदेशी उद्योगों को जो टैक्स संबंधी सुविधाएं दी हैं उससे औद्योगिक विकास छह से आठ परसेंट के बीच में रहेगा। यह भी मानकर चल रहे हैं कि देश की कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहेगी और सामाजिक तनाव पैदा नहीं होंगे। वे, यह भी मानकर चल रहे हैं कि तेल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं बढ़ेगा और आज की दर पर कायम रहेगा। यह भी मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने मध्यम वर्ग को जो छूट दी है, उससे मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से उद्योग बढ़ेंगे और जो औद्योगिक मंदी आई है, वह दूर हो जाएगी और उद्योगों में जो क्षमता काम में नहीं लाई जा रही है वह काम में लाई जाएगी। वित्त मंत्री यह भी मानते हैं कि विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ेगा।

सभापति जी, यह बड़ा देश है। इसमें समस्याएं जटिल हैं। इस देश में सामाजिक तनाव पैदा न हो ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। लेकिन वित्त मंत्री, अगर सामाजिक तनाव पैदा होते हैं तो उनका हवाला देकर यह कहते हैं कि डेफिसिट इसलिए बढ़ गया कि अयोध्या का कांड हो गया, बम विस्फोट हो गए, तो यह उचित नहीं होगा ऐसी बातें असर डालती हैं। लेकिन इतने बड़े देश में कहीं-न-कहीं,

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

कुछ-न-कुछ ऐसी घटना हो सकती हैं जिसका अनुमान लगाकर अपनी अर्थ नीति और कर प्रस्ताव निर्धारित किए जाने चाहिए। पता नहीं पड़ौसी के साथ संबंध कौन-सा मोड़ लें? पता नहीं उत्तरांचल में किस समय कैसी गंभीर स्थिति पैदा हो जाए? अगर सारे बजट का ढांचा इस आधार पर है कि सब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तो फिर देश तेजी से आर्थिक विकास करेगा तो वह ठीक नहीं होगा। समस्या इतनी सरल नहीं है और परिस्थिति इतनी आसान नहीं है, इसलिए आवश्यक है कि कोई भी वित्त मंत्री हो वह इन सब बातों को ध्यान में रखे।

मैं, वित्त मंत्री से कहूंगा कि ये सामाजिक तनाव पैदा क्यों होने दिए जाते हैं? उन्हें पहले से हल करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? क्या इसमें वित्त मंत्री का कोई भाग नहीं है? वित्त मंत्री का संबंध क्या खाली वित्त मंत्रालय से है? गृह मंत्रालय स्वतंत्र है, वह चाहे जो करे। क्या हर मंत्रालय स्वतंत्र है? अयोध्या के मामले को हल करने में देर हुई। अब इसका हवाला वित्त मंत्री दे रहे हैं। वह धर्म का मामला है, संस्कृति का मामला है और राष्ट्रीयता का मामला है, लेकिन आप पर असर करता है और करेगा इसलिए सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस संबंध में मंत्रिमंडल में कभी चर्चा होती है या नहीं होती है?

सभापति जी, जो बजट पेश किया उसमें हम वित्त मंत्री से आशा करते थे कि इस तरह के कर प्रस्ताव लाएंगे जिनके परिणामस्वरूप मूल्य स्थिर रहेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विषमता घटेगी और देश स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन कर प्रस्ताव इसका संकेत नहीं देते हैं। उद्योगों में एक मंदी आई हुई है। अनेक उद्योग बी० आई० एफ० आर० के सामने लाइन लगाकर सहायता के लिए खड़े हैं। ऋण लेना चाहते हैं। सरकार अगर ऋण ले रही है तो निजी उद्योग ऋण लेने में क्यों पीछे रहें। इसके साथ घटते हुए रोजगार के अवसर, सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर अगर कारखाने बन्द कर दिये गये, लोग सड़कों पर निकल आयेंगे और उसके साथ आप अगर महंगाई नहीं रोक सके तो सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। उस स्थिति के लिए तो वित्त मंत्री स्वयं जिम्मेदार होंगे।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक जगह कहा है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में बेरोजगारों की जो संख्या थी, वह घट गई है, थोड़ी-सी, एक प्रतिशत घटी है। हम लोग जानते हैं कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में एक बार नाम लिखा दें तो एक समय के भीतर अगर रोजगार न मिले तो उसको रिन्यू कराना पड़ता है, वह हमेशा नहीं रहता है। आप कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर एम्पलायमेंट एक्सचेंज में उपलब्ध हैं। बेरोजगारों की लाइन में कमी आई है। रोजगार के अवसर कितने बढ़े, इसका विवरण दीजिये? स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन उसकी हामी नहीं भरता। क्या आपके पास ये आंकड़े नहीं हैं कि इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, इतने नये लोगों को रोजगार मिला? वह सच्ची कसौटी होग्री। रजिस्टर पर घटती हुई संख्या पर न जाइये। कुछ आंकड़े मैंने इकट्ठे किये हैं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो मिलियन मेनडेज थे, वे कम हुए हैं। गरीबी उन्मूलन की और परियोजनाओं में जो आप धन देते थे, उसमें भी कमी आई है। आई० आर० डी० पी० के अंतर्गत कितने

परिवारों की मदद की जानी चाहिए थी, वह आंकड़े मेरे पास हैं। 1989-90 में 3.35 मिलियन परिवारों को मदद दी गई। 1990-91 में यह आंकड़ा घट गया, केवल 2.90 मिलियन परिवारों को मदद दी गई। 1991-92 में 2.54 मिलियन और 1992-93 में 2.06 मिलियन परिवारों को मदद दी गई। यही जवाहर रोजगार योजना का है। हम वित्त मंत्री से जानना चाहेंगे कि रोजगार के आंकड़े कहां बढ़ रहे हैं? जिस तरह से पूंजी का निवेश हो रहा है, उससे बड़े उद्योग फलेंगे-फूलेंगे। विदेशियों की रुचि भी बड़े उद्योगों में है। सचमुच में उनकी योजनायें छोटे उद्योगों के लिए घातक हो रही है। संगठित क्षेत्र इस देश में रोजगार के अधिक अवसर नहीं दे सकता। हम नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं। आटोमेशन का जमाना है। औद्योगिकीकरण बढ़ जायेगा, रोजगार के अवसर घट जायेंगे, ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। इस परिस्थिति में वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों पर एक्साइज लगाने का काम किया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक कहा है, मैंने भी कल गोरखपुर में इन्हीं शब्दों का उपयोग किया था कि वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, ऐलान-ए-जंग।

लम्हों ने खता की थी, सदियों से सजा पाई।

छोटे उद्योग अधिक रोजगार देते हैं, विदेशी व्यापार में उनका हाथ है, सत्ता को केन्द्रित नहीं होने देते, पूंजी को भी केन्द्रित नहीं होने देते। ठीक है, उनमें ऐसे छोटे उद्योग होंगे जो सुविधाओं का अनुचित लाभ उठाते हैं। क्या बड़े उद्योगों में ऐसा नहीं है? धागे से लेकर छतरी तक वित्त मंत्रीजी ने ऐसा जाल फैलाया है कि बड़े-बड़े मगरमच्छ तो निकल गये, लेकिन छोटी-छोटी मछलियां फंस गई हैं। कारखाने बंद हैं। मैं स्वयं कई बार प्रतिनिधिमंडलों को लेकर वित्त मंत्री जी से मिला हूं और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री महोदय ने अपना यह मन बना लिया है। गैट के समर्थक समझते हैं कि छोटे उद्योग कूड़ा-कबाड़खाना है। ग्लोबलाइजेशन से यह कोई मेल नहीं खाता है। छोटे-छोटे उद्योग, गरीब लोग कहीं टप्पर में, कहीं टीन की छत में बैठे हुये हैं और कुछ बना रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय अपने बजट भाषण में कुछ ऐलान करेंगे और छोटे उद्योगों को कुछ राहत देंगे। छोटे उद्योगों के बारे में गंभीरता से अध्ययन हुए हैं। पी०ए०सी० ने भी विश्लेषण किया था कि छोटे-छोटे उद्योगों के नाम पर कुछ लोगों द्वारा इन सुविधाओं का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। तर्क यह है कि छोटे उद्योग अगर धन कमा रहे हैं और सरकारी हिस्से का खजाना देने के लिये तैयार नहीं हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। किन्तु छोटे उद्योगों का यह कहना है कि छोटे-छोटे उद्योग सरकार के खजाने में हिस्सा देने में कोताही नहीं बरतते हैं और उसके लिये वे तैयार हैं मगर उन्हें इंस्पेक्टर राज से बचाने की जरूरत है।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बहुत-सी बातें नहीं कही और रात ही में नोटिफिकेशन निकाल दिए गए। सवेरे कारखाने के बाहर इंस्पेक्टर मौजूद थे। कारखाने पर ताला बंद है और वह कुर्सी लगाकर बाहर बैठे हुए हैं। लोगों की नजर पार्लियामेंट पर है और पार्लियामेंट की नजर वित्त मंत्री की तरफ है। क्या इंस्पेक्टर राज फिर से वापस लाना है? केवल 100 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान लगाया गया है। छोटे उद्योगों से बात करके टैक्स वसूली का ऐसा तरीका निकाला जा सकता है कि सरकार की आमदनी भी हो जाये और हिसाब-किताब रखने के झंझट से और इंस्पेक्टरों

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

के भ्रष्टाचार से भी बच जाये। इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है अन्यथा छोटे उद्योगों के साथ इस तरह का बर्ताव करके हम आशा करें कि कोई तनाव पैदा नहीं होगा, अगर हम आशा करें कि सम्पत्ति का वितरण होगा, अगर हम आशा करें कि समृद्धि में सब को हिस्सा मिलेगा तो वह हमारी आशा पूरी नहीं होगी।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने देश के सुरक्षा बजट में नाममात्र की वृद्धि की है। ऐसा नहीं होना चाहिय था। सुरक्षा का वातावरण बिगड़ रहा है। पड़ौसी अधिक से अधिक मारक शस्त्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने को सन्नद्ध रखना है। हमारी लम्बी समुद्री सीमायें हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने प्रक्षेपास्त्रों और अन्तरिक्ष के मामले में जो प्रगति की है, उस पर सब को गर्व और अभिमान है और हम उनका अभिनन्दन करना चाहते हैं। लेकिन किसी के दबाव में आकर इस प्रगति को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिये। सुरक्षा प्राथमिक आवश्यकता है।

वर्ष 1993-94 का बजट ऐस्टिमेट 19 हजार 800 करोड़ रुपये का था लेकिन रेवेन्यू एक्सपैंडिचर 21 हजार करोड़ हुआ है। 1994-95 का रिवाइज्ड बजट 23 हजार करोड़ रुपये का है। यह बढ़ोत्तरी मात्र एक परसेंट है जो अपर्याप्त है। अगर इनफलेशन जोड़ दिया जाये तो यह कोई बढ़ोत्तरी नहीं है। हम जहां खड़े थे, वहीं खड़े हुए हैं और सरकार यह जानती है। वित्त मंत्री को पता होगा कि हम सुरक्षा बलों के लिये जो भी बजट मंजूर करते हैं, उसका 65% इस्टेबलिशमेंट पर खर्च होता है। अन्वेषण, अनुसंधान, नये शस्त्रों का निर्माण या नये शस्त्रों की खरीद, आधुनिकीकरण इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी सुरक्षा बलों का संचालन करने वाले समझते हैं। उसके लिये धन कहां से आयेगा? हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि आज अगर कोई मारक हथियार हम लेने का फैसला करें तो उसको खपाने में, उसकी ट्रेनिंग देने में कई साल लगते हैं, कई साल बाद उसकी उपयोगिता हो सकती है। इस दृष्टि में हमें फिर से विचार करना पड़ेगा। सुरक्षा के लिए धन देने में इस सदन को आपत्ति नहीं होगी परन्तु जहां धन बचाने, खर्च में कमी करने की गुंजाइश है, उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब वित्त मंत्री जी ने एक नया टैक्स-सर्विस टैक्स लगा दिया है। यह आगे बढ़ेगा, इसकी आशंका प्रकट की गयी है। इस सर्विस टैक्स की क्या आवश्यकता है? जिस सर्विस पर टैक्स लगाया गया है, उसका उपयोगिता से, क्षमता से और चुस्ती से कोई संबंध नहीं है। आपको सर्विस टैक्स चाहिये, इसलिये आपने 5 परसेंट लगा दिया। आज यदि छोटी-सी खिड़की खुली है तो कल बड़ा दरवाजा खुल जायेगा, इसका डर पैदा हो रहा है। यह सही कदम नहीं है। कस्टम ड्यूटी घटाना और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना, यह कोई प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने का तरीका नहीं हो सकता। अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त जी कह रहे थे कि प्रतिस्पर्धा का अर्थ यह नहीं हो सकता कि विदेशी कम्पनियां हमारी कम्पनियों को निगलना शुरू कर दें। होना तो यह चाहिये कि किसी दिन भारतीय कम्पनियां अतर्राष्ट्रीय कम्पनियां बनें और अपने माल की गुणवत्ता के आधार पर विदेशों में जायें लेकिन आपकी जो वर्तमान नीति है, उससे ऐसी आशा नहीं दिखायी देती है। अभी तो भारतीय कम्पनियों को निगलने का सिलसिला चल रहा है। इसको रोका जाना चाहिये।

विदेशी पूंजी सट्टा बाजार में लगे, यह उचित नहीं है। सट्टा बाजार में आज अराजकता मची हुई है। ऐसा लगता है कि सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसको नियमित करने की आवश्यकता है अन्यथा फिर से कोई बैंकिंग स्कैम जैसा बड़ा घोटाला खड़ा हो जायेगा और फिर जे० पी० सी० बनाने के बाद भी पता नहीं लगेगा कि 5 हजार करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि कहां गयी? उसके लिय दूसरी कमेटी बनाने का सुझाव दिया जायेगा।

सभापति महोदय, लोग रुपया कमायें, रुपया बचायें, मगर उत्पादन में लगायें, सट्टा बाजार में नहीं। मगर आज सट्टा बाजार में रुपया लगाकर तत्काल धन कमाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्या हम विदेशी पूंजी को भी इसके लिये प्रोत्साहित करेंगे?

सभापति जी, हमने आई० एम० एफ० से जो लोन लिया था, उसका एक हिस्सा वापस कर दिया गया, यह बहुत अच्छा किया। इससे विदेशों में हमारी साख बढ़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आई० एम० एफ० से जो कर्ज लेते हैं या वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज लेते हैं, उसमें थोड़ी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिये कि कितना कर्जा लेते हैं, किन शर्तों पर लेते हैं? और क्या कर्जे के बारे में एक आम राय नहीं बनायी जा सकती ... **(व्यवधान)** ... कर्जा लेकर क्या करते हैं, उसकी भी हमें जांच-पड़ताल करनी पड़ेगी लेकिन अभी कर्जा लेने की सारी प्रक्रिया अंधेरे में होती है, गुप्तता में होती है और उससे आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। वर्ल्ड बैंक के साथ, आई० एम० एफ० के साथ

5.00 म०प०

हमारा जो भी व्यापार है, जो भी व्यवहार है, वह जरा खुले में होना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर एक आम राय बनाने की जरूरत है।

रिजर्व बैंक को एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरी अथॉरिटी के रूप में विकसित करना बहुत जरूरी है। बैंक घोटाले में रिजर्व बैंक की कोई बहुत अच्छी भूमिका नहीं रही है। कभी लगता है रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय का हिस्सा है, कभी लगता है कि प्रधान मंत्री के सचिवालय का अंग है। अनेक देशों में रिजर्व बैंक इंडिपेंडेंट मॉनिटरी अथॉरिटी के रूप में काम करता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर बहुत अच्छे हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। व्यवस्था होती है और आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक सरकार को भी ठीक सलाह दे सके, ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक को काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सरकार जो कहे, वह रिजर्व बैंक मान ले।

वित्त मंत्री जी ने एक और कदम उठाया है कि रिजर्व बैंक से हम कितना उधार ले सकते हैं, इसकी सीमा तय होनी चाहिए, लेकिन वह सीमा अपने लिए लागू करने के लिए तैयार नहीं है। श्री मनमोहन सिंह जी के बाद, जो वित्त मंत्री आएगा, वह इस सीमा से बांधा जाएगा। अगर रिजर्व बैंक से उधार लेने की सीमा तय करने का प्रस्ताव अच्छा है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : इसी वर्ष से।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर वित्त मंत्री इसको अभी से लागू कर रहे हैं, तो बहुत

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अच्छी बात है, लेकिन उनके बजट अभिभाषण में से वह ध्वनि निकलती है कि यह अभी लागू नहीं होगा। इसको आगे से लागू किया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय, आज के अपने भाषण में इन्कम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाने के बारे में भी कहें। (व्यवधान) उसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। आप विलम्ब से पधारे हैं।

यह लिमिट 30 हजार से 35 हजार बढ़ा दी गई है। रीयल टर्म्स में यह 5 हजार रुपए नहीं है। 2 हजार रुपए है क्योंकि इन्फ्लेशन का असर ऊपर भी है। गत वर्ष जो 30 हजार रुपए की परचेजिंग पॉवर थी, वह आज 32,750 रुपए की है, तो आपने क्या राहत दी? आपने आंसू बन्द नहीं किए। आंसू पोंछने के लिए रुमाल दे दिया है। उससे आंसू निकलने बन्द नहीं होंगे। वित्त मंत्री कहते हैं कि हम यह एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर होगा। तो क्या राज्यों को कम्पनसेट करने का कोई और तरीका नहीं निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है और यदि वित्त मंत्री की इच्छा हो तो वे स्वयं निकाल सकते हैं। अरे, आप जमीन की पस्तियों से आसमान पैदा करने की बात कर रहे हैं और राज्यों को जो घाटा होने वाला है, उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं हैं?

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इंडिविजुअल, व्यक्ति के लिए 30 से 35 हजार रुपए की छूट है, लेकिन हिन्दू अनडिवाइडेड फेमिली के लिए अभी तक 18 हजार रुपए की छूट है। आखिर हिन्दू अनडिवाइडेड फेमिली के प्रति जहां तक टैक्स का मामला है, सरकार का रवैय्या क्या होना चाहिए।

5.03 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

क्या संयुक्त परिवार हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम का काम नहीं करता है? क्या समाज की इकाई व्यक्ति है या परिवार है? कभी ऐसा नहीं होगा कि सरकार सभी व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध कर सके। संयुक्त परिवार में आज भी देखभाल होती है। एक-दूसरे की चिन्ता की जाती है। टैक्सों के मामले में उनके साथ भेदभाव क्यों हो? अगर 4 भाई हैं और वे एक मकान में रहते हैं, तो उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और अगर वे चारों चार मकानों में रहें, तो टैक्स कम देना पड़ेगा। अगर वे एक मकान में रहते हैं, तो 3 मकान वे औरों के लिए छोड़ देते हैं। सचमुच में उन्हें इसके लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, यहां दण्डित किया जा रहा है। संयुक्त परिवार के प्रति अभी तक जो टैक्सों की नीति थी, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्री मेरे लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के साथ भी बड़ा अन्याय किया है, ऐसी मुझे सूचना दी गई है। स्टैन्डर्ड डिडक्शन में एक हजार रुपये की कमी कर दी गई है। यह सही है। अगर सही नहीं है तो अच्छा है। वे कह रहे हैं नहीं

है। मुझे कहा गया है और मुझे इस बारे में भी एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं प्रतिनिधिमंडल की बात सही मानूं या वित्त मंत्री की गर्दन जिस तरह से झुक रही है, उससे अपने नतीजे निकालूं।

लिमिटेड कम्पनियों का जहां तक सवाल है, छोटी-बड़ी का भेद नहीं होना चाहिए। 40 प्रतिशत का टैक्स है और सब पर है, छोटी पर है, बड़ी पर है। यदि कम्पनी अधिक उत्पादन करती है, उत्पादकता बढ़ाती है तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्लांट-मशीनरी लगाने पर इनवैस्टमैंट ऐलाउंस दिया जा सकता है।

सरकार ने उत्तर-पूर्व के दस पिछड़े राज्यों के लिए उद्योग लगाने पर सुविधाएं दी हैं। लेकिन यह सुविधा केवल 5 साल के लिए दी जा रही है। जो उद्योगों से संबंधित हैं, उनका कहना है कि 5 साल पर्याप्त नहीं हैं, 3-4 साल तो उद्योग को पांव जमाने में लग जाते हैं। यह सुविधा 5 साल की बजाए 10 साल होनी चाहिए और यह अन्य राज्यों के भी जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको प्राप्त होनी चाहिए। कम से कम इस बजट में उसका ऐलान नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। बजट पेश करते समय जो आशंकाएं प्रकट की गई थी, वे सही साबित हुई हैं। वित्त मंत्री का आशावाद लोगों में नई आशा जगाने में विफल रहा है। यह बात अलग है कि वित्त मंत्री जिन सम्मेलनों में, सैमिनारों में जाते हैं तो उन्हें चमकते हुए चेहरे दिखाई देते हैं और इससे अगर वित्त मंत्री को गलतफहमी हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है।

उनके देखे से चेहरे पे जो आ जाती है रौनक,
वे समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है।

जो इसको उर्दू में ठीक से नहीं समझे हैं, उनके लिए मैं हिन्दी में कर देता हूं।

उनके देखे से मुंह पर जो आ जाती है आभा,
वे समझते हैं रोगी की दशा उत्तम है।

अध्यक्ष महोदय, आज वित्त मंत्री के उत्तर की ओर लोगों का ध्यान लगा हुआ है। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री किस सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। मगर उनका बजट लोगों को सन्तुष्ट करने में विफल रहा है। बाद की घटनाओं ने लोगों की आशंकाओं को सिद्ध किया है। अभी समय है। जो भूलें हुई हैं, उनको सुधारा जा सकता है और देश में ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है जिसमें नए सामाजिक तनाव आर्थिक कारणों से पैदा न हों। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे दल के सदस्य पहले ही इस बजट पर काफी विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं। मैं आपकी अनुमति से एक या दो बातों पर जोर देना चाहता हूं।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

पहली बात यह है कि बजट संबंधी वाद-विवाद को दो भागों में विभक्त करने के चाहे जो कारण रहे हों, इससे बजट का महत्व और प्राथमिकता तो कुछ कम हुए ही हैं।

मुझे विश्वास है कि यह जानबूझकर नहीं किया गया है लेकिन मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हम अपनी समय सारणी को विनियमित कर सकेंगे ताकि बजट पर वाद-विवाद एक ही अवधि में किया जा सके। लेकिन एक अर्थ में इससे एक फायदा तो है कि बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् हमें लगभग दो माह का समय मिल गया है। जहां तक इस देश में मूल्य स्थिति, औद्योगिक स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति का संबंध है, कोई भी व्यक्ति इस बजट के सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा कर सकता है। लेकिन यहां तक कि दो माह के पश्चात् भी चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, हमें इस बजट का कोई ऐसा प्रभाव नजर नहीं आता जिससे आम आदमी को राहत मिली हो। माननीय वित्त मंत्री जी की कम मुद्रास्फीति की आशा के विपरीत काली अधिक मुद्रास्फीति है। यह दो अंकों में पहुंच गई है। कहीं भी तो नये रोजगार के अवसरों की आशा दिखाई नहीं देती। अधिकाधिक उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं। मुझे काफी समय से इस सभा का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है लेकिन मेरी याद में विशेषरूप से इस वर्ष बजट के पश्चात् लघु उद्योग क्षेत्र से, जोकि इस बजट से देश में उत्पन्न गंभीर स्थिति पर अपनी चिंता और रोष व्यक्त कर रहे हैं, इतने अधिक अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जितने पहले कभी प्राप्त नहीं हुए। हम उन्हें माननीय वित्त मंत्री द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु विनयपूर्वक अनुरोध के साथ उनके पास भेज देने से अधिक और कर भी क्या सकते हैं? लेकिन हम वित्त मंत्री से कितनी बार मिल सकते हैं? लगभग समूचा लघु उद्योग क्षेत्र ही इससे प्रभावित हुआ है। छाते से लेकर हवाई चप्पलों तक, ढ़लावे लौहे से लेकर स्पन पाइपों तक यहां तक कि आयुर्वेदिक दवाइयों और लघु उद्योग क्षेत्र की काफी मदों पर बजट का असर पड़ा है और ये उद्योग उत्पाद शुल्क के बोझ से दब रहे हैं। एक ही बार में, सारी रियायतें वापस ले ली गई। मुझे नहीं मालूम कि वित्त मंत्रालय में क्या कवायद की गई है। वित्त मंत्री से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह इसके असर का स्वयं आकलन कर सकते हैं। उन्हें अपने सलाहकारों के हिसाब से चलना होता है। लेकिन उन्हें इस जिम्मेदारी का वहन करना होगा। लघु उद्योग क्षेत्र से रियायतें वापिस लेने का क्या असर होगा? उन पर अधिकाधिक भार डालने और उत्पाद शुल्क की दरों में अन्तर होने से पहले उन्हें जो मूल्यगत फायदा होता था, उनसे बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की आशा की जा सकती है? यह बात मानी गई है। यह एक अच्छी बात है। यदि मैं गलत हूं, तो कृपया मुझे सही करें। लघु उद्योग क्षेत्र में आने वाले लोग वित्त मंत्री के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज सुबह ही, छाता निर्माताओं की ओर से मेरे पास टेलीफोन आया था। मैंने उनसे कहा कि हमें आशा रखनी चाहिए कि वित्त मंत्री अपना उत्तर देंगे। देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं यह बात एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें यदि कोई राहत नहीं दी गई, तो इसका जबरदस्त प्रभाव होगा। मिलें बंद होने के अतिरिक्त, लाखों लोगों की नौकरियां, रोजगार और जीविकाएं चली जायेंगी। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर मैं शुरू में ही जोर डालना चाहता हूं। दूसरा पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न

रुग्ण उद्योग को पुनः चालू अवस्था में लाने का है। हम यह कहते हैं कि यह बात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां तक आजादी से पांच दशकों के बाद भी हम देश में पर्याप्त स्तर पर अनुसंधान और विकास गतिविधि विकसित नहीं कर पाएं हैं जिससे हम बाहरी विश्व से अधिक कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। हम प्रौद्योगिकी में सुधार ला रहे हैं। हमें अपने तकनीशियनों, युवा स्नातकों और अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। हम सभी को उन पर गर्व है। हमारे देश में कौशल की कमी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस बात से भी इनकार नहीं, कर सकते कि उनको इस प्रकार की अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती जिससे वे प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में विकास कर सकें। इसलिए, हमें कतिपय मामलों में उच्च प्रौद्योगिकीय आदानों का आयात करना पड़ता है। हमें प्रौद्योगिकीय आदानों को आयात करना पड़ता है और कभी-कभी तो अद्यतन मशीनों का भी आयात करना पड़ता है। लेकिन क्या इसका अभिप्राय यह है कि स्वावलंबन संबंधी सिद्धांत, व्याख्या और धारणा का इस देश में कोई अर्थ नहीं है? आज वाणिज्य मंत्री ने भी देश की संसद में ही यह कहा है कि भारतीय उद्योग को समान प्रतिस्पर्द्धा क्षेत्र मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह वित्त मंत्री से सहमत नहीं है। लेकिन आज भी भारत के वित्त मंत्री यही कहते हैं। परन्तु आज भी भारत के वाणिज्य मंत्री को ऐसा कहना पड़ रहा है। आज तो स्वावलंबन का सिद्धान्त संभवतः एक घृणास्पद बात हो गई है क्योंकि यह बात वित्त मंत्री जी की वैश्वीकरण की धारणा में कोई स्थान नहीं रखती। लेकिन हमारे भारतीय उद्योग के साथ क्या हो रहा है? आयात की अनुमति देने की प्रवृत्ति के अतिरिक्त क्या कुछ ओर चीज़ भी है? आज हमारे युवा साथी श्री रमेश चेन्नित्तला नारियल के संबंध में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। मेरे देखने में यह आया है कि आस्ट्रेलिया प्रवास के पश्चात् नरिमन प्वाइंट की बात दब गई है; उन पर उनके लोगों का कुछ दबाव रहा होगा। वह अनेक बजट प्रस्तावों से सहमत नहीं है। मेरे विचार से आप मेरे से सहमत हैं, न कि उनसे। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : मैंने लघु उद्योग के बारे में बात की है। मैंने उन्हें उनके बारे में बताया है। मैं उस बारे में आपसे सहमत हूं। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मुझे आशा है कि कुछ राहत मिलेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मुझे नरिमन प्वाइंट की सहायता से बड़ी हिम्मत मिली है, हम आम आदमी के लिए कुछ राहत प्राप्त कर सकेंगे। अतः मैं अनुरोधपूर्वक इस सभा का जिस बात की ओर ध्यानाकृष्ट कर रहा हूं वह यह है कि स्वावलंबन का सिद्धान्त हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यह मात्र नारेबाजी की बात नहीं है। विदेशी शासन के काफी वर्षों के पश्चात् यही तो पंडित जवाहर लाल नेहरू चाहते थे। यह बात घृणा अथवा उपहास की नहीं है। अब हमें क्या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए अथवा नहीं? यही बात चर्चा में है। यदि हां, तो क्या हमारे स्वदेशी उद्योग मजबूत बन रहे हैं? कया हम वास्तव में विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में है? हमारे साथी इन्द्रजीत गुप्त ने इसके बारे में सही ही कहा है। आज आप देश में एक अलग तरह का एकाधिकार पैदा कर रहे हैं। आप इस देश में इस तरह की विदेशी एकाधिकार वाली कंपनियां ला रहे हैं जोकि उन बड़े उद्योग घरानों जिन्हें इस देश का अग्रणी और सशक्त समूह समझा जाता है, को भी अपनी चपेट

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

में ले रही है। इसी कारण.से गोदरेज अपनी कंपनियां बंद कर रहे हैं; टोक्को भी अपना कारोबार समेट रहा है; वह पारले पहले ही अलविदा कर गया जोकि पेप्सी के विरुद्ध जम कर लड़ा था।

श्री मुरली देवड़ा : पारले और गोदरेज ने काफी धन कमाया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्पष्टतः उन्हें यह लगा कि वे विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाएंगे। अतः हमें आपत्ति तो इसी बात पर है कि सरकार ने आत्म निर्भरता के सिद्धान्त को कितनी निर्लज्जता से दफना दिया है। प्रत्येक बजट का कोई लक्ष्य–उद्देश्य होता है विशेषरूप से हमारे देश–हमारे जैसे विकासशील देश के मामले में तो हमारे बजट का कोई लक्ष्य होना चाहिए। हम प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से काफी संपन्न लोग हैं। जहां तक मानव संसाधनों का संबंध है, हम अत्यन्त सम्पन्न हैं। यह एक गौरवशाली परंपराओं वाला देश है। हमारा देश बलिदान भी कर सकता है।.लेकिन इस देश के नौजवानों के कुछ सपने हैं, सपने होने ही चाहिए। उनके इस बारे में अपने ही सपने हैं, अपने ही विचार हैं, और अपने ही उद्देश्य हैं कि इस देश को समृद्ध और सम्पन्न होना चाहिए। हम बेशक बहुत अमीर लोग न बनना चाहें। लेकिन हम गर्व और आत्म विश्वास के साथ एक समय देश के रूप में उत्कृष्ट ढंग से रहना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं। क्या हम ऐसा करने की स्थिति में हैं? क्या यह बजट उस उद्देश्य को प्राप्त करता है अथवा प्राप्त करने का उपक्रम करता है? मैं माननीय वित्त मंत्री से इस बारे में हमें जानकारी देने का आग्रह करूंगा। उन्होंने चार बजट प्रस्तुत किए हैं। मुझे नहीं पता यदि यह अपात्र सरकार बनी रहती है, तो आपको कुछ बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

श्री मुरली देवरा : कम से कम दो बजट और।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अधिक से अधिक दो बजट के बारे में ही कह सकते हैं।

श्री मुरली देवरा : यह तो एक अच्छी गारण्टी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दल-बदल विरोधी कानून की आपकी जो व्याख्या है उससे तो आप अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि ही करते रहे हैं। वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण की शुरुआत में अपने नेता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मुझे पता नहीं उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। वह सदा मौनी बाबा बने रहते हैं। मैं चाहता हूं कि वह देश को यह बताये कि उन्होंने अब तक जो चांर बजट प्रस्तुत किए, उनसे देश किस क्षेत्र में आगे बढ़ा है?

हमें विदेशी मुद्रा को छोड़कर कोई ऐसा क्षेत्र बताइये जिसे ऋण लिए गए धन से या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पोर्टफोलियो निवेश से इस देश ने उन्नति की हो। यह बात हमारे साथ-साथ पूरे देश को बतायें। औद्योगिक रुग्णता दूर करने की बात है। गत तीन वर्षों के दौरान अनेक देश रुग्ण हो गए हैं। रुग्ण उद्योगों की संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल नहीं जो कि आपका निशाना है। सूची में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है। इस रुग्णता में कोई कमी नहीं आयी है। अब स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है। अधिकाधिक कम्पनियां रूगण होती जा रही हैं।

आपका कहना है कि सरकारी उपक्रम ठीक नहीं है। परन्तु क्या सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अच्छे हैं? इनमें से कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बड़े व्यापार, बड़े उद्योगों से सम्बन्धित हैं। इन प्रतिष्ठानों पर कितना देय आयकर बकाया है? इस देश के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का उन पर कितना धन बकाया है। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। परन्तु देश को विशेषरूप से इस देश के युवा वर्ग को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्या रोजगार में वृद्धि हुई है? वित्त मंत्री महोदय ने इसके बारे में बताया है। चुनाव घोषणापत्र में जो कहा गया था वे तो बस चुनावी घोषणाएं थीं। अब चुनाव खत्म हो गया है और घोषणाएं भी खत्म हो गई हैं। इसलिए, प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार-सृजन करने का वादा अब केवल उन पतले घोषणापत्रों तक ही सीमित हो गया है। ये पत्र भी अब केवल रेहड़ीवालों के पास ही मिल सकते हैं।

श्री मुरली देवरा : हम इसे पुनः छपवा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस वादे के बिना ही।

मूल्य वृद्धि का क्या हुआ? क्या केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार हुआ है? आज, 'इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' जैसे प्रतिष्ठानों की हालत दयनीय हो गई है क्योंकि वित्त मंत्री महोदय उन्हें धन नहीं देना चाहते हैं। आज की स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार का उपक्रम 'एन० जे० एम० सी० ' जिसमें 24000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, पूरी तरह बन्द होने के कगार पर है।

वहां न कोई कार्यकारी पूंजी है, न तो कोई उचित प्रबन्धन है और न ही विक्रय की कोई व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अवसर था और अभी भी मैं एक यूनियन का प्रतिनिध हूं। हम कह रहे थे कि हम आमने-सामने बैठकर बात कर सकते हैं। हमने कई बार कहा कि कृपया हमें बताइयो कि क्या करना है। आप बताइये कि हमें क्या करना है? लेकिन आपको तो अपना ही काम करना है। आज मुझे एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि उत्पादन के लिए जरा भी कच्चा माल नहीं है, कृपया कुछ करिए। हम मंत्री के पास जाने और उनसे बात करने के सिवा और क्या कर सकते हैं? अगर वे थोड़ा दयालु हुए तो वे कहेंगे कि आप वित्त मंत्री से जाकर बात करें। उनकी अपनी भी परेशानियां हैं। क्या एन० जे० एम० सी० जैसे बड़े उपक्रम को चलाने का यही तरीका है? राष्ट्रीय वस्त्र निगम भी बन्द होने के कगार पर है। इसलिए, कुछ करना जरूरी हो गया है।

महोदय, यद्यपि हमें गलत समझा गया है परन्तु हमने कहा है कि क्या ऐसा औद्योगिक उपक्रम है जिसे अर्थक्षम बनाये जाने के सच्चे मन से किए गए समुचित प्रयासों के बावजूद जरा भी अर्थक्षम न बनाया जा सका हो? आप मजदूरों के लिए कुछ प्रावधान करते हैं और फिर आप इसे बन्द कर देते हैं और अन्य उपक्रमों में निवेश कर देते हैं। परन्तु इस देश के इन नागरिकों की भी देखभाल करिए। उनकी क्या गलती है? आप निर्गमन की नीति अपनाते हैं। आपका कहना है कि आपने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है। आप कहते हैं कि आप उन्हें पुनः प्रशिक्षित करके उन्हें पुनः रोजगार देंगे। आपने उन्हें कहां रोजगार दिया है? आप उन्हें किस लिए प्रशिक्षण देंगे?

महोदय, ये अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि माननीय वित्त मंत्री

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

महोदय हमें यह बतायें कि क्या करना है और इस देश में उनकी क्या उपलब्धि रही है। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

मैं वित्त मंत्री से हार्दिक अनुरोध करता हूं, वस्तुतः मैं वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह लघु उद्योगों के सम्बन्ध में छूट वापस लेने का आदेश तुरन्त वापस ले लें। उन्हें इस देश के लोगों को आश्वासन देना चाहिए। मैं हमेशा उनसे अनुरोध करता रहा हूं और सदन में भी कह सकता हूं कि उन्होंने कहा है कि "अपने स्तर पर मैं सोमनाथ जी की बातों का ध्यान रखूंगा।" लेकिन वह अपने विदेश प्रवास में भी व्यस्त हैं। मुझे पता नहीं वह कहां जाते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं किसी भी देश नहीं गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप असम की यात्रा पर थे। इसलिए यह आवश्यक है। मैं गम्भीरता से महसूस करता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां हमें एकमत होना ही होगा। देश में रुग्ण उद्योगों की स्थिति, देश में लघु उद्योगों की स्थिति, इस देश के बेरोजगार नवयुवकों का भविष्य जैसे कुछ मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं।

महोदय, आखिरकार सरकारी क्षेत्र का विकास इस देश के श्रमिक वर्गों के खून-पसीने से ही हुआ है। इसमें उनका योगदान है। हो सकता है कि कोई सरकारी क्षेत्र थोड़े समय के लिए आपके कुप्रबंध या किसी अन्य समस्या के कारण कठिनाई में पड़ गया हो। मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं। लेकिन क्या कोई गम्भीर प्रयास किया गया है। कृपया आप 'नरीमन प्वाइंट' के झांसे में मत आइये कि सरकारी क्षेत्र के सारे उपक्रम अच्छे नहीं हैं।

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिचूर) : यह नरीमन प्वाइंट क्या है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी तक आप यह नहीं समझ पाये हैं?

श्री मुरली देवरा : उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया है और इस मुद्दे के स्पष्टीकरण के लिए मुझे एक मिनट का समय चाहिए। आपने अभी-अभी 'टेल्को, गोदरेज और पारले के बारे में कहा है। ये तीनों कम्पनियां ···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 'टामको' भी।

श्री मुरली देवरा : इन्द्रजीत गुप्त जी, मुझे पता है कि 'टामको' क्या है। 'टामको'–टाटा आयल मैन्यूफक्चरिंग कम्पनी–की मुम्बई में और कलकत्ता में भी फैक्ट्री थी। इसके बारे में एक सूचना भी और मैंने टाटा के किसी व्यक्ति से पता लगाया था कि आपके मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने स्वयं इस विलय को स्वीकृति देने के लिए वित्त मंत्री को फोन किया था। एक ओर तो आप इस विलय को स्वीकृति दे रहे हैं और दूसरी ओर यहां इसका विरोध कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे मुख्य मंत्री यहां नहीं हैं और मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूं।

श्री मुरली देवरा : क्या आप उनके प्रतिनिधि नहीं हैं, बहुत अच्छे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ऐसी बातें एक सीमा से आगे नहीं जानी चाहिए।

श्री मुरली देवरा : उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया है तो क्या मैं यह भी नहीं कह सकता?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके नाम का जिक्र नहीं किया है।

श्री मुरली देवरा : उन्होंने तीन बार मेरे नाम का उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके नाम का जिक्र ही किया है और आप बेकार में इसे तूल दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में बोलूंगा। वास्तव में मैंने यह कहा है कि अगर आप उन्हें धन नहीं देते, तो एक ही विकल्प है कि उद्यम को बंद कर दिया जाए, जिसके कारण लोगों की जीविका छिनेगी। तब क्या हो? हम पश्चिम बंगाल के स्वतंत्र गणतंत्र नहीं हैं। हम उनसे जुड़े हुए हैं क्योंकि हम भारत के एक अंश हैं।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, कृपया इस बात को छोड़िए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने अन्त में भी मुझे कुछ समय दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे शीघ्र इन मूलभूत मामलों पर ध्यान दें और उनका समाधान करें, अन्यथा यह बजट शोषण और अस्थिरता की ताकतों के समक्ष समर्पण के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : **अध्यक्ष** महोदय, मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूं। इस विषय पर मैं बहुत देर बोला हूं, उस वक्त फाइनांस मिनिस्टर नहीं थे। मैं अपनी पार्टी की ओर से इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जितने गरीब लोग हैं, किसान-मजदूर हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं ....।

अध्यक्ष महोदय : ये बातें तो आप अपने पहले भाषण में बोल चुके हैं।

श्री शरद यादव : थोड़ी-सी उसकी झलक देख लेंगे, यदि उन गरीबों के हक में आप सोचते हैं, नहीं तो रहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में कभी यह बात कर लेना, अभी समय कम है।

[अनुवाद]

अब वित्त मंत्री जी अपना उत्तर दें।

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की इस बात का पूरा समर्थन करते हुए अपना भाषण आरम्भ कर रहा हूं कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के विकास के मूल मुद्दों पर विचार करना है। आज भारत के सामने भारी चुनौतियां हैं। हमारे सामने अनेक अवसर हैं और हमारे पास उनका लाभ उठाने का ज्ञान भी है। यदि हम बुद्धिमानीपूर्वक काम नहीं करें तो हमारे सामने भारी

[श्री मनमोहन सिंह]

संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा करते समय हमें विश्व में हुए भारी परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां एकमात्र स्थिर बात परिवर्तन है। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस देश में नेतृत्व का बोध हो। यह बात सत्तापक्ष तथा विपक्ष दोनों के नेताओं पर लागू होती है तथा हमारा यह बोध कटु वास्तविकताओं के अनुकूल हो। एक बात का भारी खतरा है कि यदि हमारा बोध उद्देश्यपूर्ण वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं होंगे, तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और सम्पदा को भारी क्षति होगी। आज भारत की स्थिति 1960, 1970 अथवा 1980 के दशकों की तरह नहीं है।

वाजपेयी जी ने रक्षा व्ययों की चर्चा की है। एक समय था जब विश्व राजनीति से एक सीमा तक शीत युद्ध के कारण सुरक्षा मिलती थी। इसके चाहे जो भी बुरे प्रभाव हों, पर इससे अधिक कार्य साधन होता था। हम सोवियत संघ से बहुत ही सस्ती कीमतों पर रक्षा उपस्कर खरीद सकते थे। 1990 तक यह देश सोवियत संघ से रुपए के भुगतान पर प्रति वर्ष पचास से साठ लाख टन कच्चे तेल का आयात कर सकता था। सोवियत संघ की समाप्ति का अर्थ है कि यदि हमें देश की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः तैयार रहना है तो इसके लिए हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान करना है, यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की न्यूनतम ऊर्जा आवश्कताएं पूरी करनी हैं, तो हमें इसके लिए पहले की तुलना में बहुत अधिक विदेश मुद्रा का भुगतान करना होगा। यह पर्यावरणीय परिवर्तन है। हमें यह अच्छा लगे या न लगे, पर स्वतंत्रता से ही देश का मूलभूत सिद्धान्त आत्म-निर्भरता रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी के 45-46 वर्षों से हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और द्विपक्षीय दाताओं की सशर्त किस्म की बाहरी सहायता पर निर्भर रहे हैं। हमें अच्छा लगे या न लगे, पर शर्त लगाने की बात बढ़ी है और शर्त पर उपलब्ध सहायता की राशि कम हुई है। इस कठोर विश्व माहौल में भारत को अपना अस्तित्व बनाए रखना है, अपना विकास करना है और राष्ट्रीय आकांक्षाएं पूरी करनी हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस गरिमामय सदन से हमारी समस्याओं पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, भारत का इतिहास देखने से पता चलेगा कि 1980 तक इस देश का औसत वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं था। इस अल्प वृद्धि से गरीबी रेखा से नीची रहने वाले लोगों के अनुपात में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ। 1980 के दशक में हम वृद्धि दर को प्रतिवर्ष 5-5.5 प्रतिशत तक बढ़ा पाए हालांकि बिल्कुल सही आंकड़ों के संबंध में मतभेद है, पर लगभग हर कोई इस बात से सहमत होगा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों कें अनुपात में स्पष्ट कमी आई। परन्तु वह विकास नहीं था। इसका वित्त पोषण अत्यधिक सीमा तक घरेलू बाजार और विदेश से भारी मात्रा में उधार लेकर हुआ। साथ ही अभूतपूर्व अनुकूल विकास भी हुआ जिससे 1980 के वर्षों में हमारे वृद्धि दर में वृद्धि हुई। हमने जब 1980 में दशक में प्रवेश किया तब हमारे पेट्रोलियम उत्पादन 10 मिलियन टन से अधिक नहीं था। 1990 तक यह धीरे-धीरे 34 मिलियन टन तक बढ़ गया। इससे हमारे भुगतान संतुलन को काफी सहायता मिली। साथ ही इससे 1980 के वर्षों के बजट में भारी राहत मिली। हालांकि हम ज्यादा व्यय कर रहे थे, पर इसके एक महत्वपूर्ण अंश का वित्त पोषण तेल समन्वय समिति के अतिरिक्त आय से हुआ। तब इसे सरकारी व्यय के लिए वित्त प्रदान करने के लिए निर्धारित कर दिया गया।

1990 के दशक में ये विकल्प हमारे सामने नहीं हैं। हमारा तेल उत्पादन चौथे वर्ष भी कम हो रहा है। इस वर्ष सम्भवतः यह 27 एम० टी० से अधिक नहीं होगा। हम विकास का दिया ढांचा नहीं चाहते जिसमें आंतरिक और वाह्य ऋण पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़े। 1990 में हम पर इतना ऋण हो गया था जिसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था को भारी झटका पहुंच सकता था। इस ऋण का बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक था। यह झटका हमें खाड़ी संकट के रूप में मिला और इससे हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। इसी प्रकार आंतरिक असंतुलनों से भारी आर्थिक घाटा हुआ जिसे यदि नियंत्रित नहीं किया जाता तो मुद्रास्फीति में भारी होती। इसी कारण हमें समायोजन करना है और आर्थिक कार्य पद्धति नियंत्रण और उसके कार्यकरण तंत्र पर पुनर्विचार करना है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भी रूप में गरीबी हटाने, आधुनिकी अर्थव्यवस्था तैयार करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पूरे उपयोग और आत्म निर्भरता की नीति को छोड़ने जा रहे हैं। जैसा कि पंडितजी हमेशा कहा करते थे, आत्म निर्भरता का अर्थ सामान्य लेन-देन, निर्यात और वाणिज्यिक, अंतर्प्रवाह द्वारा अपने आयात के व्यय का भुगतान करना है; अर्थात् रियायती और राजनीति परक सहायता पर से देश की निर्भरता समाप्त करनी है।

परन्तु हम ऐसा कैसे करेंगे? एक दृष्टिकोण है कि हम शेष दुनिया से अपने आपको अलग कर लें। तब आयात कम होगा। मैं आपसे और आपके माध्यम से इस माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। कुल मिलाकर भारत प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध है परन्तु प्रति व्यक्ति आय में नहीं, और विकास प्रक्रिया में लगभग सभी जगह आयात आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। 1991 में जब हमारी सरकार बनी तो चालू खाते में 10.5 बिलियन डालर भुगतान संतुलन घाटा था। हमें अल्पअवधि में इसका वित्त पोषण करना पड़ा। इसी कारण हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सहायता लेनी पड़ी क्योंकि इन अंतरप्रवाहों के अभाव में होने वाले समायोजन से महंगाई में कमी और बेरोजगारी के रूप में अत्यधिक भार पड़ा था। हमने ऐसा कभी नहीं चाहा। परन्तु हमारा यह विश्वास कभी नहीं रहा है कि हम अनिश्चित काल तक इन सभी घाटों का वित्त पोषण कर पाएंगे। हमें एक ऐसी स्थिति तैयार करनी है जिसमें हमारे निर्यात बढ़ें ताकि आय और रोजगार के उच्चतर स्तरों पर आयात और निर्यात का अंतर कम किया जा सके। आत्म निर्भरता का यही सच्चा अर्थ है। पर निर्यातों में वृद्धि यूं ही नहीं होती। निर्यात घरेलू उत्पादन और अधिक से अधिक उत्पादन से बढ़ता है। यह संरचनात्मक सुधारों का तर्क है, जिन्हें हमने व्यापार नीति, औद्योगिक नीति में परिवर्तन करके तथा वित्तीय प्रणाली को सस्ती और प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर शुरू किया है। इन सारी बातों का प्रयोजन प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए भारत को सक्षम बनाना है ताकि पिछले 45 वर्षों से आयात और निर्यात के बीच बढ़ते अन्तर, तथा जिसके लिए हम प्रतिवर्ष विश्व बैंक अथवा द्विपक्षी दाताओं से ऋण लेकर पूरा करते हैं, को कम किया जा सके और अन्ततः समाप्त किया जा सके जिससे कि हमारे देश की सहायता पर निर्भरता समाप्त हो सके, सही मायनों में आत्मनिर्भर बन सके और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश बढ़ते हुए ऋण के जाल में न फंसे। अल्प अवधि में जैसा कि मैंने कहा जिस वर्ष हम सत्त में आये हमें व्यवस्थित होने के लिए

[श्री मनमोहन सिंह]

थोड़ा समय चाहिये था और इसी कारण कर्ज बढ़ गये थे। किन्तु यदि आप 1980 के मध्य में देखें, तो ऋण लगभग 6 बिलियन डालर की औसत वार्षिक दर से बढ़े थे। 1990-91 में इस सरकार के सत्ता में आने से पहले विदेशी ऋण बढ़कर 8 बिलियन डालर हो गया था। अगले दो वर्षों में ऋण तीन बिलियन डालर की औसत वार्षिक दर से बढ़ा तथा उस वर्ष के समाप्त होते ही इस देश के विदेशी ऋण में बहुत कम वृद्धि हुई। अब आप इसकी तुलना 1990-91 की स्थिति से कर सकते हैं। विदेशी ऋण 8 बिलियन डालर बढ़ा तथा मुद्रा भंडार 1.1 बिलियन डालर कम हो गया। वर्ष 1993-1994 में विदेशी मुद्रा भंडार 8.6 बिलियन डालर बढ़ा तथा विदेशी ऋण में बहुत कम वृद्धि हुई। यह आत्मनिर्भरता की हमारी वचनबद्धता का प्रमाण है। यह सोमनाथ चटर्जी और इन्द्रजीत गुप्त, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, के लिए स्पष्ट प्रमाण है, जो यह कहते आ रहे हैं कि इसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह शेयर बाजार में आत्मनिर्भरता है।

श्री मोहन सिंह : नहीं। मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं समझता हूं यह प्रश्न उठाया गया है कि विदेशों से आने वाली विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार कहां हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने यह प्रश्न पूछा है और आपको सही उत्तर जानने का अधिकार है। सबसे बड़ा सुधार भुगतान सन्तुलन के चालू खाते में हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि 1990-91 में चालू खाते में घाटा, जो कुल भुगतान और कुल प्राप्तियों का अन्तर है, 10 बिलियन डालर था। 1993-94 के प्रारम्भिक आकलनों से पता चलता है कि या तो हम सन्तुलन के निकट होंगे अथवा 0.5 बिलियन घाटे में होंगे। हमारे निर्यात में डालरों के रूप में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आयात में मुश्किल से 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज पहली बार भारत के निर्यात और आयात की स्थिति में मोटे तौर पर लगभग 23 बिलियन डालर का सन्तुलन है। मैंने कहा, 'मोटे तौर पर' ... (व्यवधान) ... अतः महोदय, यह मूल कारण है। अब यह सच है कि भुगतान सन्तुलन की स्थिति में इससे कहीं अधिक सुधार हुआ है। श्री वाजपेयी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के सम्बन्ध में एक आंकड़ा उद्धृत किया। किन्तु यदि आप यह सुझाव दे रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जो भी धन लाया गया है उसका आंकड़ा 1.4 बिलियन डालर से अधिक का नहीं है। अतः यह विदेशी संस्थागत निवेशकों के सम्बन्ध में है और शेष बिना ऋण के डालरों का देश में आना है। हमारी कम्पनियां इक्विटवटी पूंजी द्वारा 1.5 बिलियन डालर जुटाने में सक्षम हुई है। जहां तक सीधे विदेशी निवेश का सम्बन्ध है, वाजपेयी जी ने 345 मिलियन डालरों का उल्लेख किया है सभी स्रोतों से उपलब्ध आकलनों के अनुसार यह 500-600 मिलियन डालर के बीच होगा। यह सच है कि सीधे विदेशी निवेश अधिक नहीं हुआ है। किन्तु इससे विपक्ष का गलत सूचना देने का यह अभियान निष्प्रभावी हो जाता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही हैं। सीधे निवेश का अधिकांश भाग सीधे धन के रूप में हुआ है, जो वर्तमान भारतीय कम्पनियों द्वारा जुटाया गया है। आप एक ओर यह नहीं कह सकते हैं कि हमें सीधे विदेशी निवेश से केवल 300 मिलियर डालर प्राप्त हुए हैं तथा तब यह

अभियान चलाते जायें। इस देश की अर्थव्यवस्था इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने बर्बाद कर दी है, मैं समझता हूं कि इसमें कहीं ताल-मेल नहीं है ... (व्यवधान) ...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विदेशी निवेश प्रौद्योगिकी के साथ नहीं हो रहा है। यह पोर्टफोलियो के रूप में हो रहा है, प्रौद्योगिकी के साथ नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया आप अपनी बात कहते जाइये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह कह रहा था ये मूलतः राष्ट्रीय मुद्दे हैं और इन मुद्दों से निपटने के लिए इस देश में विस्तृत राष्ट्रीय सहमति तैयार करनी है।

वित्तीय अनुशासन अथवा वित्तीय घाटे का मुद्दा लें। मुझे प्रसन्नता है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने परिवर्तन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व के आर्थिक दृष्टिकोण को मंजूर करते हुए उद्धृत किया है। मुझे याद है जब मैंने 1991-92 और 1992-93 के बजट में वित्तीय घाटा कम करने की बात कही थी तो मुझ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को समय से पहले ही बजट की जानकारी देकर इस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाथों बेचने का आरोप लगाया गया। तथ्य यह है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त आज यह स्वीकार करते हैं कि हमें वित्तीय घाटा कम करना है, श्री सोमनाथ चटर्जी ने इसका समर्थन किया है, मैं समझता हूं कि इस समय यह बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह राष्ट्र इस समय सही रास्ते पर है, चाहे दक्षिण पंथी हो अथवा वामपंथी हो, हम सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम सम्पन्नता का मार्ग नहीं छोड़ सकते हैं, अतः हमें विकास के लिए वास्तविक संसाधनों का पता लगाना है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर सृजित संसाधनों पर आश्रित रहना है, क्योंकि इससे मुद्रा स्फीति में अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी।

यह कहकर मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी सरकार के प्रथम दो वर्षों में वित्तीय घाटा कम करने में हमने निश्चित प्रगति की किन्तु तीसरे वर्ष इसमें चूक हो गयी। परिस्थितियां नियंत्रण में नहीं रही। वाजपेयी जी अयोध्या की भूमिका को नजरअंदाज कर सकते हैं किन्तु यह सच है कि भरोसा करना अस्थिर मस्तिष्क की बात है। और दुर्भाग्यपूर्ण बम विस्फोट जब आप अयोध्या में थे तब औद्योगिक उत्पादन, निवेश और कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुए। भरोसा तोड़ना आसान है किन्तु भरोसा पैदा करने में वर्षों लग जाते हैं और वाजपेयी जी ने कहा कि समाजिक तनाव बढ़ाने के लिए कुछ न किया जाये। इस निर्धन देश, जो स्वयं आधुनिकीकरण का प्रयास कर रहा है, के राजनैतिक जीवन में हताशा पैदा कर दी गयी है।

यहां विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। किसी को कुछ फायदा होता है और किसी को नुकसान। अतः एक लोकतांत्रिक नीति में विकास की बढ़ती हुई इन विसंमतियों को व्यवस्थित करने के प्रयोजनपूर्ण साधन के रूप में राजनीति का उपयोग करने के तरीके होने चाहिये। इसलिए, श्री वाजपेयी जी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, से अपील करता हूं कि–इस प्रकार के विचार कि अयोध्या काफी नहीं है और हम अयोध्या से मथुरा और वाराणसी में भी आन्दोलन चलायेंगे–यदि इस प्रकार का वातावरण बनाया गया, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो सकती है। इससे हमारी आज

[श्री मनमोहन सिंह]

की नाजुक साम्य व्यवस्था नष्ट हो सकती है। मैं यह किसी पक्षपात की भावना से नहीं कह रहा हूं किन्तु मैं विश्वास करता हूं कि हमें राजनैतिक स्थिरता की आवश्यकता है। हमें विकास की मूल समस्याओं से निपटने के लिए कुछ हद तक राष्ट्रीय सामंजस्य और सहमति की आवश्यकता है।

मैंने संक्षेप में अपने सामान्य दृष्टिकोण का उल्लेख किया है। हमें वित्तीय स्थिरता की आवश्यकता है। हमें वित्तीय घाटा कम करना होगा। मुझे आशा है कि इस वर्ष हम वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत तक लाने में सक्षम हो जायेंगे। मुद्रास्फीति निश्चित रूप में एक समस्या है किन्तु कुछ ऐसे कारक हैं जिससे मैं आश्वस्त हूं कि मुद्रास्फीति की यह स्थिति कायम नहीं रखी जा सकती है। निर्देशित मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है किन्तु यह आवश्यक थी। तेल क्षेत्र का ही मामला ले लीजिये। सातवें दशक तक हमारी स्थिति सन्तोषजनक थी। तेल क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन उस क्षेत्र में निवेश की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त थे। इसका एक आम बजट को समर्थन प्रदान करने के लिए दूसरे क्षेत्र में खर्च किया जा रहा था। आज स्थिति विपरीत है। तेज उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली धनराशि उत्पादकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके पास घाटा है, यदि आपके पास घाटा है, तो आप तेल की खोज, तेल के विकास पर अधिक धन कैसे खर्च कर सकते हैं? मैंने संसद की स्थाई समिति की रिपोर्ट देखी है, जिसमें सही कहा गया है कि हमें तेल की खोज, तेल के विकास पर अधिक निवेश करना चाहिये। किन्तु धन पेड़ों पर नहीं उगता। यदि आप अधिक संसाधन चाहते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि तेल समन्वय समिति का घाटा समाप्त हो जाये और इसी कारण तेल के मूल्य बढ़ाये गये। इसका बजट से कुछ भी लेना-देना नहीं है। इससे बजट में कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं यह भी कहता हूं कि मूल्यों के क्षेत्र में समस्याएं रही है। किन्तु समस्या का एक भाग यह है कि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देना आवश्यक है उसी प्रकार कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य देना आवश्यक है। हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि हमने किसानों को अच्छा खरीद मूल्य दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में यह कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री मनमोहन सिंह : मैं यह स्पष्ट कर रहा था कि कुछ समायोजन आवश्यक थे। उसी प्रकार अनेक राज्य सरकारों को विद्युत मूल्यों को समायोजित करना चाहिए क्योंकि विद्युत बोर्डों की हालत ऐसी है कि यदि हम विद्युत क्षेत्र में और अधिक आन्तरिक संसाधन नहीं जुटाते तो हमें अपने कुछ महत्वपूर्ण विद्युत कार्यक्रमों को त्यागना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री सोमनाथ चटर्जी इस बात से दुखी हो रहे थे कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे बी० एच० ई० एल० ठीक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसाकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि रुपये पेड़ पर नहीं उगते हैं। विद्युत क्षेत्र में प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रुपयों की हानि हो रही है। संसद को अपने आप यह बात न कहनी चाहिए कि आगामी एक-दो वर्ष में हम इस स्थिति को बदल देंगे जिससे विद्युत द्वारा अतिरिक्त आन्तरिक संसाधन जुटाए जा सकेंगे और यदि ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि बी॰एच॰ई॰एल॰ की क्रयादेश पुस्तिका की स्थित क्या होगी। हमारे देश के सामने यही चुनौतियां हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। व्यवधान को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

श्री मनमोहन सिंह : हमारे देश के सामने यही चुनौतियां हैं। हम इन चुनौतियों का सामना, सामूहिक रूप से समान विचारधारा और राष्ट्रीय आम सहमति बनाकर कर सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में मुद्दे उठाए गए हैं। प्रधान मंत्री ने कहा था, अन्य मंत्रियों ने कहा था और मैंने कहा था कि हमारी कोई भी नीति सार्वजनिक क्षेत्र की विरोधी नीति नहीं है। हम सार्वजनिक क्षेत्र को फलता-फूलता और विकसित होते देखना चाहते हैं। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र को अपनी ऐतिहासिक भूमिका को इस प्रकार निभाना था जैसी कि पंडित जी ने कल्पना की थी कि इसे धन कमाने वाला बनना है। यदि यह भावी आंतरिक संसाधन जुटाता है तो यह आय तथा धन को पुनः वितरित करने वाला क्षेत्र भी बन सकता है। ऐसा यह क्षेत्र बेहतर उत्पादकता और अधिक उत्पादन के आधार पर ही कर सकता है। और यही कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को पुनः गठित करने का कार्यक्रम इसको नष्ट करने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि इसे प्रतिस्पर्धी, अधिक संगठित और भारत के विकास के लिए अधिक संसाधन जुटाने वाला बनाना चाहते हैं। ... **(व्यवधान)**

6.00 म॰प॰

अध्यक्ष महोदय : आपने बजट पर 15 घण्टे चर्चा की थी। अतः आपको वित्त मंत्री को कम से कम 45 मिनट तो सुनाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : कुछ माननीय सदस्यों ने बजट को किसान विरोधी बताकर इसकी आलोचना की है, कुछ ने इसे जनविरोधी बताया है और कुछ ने इसे रोजगार के अवसरों को बिल्कुल समाप्त कर देने वाला बताया है। मैं इस सदन में सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि आप इसे निरपेक्ष भाव से देखें तो आप पायेंगे कि कोई भी आलोचना उचित नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि $2\frac{1}{2}$ वर्ष के संक्षिप्त समय में हम कोई चमत्कार कर देंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी, आपको इन बातों के बारे में सावधान रहना चाहिए। आप आरम्भ से ही यह लगातार कर रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनमोहन सिंह : जब मैं वित्त मंत्री बना तो मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में ही कहा था कि हमारा देश ऐसी कठिन स्थिति में है कि जो परिवर्तन हमने किए हैं उनका व्यावहारिक परिणाम देखने के लिए कम से कम तीन वर्ष लगेंगे। मैं पूर्णतय सत्य कह रहा हूं कि जो प्रगति हमने की है उसकी मैंने आशा भी नहीं की थी। आज भुगतान सन्तुलन की स्थिति काफी बेहतर है। हमारा देश दुनिया का एक ऐसा देश है जो समायोजन-सह-ढांचागत सुधार के अकेले वर्ष में बिना आय-हानि के इस संकट से उब्बर आया है और मैं पुनः इस बात पर बल देता हूं कि यदि आप किसी भी आंकड़े पर नज़र डालेंगे तो मैं जो कुछ कह रहा हूं उस पर यकीन करेंगे।

लोग रोजगार की बात करते हैं। हमारे पास रोजगार से संबंधित एकदम सटीक आंकड़े नहीं हैं। नवीनतम आंकड़े के हिसाब से रोजगार कार्यालयों में दर्ज रोजगार चाहने वाले व्यक्ति · · · **(व्यवधान)** यह एकदम ठीक नहीं है लेकिन यह आंकड़ा भी अटल बिहारी वाजपेयी और श्री सोमनाथ चटर्जी के कहने के अनुरूप नहीं है; यह विरोधाभाषी है, यह एकदम उल्टा है। यदि यह देश अधिक रोजगार के अवसरों की ओर जा रहा था तो उसका असर रोजगार कार्यालयों के आंकड़े पर जरूर रहता। साक्ष्य एकदम उल्टा है अतः यह तर्क देना कि हम रोजगार के अवसर पैदा करने के खिलाफ नीति अपना रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम की घोषणा की थी। · · · **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : इन सभी व्यवधानों को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इस वर्ष के बजट में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के आवंटन में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई। जवाहर रोजगार योजना के आबंटन में भी वृद्धि की गई है। प्रधान मंत्री की योजना से 10 लाख बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया गया है। अत्यधिक गरीबी वाले 1750 विकास खण्डों में कम से कम 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा रहा है · · · **(व्यवधान)** शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यय में वृद्धि की गई है। यदि आप इस बजट को गरीब विरोधी या किसान विरोधी या श्रमिक विरोधी करार देते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल बेबुनियाद है।

हमने देश में किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने और उद्योगों के संरक्षण को धीरे-धीरे कम करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ताकि किसानों को वे वस्तुएं और आदानों जिनका वे प्रयोग करते हैं, उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकें। यदि ये बातें होती हैं; यदि कृषि की व्यापार शर्तों में सुधार होता है जैसा कि मुझे आशा है कि ऐसा होगा, और यह कृषि क्षेत्र की बहुत बड़ी मदद होगी। व्यापार की कृषि शर्तों में यदि 1 प्रतिशत भी सुधार होता है तो उससे कृषि क्षेत्र को 8,500 करोड़ रुपये मिलेंगे।

हम यह मानते हैं कि कृषि में सभी लोगों के पास अधिशेष नहीं है, इस क्षेत्र में भूमिहीन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रमिक हैं और इसीलिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है और इसीलिए देश के 1760 विकास खण्डों में जहां सर्वाधिक गरीबी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि चर्चा में उठाए गए सामान्य मुद्दों पर मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं। अब मैं एक विशेष आरोप की बात करूंगा क्योंकि इसे बार-बार दोहराया गया है कि इस बजट ने लघु उद्योगों को भारी क्षति पहुंचायी है। मैं इस आरोप का पूर्ण रूप से खण्डन करता हूं। आपके और इस सभा के प्रयोगार्थ में लघु उद्योगों से सम्बद्धित आंकड़ें लाया हूं। मैं सभा में बताना चाहता हूं कि हमने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है।

लघु उद्योगों के लिए विशेष छूट योजना है। जिसके अन्तर्गत 30 लाख रुपये तक के कारोबार वाले उद्योगों को कोई उत्पाद शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यदि आप उत्पादन कारोबार को 30 लाख से 50 लाख रुपये के मध्य करते हैं तो लघु उद्योगों को सामान्य शुल्क से 10 प्रतिशत कम देना पड़ेगा, 50 से 75 लाख के मध्य कारोबार करने वाले लघु उद्योगों को सामान्य शुल्क से 5 प्रतिशत कम शुल्क देना पड़ेगा। और यदि किसी लघु उद्योग का कुल कारोबार 2 करोड़ है तो प्रथम 75 लाख रुपये के कारोबार पर रियायती शुल्क देना पड़ेगा। इस प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वास्तव में मैंने इसकी परिधि का विस्तार किया है। पहले लोगों को पंजीकरण के लिए इधर-उधर दौड़ना पड़ता था। वे इंसपेक्टर राज की बात करते हैं, उन्हें अपने आपको पंजीकृत कराने के लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब मैंने एक व्यवस्था दी है कि अब पंजीकरण के बजाय लघु उद्योग योजना का लाभ उस किसी भी व्यक्ति को मिलेगा जिसका कारोबार 75 लाख तक है।

यदि आप लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित इस आंकड़े पर नजर डालें तो जो केवल दो वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था वह दर्शाता है कि जो दो करोड़ तक का उत्पादन करते हैं तो लघु क्षेत्र में हुए कुल उत्पादन की 70 प्रतिशत कारोबार पर रियायती शुल्क लगता था। इससे 99 प्रतिशत रोजगार और 94 प्रतिशत नियत निवेश होगा और यदि ये आंकड़े सच हैं तो इससे बजट को लघु उद्योग–विरोधी बताने की बात सिद्ध नहीं होती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, अभी कुछ समय पहले मुझे दूसरी प्रति दी गई है। मैंने उसे पहले ही भेज दिया है। हम दोनों पक्ष की ओर से, मुझे विश्वास है कि बहुत ज्यादा अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं वह सब बनावटी है। देश को कौन गलत सूचनाएं दे रहा है? हम देश को गलत सूचना नहीं दे रहे हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वह आपके बजट का परिणाम है।

श्री मनमोहन सिंह : मैं स्वीकार करता हूं कि जब आप एक नई व्यवस्था की शुरुआत करते हैं तो परेशानियां आती हैं। हमने व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। हमने छूटों की संख्या कम कर दी है। हमने कर प्रणाली को सरलीकृत किया है, हमने मुकदमेबाजी कम करने हेतु मूल्यानुसार दरों की संख्या में कमी की है। आप जो भी कहें हमने जिस कर प्रणाली का विकास किया है, जिस

[श्री मनमोहन सिंह]

कानून प्रणाली को हमने विकसित किया है, उसके कारण भारतीय समाजवाद में, जो कुछ किया गया है उससे कानूनी पेश, जिससे श्री सोमनाथ चटर्जी आते हैं, को काफी ज्यादा लाभ पहुंचाया है। मुकदमेबाजी की गुंजाइश को कम करके हमने कानूनी पेशे की जबर्दस्त आय को कम करना चाहा है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : क्या यह बात सही नहीं है कि अनेक ऐसे पहले एग्जक्शन्स दिए हुए थे जो कि नोटिफिकेशन से ड्रा हुए थे ?

[अनुवाद]

200 से ज्यादा ऐसी अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और आप स्पष्ट रूप से इससे इंकार करते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं किसी चीज से इंकार नहीं कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि वास्तविक रूप से जो लघु उद्योग हैं उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जो एग्जक्शंस दिए हुए थे, कन्सेशंस दिए हुए थे, वह एक साथ आपने वापस ले लिए हैं।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यदि आप लघु इकाई धारक की व्याख्या 75 लाख रुपए का कारोबार करने वाले के रूप में करें तो वह इससे विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होता है।

महोदय, मेरे पास कुछ प्रस्ताव हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जहां पर दर पांच प्रतिशत है, वहां लघु तथा बड़े क्षेत्र के बीच का अंतर आपके बजट द्वारा किस तरह कम किया जाएगा ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं स्पष्ट करता हूं।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्तावों को पढ़ता हूं जिससे कि कोई भ्रम न रहे।

मैंने अपने बजट भाषण में अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों की मुख्य बातों और उनके तर्कों को प्रस्तुत किया था। मेरा उद्देश्य उस प्रणाली की ओर बढ़ना है जो सामान्य, प्रशासनिक दृष्टि से आसान, व्यापक आधार वाली आसान दर है और, जो साथ-ही-साथ आर्थिक कुशलता, प्रगति और इक्विटी को बढ़ावा देती है। व्यापार और उद्योग के कई क्षेत्रों ने इन कदमों का स्वागत किया है। उन्होंने मेरे विश्वास को मजबूत किया है कि केवल एक सरलीकृत ढांचा ही विवादों और संशयों को दूर कर सकता है, जालसाजी को रोक सकता है तथा परेशानी को समाप्त कर सकता है। हमारी जटिल कर-प्रणाली को सरल बनाने की प्रक्रिया में, यह अवश्यंभावी था कि बड़ी संख्या में परिवर्तन लाए जायें। ऐसे उदाहरण मेरी निगाह में लाए गए हैं जिनमें बजट के कदम का अनभिप्रेत परिणाम रहा है।

कई माननीय सदस्यों ने भी बजट पर सामान्य बहस के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। आम जनता से तथा व्यापार और उद्योग से भी सुझाव प्राप्त हुए हैं।

मैंन इन सुझावों पर सावधानीपूर्वक विस्तार किया है। मैंने पाया कि कुछ मामलों में तुरन्त सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यता है। इन सुझावों और अभ्यावेदनों के मद्देनजर मैंने पहले ही इस तरह के कदम उठा लिए हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह लघु क्षेत्र को कोई राहत नहीं देता है।

माननीय अध्यक्ष : श्री सोमनाथ चटर्जी, वे अब राहत के मुद्दे पर आ रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : जिस तरह के उत्तर और प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त हुई हैं, उनसे मैं पाता हूं कि मेरे उत्पाद प्रस्तावों की आलोचना का मुख्य आधार यह है कि इससे लघु क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा। महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि जब सरकार एक सामान्य और न्यायसंगत कर ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो लघु उद्योग के प्रति चिंता हमारे दिमाग में सबसे ऊपर है। माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे कि केवल जब हम बड़ी इकाइयों के ऊपर उत्पाद कर लगाते हैं तथा छोटी तथा अत्यन्त छोटी इकाइयों को छूट देते हैं तभी बाद वाली इकाई को वास्तवित रूप से वित्तीय लाभ मिल पाता है। किसी विशिष्ट वस्तु में पूरी तरह छूट देकर, हम छोटी तथा बड़ी इकाइयों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं और छोटी इकाइयों को विशेष वित्तीय लाभ नहीं देते हैं।

मैंने इसीलिए इस वर्ष के बजट में लघु क्षेत्र के हित को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ऐसा अधिकांश मामलों में शुल्क में पूरी छूट को समाप्त करके तथा साथ-ही-साथ सामान्य लघु उद्योग योजना में रियायती शुल्क वाली वस्तुओं का आधार बढ़ाकर किया जा रहा है। अतएव अत्यन्त छोटे तथा लघु क्षेत्र अब उन्हीं चीजों का उत्पादन करने वाली अपेक्षाकृत बड़ी इकाइयों के ऊपर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उठा सकते है।

बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने निम्नलिखित नौ उत्पादों/उत्पाद समूहों को रियायती शुल्क में सम्मिलित कर, सामान्य लघु उद्योग योजना का आधार बढ़ाया था।

* बिना ब्रांड का पान मसाला
* बिना ब्रांड का खाने वाला तंबाकू
* एच० डी० पी० ई० तथा पी० पी० का मोनोफिलामेंट
* ऊपर से चढ़ाए गए सूती वस्त्र जैसे किताब के ऊपर जिल्द चढ़ाने वाला कपड़ा
* कन्वेयर बेल्टिंग्स
* निर्दिष्ट लौह और इस्पात उत्पाद जैसे फ्लैट रॉल्ड उत्पाद, छड़ें, आकृति और तार
* लौह और इस्पात की सभी वस्तुएं
* तांबा उत्पाद जैसे तांबे की प्लेट, चादर, फॉयल, तांबा अयस्क छड़ें
* टायर और ट्यूब।

बाद में, योजना का लाभ निम्नलिखित कपड़ा उत्पादों के पांच समूह को भी दिया गया :

* ऊनी धागे
* पॉलीप्रॉपिलीन स्पन यार्न
* एक्रिलिक स्पन यार्न्स
* जालीनुमा
* महीन बुने हुए कपड़े।

मैं अब वस्त्र क्षेत्र में तीन और उत्पाद समूहों पर इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव करता हूं; जिनके नाम हैं :

* रबराइज्ड टेक्सटाइल फेब्रिक्स
* सिंथेटिक फिलामेंट धागे का कचरा
* सीने वाले धागे तथा टेक्सटराइज्ड फिलामेंट यार्न सहित कुछ निर्दिष्ट बुने धागे।

यह भी संदेह प्रकट किया गया है कि समूचे वर्ष में 30 लाख रुपये तक उत्पाद शुल्क में छूट देने के बावजूद, अब तक छूट प्राप्त इकाइयां इस जटिल उत्पाद प्रणाली से मुकाबला करने में कठिनाई का सामना करेंगी। कई माननीय सदस्यों ने लघु उद्योगों को कार्यप्रणाली से संबंधित पेश आ रही कठिनाइयों को मेरे ध्यान में लाया है। मैं यह मानता हूं कि कार्यप्रणाली को सरल बनाये बिना तथा करदाता एवं कर जमा करने वाले के बीच की दूरी को कम-से-कम किए बिना कोई सुधार लागू नहीं किया जा सकता है।

महोदय, मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि लघु उद्योग क्षेत्र संबंधी प्रक्रियाओं को बहुत सरल बना दिया गया है जिसमें औपचारिकताएं बहुत ही कम कर दी गई। ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे लघु उद्योग क्षेत्र को कोई परेशानी न हो। मेरे द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करने की अनुमति चाहूंगा :

– लघु इकाइयों को कोई अतिरिक्त रिकार्ड रखने की जरूरत नहीं है।

– कुछ मामूली अतिरिक्त आवश्यकताओं सहित यदि आवश्यक हो उनके अपने रिकार्ड उत्पाद शुल्क प्रयोजनार्थ पर्याप्त माने जाएंगे।

– किसी अतिरिक्त गेट पास या अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। उनके अपने दस्तावेज या चालान या इनवायस स्वीकार किए जाएंगे।

– जब 30 लाख रुपये की छूट की सीमा को पार किया जाता है, तब बिल या चालान या इनवायस के आधार पर शुल्क देय होगा तथा कोई अतिरिक्त उत्पाद दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।

– मासिक विवरणी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक तीन महीने पर एक उत्पाद विभाग के पास मात्र एक विवरण जमा कराना होगा।

— कोई उत्पाद अधिकारी किसी लघु इकाई में दौरा नहीं करेगा जब तक कि उसे असिस्टेंट कलक्टर से अपने दौरे का उद्देश्य बताते हुए इसकी लिखित अनुमति न ले ले।

जिन लघु इकाइयों को पूरी छूट प्रदान की गई है उन्हें किसी भी जाब-वर्क के कराने के लिए बिना किसी शुल्क या भुगतान किए माल बाहर भेजने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जो भी लोग मुझसे मिले उनकी यह एक प्रमुख मांग थी कि जाब-वर्क को अलग रखा जाए और यह सुझाव मैंने स्वीकार कर लिया है।

लघु इकाइयों का जाब-वर्क करने वाले उद्योगों को जब वर्क के लिए किसी प्रकार का उत्पादन शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

दूसरी सुविधा यह है कि जाब वर्क के लिए बाहर भेजे जाने वाले माल को लघु इकाई की योग्यता के निर्धारण के समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा। इस योजना से लघु औद्योगिक इकाइयों को उपलबध छूट को गंवाए बिना ही अपनी प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु पर्याप्त राहत और सहायता मिलेगी।

महोदय, इस वर्ष के बजट में ब्रांड नाम की परिकल्पना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, जिसमें कोड संख्या, डिजाइन संख्या और ड्राइंग संख्या भी शामिल है, लघु फोर्जिंग और कास्टिंग इकाइयों को परेशानी हो रही है। यह बताया गया है कि सामान्यतया फोर्जिंग अथवा कास्टिंग कार्य उपयोगकर्ता की विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप किया जाता है और पार्ट संख्या अथवा डिजाइन संख्या पहचान तथा बाद के उपयोग के उद्देश्य से अंकित की जाती है। इसे ब्रांड नाम तो किसी भी प्रकार से नहीं माना जा सकता। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोड संख्या, डिजाइन संख्या और ड्राइंग संख्या अंकित किये जाने को ब्रांड नाम नहीं माना जाएगा और इससे इंजीनियरिंग क्षेत्र में लघु उद्योगों को अच्छी राहत मिलेगी।

जहां दूसरे क्षेत्रों में राहत दिये जाने की आवश्यकता थी मैंने उनमें भी परिवर्तन किए हैं। निम्नलिखित चीजों के मामले में उत्पादन शुल्क से पूरी छूट पहले ही प्रदान कर दी गई है :

हवाई चप्पल और इसके पार्टस, 50 रुपए प्रति जोड़े तक के जूते, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक दवाएं जिन्हें मान्य पुस्तकों के अनुरूप तैयार किया गया हो और जेनरिक नामों के अंतर्गत बिक्री की गई हो।

केपटिव तौर पर प्रयुक्त किये जाने वाले कम्पाउंडिड रबड़।

साइज की शर्त के साथ सूती धागा।

रूमाल, शाल और अन्य गौण वस्त्र।

सभी प्रकार के सिलिकान।

उर्वरकों के निर्माण में केपटिव ढंग से प्रयुक्त की जाने वाली कार्बन डाई आक्साइड।

महोदया, मुझे यह सूचना मिली है कि विशिष्ट तथा यथामूल्य दरों की समाप्ति के पश्चात्

[श्री मनमोहन सिंह]

पटसन उद्योग पर भी असर पड़ा है। और इसीलिए मैंने पटसन उत्पादों पर 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को कम करके 5 प्रतिशत की मामूली दर पर कर दिया है।

कई माननीय संसद सदस्यों ने मुझसे यह कहा था कि सीमेंट क्लिंकरों पर उत्पाद-शुल्क लगा देने से बड़ी संख्या में लघु पिसाई इकाइयों को हानि पहुंचती है। मैं सीमेंट क्लिंकरों पर उत्पाद शुल्क को कम करके 250 रुपए के स्थान पर 185 रुपए प्रति मिट्रिक टन करता हूं।

लघु इस्पात संयंत्रों को राहत देने के विचार से मैं स्टील मेल्टिंग स्क्रेप पर लगने वाले 10 प्रतिशत आयात शुल्क को कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। लौह अयस्क पेलेट्स पर लगने वाले आयात शुल्क को कम करके पांच प्रतिशत किया जा रहा है।

महोदय, हथकरघा कालीन उद्योग को सहायता प्रदान करने के विचार से हैंकों में ऊनी धागे को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। अन्य ऊनी धागों पर भी उत्पाद-शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, मैं सुगन्धित सुपारी जैसी मदों पर उत्पाद शुल्क को 50 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत करता हूं और न्यूनतम 75 प्रतिशत अपारम्परिक कच्चे माल वाली लुगदी से बनने वाले कागज पर 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करता हूं।

मैं निम्नलिखित उत्पादों को भी उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं :

शुल्क भुगतान किए जा चुके धागे से तैयार किया गया डबल/बहु-तह धागा।

तौलिये, कम्बल और हथकरघा कपड़े की बनी अन्य चीजें।

विभिन्न पटसन उत्पाद।

शुल्क भुगतान किए जा चुके कपड़े से बनाए गए लेमिनेटिड पटसन उत्पाद।

विद्युत चालित पम्प बनाने हेतु केपटिव तौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट पुर्जे।

केपटिव तौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले फुटवीयर के हिस्से केपटिव तौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले पी० वी० सी० कम्पाऊन्ड्स।

रबड़ के गुब्बारे।

उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाली छूट अधिसूचनाओं की प्रतियां यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

मेरे पास कुछ और प्रस्ताव भी हैं। मुझे अलीगढ़ में ताले बनाने वाली लघु इकाइयों को इस बजट से पूर्व मिल रही रियायतों पर उत्पाद शुल्क रियायतों को वापस लिए जाने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यद्यपि ताले बनाने वाली इन इकाइयों पर भी लघु उद्योगों को मिलने वाली रियायतें लागू होती हैं, फिर भी ब्रांड नामों के उपयोग से संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों से समस्याएं पैदा होने की सूचना मिली है। इस मामले की विभाग में विस्तार से जांच की गई थी और मैंने अपने

कुछ अधिकारियों को इस मामले पर निर्माताओं से मौके पर चर्चा करने हेतु अलीगढ़ भेजा था। इस जांच के आधार पर मैंने यह देखा है कि इन इकाइयों द्वारा की गई शिकायतों में कुछ हद तक सच्चाई है। मैं शीघ्र ही उपयुक्त कदम उठाऊंगा जिससे इन इकाइयों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है उसे समाप्त किया जा सकेगा। लघु उद्योगों को छूट प्रदान के मामले की मात्र तकनीकी कारणों से अनदेखी नहीं की जाएगी।

दिल्ली में स्टेनलेस स्टील शीटों के टेढ़े-मेढ़े टुकड़ों का जिन्हें पत्ता पत्ती कहा जाता है, का निर्माण करने वाली कई इकाइयों ने मुझसे अनुरोध किया है कि इन इकाइयों द्वारा उत्पाद शुल्क का भुगतान करने में कठिनाई है। इन इकाइयों की समस्याओं की विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इकाइयों में जाकर विस्तार से जांच की है। जांच के बाद यह पाया कि ये इकाइयां इधर-उधर अनेक क्षेत्रों में फैली हुई हैं और इनमें स्टेनलेस स्टील प्लेटों की प्राप्ति से आरम्भ होकर स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने की अवस्था तक विभिन्न इकाइयों और भिन्न-भिन्न लोगों की स्वामित्व वाली इकाइयों में विभिन्न प्रकार के संचालन से गुजरते हैं। यद्यपि हर अवस्था में वृद्धित मूल्य हासिल होता है किन्तु फिर भी इस उपयोग का विशिष्ट प्रकार का स्वरूप होने के नाते, जिनमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं भिन्न-भिन्न स्थानों पर चलती रहती हैं और इनमें से भी कुछ तो खुले स्थानों पर चलती रहती हैं, अतः इनके मामले में उत्पाद-शुल्क के भुगतान के लिए निश्चित प्रणाली का पालन कर पाने में एक व्यवहारिक समस्या है। इस विशिष्ट उद्योग की समस्याओं को दूर करने के विचार से, मैं उत्पाद शुल्क की देनदारियों से छुटकारा पाने के लिए चक्रवृद्धि शुल्क की एक योजना की पेशकश करता हूं। यह मुझसे मिलने वाले लोगों की स्पष्ट मांग थी। चक्रवृद्धि शुल्क की दर निकाली जा रही है।

वस्त्र धागे के निर्माताओं ने इस धागे पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है। 1-5-1994 से पूर्व शुल्क भुगतान किए गए धागों से निर्मित होने की अवस्था में इन धागों पर शुल्क से पूरी तरह छूट मिली हुई थी। इनमें से अधिकतर इकाइयां गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये इकाइयां वस्त्र धागे पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के मामले में गैर-टेक्सप्यूरड धागों और अन्य आदानों पर भुगतान किए गए शुल्क के बराबर ऋण प्राप्त कर सकती हैं। इन्हें 1-3-1994 से लागू की गई "पूंजीगत माल माडवेट योजना" के अंतर्गत मशीनरी के मामले में शुल्क ऋण भी मिल सकता है। इन इकाइयों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनमें से कुछ पहले ही दूर कर दी गई हैं।

मैंने बजट प्रस्तावों में शुल्क मूल्य के आधार पर टेक्सप्यूर्ड पालिएस्टर फिलामेंट धागों के मूल्यांकन की घोषणा की थी। अन्य टेक्सप्यूर्ड धागों के मामले में भी शुल्क मूल्यों के लिए मुझे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ अपने निष्कर्ष के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ... (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : छाता निर्माताओं का क्या होगा? ... (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मुझे कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इनकी जांच की जा रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं यह बजट इस महान सभा को सौंपता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है मैंने कुछ विशिष्ट इकाइयों/उपक्रमों का उल्लेख किया है। यह हजारों लोगों का मामला है। उनका क्या होगा? एक शब्द भी नहीं कहा गया है। छातों के मामलों में भी कोई छूट नहीं दी गई है। हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं?

श्री मनमोन सिंह : महोदय, जहां तक छाते संबंधित विषय विशेष का संबंध है, मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि लघु क्षेत्र को जो छूट संबंधी सुविधाएं दी गई हैं ... मुझे पता चला है कि लघु उद्योग क्षेत्र प्रदत्त छूट से 134 एककों में से 132 एककों को फायदा पहुंचेगा। अब, इसलिए आप यह कह रहे हैं कि आप लघु उद्योग क्षेत्र को छूट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

यह सही नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : वित्त मंत्री महोदय क्या आप लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में एक बात बताएंगे? एक ओर तो आप 'छूट' को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप कहते हैं कि 30 लाख रुपये तक के उद्योग पर कोई उत्पाद कर नहीं लगेगा। लेकिन यदि संयंत्र और मशीनों की वास्तविक लागत 50 लाख रुपये या इससे अधिक है, तो स्थिति भिन्न हो जाती है। **(व्यवधान)** आप उत्पाद कर लगाकर उत्पादन क्षमता को सीमित कर रहे हैं। आप लघु उद्योग क्षेत्र को अत्यंत छोटे क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा : उनका कहना सही नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : मुरली देवरा जी, यह नरिमन पाइन्ट नहीं है। यह लघु उद्योग क्षेत्र का प्रश्न है।

वित्त मंत्री महोदय, क्या आप लघु उद्योग क्षेत्र को अत्यन्त छोटे क्षेत्र में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं और इसे स्वयं इस बहुत छोटे क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं और अन्ततः आप समूचे लघु उद्योग क्षेत्र का विरोध नहीं कर रहे हैं? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज वाला मामला था।

अध्यक्ष महोदय : इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की डिमांड पर भी डिसक्शन करने की बात चल रही है।

श्री शरद यादव : ये जो सारी चीजें हैं इनके लिए इतने रिप्रजेंटेशन दिये गये, इतनी बातें कही गई, लेकिन काफी आइटम्स को छोड़ दिया गया है। एग्रो इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया गया है, वीकर सेक्शन के सम्बन्ध में भी हमने पर्याप्त आंके आपके सामने रखे थे। पिछले वर्ष के बजट में मैट्रिक के नीचे के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए राशि 14 करोड़ रुपये रखी थी, जिसमें से चार करोड़ रुपये घटा दिये गये। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पिछले वर्ष 285 करोड़ रुपये रखे गये थे।

अध्यक्ष महोदय : शरदजी ऐसे बहुत लम्बा हो जायेगा।

श्री शरद यादव : कृषि, सिंचाई इन तमाम चीजों पर बजट में कटौती करने का काम किया गया है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दस लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन इसके लिए 145 करोड़ रुपया रखा गया है, अर्थात् 1450 रुपये प्रति बेरोजगार। 1450 रुपये से आप किसी व्यक्ति को कैसे रोजगार दे पायेंगे, कैसे बेरोजगारी दूर होगी, इन सारी चीजों को देखते हुए यह बजट गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेकारों के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और सदन से वाकआउट करते हैं।

6.27 म०प०

इस समय श्री शरद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने सरकारी क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वित्त मंत्री जी ने देश के सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों और अन्य रुग्ण उपक्रमों से संबंधित सबसे गंभीर समस्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हमारे यहां बैठने और ये सभी बातें सुनने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

6.27 $\frac{1}{2}$ म०प०

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

(व्यवधान)

6.28 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 26 अप्रैल, 1994/6 वैशाख, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।